



सत्यमेव जयते

# विनियोग लेखे

2015-16



राजस्थान सरकार

**विनियोग लेखे**

**वर्ष 2015-2016 के लिए**

**राजस्थान सरकार**

## विषय सूची

विनियोग लेखे की भूमिका	1
विनियोग लेखों का सारांश	2-15
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	16-17
विनियोग लेखे :	
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,	
संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	18
ब्याज अदायगियां	19
लोक सेवा आयोग	20
लोक ऋण	21-23
001. राज्य विधान मंडल	24-25
002. मंत्रि परिषद्	26
003. सचिवालय	27-29
004. जिला प्रशासन	30-31
005. प्रशासनिक सेवाएं	32-33
006. न्याय प्रशासन	34-37
007. निर्वाचन	38-39
008. राजस्व	40-41
009. वन	42-48
010. विविध सामान्य सेवाएं	49
011. विविध सामाजिक सेवाएं	50-54
012. अन्य कर	55-58
013. आबकारी	59-60
014. बिक्री कर	61-63
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	64-68
016. पुलिस	69-70
017. कारागार	71-72
018. जन-सम्पर्क	73
019. लोक निर्माण कार्य	74-87
020. आवास	88-90
021. सड़कें एवं पुल	91-104
022. क्षेत्र का विकास	105-109

023.	श्रम तथा रोजगार	110-113
024.	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	114-131
025.	कोषागार व लेखा प्रशासन	132-133
026.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	134-153
027.	पेय जल योजना	154-177
028.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	178-181
029.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	182-192
030.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	193-269
031.	पुर्नवास एवं सहायता	270
032.	नागरिक आपूर्ति	271-273
033.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	274-289
034.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	290-300
035.	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	301-308
036.	सहकारिता	309-311
037.	कृषि	312-325
038.	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	326-327
039.	पशुपालन एवं चिकित्सा	328-332
040.	राजकीय उपक्रम	333
041.	सामुदायिक विकास	334-338
042.	उद्योग	339-340
043.	खनिज	341-344
044.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	345
045.	राज्य कर्मचारियों को ऋण	346
046.	सिंचाई	347-371
047.	पर्यटन	372-373
048.	विद्युत्	374-377
049.	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	378
050.	ग्रामीण रोजगार	379-380
051.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	381-447
परिशिष्ट -	व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदानवार विवरण	448-449

## विनियोग लेखे की भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 2015-16 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में:-

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यपणों के लिए प्रयुक्त है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे अंकों से दिखाये गये हैं।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	
	( ₹ सहस्र में )		
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक प्रभारित	11,48,83	..	10,78,92
ब्याज अदायगियां प्रभारित	1,19,62,09,39	..	1,20,08,30,38
लोक सेवा आयोग प्रभारित	28,18,60	..	27,80,52
लोक ऋण प्रभारित	..	48,31,08,31	..
001. राज्य विधान मंडल दत्तमत प्रभारित	51,47,59 30,77	.. ..	50,16,07 14,75
002. मंत्रिपरिषद दत्तमत	11,01,22	..	8,27,84
003. सचिवालय दत्तमत प्रभारित	3,04,55,15 2	.. ..	2,79,40,41 ..
004. जिला प्रशासन दत्तमत प्रभारित	4,13,63,29 9,74	.. ..	3,71,93,61 9,71
005. प्रशासनिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	1,72,20,22 6,27	.. ..	1,62,14,10 6,18
006. न्याय प्रशासन दत्तमत प्रभारित	6,24,79,84 76,92,11	.. ..	5,79,91,45 74,97,46

## लेखों का सारांश

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में )				
..	69,91	..	..	..
..	..	..	46,20,99	..
			(आधिक्य ₹46,20,98,832)	
..	38,08	..	..	..
49,59,03,27	..	..	..	1,27,94,96
			(आधिक्य ₹1,27,94,95,917)	
..	1,31,52	..	..	..
..	16,02	..	..	..
..	2,73,38	..	..	..
..	25,14,74	..	..	..
..	2	..	..	..
..	41,69,68	..	..	..
..	3	..	..	..
..	10,06,12	..	..	..
..	9	..	..	..
..	44,88,39	..	..	..
..	1,94,65	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	( ₹ सहस्र में )		
007. निर्वाचन दत्तमत प्रभारित	74,80,95 2	.. ..	69,35,67 ..
008. राजस्व दत्तमत प्रभारित	7,07,49,43 4,97	.. ..	5,93,02,99 4,94
009. वन दत्तमत प्रभारित	7,50,34,16 31,00	1,43,82,49 ..	7,07,00,64 26,09
010. विविध सामान्य सेवाएं दत्तमत	6,76,95,14	..	4,00,20,57
011. विविध सामाजिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	1,01,05,57 3	38,75,77 ..	66,93,31 ..
012. अन्य कर दत्तमत प्रभारित	4,81,99,54 1,04	3,00,00,06 ..	3,43,98,96 1,00
013. आबकारी दत्तमत प्रभारित	1,31,39,38 95	1 ..	1,17,22,34 93
014. बिक्री कर दत्तमत प्रभारित	7,55,61,47 81	.. ..	7,22,39,89 80
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दत्तमत प्रभारित	1, 11,73,38,05 1,00,04	.. ..	1,08,63,53,74 49,09
016. पुलिस दत्तमत प्रभारित	40,81,58,45 14,68	69,13,97 ..	40,35,61,88 13,89
017. कारागार दत्तमत प्रभारित	1,40,16,79 2	.. ..	1,33,91,75 ..



## लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में )				
..	5,45,28	..	..	..
..	2	..	..	..
..	1,14,46,44	..	..	..
..	3	..	..	..
1,29,42,23	43,33,52	14,40,26	..	..
..	4,91	..	..	..
..	2,76,74,57	..	..	..
9,15,09	34,12,26	29,60,68	..	..
..	3	..	..	..
1,51,00,00	1,38,00,58	1,49,00,06	..	..
..	4	..	..	..
..	14,17,04	1	..	..
..	2	..	..	..
..	33,21,58	..	..	..
..	1	..	..	..
..	3,09,84,31	..	..	..
..	50,95	..	..	..
47,14,50	45,96,57	21,99,47	..	..
..	79	..	..	..
..	6,25,04	..	..	..
..	2	..	..	..

## 2015-16 के विनियोग

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	
	(₹ सहस्र में)		
018. जन-सम्पर्क दत्तमत प्रभारित	57,23,52 15	.. ..	57,34,96 15
019. लोक निर्माण कार्य दत्तमत प्रभारित	4,39,98,78 7,45	11,42,22,21 ..	4,01,94,73 7,20
020. आवास दत्तमत प्रभारित	1,10,65,68 1	9,76,16 ..	1,10,26,89 ..
021. सड़कें एवं पुल दत्तमत प्रभारित	18,03,86,77 2,53,54	29,80,91,87 ..	13,67,64,51 2,24,20
022. क्षेत्र का विकास दत्तमत प्रभारित	21,42,65 3	3,50,90,35 15,91	17,42,81 24
023. श्रम तथा रोजगार दत्तमत प्रभारित	5,17,88,12 6,47	34,34,50 ..	4,57,80,98 6,36
024. शिक्षा, कला एवं संस्कृति दत्तमत प्रभारित	1,97,55,13,67 2,69,24	89,67,77 ..	1,79,69,63,65 2,67,27
025. कोषागार व लेखा प्रशासन दत्तमत प्रभारित	2,10,75,05 2	.. ..	1,86,39,10 ..
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई दत्तमत प्रभारित	68,49,90,81 63,80	3,38,99,99 ..	59,30,53,65 52,48
027. पेय जल योजना दत्तमत प्रभारित	28,59,54,48 10,00	35,94,77,64 ..	27,65,75,95 4,40

## लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	..	..	11,44	..
..	..	..	(आधिक्य ₹ 11,44,196)	..
..	..	..	..	..
8,23,08,72	38,04,05	3,19,13,49	..	..
..	25	..	..	..
6,68,54	38,79	3,07,62	..	..
..	1	..	..	..
23,75,42,47	4,36,22,26	6,05,49,40	..	..
..	29.34	..	..	..
2,76,40,64	3,99,84	74,49,71	..	..
15.90	..	1	21	..
..	..	..	(आधिक्य ₹ 21,106)	..
9,86,11	60,07,14	24,48,39	..	..
..	11	..	..	..
86,56,92	17,85,50,02	3,10,85	..	..
..	1,97	..	..	..
..	24,35,95	..	..	..
..	2	..	..	..
1,36,71,13	9,19,37,16	2,02,28,86	..	..
..	11,32	..	..	..
31,13,30,88	93,78,53	4,81,46,76	..	..
..	5,60	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में )		
028. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
दत्तमत	6,35,43,38	2,74,80,00	3,91,19,72
प्रभारित	1	..	..
029. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास			
दत्तमत	34,14,62,81	9,59,29,67	28,72,95,53
प्रभारित	3	1	..
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास			
दत्तमत	67,15,05,21	87,54,71,88	55,07,53,84
प्रभारित	2,14	..	2,05
031. पुनर्वास एवं सहायता	..	..	..
032. नागरिक आपूर्ति			
दत्तमत	2,92,84,59	73,01	2,12,43,35
प्रभारित	4,03	..	4,02
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
दत्तमत	58,15,47,79	2,50,11,36	50,07,38,88
प्रभारित	4,94	..	4,64
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत			
दत्तमत	53,98,22,73	3	50,47,50,51
प्रभारित	35	..	34
035. विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत	3,10,04,21	3,32,34,73	2,55,20,76
036. सहकारिता			
दत्तमत	4,77,24,43	31,46,61	4,62,74,34
प्रभारित	14,73	..	14,71

## लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में )				
2,74,80,00	2,44,23,66	..	..	..
..	1	..	..	..
6,36,71,30	5,41,67,28	3,22,58,37	..	..
..	3	1	..	..
80,45,55,89	12,07,51,37	7,09,15,99	..	..
..	9	..	..	..
..	..	..	..	..
4,13	80,41,24	68,88	..	..
..	1	..	..	..
1,06,05,31	8,08,08,91	1,44,06,05	..	..
..	30	..	..	..
..	3,50,72,22	3	..	..
..	1	..	..	..
3,01,31,55	54,83,45	31,03,18	..	..
30,03,37	14,50,09	1,43,24	..	..
..	2	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में )		
037. कृषि			
दत्तमत	18,67,92,70	2,83,25,22	15,42,41,54
प्रभारित	1,79	..	1,77
038. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण			
दत्तमत	1,28,02,33	2,52,66	1,18,83,01
प्रभारित	1,27	..	1,25
039. पशुपालन एवं चिकित्सा			
दत्तमत	5,93,91,47	1,93,32	5,47,94,12
प्रभारित	81,37	..	81,37
040. राजकीय उपक्रम			
दत्तमत	1,46,64	65,35,20	1,36,78
प्रभारित	1	..	..
041. सामुदायिक विकास			
दत्तमत	59,96,42,82	1,68,66	57,54,73,99
प्रभारित	1	..	..
042. उद्योग			
दत्तमत	2,35,10,11	44,28,55	2,31,03,84
प्रभारित	3	..	..
043. खनिज			
दत्तमत	3,69,57,68	81,20,03	2,30,70,20
प्रभारित	1	..	..
044. लेखन सामग्री एवं मुद्रण			
दत्तमत	32,43,17	1,46,01	29,63,83
प्रभारित	1	..	..

## लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में )				
1,47,64,22	3,25,51,16	1,35,61,00	..	..
..	2	..	..	..
1,63,22	9,19,32	89,44	..	..
..	2	..	..	..
1,49,96	45,97,35	43,36	..	..
..	..	..	..	..
65,35,19	9,86	1	..	..
..	1	..	..	..
28,65	2,41,68,83	1,40,01	..	..
..	1	..	..	..
8,82,27	4,06,27	35,46,28	..	..
..	3	..	..	..
20,40	1,38,87,48	80,99,63	..	..
..	1	..	..	..
1,20,76	2,79,34	25,25	..	..
..	1	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
(₹ सहस्र में )			
045. राज्य कर्मचारियों को ऋण दत्तमत	..	9	..
046. सिंचाई दत्तमत	18,99,33,50	11,61,99,79	18,12,20,88
प्रभारित	23,96	49	23,86
047. पर्यटन दत्तमत	60,17,26	66,89,22	59,09,85
प्रभारित	1	..	..
048. विद्युत दत्तमत	1,11,39,29,96	3,35,02,10,38	1,10,16,41,83
049. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन दत्तमत	53,54	..	9,94
050. ग्रामीण रोजगार दत्तमत	32,07,03,87	71,44,79	24,68,02,91
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना दत्तमत	62,15,16,61	1,10,88,11,46	53,10,63,80
प्रभारित	1	..	..
<b>दत्तमत</b>	<b>10,80,84,22,58</b>	<b>6,60,69,05,46</b>	<b>9,76,49,95,90</b>
<b>योग</b>			
<b>प्रभारित</b>	<b>1,20,88,14,71</b>	<b>48,31,24,72</b>	<b>1,21,30,10,97</b>
<b>कुल योग</b>	<b>12,01,72,37,29</b>	<b>7,09,00,30,18</b>	<b>10,97,80,06,87</b>



## लेखों का सारांश (क्रमशः)

		बचत		आधिक्य	
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
(₹ सहस्र में )					
..	..	9	..	..	
8,67,71,86	87,12,62	2,94,27,93	..	..	
48	10	1	..	..	
53,02,39	1,07,41	13,86,83	..	..	
..	1	..	..	..	
3,11,44,02,34	1,22,88,13	23,58,08,04	..	..	
..	43,60	..	..	..	
71,44,79	7,39,00,96	..	..	..	
1,01,46,76,61	9,04,52,81	9,41,34,85	..	..	
..	1	..	..	..	
<b>5,90,68,91,44</b>	<b>1,04,34,38,12</b>	<b>70,00,14,02</b>	<b>11,44</b>	<b>..</b>	
<b>49,59,19,65</b>	<b>4,24,94</b>	<b>3</b>	<b>46,21,20</b>	<b>1,27,94,96</b>	
<b>6,40,28,11,09</b>	<b>1,04,38,63,06</b>	<b>70,00,14,05</b>	<b>46,32,64</b>	<b>1,27,94,96</b>	

## 2015-16 के विनियोग लेखों का सारांश- (क्रमशः)

निम्नलिखित एक दत्तमत अनुदान से अधिक व्यय का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
		₹	₹
1.	18. जन सम्पर्क	11,44,196	..

निम्नलिखित तीन प्रभारित अनुदान से अधिक व्यय का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
		₹	₹
1.	ब्याज अदायगियां	46,20,98,832	..
2.	लोक ऋण	..	1,27,94,95,917
3.	22. क्षेत्र का विकास	21,106	..

## 2015-16 के विनियोग लेखों का सारांश- (समाप्त)

चूंकि अनुदान और व्यय इस सकल राशि के लिये है जिनका व्यय करना अपेक्षित है तो उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दिखाये जाते हैं ।

वर्ष 2015-16 के लिये विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिये वित्त लेखे में दिखाये गये आंकड़ों के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

दत्तमत			
	राजस्व 1	पूंजी 2	योग 3
( ₹ सहस्र में )			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	9,76,49,95,90	5,90,68,91,44	15,67,18,87,34
घटाइये : वसूलियों का योग	35,40,83,23	4,81,56,13	40,22,39,36
	<b>9,41,09,12,67</b>	<b>5,85,87,35,31</b>	<b>15,26,96,47,98</b>
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय			
प्रभारित			
	राजस्व 4	पूंजी 5	योग 6
( ₹ सहस्र में )			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	1,21,30,10,97	49,59,19,65	1,70,89,30,62
घटाइये : वसूलियों का योग	3	..	3
	<b>1,21,30,10,94</b>	<b>49,59,19,65</b>	<b>1,70,89,30,59</b>
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय			

ऊपर दी गयी वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में पृष्ठ संख्या 448-449 पर दिया गया है ।

## भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार कार्यालय और अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें की लेखे तात्त्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले राजस्थान सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

(शशि कान्त शर्मा)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक:

स्थान: नई दिल्ली,

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक  
(समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2012. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,  
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
मूल	11,39,98	11,48,83	10,78,92	- 69,91
अनुपूरक	8,85			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				68,50

**टिप्पणी तथा टीका :**

**राजस्व**

1. मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा समूह घ कर्मचारियों के साक्षात्कारों के व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 8.85 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।

**ब्याज अदायगियां (समस्त प्रभारित)**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2049. ब्याज अदायगियां**

		<b>कुल विनियोग</b>	<b>वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)</b>	<b>आधिक्य + बचत -</b>
<b>राजस्व</b>				
मूल	1, 19, 62, 09, 31			
अनुपूरक	8	1, 19, 62, 09, 39	1, 20, 08, 30, 38	+ 46, 20, 99
			<b>(आधिक्य ₹ 46, 20, 98, 832)</b>	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

- व्यय विनियोजन से ₹ 46,20,98,832 अधिक हुआ जिसका नियमन आवश्यक है।
- आधिक्य (विनियोजन के अन्य शीर्षों के अन्तर्गत रही बचत से प्रतिसंतुलित किया) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रहा:-

शीर्ष		<b>कुल विनियोग</b>	<b>वास्तविक व्यय (₹ लाख में)</b>	<b>आधिक्य + बचत -</b>
<b>2049. ब्याज अदायगियां</b>				
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज				
123. राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज				
(01) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण पर ब्याज				
मू.	18, 42, 49.88			
पु.	87, 54.03	19, 30, 03.91	19, 70, 51.05	+ 40, 47.14

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 87,54.03 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से लिये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 40,47.14 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

- अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज
- बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज
- (01) राज्य सरकार की जीवन बीमा निधि पर ब्याज

मू.	8, 50, 76.41			
पु.	3, 81.75	8, 54, 58.16	8, 60, 55.63	+ 5, 97.47

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,81.75 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी क्योंकि वास्तविक भुगतान अनुमान से अधिक होने के परिणामस्वरूप व्यय का भुगतान अधिक हुआ।

₹ 5,97.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

लोक सेवा आयोग (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2051. लोक सेवा आयोग

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
मूल	25,27,50	28,18,60	27,80,52	- 38,08
अनुपूरक	2,91,10			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				38,07

**टिप्पणी तथा टीका:**

**राजस्व**

1. ₹ 38.08 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा ₹ 2,91.10 लाख का प्रावधान मुख्यतः विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।



**लोक ऋण ( समस्त प्रभारित )**

मुख्य शीर्ष : पूंजी - 6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और  
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ सहस्र में )	आधिक्य + बचत -
<b>पूंजी</b>				
मूल	48,30,43,68	48,31,08,31	49,59,03,27	+ 1,27,94,96 (आधिक्य ₹ 1,27,94,95,917)
अनुपूरक	64,63			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**पूंजी**

- व्यय विनियोजन से ₹ 1,27,94,95,917 अधिक हुआ जिसका नियमन आवश्यक है।
- आधिक्य मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रहा :-

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	आधिक्य + बचत -
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण				
111. केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ				
(01) केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ				
मू.	12,50,91.95	12,57,71.90	13,85,66.85	+ 1,27,94.95
पु.	6,79.95			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,79.95 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के अन्तर्गत ऋण के पुर्नभुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,27,94.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

- प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र
- (02) विशेष बाण्ड (पावर बॉण्ड)
- [20] 8.50% टैक्स फ्री राजस्थान सरकार विशेष बॉण्डस् , 2016

अ.	64.63	18,43.91	18,43.91	..
पु.	17,79.28			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,79.28 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान सरकार विशेष बॉण्डस् , 2016 के पुर्नभुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## लोक ऋण - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6004. केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए कर्ज			
[03] राजस्थान जल पुनर्संरचना योजना-विश्व बैंक			
मू.	8,50.81	10,46.75	10,46.75
पु.	1,95.94		..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,95.94 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी क्योंकि भारत सरकार द्वारा नियमित मासिक किश्त के अलावा परियोजना से ₹1,99.91 लाख की सीधे ही कटौती कर ली गयी।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित आधिक्य को बचत द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र			
(02) विशेष बाण्ड (पावर बॉण्ड्स)			
[18] 8.50% टैक्स फ्री राजस्थान सरकार विशेष बॉण्डस्, 2015			
मू.	18,43.91	..	..
पु.	- 18,43.91	..	..

8.50% टैक्स फ्री राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड, 2015 का पुर्नभुगतान 01.04.2015 को देय था किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम कार्य दिवस 31.03.2015 को ही भुगतान वसूल कर लिया परिणामस्वरूप ₹ 18,43.91 लाख का प्रावधान जो 2015-16 के लिए अनुमानित था, 31 मार्च 2016 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

6004. केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए कर्ज			
[20] राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम फेज- I एवं फेज- II			
मू.	27,61.70	20,47.87	20,47.87
पु.	- 7,13.83		..

31 मार्च 2016 को ₹ 7,13.83 लाख का प्रावधान योजनान्तर्गत भारत सरकार से ऋण कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

## लोक ऋण - (समाप्त)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6004. केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए कर्ज			
[25] राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम फेज- III			
मू.	3,38.99	2,34.33	2,34.33
पु.	- 1,04.66		..

31 मार्च 2016 को ₹ 1,04.66 लाख का प्रावधान योजनान्तर्गत भारत सरकार से ऋण कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

**अनुदान संख्या 001 – राज्य विधान मण्डल**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	48,04,00	51,47,59	50,16,07	- 1,31,52
अनुपूरक	3,43,59			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	30,77	30,77	14,75	- 16,02
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 1,31.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,43.59 लाख का प्रावधान सदस्यों के वेतन एवं भत्तों तथा कनिष्ठ लिपिक ग्रेड- II की भर्ती हेतु परीक्षा पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु अत्यधिक था।
- ₹ 1,31.52 लाख की अंतिम बचत में से, राशि ₹ 1.90 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- बचत (अनुदान के अन्य शीर्षों के अन्तर्गत रहे अधिक व्यय से प्रतिसंतुलित की गई ) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
101. विधान सभा				
(01) विधान मंडल				
मू.	21,78.69	22,24.93	22,25.15	+ 0.22
अ.	1,25.34			
पु.	- 79.10			

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,25.34 लाख का प्रावधान सदस्यों के वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 79.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 001 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
103. विधान मंडल सचिवालय			
मू .	24,16.11		
अ.	2,18.25	25,45.06	- 2.11
पु .	- 89.30		

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,18.25 लाख का प्रावधान कनिष्ठ लिपिक ग्रेड- II की भर्ती हेतु परीक्षाओं पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 89.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 002 - मंत्रिपरिषद् (समस्त दत्तमत)**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2013. मंत्रिपरिषद्**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
मूल	11,01,22	11,01,22	8,27,84	- 2,73,38
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
				2,73,37

**टिप्पणी तथा टीका:**

**राजस्व**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2013. मंत्रिपरिषद्				
800. अन्य व्यय				
(04) मोटर कारों का संधारण और परिचालन				
मू.	4,50.00	2,85.19	2,85.19	..
पु.	- 1,64.81			

₹ 4,50.00 लाख का प्रावधान मंत्रियों के वाहनों के संधारण और रख-रखाव के लिए अनुमानित था, परन्तु मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों की संख्या कम होने के परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,64.81 लाख की प्रत्याशित बचत रही।

### अनुदान संख्या 003 - सचिवालय

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2052. सचिवालय - सामान्य सेवाएं,  
2251. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं और  
3451. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,02,08,34	3,04,55,15	2,79,40,41	- 25,14,74
अनुपूरक	2,46,81			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				25,00,70
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				2

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

##### राजस्व

##### दत्तमत

- वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 3,56,83.73 लाख, ₹ 1,72,73.58 लाख, ₹ 45,19.38 लाख, ₹ 22,90.39 लाख तथा ₹ 25,14.74 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 8.26 प्रतिशत से 70.36 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- ₹ 25,14.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,46.81 लाख का प्रावधान राजस्थान सहभागिता ब्यूरो को अनुदान जारी किये जाने के कारण लिया गया जो अनावश्यक था।
- ₹ 25,14.74 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 14.04 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।

**अनुदान संख्या 003 - (क्रमशः)**

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
090. सचिवालय			
(02) कार्मिक विभाग			
[01] कार्मिक विभाग			
(कार्मिक विभाग, मुख्य सचिव कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक मामलात, स्टेट मिशन के वेतन भत्ते)			
मू .	56,08.17	46,72.98	46,72.98
पु .	- 9,35.19		
₹ 9,35.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, राज्य सरकार से पदस्थापन आदेशों के लिए प्रतीक्षाकरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने, नये फर्नीचर की खरीद नहीं किये जाने तथा किराये पर कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
090. सचिवालय			
(04) वित्त विभाग			
मू .	23,44.50	21,47.78	21,47.78
पु .	- 1,96.72		
090. सचिवालय			
(05) गृह विभाग			
मू .	7,97.00	6,60.90	6,60.90
पु .	-1,36.10		
090. सचिवालय			
(06) राजस्व विभाग एवं देवस्थान विभाग			
मू .	7,39.50	6,19.83	6,19.83
पु .	- 1,19.67		
090. सचिवालय			
(07) विधि विभाग			
मू .	9,27.01	8,17.30	8,17.30
पु .	- 1,09.71		

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 5,62.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने तथा वर्ष के दौरान रिक्त पदों को नहीं भरने को आरोपित की गयी।



## अनुदान संख्या 003 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं 090. सचिवालय (08) विभागीय जांच विभाग			
मू.	3,70.00		
पु.	- 1,23.21	2,46.79	2,46.79 ..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,23.21 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2251. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं 090. सचिवालय (01) शिक्षा विभाग, कला एवं संस्कृति			
मू.	10,21.00		
पु.	- 2,30.22	7,90.78	7,90.78 ..
₹ 2,30.22 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने तथा वर्ष के दौरान रिक्त पदों को नहीं भरने को आरोपित की गयी।			
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 090. सचिवालय (01) राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी [01] राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी			
मू.	8,64.80		
पु.	- 1,53.69	7,11.11	7,11.11 ..
₹ 1,53.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने तथा वर्ष के दौरान रिक्त पदों को नहीं भरने को आरोपित की गयी।			
090. सचिवालय (01) राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी [06] राज्य नव प्रवर्तन परिषद्			
मू.	4,22.95		
पु.	- 2,65.41	1,57.54	1,57.54 ..
₹ 2,65.41 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मानदेय पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी क्योंकि 50 प्रशिक्षकों की चयन प्रक्रिया के पश्चात् केवल 38 प्रशिक्षकों ने परिषद् में कार्यभार ग्रहण किया तथा उनमें से कुछ कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् छोड़ कर चले गये।			
090. सचिवालय (03) उद्योग विभाग [07] कृषिमय सहकारिता विभाग, पशुपालन, डेयरी, ग्रामीण विकास, उद्यानिकी विभाग			
मू.	8,53.00		
पु.	- 1,36.18	7,16.82	7,16.82 ..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,36.18 लाख का प्रावधान अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 004 - जिला प्रशासन**  
**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2053. जिला प्रशासन**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,13,63,29	4,13,63,29	3,71,93,61	- 41,69,68
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
				41,71,20
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	9,74	9,71	- 3
अनुपूरक	9,70			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
				4

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 34,79.18 लाख, ₹ 49,93.92 लाख, ₹ 36,60.88 लाख, ₹ 35,39.32 लाख तथा ₹ 41,69.68 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 9.23 प्रतिशत से 14.87 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन			
093. जिला स्थापनाएँ			
(01) जिलाधीश कार्यालय			
मू.	94,97.09	85,84.08	85,72.47
पु.	- 9,13.01		

₹ 9,13.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 2,163 स्वीकृत पदों में से 609 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

₹ 11.61 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 004 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन			
094. अन्य स्थापनाएँ			
(01) सब डिवीजनल स्थापनाएँ			
मू.	61,25.64	58,75.77	58,72.77
पु.	- 2,49.87		
			- 3.00
₹ 2,49.87 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 2,245 स्वीकृत पदों में से 1,052 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
094. अन्य स्थापनाएँ			
(02) तहसील कार्यालय			
मू.	2,32,87.20	2,08,40.21	2,08,57.43
पु.	- 24,46.99		
			+ 17.22
₹ 24,46.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः तहसील कार्यालयों द्वारा कम माँग तथा 9,904 स्वीकृत पदों में से 4,738 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
₹ 17.22 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
101. आयुक्त			
मू.	11,44.12	10,03.23	10,03.14
पु.	- 1,40.89		
			- 0.09
31 मार्च 2016 को ₹ 1,40.89 लाख का प्रावधान संबंधित कार्यालयों द्वारा कम माँग तथा 226 स्वीकृत पदों में से 80 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(03) सुशासन व्यवस्था			
मू.	4,96.75	99.10	99.10
पु.	- 3,97.65		
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,97.65 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

### अनुदान संख्या 005 – प्रशासनिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2051. लोक सेवा आयोग,  
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं,  
2062. सतर्कता और  
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,62,40,84	1,72,20,22	1,62,14,10	- 10,06,12
अनुपूरक	9,79,38			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
				10,05,50
<b>प्रभारित</b>				
मूल	6	6,27	6,18	- 9
अनुपूरक	6,21			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
				8

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 10,06.12 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 9,79.38 लाख का प्रावधान विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2051. लोक सेवा आयोग				
103. कर्मचारी चयन आयोग				
(01) राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड				
मू.	7,99.65	16,78.33	16,78.32	- 0.01
अ.	9,79.36			
पु.	-1,00.68			

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 9,79.36 लाख का प्रावधान विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,00.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 005 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव			
(01) राज्य गैराज तथा आटोमोबाइल विभाग			
मू.	34,94.29	32,85.88	32,85.89
पु.	- 2,08.41		
₹ 2,08.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव			
(02) गाड़ियों का एकत्रीकरण			
मू.	30,32.00	27,80.58	27,80.57
पु.	- 2,51.42		
₹ 2,51.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(03) परिधि गृह			
मू.	35,29.18	30,70.67	30,70.32
अ.	0.01		
पु.	- 4,58.52		
₹ 4,58.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 237 पदों के रिक्त रहने, (ii) खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं होने तथा (iii) जॉब बेसिस कार्यों के अन्तर्गत सुरक्षा एवं पोर्टर से संबंधित कार्यों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गई।			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(08) राजस्थान भवन वाशी, नवी मुम्बई			
मू.	3,04.51	3.88	3.88
पु.	- 3,00.63		
₹ 3,00.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नये विश्राम गृह के शुभारम्भ नहीं होने के कारण कार्यालय एवं सांवेदिक प्रभागों पर कम व्यय होने को आरोपित की गई।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव			
(05) किराए पर वायुयान/हेलिकॉप्टर			
मू.	6,00.00	8,15.06	8,15.06
पु.	2,15.06		

₹ 6,00.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए चार्टर हेलीकॉप्टर/हवाई जहाज किराये पर लेने हेतु अनुमानित था क्योंकि राज्य का स्वयं का हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त /उड़ने की स्थिति में नहीं था।

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,15.06 लाख की अतिरिक्त निधियां अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अधिक हवाई यात्रा पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराया गया।

## अनुदान संख्या 006 – न्याय प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2014. न्याय प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	6,03,78,79			
अनुपूरक	21,01,05			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		6,24,79,84	5,79,91,45	- 44,88,39
<b>प्रभारित</b>				
मूल	75,59,16			
अनुपूरक	1,32,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		76,92,11	74,97,46	- 1,94,65
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				

1. मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 21,01.05 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 44,88.39 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 19.67 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन				
105. सिविल और सेशन न्यायालय				
(01) जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय				
मू.	1,85,36.69			
अ.	16,34.00			
पु.	- 14,13.44			
		1,87,57.25	1,87,52.30	- 4.95

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 16,34.00 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से ई-न्यायालय परियोजना (फेज- II) के लिए प्राप्त निधियों का उपयोग करने तथा (ii) शेट्टी आयोग की सिफारिशों के तहत न्यायालयों की संख्या में बढ़ोतरी एवम् न्यायिक अधिकारियों के निवास स्थान पर घरेलू वाचनालय और फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध करवाने के कारण कार्यालय व्यय पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 14,13.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 429 पदों के रिक्त रहने, (ii) भारत सरकार से ई-न्यायालय परियोजना (फेज- II) के लिए प्राप्त राशि ₹ 9,97.00 लाख राज्य सरकार द्वारा देशी से जारी करने के कारण निधियों का उपयोग नहीं होना तथा (iii) जिला न्यायालय जयपुर, कोटा तथा झालावाड़ के विद्युत् बिलों पर कम व्यय होने को आरोपित की गई।

₹ 4.95 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 006 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(02) व्यवहार तथा अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीशों एवं मुख्य न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय			
मू.	1,11,45.72		
अ.	4,67.05	1,12,91.05	1,12,88.10
पु.	- 3,21.72		- 2.95
मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 4,67.05 लाख का प्रावधान 19 न्यायालयों के क्रमोन्नयन पर बड़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 3,21.72 लाख की प्रत्याशित बचत 661 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(03) मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय			
मू.	1,41,59.76		
पु.	- 21,31.67	1,20,28.09	1,20,26.90
			- 1.19
₹ 21,31.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 1193 पदों के रिक्त रहने तथा 19 न्यायालयों का मजिस्ट्रेट न्यायालयों से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में क्रमोन्नयन के कारण इस शीर्ष द्वारा कम व्यय होने को आरोपित की गई।			
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(09) अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) के लिए विशेष न्यायालय			
मू.	12,42.62		
पु.	- 1,31.13	11,11.49	11,11.43
			- 0.06
₹ 1,31.13 लाख की प्रत्याशित बचत 70 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(15) एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय			
मू.	16,67.32		
पु.	- 4,24.63	12,42.69	12,42.63
			- 0.06
₹ 4,24.63 लाख की प्रत्याशित बचत एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत न्यायालयों में 205 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(17) ग्राम न्यायालय			
मू.	10,68.95		
पु.	- 1,98.58	8,70.37	8,69.36
			- 1.01
₹ 1,98.58 लाख की प्रत्याशित बचत पीठासीन अधिकारियों के 25 पदों तथा अन्य अधिकारियों के 96 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			

**अनुदान संख्या 006 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
114. विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल)			
(02) गृह विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] अभियोजन कर्मचारी वर्ग			
मू.	62,92.81	55,23.25	55,22.51
पु.	- 7,69.56		
₹ 7,69.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 123 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(14) राजस्थान न्यायिक अकादमी			
मू.	2,12.75	4,50.58	4,44.41
पु.	2,37.83		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,37.83 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत्, जल प्रभार, नव निर्मित अकादमी भवन के कार्यालय वस्तुओं की खरीद पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 6.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

114. विधि सलाहकार और परामर्शदाता			
(01) विधि विभाग के माध्यम द्वारा			
मू.	32,04.43	37,04.84	37,03.22
पु.	5,00.41		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,00.41 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

117. परिवार न्यायालय			
(01) विधि विभाग के माध्यम द्वारा			
मू.	11,09.59	13,57.32	13,56.51
पु.	2,47.73		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,47.73 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः पदों को भरने के कारण होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			



## अनुदान संख्या 006 - (समाप्त)

### प्रभारित

1. सितम्बर 2015 (₹ 2.80 लाख) तथा मार्च 2016 (₹ 1,30.15 लाख) में लिया गया ₹ 1,32.95 लाख का अनुपूरक विनियोजन अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
102. उच्च न्यायालय			
(01) उच्च न्यायालय प्रशासन			
मू.	75,59.10		
अ.	1,30.15	74,91.87	74,90.65
पु.	- 1,97.38		- 1.22

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा कम्प्यूटरीकरण तथा परीक्षाओं के आयोजन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,30.15 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 1,97.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः माननीय न्यायाधीशों के पदों और उच्च न्यायालय में अन्य पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

### अनुदान संख्या 007 - निर्वाचन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2015. निर्वाचन और  
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	62,95,80	74,80,95	69,35,67	- 5,45,28
अनुपूरक	11,85,15			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				

#### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 5,45.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 11,85.15 लाख का प्रावधान पर्यवेक्षकों तथा ब्लॉक स्तर अधिकारियों को मानदेय हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
- ₹ 5,45.28 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 26.60 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन			
102. निर्वाचन अधिकारी			
मू.	19,60.03	17,56.79	- 1.50
पु.	- 2,03.24		

₹ 2,03.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 139 पदों के 6 माह से अधिक रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

### अनुदान संख्या 007 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन			
103. निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण			
मू.	32,54.46	42,07.72	42,05.78
अ.	11,85.15		
पु.	- 2,31.89		
			- 1.94

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 11,85.15 लाख का प्रावधान पर्यवेक्षकों तथा ब्लॉक स्तर अधिकारियों को मानदेय के भुगतान हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2016 को ₹ 2,31.89 लाख का प्रावधान निर्वाचक नामावली के प्रमाणिकरण और सत्यता के पारिश्रमिक के आंशिक भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 85.67 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,46.22 लाख) किया गया क्योंकि प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्य निर्वाचन विभाग द्वारा वर्ष के मध्य में रोक दिया गया।

108. मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना

मू.	3,50.00	2,44.60	2,44.60	..
पु.	-1,05.40			

31 मार्च 2016 को ₹ 1,05.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

800. अन्य व्यय

(01) पंचायत निर्वाचनों पर व्यय

[02] महानिर्वाचन

मू.	5,00.00	4,36.88	4,18.70	- 18.18
पु.	- 63.12			

31 मार्च 2016 को ₹ 63.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 18.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन			
106. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
मू.	5.00	83.18	83.10
पु.	78.18		
			- 0.08

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 78.18 लाख की अतिरिक्त निधियां चुनाव कार्य के दौरान मृत कर्मचारियों के परिवारों को क्षतिपूर्ति अनुदान के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

### अनुदान संख्या 008 - राजस्व

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2029. भू-राजस्व और  
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	7,07,49,42			
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		7,07,49,43	5,93,02,99	- 1,14,46,44
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3			
अनुपूरक	4,94			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		4,97	4,94	- 3
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 1,37,30.99 लाख, ₹ 97,35.58 लाख, ₹ 72,08.34 लाख, ₹ 60,95.99 लाख तथा ₹ 1,14,46.44 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 9.52 प्रतिशत से 30.32 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
<b>शीर्ष</b>				
2029. भू-राजस्व				
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य				
(02) जिला कर्मचारी वर्ग				
मू.	53,52.06			
पु.	- 4,61.78			
		48,90.28	48,94.80	+ 4.52

₹ 4,61.78 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों के अन्य निकायों में एवं अधिकारियों के अन्य विभागों में स्थानान्तरण के कारण पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

₹ 4.52 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 008 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
103. भू-अभिलेख			
(02) जिला व्यय			
मू.	5,60,77.78		
		5,03,54.35	5,03,44.36
पु.	- 57,23.43		- 9.99

₹ 57,23.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 17,359 स्वीकृत पदों में से 6,218 पदों के रिक्त रहने तथा यात्रा एवं कार्यालय व्यय पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 9.99 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

103. भू-अभिलेख

(07) राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

मू.	50,98.51		
		60.48	57.28
पु.	- 50,38.03		- 3.20

31 मार्च 2016 को ₹ 50,38.03 लाख का प्रावधान (i) आधुनिक अभिलेखागार के निर्माण तथा काडास्ट्रल नक्शे के डिजिटीकरण हेतु कार्य आदेश देरी से जारी होने तथा (ii) उप-पंजीयक कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं

099. राजस्व बोर्ड

(01) मंडल और उसकी स्थापना

मू.	20,67.88		
		18,77.73	18,77.72
पु.	- 1,90.15		- 0.01

₹ 1,90.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 450 स्वीकृत पदों में से 164 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

### अनुदान संख्या 009 - वन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी

पूंजी - 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	7,50,34,13		
अनुपूरक	3		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	7,50,34,16	7,07,00,64	- 43,33,52
			42,44,67

<b>प्रभारित</b>			
मूल	20,00		
अनुपूरक	11,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	31,00	26,09	- 4,91
			4,28

<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,01,54,82		
अनुपूरक	42,27,67		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	1,43,82,49	1,29,42,23	- 14,40,26
			11,73,05

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 43,33.52 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 88.85 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 1,34,70.05 लाख, ₹ 1,54,23.07 लाख, ₹ 1,88,28.65 लाख, ₹ 1,17,24.21 लाख तथा ₹ 43,33.52 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 5.78 प्रतिशत से 25.13 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सामान्य निदेशन			
मू.	24,99.52	22,19.27	22,17.51
पु.	- 2,80.25		
₹ 2,80.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग			
मू.	4,31,23.66	4,02,67.71	4,02,18.97
पु.	- 28,55.95		
₹ 28,55.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कार्यभारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण मजदूरी पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
₹ 48.74 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(11) एकीकृत वन सुरक्षा योजना (1:3)			
मू.	4,00.00	2,43.29	2,42.84
पु.	- 1,56.71		
₹ 4,00.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से वन संरक्षण हेतु निधियों की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनुमानित किया गया। यद्यपि, भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण 31 मार्च 2016 को ₹ 1,56.71 लाख की प्रत्याशित बचत अभ्यर्पित की गयी।			
01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(26) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम			
[01] राज्य वन विकास अभिकरण			
मू.	4,80.00	95.95	95.95
पु.	- 3,84.05		
31 मार्च 2016 को ₹ 3,84.05 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग			
[01] संस्थापना			
मू.	18,00.00	15,50.00	15,50.00
पु.	- 2,50.00		
<p>31 मार्च 2016 को ₹ 2,50.00 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा जिला परिषदों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(01) बाघ परियोजना, रणथम्भोर			
मू.	13,08.06	10,98.26	10,97.95
पु.	- 2,09.80		
<p>₹ 13,08.06 लाख का प्रावधान जानवरों के प्राकृतिक आवास के विकास, अनुरक्षण, सुधार एवं सुरक्षा तथा अभ्यारण क्षेत्रों से पुनर्विस्थापन हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 2,09.80 लाख की प्रत्याशित बचत रही जो मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा प्रवास कार्यों के लिए ग्रामीणों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होना रहा।</p>			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(02) बाघ परियोजना, सरिस्का			
मू.	10,70.00	8,70.30	8,70.09
पु.	- 1,99.70		
<p>₹ 10,70.00 लाख का प्रावधान जानवरों के प्राकृतिक आवास के विकास, अनुरक्षण, सुधार एवं सुरक्षा तथा अभ्यारण क्षेत्रों से पुनर्विस्थापन हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,99.70 लाख की प्रत्याशित बचत रही जो मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा प्रवास कार्यों के लिए ग्रामीणों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होना रहा।</p>			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(03) वन क्षेत्रों का संधारण			
मू.	50,52.64	49,03.20	48,98.45
पु.	- 1,49.44		
<p>₹ 1,49.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।</p>			



**अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(08) मुकुन्दरा नेशनल पार्क			
मू.	2,40.00		
पु.	- 1,52.95		
	87.05	87.12	+ 0.07
₹ 1,52.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी ।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
112. सार्वजनिक उद्यान			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	17,90.73		
पु.	- 1,48.70		
	16,42.03	16,41.47	- 0.56
₹ 1,48.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नौकरी के दौरान 8 कर्मचारियों की मृत्यु तथा 3 कर्मचारियों द्वारा ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लिये जाने से पदों के रिक्त रहने, (ii) राजभवन उद्यान में प्रतिनियुक्ति पर बागवानी निरीक्षक के पदस्थापन तथा (iii) लम्बे समय के लिए 2 कर्मचारियों के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी ।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(12) ईंधन तथा लकड़ी कोयला व्यापार योजना			
मू.	9,71.16		
पु.	1,97.09		
	11,68.25	11,68.20	- 0.05
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,97.09 लाख की अतिरिक्त निधियां इमारती लकड़ी तथा जलाने योग्य लकड़ी के अधिक उत्पादन के कारण संग्रहण तथा परिवहन हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(25) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज- II			
मू.	1,43,08.72		
पु.	1,01.94		
	1,44,10.66	1,43,77.39	- 33.27
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,01.94 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 33.27 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(10) वन धन योजना			
अ .	0.03		
पु .	2,31.26		
	2,31.29	2,29.95	- 1.34

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,31.26 लाख की अतिरिक्त निधियां वन धन योजना लागू करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**पूँजी**

**दत्तमत**

- ₹ 14,40.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 42,27.67 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 14,40.26 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 2,67.21 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 20,22.55 लाख, ₹ 27,44.09 लाख, ₹ 16,30.16 लाख, ₹ 88,48.59 लाख तथा ₹ 14,40.26 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 8.82 प्रतिशत से 68.01 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(07) जैव विविधता का संरक्षण (वन संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय पर्यटन)			
मू .	1,00.00		
पु .	- 41.54		
	58.46	1.90	- 56.56

31 मार्च 2016 को ₹ 41.54 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 56.56 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. वानिकी
102. समाज तथा फार्म वानिकी
- (08) सांभर नम भूमि का संरक्षण एवं विकास

मू .	1,06.00		
पु .	- 1,06.00		
		..	..

31 मार्च 2016 को ₹ 1,06.00 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना का अनुमोदन नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(14) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	53,50.85		
अ.	24,06.03	66,51.95	66,51.38
पु.	- 11,04.93		- 0.57

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 24,06.03 लाख का प्रावधान नाबार्ड की सहायता से पौधारोपण एवं लघु निर्माण कार्य हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। ₹ 11,04.93 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृति देरी से जारी किये जाने के कारण निधियों का उपयोग नहीं होने को आरोपित की गयी।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव  
110. वन्य जीव  
(10) बायोलोजिकल पार्क, बीकानेर

मू.	5,00.00		
पु.	- 4,00.00	1,00.00	..
			- 1,00.00

31 मार्च 2016 को ₹ 4,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने तथा ₹ 1,00.00 लाख के प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
800. अन्य व्यय			
(02) फोरेस्ट/कैम्पा की विभिन्न परियोजना हेतु			
मू.	4,26.30		
अ.	17,76.41	23,41.12	23,41.12
पु.	1,38.41		..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,38.41 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 009 - (समाप्त)**

6. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यावरण वृक्षारोपण			
मू.	3,99.19		
अ.	45.23	6,46.21	5,34.37
पु.	2,01.79		- 1,11.84

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,01.79 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 1,11.84 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 010 – विविध सामान्य सेवाएं**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2075. विविध सामान्य सेवाएं**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	6,76,95,14	6,76,95,14	4,00,20,57	- 2,76,74,57
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				2,76,74,25

**टिप्पणी तथा टीका:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2075. विविध सामान्य सेवाएं				
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण				
(01) मद 8235-117 गारंटी मोचन निधि को अन्तरण				
मू.	6,75,00.00	3,97,22.58	3,97,22.58	..
पु.	- 2,77,77.42			

31 मार्च 2016 को ₹ 2,77,77.42 लाख का प्रावधान गारंटी फीस की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,76,64.40 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,13.02 लाख) किया गया ।

### अनुदान संख्या 011 – विविध सामाजिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,  
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान और  
 3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण  
 पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय और  
 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान  
 पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,01,05,57	1,01,05,57	66,93,31
अनुपूरक	..		- 34,12,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			33,54,08
<b>प्रभारित</b>			
मूल	3	3	..
अनुपूरक	..		- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			3
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	38,75,77	38,75,77	9,15,09
अनुपूरक	..		- 29,60,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			29,60,67

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 34,12.26 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 58.18 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
102. धार्मिक तथा पूर्व अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन (01) देवस्थान एवं धर्मपुरा			
मू.	14,58.01	13,00.02	12,99.78
पु.	- 1,57.99		- 0.24

₹ 1,57.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, चयनित वेतन श्रृंखला तथा वेतन स्थिरीकरण के बकाया का भुगतान न होने तथा (ii) मूल पुजारियों/प्रबन्धकों की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकारियों/प्रबन्धकों के चयन की मांग हेतु अस्वीकृत दावों की एवज में दावे प्राप्त न होने के कारण मंदिरों को अनुदान वितरित नहीं करने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 011 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(02) तीर्थ यात्रा योजना			
[01] वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना			
मू.	15,00.00	14,21.68	13,93.76
पु.	- 78.32		
₹ 15,00.00 लाख का प्रावधान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 8 यात्रा ट्रेनों के संचालन द्वारा 7,500 वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा हेतु अनुमानित था। यद्यपि, लाभार्थियों की वास्तविक संख्या रेल रास्ते पर अनुमान से कम होने के कारण मात्र 7 ट्रेन संचालित की गयी जिसके परिणामतः 31 मार्च 2016 को ₹ 78.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 27.92 लाख की अंतिम बचत अवशेष राशि जमा कराने के कारण थी।			
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(01) विज्ञान एवं तकनीक			
मू.	7,89.39	5,84.48	5,84.44
पु.	- 2,04.91		
₹ 2,04.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(03) सरसेक/सेट कॉम नेटवर्क			
मू.	3,22.82	1,90.46	1,90.45
पु.	- 1,32.36		
₹ 1,32.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(05) विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण			
मू.	8,20.52	5,95.34	5,91.84
पु.	- 2,25.18		
31 मार्च 2016 को ₹ 2,25.18 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 011 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव भवन			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(02) सी.ई.टी.पी. (सार्वजनिक निराकरण संयंत्र प्रदूषित)			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00		

₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान नदियों को जल प्रदूषण से बचाने के लिए लघु उद्योगों से प्रदूषित निकासी को सार्वजनिक प्रदूषित निराकरण संयंत्र की स्थापना से निराकरण करने हेतु अनुमानित किया गया। यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा परिणामतः राज्यांश जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव भवन			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(03) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना			
मू.	35,25.13	19,85.23	19,58.75
पु.	- 15,39.90		- 26.48

31 मार्च 2016 को ₹ 15,39.90 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तदनुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 13,93.84 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,46.06 लाख) किया गया।

₹ 26.48 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव भवन			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(04) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना			
मू.	6,10.00	..	..
पु.	- 6,10.00		

31 मार्च 2016 को ₹ 6,10.00 लाख का समस्त प्रावधान स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग को योजना के हस्तांतरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।



**अनुदान संख्या 011 - (क्रमशः)**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) तीर्थ यात्रियों के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 12,73.65	2,21.96	2,21.96	..
पु. - 10,51.69			

31 मार्च 2016 को ₹ 10,51.69 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पूर्व वर्षों के 19 बकाया कार्यों के धीमे निष्पादन, (ii) ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट समय पर तैयार नहीं होने से ट्रस्ट के द्वारा संचालित 8 मंदिरों की स्वीकृति जारी न होने तथा राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य शीर्ष के अंतर्गत व्यय को पूँजीगत करने के स्थान पर इन मंदिरों हेतु अनुदान जारी किया गया तथा (iii) ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट में देरी के कारण 6 कार्यों की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय  
(03) तीर्थ यात्रियों के लिए विभाग के माध्यम  
से निर्माण कार्य

मू. 14,58.39	4,70.41	4,70.41	..
पु. - 9,87.98			

31 मार्च 2016 को ₹ 9,87.98 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) संशोधित प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण धर्मशालाओं तथा उप आयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण का भुगतान न होने, (ii) क्रमशः भूमि विवाद तथा भूमि के अतिक्रमण के कारण कोटा तथा उदयपुर में उप आयुक्त कार्यालय भवन की बाऊन्ड्री वाल का कार्य शुरू न होने तथा (iii) 38 चयनित मंदिरों/पवित्र धार्मिक स्थानों पर तीर्थ यात्रियों हेतु बेहतर सुविधा के लिए नवीनीकरण तथा विकसित करने हेतु मास्टर प्लान के लिए प्रावधान किया गया परन्तु मात्र 11 मन्दिर चयनित किये गये एवं उनके मास्टर प्लान हेतु सलाहकार नियुक्त किये गये। मास्टर प्लान की अंतिम रिपोर्ट वित्तीय वर्ष में प्राप्त नहीं हुई तथा इसके अतिरिक्त विकास कार्यों हेतु स्वीकृति जारी नहीं की गयी तथा द्वितीय चरण की ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए अभ्यर्पित किया गया।

5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान  
पर पूँजीगत परिव्यय

800. अन्य व्यय  
(02) विज्ञान एवं तकनीकी  
(केन्द्रीय अंश से सीधे प्राप्त राज्यांश)

मू. 7,08.15	2,13.63	2,13.63	..
पु. - 4,94.52			

31 मार्च 2016 को ₹ 4,94.52 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 011 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) साइंस सिटी			
[01] विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग			
मू.	2,70.00	..	..
पु.	- 2,70.00	..	..

31 मार्च 2016 को ₹ 2,70.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

### अनुदान संख्या 012 - अन्य कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण,  
 2041. वाहन कर,  
 2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क और  
 3055. सड़क परिवहन  
 पूंजी - 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय और  
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,81,99,54	4,81,99,54	3,43,98,96	-,1,38,00,58
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1,37,94,91
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	1,04	1,00	- 4
अनुपूरक	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				4
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,00,00,06	3,00,00,06	1,51,00,00	- 1,49,00,06
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1,49,00,06

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण				
02. स्टाम्प- न्यायिकेतर				
102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय				
मू.	18,00.00	14,80.00	14,79.94	- 0.06
पु.	- 3,20.00			

31 मार्च 2016 को ₹ 3,20.00 लाख का प्रावधान न्यायिकेतर स्टाम्पों की बिक्री के अनुसार वेंडरों को कमीशन का भुगतान करने हेतु शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का लेखांकन करने हेतु किया गया था, जो कि वेंडर्स को स्टाम्प जारी करने की सीमा ₹ 3.00 लाख से ₹ 0.50 लाख की कटौती करने के पश्चात् विपरीत रूप से प्रभावित होने से अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
03. पंजीकरण			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) जिला संगठन			
मू.	27,88.09	26,77.79	26,76.11
पु.	- 1,10.30		
₹ 1,10.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नये कार्यालयों के शुरू न करने के कारण "कार्यालय व्यय" के अंतर्गत कम व्यय होने, (ii) ऑन स्पॉट निरीक्षण शुल्क के भुगतान हेतु "पेशेवर तथा विशेष सेवाएं" के अन्तर्गत प्रावधान अनुमानित किया गया परन्तु जनवरी 2016 से बकाया की वसूली अभियान में अधिकारियों/कर्मचारियों की संलग्नता के कारण शुल्क के दावे समय पर प्रस्तुत नहीं किये जा सके तथा (iii) नये कार्यालय का प्रारम्भ न होने के कारण संविदा कार्मिकों की कम संलग्नता को आरोपित की गयी।			
2041. वाहन कर			
102. मोटर वाहनों का निरीक्षण			
(02) निरीक्षण			
मू.	26,41.39	22,09.15	22,08.86
पु.	- 4,32.24		
31 मार्च 2016 को ₹ 4,32.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) यातायात निरीक्षक/उप निरीक्षकों का वेतन निर्धारण न होने, (ii) चयनित वेतन श्रृंखला/ए.सी.पी. के बकाया का भुगतान न होने, (iii) फर्म (रेक्सको) द्वारा सुरक्षा कर्मियों तथा वाहन चालकों के लिए संविदा कार्मिक कम संख्या में उपलब्ध कराने तथा (iv) वाहनों के किराये पर लेने पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
103. संग्रहण प्रभार-विद्युत् शुल्क			
(02) डिजीजनल कर्मचारी वर्ग			
मू.	4,65.45	3,62.59	3,62.57
पु.	- 1,02.86		
₹ 1,02.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विद्युत् निरीक्षक (1 पद), सहायक विद्युत् निरीक्षक (7 पद), कनिष्ठ विद्युत् निरीक्षक (34 पद), सहायक कार्यालयीन पर्यवेक्षक (4 पद), लिपिक ग्रेड-द्वितीय (15 पद), हैल्पर (19 पद) तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (3 पद) के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
3055. सड़क परिवहन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त/रियायती यात्राओं की राशि के पुनर्भरण हेतु सहायतार्थ अनुदान			
मू.	1,60,00.00	1,53,81.44	1,53,81.44
पु.	- 6,18.56		
31 मार्च 2016 को ₹ 6,18.56 लाख का प्रावधान अंतिम तिमाही में निगम के यात्री भार में कमी के परिणामतः पुनर्भुगतान दावों का कम भुगतान होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(10) सुधार सम्बद्ध योजना-राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	1,20,00.00	..	..
पु.	- 1,20,00.00		

₹ 1,20,00.00 लाख का प्रावधान सुधार सम्बद्ध के नियमों की अनुपालना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को प्रति माह ₹ 10,00.00 लाख का अनुदान जारी करने हेतु अनुमानित किया गया था परन्तु निगम द्वारा नियमों की अनुपालना न होने के कारण, प्रस्तावित अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया जिसके परिणामतः 31 मार्च 2016 को ₹ 1,20,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 1,16,54.27 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,45.73 लाख) किया गया।

800 अन्य व्यय

(08) सड़क सुरक्षा निधि

[01] परिवहन विभाग के माध्यम से

मू.	2,50.08	1,10.37	1,10.37	..
पु.	- 1,39.71			

31 मार्च 2016 को ₹1,39.71 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5055. सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(07) सुधार सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बस अड्डा सेवा निगम को हस्तान्तरित की गई परिसम्पत्तियों के विरुद्ध राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अंशपूँजी			
मू.	3,00,00.00	..	..
पु.	- 3,00,00.00		

₹ 3,00,00.00 लाख का प्रावधान परिवर्तित बजट 2014-15 में की गई उद्घोषणा की अनुपालना में सुधार सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बस अड्डा सेवा निगम को हस्तान्तरित की गई परिसम्पत्तियों के विरुद्ध राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अंश पूँजी हेतु अनुमानित था। यद्यपि, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सम्पत्तियां बस अड्डा विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने की कार्यवाही का क्रियान्वयन न होने के परिणामतः 31 मार्च 2016 को ₹ 3,00,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 1,49,00.02 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,50,99.98 लाख) किया गया।

**अनुदान संख्या 012 - (समाप्त)**

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत -
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड को उधार			
मू.	0.01		
पु.	1,49,99.99	1,50,00.00	1,50,00.00
			..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,49,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य बस अड्डा सेवा निगम को सम्पत्तियों का हस्तांतरण न करने तथा सुधार सम्बद्ध योजना के तहत अनुदानों की स्वीकृति न होने के कारण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को खराब वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु ऋणों के लिए उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 013 - आबकारी

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2039. राज्य उत्पाद शुल्क  
पूँजी - 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,31,39,35			
अनुपूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		1,31,39,38	1,17,22,34	- 14,17,04
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	94			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		95	93	- 2

### पूँजी

<b>दत्तमत</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		1	..	- 1

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2039. राज्य उत्पाद शुल्क				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) प्रधान कार्यालय				
मू.	20,36.72			
पु.	- 5,76.10			
		14,60.62	14,60.62	..

₹ 20,36.72 लाख के कुल प्रावधान में से ₹ 10,00.00 लाख द्वारा रेडियो/टेलीविजन/ समाचार पत्रों/ डिस्पले बोर्ड, वाल पेटिंग के माध्यम से शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव से जन-जागरूकता लाने संबंधी जारी किये गये विज्ञापन द्वारा जारी सूचना शिक्षा तथा संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों, शराब का अवैध उत्पादन तथा बिक्री की रोकथाम के लिए अनुमानित था। निधियां आई.ई.सी. गतिविधियों के तहत सरकार से मद्य संयम प्रचार प्रसार नीतियों से संबंधित किसी भी दिशा-निर्देश प्राप्त होने हेतु भी अनुमानित थी। यद्यपि, व्यय अनुमान के विरुद्ध कम रहा परिणामस्वरूप ₹ 5,76.10 लाख की प्रत्याशित बचत रही।

**अनुदान संख्या 013 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2039. राज्य उत्पाद शुल्क			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निरोधक दल			
मू.	73,20.58		
		64,84.61	64,84.47
पु.	- 8,35.97		- 0.14

₹ 8,35.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 3,234 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1,243 पदों के रिक्त रहने और निरोधक दल से पूर्व सेना कर्मियों द्वारा त्याग पत्र/ स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) निरोधक दल में होमगार्ड एवं अस्थायी रसोईयों की कम उपलब्धता को आरोपित की गई।



## अनुदान संख्या 014 - बिक्री कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,94,35,84			
अनुपूरक	2,61,25,63			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		7,55,61,47	7,22,39,89	- 33,21,58
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2			
अनुपूरक	79			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		81	80	- 1
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				

1. ₹ 33,21.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,61,25.63 लाख का प्रावधान मुख्यतः राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन पॉलिसी के अन्तर्गत निवेश सहाय्य के भुगतान हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
2. ₹ 33,21.58 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 18.75 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(02) डिवीजनल कर्मचारी वर्ग				
मू.	23,10.54			
पु.	- 5,83.93			
		17,26.61	17,26.60	- 0.01

₹ 5,83.93 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने एवम् विभागीय व्यवहारी केन्द्रों के स्थान पर ई-मित्र कियोस्क खुलवाकर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारण व्यय नहीं होने को आरोपित की गई।

**अनुदान संख्या 014 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी			
[01] मजदूरी/रोजगार अनुदान			
मू.	28,26.00	14,98.26	14,98.26
पु.	- 13,27.74		

31 मार्च 2016 को ₹ 13,27.74 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान इकाईयों द्वारा अनुदान हेतु दावे प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 9,12.23 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4,15.51 लाख) किया गया।

800. अन्य व्यय  
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी  
[02] ब्याज अनुदान

मू.	89,76.77	49,98.31	49,98.31	..
पु.	- 39,78.46			

31 मार्च 2016 को ₹ 39,78.46 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान इकाईयों द्वारा अनुदान हेतु दावे प्रस्तुत नहीं करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

800. अन्य व्यय  
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी  
[05] एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडि

मू.	16,06.47	7,46.56	7,46.56	..
पु.	- 8,59.91			

31 मार्च 2016 को ₹ 8,59.91 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान इकाईयों द्वारा अनुदान हेतु दावे प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) प्रधान कार्यालय				
मू.	29,19.96	30,42.02	30,35.97	- 6.05
अ.	0.01			
पु.	1,22.05			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,22.05 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) जल, विद्युत् एवम् दूरभाष इत्यादि पर बढ़े हुए व्यय, (ii) राज्य सरकार का कर सूचना विनिमय प्रणाली के अंशदान पर अतिरिक्त व्यय तथा (iii) कर भवन के मुख्यालय में नवसृजित अनुभागों/कार्यालयों एवम् नवसृजित वृत्त कार्यालयों के लिए फर्नीचर, कम्प्यूटर खरीदने हेतु उपलब्ध कराई गयी।

**अनुदान संख्या 014 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
101. संग्रहण प्रभार			
(02) अन्य जिला कार्यकारी कर्मचारी वर्ग			
मू.	1,20,84.07		
पु.	1,31.12		
		1,22,15.19	- 10.79

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,31.12 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः दावेदारों को कर वापसी पर ब्याज के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 10.79 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

800. अन्य व्यय

(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी

[04] इन्वेस्टमेंट सब्सिडी

मू.	1,82,11.00		
अ.	2,61,25.62		
पु.	30,19.68		
		4,73,56.30	- 0.95

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30,19.68 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के अन्तर्गत नई इकाईयों/लाभार्थियों के जुड़ने के कारण अधिक सहाय्य का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय

(03) अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के तहत वैंट का पुनर्भरण

मू.	0.01		
पु.	1,50.79		
		1,50.80	1,50.80
			..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,50.79 लाख की अतिरिक्त निधियां अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के अन्तर्गत वैंट दावों के पुनर्भरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 015 - पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ**  
**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहरन्न में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,10,75,89,06	1,11,73,38,05	1,08,63,53,74	- 3,09,84,31
अनुपूरक	97,48,99			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
2,60,84,96				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,00,04	1,00,04	49,09	- 50,95
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
50,95				

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 3,09,84.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 97,48.99 लाख का प्रावधान निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में राज्य अंशदान के भुगतान हेतु लिया गया जो अनावश्यक था।
- ₹ 3,09,84.31 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 48,99.35 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ				
01. सिविल				
101. अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते				
(01) राज्य कर्मचारियों को पेंशन				
मू.	62,00,00.00	56,70,00.00	56,33,98.13	36,01.87
पु.	- 5,30,00.00			

31 मार्च 2016 को ₹ 5,30,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत फरवरी 2016 तक के मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए तथा 2006 से पहले तथा 2013 से पहले सभी नये संशोधित पेंशन प्रकरणों को विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,32,79.28 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,97,20.72 लाख) की गयी।

₹ 36,01.87 लाख की अंतिम बचत राज्य के बाहर पेंशनर्स द्वारा पेंशन आहरण के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं होने के कारण रही।

**अनुदान संख्या 015 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01. सिविल			
115. छुट्टी नगदीकरण हित लाभ			
मू.	9,00,00.00	8,76,00.00	8,72,80.67
पु.	- 24,00.00		

31 मार्च 2016 को ₹ 24,00.00 लाख का प्रावधान फरवरी 2016 तक के मासिक व्यय के रुझान, निर्माण विभागों द्वारा अंतिम व्यय से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं करने तथा सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के नगदीकरण का अनुमान से कम भुगतान हुआ क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी के अवकाश के शेष का अनुमान नहीं लगाया जा सका, को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्पित किया गया।

₹ 3,19.33 लाख की अंतिम बचत निर्माण विभागों द्वारा अंतिम व्यय की सूचना नहीं देने के कारण रही।

01. सिविल  
200. अन्य पेंशन  
(01) नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान

मू.	5,00.00	99.00	97.96
पु.	- 4,01.00		

31 मार्च 2016 को ₹ 4,01.00 लाख का प्रावधान फरवरी 2016 तक के मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए तथा मृतक/अशक्तता पेंशन परिलाभों का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01. सिविल			
102. पेंशन का सांराशिकृत मूल्य			
मू.	6,00,00.00	6,77,50.00	6,76,48.07
पु.	77,50.00		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 77,50.00 लाख की अतिरिक्त निधियां फरवरी 2016 तक के मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए तथा जुलाई 2013 से वेतन श्रृंखला में पुनरीक्षण के कारण पुराने व नये पेंशनर्स के पेंशन अधिलाभ के बढ़े हुए भुगतान की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,01.93 लाख की अंतिम बचत राज्य के बाहर पेंशनर्स द्वारा पेंशन आहरण के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं होने के कारण रही।

**अनुदान संख्या 015 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01. सिविल			
104. उपदान			
(02) कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान			
मू.	6,00.00	10,30.00	10,28.34
पु.	4,30.00		
			- 1.66

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,30.00 लाख की अतिरिक्त निधियां फरवरी 2016 तक के मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए तथा कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु होने के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं हो सकने से उपलब्ध करायी गयी।

01. सिविल  
105. परिवार पेंशन

मू.	14,25,00.00	15,10,00.00	15,09,70.83
पु.	85,00.00		
			- 29.17

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 85,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां फरवरी 2016 तक के मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए तथा जुलाई 2013 से वेतनमान में पुनरीक्षण के कारण जुलाई 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनर्स को पेंशन अधिलाभ के भुगतान की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 29.17 लाख की अंतिम बचत राज्य के बाहर के पेंशनर्स द्वारा पेंशन आहरण के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं होने के कारण रही।

01. सिविल  
110. स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन  
(01) जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों को पेंशन

मू.	68,00.00	1,24,00.00	1,19,12.81
पु.	56,00.00		
			- 4,87.19

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 56,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां फरवरी 2016 तक के मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए उपलब्ध करायी गयी।

₹ 4,87.19 लाख की अंतिम बचत कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखाओं में अंकमिलान के माध्यम से जो सुधार किये जाते हैं उनका समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में अद्यतनीकरण का प्रभाव नहीं होने के कारण रही।

01. सिविल  
111. विधायकों को पेंशन

मू.	11,00.00	13,92.68	14,33.77
पु.	2,92.68		
			+ 41.11

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,92.68 लाख की अतिरिक्त निधियां तथा ₹ 41.11 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 015 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01. सिविल			
117. निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान			
(01) निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान			
मू .	3,60,00.00		
अ .	97,48.99	5,17,40.29	5,17,64.28
पु .	59,91.30		+ 23.99

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 59,91.30 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकारी अंशदान के बढ़े हुए भुगतान की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 23.99 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. सिविल  
800. अन्य व्यय  
(01) पेंशन हितलाभ भुगतान में विलम्ब पर ब्याज का  
भुगतान

मू .	60.01		
अ .		2,15.00	2,09.62
पु .	1,54.99		- 5.38

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,54.99 लाख की अतिरिक्त निधियां फरवरी 2016 तक के मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए उपलब्ध करायी गयी।

₹ 5.38 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

5. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01. सिविल			
104. उपदान			
(01) राज्य कर्मचारियों को उपदान			
मू .	15,00,00.00		
पु .	10,00.00	15,10,00.00	15,05,81.66

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां फरवरी 2016 तक के मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए उपलब्ध करायी गयी।

₹ 4,18.34 लाख की अंतिम बचत राज्य के बाहर पेंशनर्स द्वारा पेंशन आहरण के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं होने के कारण रही।

**अनुदान संख्या 015 - (समाप्त)**

**प्रभारित**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01. सिविल			
106. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार			
मू.	1,00.00		
पु.	- 50.91	49.09	49.09
			..

31 मार्च 2016 को ₹ 50.91 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति परिलाभों के वास्तविक भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।



## अनुदान संख्या 016 - पुलिस

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2055. पुलिस और  
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं  
पूंजी - 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय और  
6216. आवास के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	39,54,43,80			
अनुपूरक	1,27,14,65			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		40,81,58,45	40,35,61,88	- 45,96,57
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3			
अनुपूरक	14,65			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		14,68	13,89	- 79
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	69,13,97			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		69,13,97	47,14,50	- 21,99,47
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				

### राजस्व

#### दत्तमत

1. ₹ 45,96.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,27,14.65 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 45,96.57 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 13,25.29 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।

## अनुदान संख्या 016 - (समाप्त)

## पूँजी

## दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
211. पुलिस आवास			
(01) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 16,56.00	4,36.20	4,36.20	..
पु. - 12,19.80			
₹ 12,19.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
211. पुलिस आवास			
(03) आवास विकास लिमिटेड के माध्यम से			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 52,57.95	42,28.30	42,28.30	..
पु. - 10,29.65			
31 मार्च 2016 को ₹ 10,29.65 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 017 - कारागार**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2056. जेल**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,33,69,01	1,40,16,79	1,33,91,75	- 6,25,04
अनुपूरक	6,47,78			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				6,27,43
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				2

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 6,25.04 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 6,47.78 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 6,25.04 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 6,27.43 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल				
101. जेल				
(01) मुख्य जेल				
मू.	58,92.10	55,84.75	55,84.71	- 0.04
पु.	- 3,07.35			

₹ 3,07.35 लाख की प्रत्याशित बचत (i) केन्द्रीय /जिला/हवालार्ते और अन्य कारागारों में 195 होम गार्ड्स के पदों में कमी, (ii) कम्पनी मुख्यालय द्वारा बार्डर होम गार्ड्स के बिलों को देरी से प्रस्तुत करना, (iii) संवेदकों द्वारा बिल समय पर प्रस्तुत नहीं करने तथा कैदियों की संख्या में भिन्नता के कारण खाद्य सामग्री पर कम व्यय तथा (iv) वर्ष 2015-16 में गत वर्ष की तुलना में खाद्य सामग्री की संविदा दर कम प्राप्त होने को आरोपित की गई।

**अनुदान संख्या 017 - (समाप्त)**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल				
101. जेल				
(02) जिला जेल				
मू.	35,62.11	34,04.06	34,04.04	- 0.02
अ.	6,47.78			
पु.	- 8,05.83			

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 6,47.78 लाख का प्रावधान काराग्रहों में नव नियुक्त गार्ड्स के वेतन एवम् भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 8,05.83 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रीय/जिला/ उप-काराग्रह और अन्य काराग्रहों में होम गार्ड्स के 195 पदों में कमी को आरोपित की गई।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
मू.	6,12.34	8,76.20	8,78.80	+ 2.60
पु.	2,63.86			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,63.86 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) अतिरिक्त महानिदेशक के ए.पी.ओ. अवधी के दौरान वेतन एवम् भत्तों का भुगतान मुख्यालय से होने, नव नियुक्त गार्ड्स के स्थायी होने एवं कुछ कर्मचारियों का स्थानान्तरण मुख्यालय पर होने से पदस्थापना पर अधिक व्यय तथा (ii) बजट सत्र 2015-16 के दौरान राज्य गृह मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की अनुपालना में बंदी कल्याण निधि, उत्सव निधि एवं खेल कूद निधि सृजित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

101. जेल				
(03) हवालतों				
मू.	23,61.00	27,18.20	27,18.05	- 0.15
पु.	3,57.20			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,57.20 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रहरियों के दो वर्ष के परिविक्षाकाल के पूर्ण होने पर स्थायी होने से वेतन एवं भत्तों के भुगतान, 2013 में भर्ती हुए नये प्रहरियों को जिला जेल में पदस्थापना तथा विद्युत् दरों में वृद्धि के कारण हवालतों के विद्युत् बिलों पर व्यय में बढ़ोत्तरी के कारण उपलब्ध करायी गयी

## अनुदान संख्या 018 - जन-सम्पर्क

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2220. सूचना तथा प्रचार

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	43,42,04	57,23,52	57,34,96	+ 11,44 (आधिक्य ₹11,44,196)
अनुपूरक	13,81,48			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				59,53
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	15	15	..
अनुपूरक	14			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. व्यय अनुदान से ₹ 11,44,196 अधिक हुआ जिसका नियमन आवश्यक है। आधिक्य मुख्यतः शीर्ष " 2220-60-001 निदेशन एवं प्रशासन " ( प्रावधान: ₹ 44,11.72 लाख; व्यय: ₹ 44,82.08 लाख) के अन्तर्गत हुआ।
2. ₹ 11.44 लाख के अंतिम आधिक्य को देखते हुए मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 13,81.48 लाख का प्रावधान अप्रत्याप्त था तथा ₹ 59.53 लाख का अभ्यर्पण न्यायोचित नहीं था।

## अनुदान संख्या 019 - लोक निर्माण कार्य

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2059. लोक निर्माण कार्य

- पूँजी - 4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4403. पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय और  
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,39,98,77		
अनुपूरक	1	4,39,98,78	- 38,04,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			37,89,21
<b>प्रभारित</b>			
मूल	1		
अनुपूरक	7,44	7,45	- 25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			25
<b>पूँजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	11,42,22,02		
अनुपूरक	19	11,42,22,21	- 3,19,13,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			3,01,33,39

**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 38,04.05 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 14.84 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[01] मुख्यालय एवं संभाग			
मू.	38,45.58		
अ.	0.01	34,71.94	34,69.41
पु.	- 3,73.65		- 2.53
₹ 3,73.65 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 101 पदों के रिक्त रहने तथा कम्प्यूटराईजेशन से सम्बन्धित कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[02] अधीक्षण			
मू.	52,27.92		
पु.	- 5,80.63	46,47.29	46,45.98
₹ 5,80.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 124 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[03] निष्पादन			
मू.	2,19,42.06		
पु.	- 18,25.08	2,01,16.98	2,01,12.13
₹ 18,25.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 246 सहायक अभियन्ता तथा 283 कनिष्ठ अभियन्ता के पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
80. सामान्य			
004. योजना तथा अनुसंधान			
(01) अनुसंधान			
मू.	15,92.92		
पु.	- 1,46.24	14,46.68	14,46.68
₹ 1,46.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 29 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों के लिए			
[01] विशेष एवं सामान्य मरम्मत			
मू.	56,60.70		
पु.	- 4,32.72	52,27.98	52,41.58
			+ 13.60

₹ 4,32.72 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को गत वर्षों के बकाया का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 13.60 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

80. सामान्य  
799. उचन्त  
(03) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम  
[01] प्रभार

मू.	1,50.00			
पु.	- 1,50.00	..	..	..

₹ 1,50.00 लाख का प्रावधान बिटुमिन आदि की खरीद हेतु रिफाइनरीज को अग्रिम के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 1,50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सामग्री आदि का क्रय नहीं होने तथा स्कंध समाशोधन/समायोजन हेतु वित्त विभाग के आदेश को देखते हुए व्यय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. **उचन्त** - लघु शीर्ष "उचन्त" में अंतरिम लेन-देन के रूप की वे प्राप्तियां और संवितरण सम्मिलित हैं। यद्यपि, उनको अंतिम रूप देने और लेखांकित करने के पूर्व आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार, "उचन्त" में राशि वर्षानुवर्ष अग्रनीत की जाती है।

लोक निर्माण कार्यों के लेखों में उचन्त के तीन उप-भाग हैं, यथा (i) स्टॉक, (ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा (iii) वर्कशाप उचन्त, जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है :-

- (i) **स्टॉक** - इस शीर्ष में किसी विशेष निर्माण कार्य हेतु नहीं अपितु खण्ड में सामान्य उपयोग हेतु जो सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं, का मूल्य लेखांकित किया जाता है। विशेष कार्यों पर प्रयोग के लिए जारी की गयी या बेची गयी अथवा अन्य खण्डों को स्थानान्तरित सामग्रियों का मूल्य, अन्तरण द्वारा इस उपभाग के अन्तर्गत लेखों से हटाया जाता है। प्राप्त सामग्रियों के मूल्य जिसका, उसी माह में भुगतान नहीं किया गया हो, का अभिलेख रखने के लिये अब एक ब्यौरेवार शीर्ष "खरीद" भी परिचालित किया गया है। अतः स्टॉक उप-भाग में रखी गयी सामग्रियों का पुस्तक मूल्य (बाजार मूल्यों से पृथक) और विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, जो इस उप भाग को प्रभारित किये गये हों, में से अभी भुगतान किये जाने वाले या समायोजित किये जाने वाले सामान का मूल्य घटाकर, रहे शेष दर्शाता है।
- (ii) **विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम** - इस शीर्ष के अंतर्गत उधार बेची गयी सामग्री का मूल्य जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा से अधिक किया गया व्यय, खोई गयी नकद राशि, अपलिखित न की गयी रोकड़, भण्डार सामग्रियों में हानियां तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूली योग्य राशियां लेखा बद्ध की जाती हैं। शेष वसूली योग्य राशि का द्योतक है।
- (iii) **वर्कशाप उचन्त** - सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कशापों में निष्पादित कार्यों अथवा अन्य संकायों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन होने तक, इस उप शीर्ष में पुस्तंकित किये जाते हैं।



### अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

2015-16 में इस अनुदान में "उचन्त" लेन देनों का विश्लेषण "उचन्त" के विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन प्रारम्भिक तथा अन्त शेष सहित दिया गया है :-

"उचन्त" लघु शीर्ष का उपभाग	प्रारम्भिक शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
(₹ लाख में)				
स्टॉक	(+) 4,57.36	..	3.75	(+) 4,53.61
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,33.78	..	10.21	(+) 2,23.57
योग	(+) 6,91.14	..	13.96	(+) 6,77.18

#### पूँजी

##### दत्तमत

- ₹ 3,19,13.49 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 17,80.10 लाख अन्वर्धित रही।
- वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 1,09,80.48 लाख, ₹ 1,35,71.66 लाख, ₹ 2,77,73.48 लाख, ₹ 6,88,03.68 लाख और ₹ 3,19,13.49 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के कुल बजट की 26.48 प्रतिशत से 49.23 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के मूल अनुमान से धीमी प्रगति/कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	25,72.70	18,61.49	18,62.11
पु.	- 7,11.21		
31 मार्च 2016 को ₹ 7,11.21 लाख का प्रावधान अर्धित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	9,64.74	6,98.06	6,98.29
पु.	- 2,66.68		
₹ 2,66.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[01] नवीन उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी. के माध्यम से)			
मू.	70,00.00	20,00.00	20,00.00
पु.	- 50,00.00		..

31 मार्च 2016 को ₹ 50,00.00 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[03] अन्य न्यायिक भवन			
मू.	67,37.83	39,99.30	39,99.26
पु.	- 27,38.53		- 0.04

31 मार्च 2016 को ₹ 27,38.53 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(04) सामान्य भवन (जेल)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	35,20.02	26,21.15	26,09.58
पु.	- 8,98.87		- 11.57

31 मार्च 2016 को ₹ 8,98.87 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण तथा ₹ 11.57 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[02] गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग			
मू.	3,41.70	..	..
पु.	- 3,41.70		..

31 मार्च 2016 को ₹ 3,41.70 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(06) सामान्य भवन ( पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत बनने वाले भवन)			
मू.	30,97.35		
पु.	- 17,88.08	13,09.27	11,83.99
			- 1,25.28

31 मार्च 2016 को ₹ 17,88.08 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण तथा ₹ 1,25.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(07) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)			
[01] मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	4,24.25		
पु.	- 3,39.50	84.75	84.75
			..

31 मार्च 2016 को ₹ 3,39.50 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(15) सामान्य भवन (राज्य आबकारी)			
मू.	8,85.05		
पु.	- 99.97	7,85.08	6,94.76
			- 90.32

31 मार्च 2016 को ₹ 99.97 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण तथा ₹ 90.32 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(26) सामान्य भवन (रोजगार विभाग)			
मू.	3,72.12		
पु.	- 3,38.47	33.65	33.65
			..

31 मार्च 2016 को ₹ 3,38.47 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(29) सामान्य भवन (यातायात भवन का निर्माण)			
[01] भवनों का तथा ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण			
मू.	5,58.51		
पु.	- 1,40.22	4,18.29	4,12.92
			- 5.37
31 मार्च 2016 को ₹ 1,40.22 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण तथा ₹ 5.37 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(42) सामान्य भवन ( निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग)			
मू.	8,85.78		
पु.	- 3,99.78	4,86.00	4,85.95
			- 0.05
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(54) निदेशालय गोपालन			
मू.	3,67.94		
पु.	- 2,97.12	70.82	70.82
			..
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(55) सामान्य भवन ( राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला)			
मू.	8,84.96		
पु.	- 4,25.79	4,59.17	4,59.17
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 11,22.69 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	6,43.19		
पु.	- 1,77.82	4,65.37	4,65.53
			+ 0.16
₹ 1,77.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	12,71.86		
पु.	- 5,97.14	6,74.72	6,79.13
			+ 4.41
31 मार्च 2016 को ₹ 5,97.14 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण तथा ₹ 4.41 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(05) एलोपैथी (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	5,02.95		
पु.	- 2,46.88	2,56.07	2,56.18
			+ 0.11
31 मार्च 2016 को ₹ 2,46.88 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(02) चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	42,03.19		
पु.	- 23,00.88	19,02.31	19,00.40
			- 1.91
31 मार्च 2016 को ₹ 23,00.88 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(02) चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	3,36.25		
पु.	- 1,94.78	1,41.47	1,41.32
			- 0.15
31 मार्च 2016 को ₹ 1,94.78 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	21,32.43		
पु.	- 1,43.73	19,88.70	19,88.86
			+ 0.16
31 मार्च 2016 को ₹ 1,43.73 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(04) चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	13,50.35		
पु.	- 5,96.11	7,54.24	7,57.13
			+ 2.89
31 मार्च 2016 को ₹ 5,96.11 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(05) चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	43,43.93		
पु.	- 4,42.49	39,01.44	38,87.05
			- 14.39
31 मार्च 2016 को ₹ 4,42.49 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण तथा ₹ 14.39 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(06) चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	10,94.64		
पु.	- 2,08.71	8,85.93	8,85.93
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,08.71 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(11) नये चिकित्सा महाविद्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	3,96,90.00	2,08,50.00	2,08,50.00
पु.	- 1,88,40.00		..
₹ 1,88,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
101. भवन			
(02) अन्य कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,65.70	1,05.47	1,05.47
पु.	- 1,60.23		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,60.23 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	25,36.76	19,45.18	19,41.61
पु.	- 5,91.58		- 3.57
31 मार्च 2016 को ₹ 5,91.58 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,02.94	23.11	22.83
पु.	- 1,79.83		- 0.28
31 मार्च 2016 को ₹ 1,79.83 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(01) मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से-भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	12,38.94	4,40.56	4,40.56
पु.	- 7,98.38		..

31 मार्च 2016 को ₹ 7,98.38 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
211. पुलिस आवास			
(02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	0.01	18,83.46	18,41.17
पु.	18,83.45		- 42.29

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,83.45 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण तथा ₹ 42.29 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[02] राजस्थान न्यायिक अकादमी भवन, जोधपुर ( आर. एस. आर. डी. सी. के माध्यम से)			
मू.	0.01	2,98.87	2,98.87
पु.	2,98.86		..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,98.86 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।



**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू .	24,13.45		
पु .	8,47.01		
	32,60.46	31,65.03	- 95.41
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,47.01 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण तथा ₹ 95.41 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(22) सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग)			
मू .	6,24.42		
पु .	- 29.93		
	5,94.49	6,55.25	+ 60.76
31 मार्च 2016 को ₹ 29.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 60.76 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(01) रियल इस्टेट डवलपमेन्ट एण्ड कंसल्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड			
मू .	0.01		
पु .	1,99.99		
	2,00.00	2,00.00	..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	4,20.92		
पु .	3,17.20		
	7,38.12	7,33.36	- 4.76
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,17.20 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय				
01. सामान्य शिक्षा				
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा				
(01) भवन				
[90] निर्माण कार्य				
मू.	11,44.60	22,84.97	22,86.04	+ 1.07
पु.	11,40.37			
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,40.37 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं ( निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)				
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र				
(01) भवन				
[90] निर्माण कार्य				
मू.	1,75.31	3,49.75	3,49.75	..
पु.	1,74.44			
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,74.44 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
203. रोजगार				
(09) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई. के भवन निर्माण				
[90] निर्माण कार्य				
मू.	7,07.96	14,02.23	14,04.66	+ 2.43
पु.	6,94.27			
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,94.27 लाख की अतिरिक्त निधियां भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				

**अनुदान संख्या 019 - (समाप्त)**

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अनावश्यक/अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(01) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
[01] मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	69,57.17	78,68.14	69,53.96
पु.	9,10.97		
			- 9,14.18

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,10.97 लाख की अतिरिक्त निधियां भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण तथा ₹ 9,14.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(02) सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक सेवाएं- सामान्य प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	15,69.93	20,81.71	19,58.85
पु.	5,11.78		
			- 1,22.86

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,11.78 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण तथा ₹ 1,22.86 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	26,54.87	58,02.52	54,21.72
पु.	31,47.65		
			- 3,80.80

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 31,47.65 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण तथा ₹ 3,80.80 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 020 - आवास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2216. आवास

पूंजी - 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय और

6216. आवास के लिये कर्जे

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,07,80,27			
अनुपूरक	2,85,41			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		1,10,65,68	1,10,26,89	- 38,79
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		1	..	- 1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	9,76,16			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		9,76,16	6,68,54	- 3,07,62

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. ₹ 38.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में ₹ 2,85.41 लाख का द्वितीय अनुपूरक अनुदान मुख्यतः सरकारी रिहायशी भवनों की मरम्मत/खरखाव पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अत्यधिक था ।
2. ₹ 38.79 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 3,15.60 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था ।

**अनुदान संख्या 020 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)			
[01] कार्य प्रभारित स्थापना			
मू.	17,85.05	13,94.55	13,94.55
पु.	- 3,90.50		
₹ 3,90.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)			
[11] मुख्य शीर्ष 2059 के स्थापना सम्बन्धी आनुपातिक व्यय			
मू.	2,43.11	2,43.11	5,01.99 + 2,58.88

₹ 2,58.88 लाख का अंतिम आधिक्य शीर्ष 2059 के अन्तर्गत हुए व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण था। आनुपातिक व्यय का समायोजन एक नियमित प्रक्रिया है और राज्य सरकार प्रति वर्ष इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान करती है। 2015-16 के दौरान राज्य सरकार ने शीर्ष के अन्तर्गत अपर्याप्त प्रावधान अनुमानित किया, जिसके परिणामतः अधिक व्यय प्रदर्शित हुआ।

05. साधारण पूल आवास  
053. रखरखाव तथा मरम्मत  
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)  
[07] पाँच व छह श्रेणी तथा समकक्ष एवं अन्य  
आवासों के लिए

मू.	5,00.00	6,09.01	6,09.01
पु.	1,09.01		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,09.01 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 020 - (समाप्त)

## पूँजी

## दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
106. साधारण पूल आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)			
मू.	4,99.42		
पु.	- 2,14.84	2,84.58	2,84.57
			- 0.01

31 मार्च 2016 को ₹ 2,14.84 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 021 - सड़कें एवं पुल

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3054. सड़क तथा सेतु

- पूंजी - 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय और  
 7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज

			कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>					
<b>दत्तमत</b>					
मूल	18,03,86,77				
अनुपूरक	..		18,03,86,77	13,67,64,51	- 4,36,22,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)					4,64,41,90
<b>प्रभारित</b>					
मूल	1				
अनुपूरक	2,53,53		2,53,54	2,24,20	- 29,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)					29,33
<b>पूंजी</b>					
<b>दत्तमत</b>					
मूल	29,80,91,85				
अनुपूरक	2		29,80,91,87	23,75,42,47	- 6,05,49,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)					5,15,21,06
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>					
<b>राजस्व</b>					
<b>दत्तमत</b>					

1. ₹ 4,36,22.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 4,64,41.90 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से (100% केन्द्र)			
[01] संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू.	3,34,22.40		
		2,16,03.28	- 2,28.90
पु.	- 1,18,19.12		

₹ 3,34,22.40 लाख का प्रावधान गत वर्षों के व्यय के रूझान के अनुसार अनुमानित था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया गया जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गयी। सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा बताया गया व्यय अनुमान से कम था जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2016 को ₹ 1,18,19.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

यद्यपि, वास्तविक व्यय अनुमान से कम हुआ जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 2,28.90 लाख की बचत रही, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

03. राजकीय राजमार्ग  
337. सड़क निर्माण कार्य  
(01) संधारण एवं जीर्णोद्धार  
[06] परिणाम एवं निष्पादन आधारित सड़क मरम्मत  
अनुबन्ध (ओ.पी.आर.सी.)

मू.	41,10.00			
पु.	- 41,10.00			

31 मार्च 2016 को ₹ 41,10.00 लाख का समस्त प्रावधान परिणाम एवं निष्पादन आधारित सड़क मरम्मत अनुबन्ध (ओ.पी.आर.सी.) योजना के बन्द हो जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. जिला तथा अन्य सड़कें  
800. अन्य व्यय  
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार  
[05] परिणाम एवं निष्पादन आधारित सड़क  
मरम्मत अनुबन्ध (ओ.पी.आर.सी.)

मू.	41,15.00			
पु.	- 41,15.00			

31 मार्च 2016 को ₹ 41,15.00 लाख का समस्त प्रावधान परिणाम एवं निष्पादन आधारित सड़क मरम्मत अनुबन्ध (ओ.पी.आर.सी.) योजना के बन्द हो जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[04] विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना (अतिरिक्त परिचालन लागत)			
मू.	1,30.00		
पु.	- 1,15.28	14.72	14.72
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,15.28 लाख का प्रावधान राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत लागत प्रभावी तकनीक पर निर्माण आधारित निविदाओं को आमंत्रित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[07] परिणाम एवं निष्पादन आधारित सड़क मरम्मत अनुबन्ध (ओ.पी.आर.सी.)			
मू.	1,52,75.00		
पु.	- 1,52,75.00	..	..
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,52,75.00 लाख का समस्त प्रावधान परिणाम एवं निष्पादन आधारित सड़क मरम्मत अनुबन्ध (ओ.पी.आर.सी.) योजना के बन्द हो जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(02) राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण			
मू.	6,00,00.01		
पु.	- 27,26.01	5,72,74.00	5,72,74.00
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 27,26.01 लाख का प्रावधान पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्राप्त उपकर के अनुसार राशि राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100% केन्द्र)			
मू.	2,50,00.00		
पु.	- 1,88,38.80	61,61.20	72,71.50 + 11,10.30
31 मार्च 2016 को ₹ 1,88,38.80 लाख का प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त राशि के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण करने हेतु अभ्यर्पित (₹ 66,49.85 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,21,88.95 लाख) किया गया।			
₹ 11,10.30 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

### अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु 03. राजकीय राजमार्ग 337. सड़क निर्माण कार्य (01) संधारण एवं जीर्णोद्धार [01] सड़कों का संधारण	मू. 1,16,35.10 पु. 7,02.60	1,23,37.70	1,23,35.63 - 2.07
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,02.60 लाख की अतिरिक्त निधियां क्षतिग्रस्त राजकीय राजमार्ग पर मरम्मत कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी जो कि प्राथमिकता पर किया गया।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 800. अन्य व्यय (01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार [01] जिला सड़कें	मू. 72,59.00 पु. 9,54.26	82,13.26	82,12.56 - 0.70
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,54.26 लाख की अतिरिक्त निधियां क्षतिग्रस्त जिला सड़कों पर मरम्मत कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी जो कि प्राथमिकता पर किया गया।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 800. अन्य व्यय (02) ग्रामीण सड़कें [01] ग्रामीण सड़कों की मरम्मत	मू. 1,51,21.80 पु. 96,20.17	2,47,41.97	2,47,45.73 + 3.76
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 96,20.17 लाख की अतिरिक्त निधियां क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों पर मरम्मत कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी जो कि प्राथमिकता पर किया गया।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 800. अन्य व्यय (02) ग्रामीण सड़कें [05] विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना (आधुनिकीकरण)	मू. 1,70.00 पु. 1,26.06	2,96.06	2,96.06 ..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,26.06 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) तीन फर्मों जिनके साथ अनुबन्ध हुआ, को अक्टूबर 2015 में परामर्श प्रभागों का भुगतान, (ii) दिल्ली में आयोजित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना (आर.आर.एस.एम.पी.) के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण का भुगतान तथा (iii) राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत एम.एस.ऑफिस इण्डक्शन की आपूर्ति के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(06) महानगरीय सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू.	11,53.90	15,44.91	15,44.91
पु.	3,91.01		
			..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,91.01 लाख की अतिरिक्त निधियां क्षतिग्रस्त महानगरीय सड़कों पर मरम्मत कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी जो कि प्राथमिकता पर किया गया।

4. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत व्यय को देखते हुए, समस्त प्रावधान में कमी अनावश्यक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रदर्शित आनुपातिक व्यय			
[01] स्थापना			
मू.	13,06.67	..	19,37.25
पु.	- 13,06.67		
			+ 19,37.25

31 मार्च 2016 को ₹ 13,06.67 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 19,37.25 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

आनुपातिक व्यय का समायोजन एक सतत् प्रक्रिया है एवं इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष प्रावधान करती है तथा वर्ष के वार्षिक लेखों को बन्द करने से पहले इस प्रकार के समायोजन लेखे में सम्मिलित किये जाते हैं। 2015-16 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 13,06.67 लाख का प्रावधान अनुमानित किया था परन्तु वित्तीय वर्ष के अन्त में, 31 मार्च 2016 को ₹ 13,06.67 लाख का समस्त प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत शून्य व्यय को देखते हुए उस दिन इस प्रकार के वार्षिक समायोजन को बगैर मूल्यांकित किये अभ्यर्पित कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 19,37.25 लाख का अधिक व्यय हुआ।

2014-15 के दौरान भी शीर्ष के अन्तर्गत प्रतीक प्रावधान के विरुद्ध ₹ 38,07.22 लाख के आनुपातिक व्यय का समायोजन किया गया था। यह दोषपूर्ण आय-व्ययक प्रणाली है।

### अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

**5. केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता:-** मोटर स्प्रीट पर उत्पाद एवं आयात शुल्कों से प्राप्त राजस्व का एक भाग भारत सरकार द्वारा गठित 'केन्द्रीय सड़क निधि' में जमा किया जाता है। उस निधि से राज्यों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास योजनाओं पर व्यय करने के लिए कुल जमाओं का 80 प्रतिशत अर्थ सहाय्य प्रदान किया जाता है। अर्थ सहाय्य के रूप में प्राप्त राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में लेखों में जमा की जाती है तथा इन अनुदान में किये गये प्रावधान में से लोक लेखे के अंतर्गत निक्षेप शीर्ष 'केन्द्रीय सड़क निधि' में अन्तरित कर दी जाती है।

प्रति वर्ष इस अनुदान के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया व्यय, सरकार द्वारा निर्णित सीमा तक, इस अनुदान के अंतर्गत व्यय में से कम करके निक्षेप शीर्ष में से राशि के अंतरण द्वारा पूरित किया जाता है। वर्ष के दौरान ₹ 72,71.50 लाख का अर्थ सहाय्य प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान अनुमोदित योजनाओं पर ₹ 1,06,51.88 लाख व्यय हुए।

31 मार्च 2016 को निक्षेप शीर्ष में ₹ 73,60.65 लाख का शेष था।

2015-16 के दौरान निक्षेप शीर्ष के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2015-16 के विवरण संख्या 21 तथा 22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "8449" में दर्शाया गया है।

#### पूँजी

##### दत्तमत

- ₹ 6,05,49.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, राशि ₹ 90,28.34 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
मू.	50,33.82	27,99.97	27,99.97
पु.	- 22,33.85		..

₹ 50,33.82 लाख का प्रावधान गत वर्षों के व्यय के रुझान के अनुसार अनुमानित किया गया था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया गया जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गयी। यद्यपि, सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा बताया गया वास्तविक व्यय अनुमान से कम था जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2016 को ₹ 22,33.85 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

- राज्य राजमार्ग
337. सड़क निर्माण कार्य
- (01) निर्माण

मू.	51,67.70	41,40.33	41,40.33	..
पु.	- 10,27.37			

31 मार्च 2016 को ₹ 10,27.37 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(04) सड़कों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान			
मू.	52,89.29	15,10.87	15,10.88
पु.	- 37,78.42		+ 0.01
31 मार्च 2016 को ₹ 37,78.42 लाख का प्रावधान सड़कों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए नई स्वीकृतियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(05) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	1,71,75.00	81,04.79	81,04.80
पु.	- 90,70.21		+ 0.01
31 मार्च 2016 को ₹ 90,70.21 लाख का प्रावधान केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से नई स्वीकृतियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,18,86.73	1,07,77.00	1,07,77.00
पु.	- 1,11,09.73		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,11,09.73 लाख का प्रावधान सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	17,50.95	1,85.08	1,85.08
पु.	- 15,65.87		..
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	4,37.73	46.27	46.27
पु.	- 3,91.46		..

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	6,56.60		
		69.40	
पु.	- 5,87.20		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 25,44.53 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(03) आर्थिक महत्व की सड़कें			
मू.	3,43.50		
		92.00	
पु.	- 2,51.50		..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,51.50 लाख का प्रावधान सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[13] मिसिंग लिंक परियोजना (सप्तदशम्)			
मू.	6,07.96		
		4,08.02	
पु.	- 1,99.94		..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[14] मिसिंग लिंक परियोजना-II (अष्टदशम्)			
मू.	30,39.82		
		12,75.63	
पु.	- 17,64.19		+ 0.03
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 19,64.13 लाख का प्रावधान सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[15] सड़क उन्नयन परियोजना (नवदशम्)			
मू.	47,78.76		
		29,21.05	
पु.	- 18,57.71		- 0.02

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[17] सड़क उन्नयन परियोजना (एकविंशतित्म)			
मू.	36,72.57		
पु.	- 23,11.94	13,60.63	13,60.62
			- 0.01
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 41,69.65 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,45,91.15		
पु.	- 1,15,42.55	30,48.60	29,79.80
			- 68.80
31 मार्च 2016 को ₹ 1,15,42.55 लाख का प्रावधान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कों के लिए नई स्वीकृतियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 68.80 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	11,67.30		
पु.	- 11,51.89	15.41	9.90
			- 5.51
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,91.82		
पु.	- 2,87.97	3.85	2.48
			- 1.37

## अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	4,37.73	5.78	3.71
पु.	- 4,31.95		- 2.07
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 18,71.81 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू.	1,46,01.77	1,37,41.03	1,37,36.92
पु.	- 8,60.74		- 4.11
31 मार्च 2016 को ₹ 8,60.74 लाख का प्रावधान कार्यों के निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[02] सड़क सुरक्षा प्रबन्धन			
मू.	4,42.48	56.94	56.94
पु.	- 3,85.54		..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,85.54 लाख का प्रावधान कार्यों के निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(22) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	9,25,99.99	6,30,38.00	5,98,00.00
पु.	- 2,95,61.99		- 32,38.00
31 मार्च 2016 को ₹ 2,95,61.99 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			

₹ 32,38.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।



**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
05. सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण			
मू.	13,74.01		
पु.	- 13,74.01	..	- 1,42.29

31 मार्च 2016 को ₹ 13,74.01 लाख का समस्त प्रावधान बयाना रोड़ के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 1,42.29 लाख का ऋण व्यय ठेकेदार के रूप में मैसर्स एन.जी.प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा शास्ति के रूप में ₹ 1,42,28,712 जमा कराने के कारण रहा।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(10) निजी जनसहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण			
मू.	12,33.80		
पु.	6,47.84	18,81.64	18,81.64

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,47.84 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	5,61,76.99		
पु.	28,15.69	5,89,92.68	5,91,32.18

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,15.69 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,39.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय				
04. जिला तथा अन्य सड़कें				
800. अन्य व्यय				
(06) शहरी सड़कें				
मू.	5,77.57	24,28.01	25,03.51	+ 75.50
पु.	18,50.44			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,50.44 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 75.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें				
800. अन्य व्यय				
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें				
[12] सड़क उन्नयन परियोजना (षष्टदशम्)				
मू.	60.80	2,47.31	2,47.29	- 0.02
पु.	1,86.51			

04. जिला तथा अन्य सड़कें				
800. अन्य व्यय				
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें				
[16] सड़क उन्नयन परियोजना (विंशतित्म)				
मू.	2,59,11.50	4,18,72.58	4,19,53.89	+ 81.31
पु.	1,59,61.08			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,61,47.59 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

शीर्ष "5054-04-800(11) [16]" के अंतर्गत ₹ 81.31 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

04. जिला तथा अन्य सड़क				
800. अन्य व्यय				
(12) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना				
मू.	18.24	1,45.66	1,45.66	..
पु.	1,27.42			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,27.42 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(16) हवाई पट्टियों का निर्माण			
मू.	18,93.79		
पु.	15,70.91		
	34,64.70	33,42.77	- 1,21.93
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,70.91 लाख की अतिरिक्त निधियां हवाई पट्टियों के निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 1,21.93 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(20) विशेष प्राथमिकता प्राप्त सड़कें			
मू.	3,03.98		
पु.	4,75.84		
	7,79.82	7,79.82	..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,75.84 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	87,08.34		
पु.	7,36.02		
	94,44.36	94,02.06	- 42.30
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	32,65.63		
पु.	2,76.00		
	35,41.63	35,25.82	- 15.81
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,12.02 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 58.11 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 021 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) मशीनें और उपकरण			
[92] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय			
मू.	21,77.10		
पु.	1,83.99		
		23,61.09	23,50.86
			- 10.23

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,83.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 10.23 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

4. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज			
01. सड़क तथा पुल			
800. अन्य कर्ज			
(02) सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण हेतु कर्ज			
[01] रिडकोर को कर्ज			
मू.	0.01		
पु.	41,67.99		
		41,68.00	..
			- 41,68.00

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41,67.99 लाख की अतिरिक्त निधियां रिडकोर को कर्ज जारी किये जाने की प्रत्याशा में उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, रिडकोर को कर्ज जारी नहीं किया गया जिसके कारण ₹ 41,68.00 लाख का समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा। जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. सड़क तथा पुल			
800. अन्य कर्ज			
(02) सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण हेतु कर्ज			
[02] राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड			
अ.	0.01		
पु.	15,03.67		
		15,03.68	..
			- 15,03.68

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,03.67 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को कर्ज जारी किये जाने की प्रत्याशा में उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को कर्ज जारी नहीं किया गया जिसके कारण ₹ 15,03.68 लाख का समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा। जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 022 - क्षेत्र का विकास**

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और  
 2705. कमान क्षेत्र विकास  
 पूंजी - 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय और  
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	21,42,59	21,42,65	17,42,81	- 3,99,84
अनुपूरक	6			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				3,99,83
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3	3	24	+ 21 (आधिक्य ₹ 21,106)
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,50,90,32	3,50,90,35	2,76,40,64	- 74,49,71
अनुपूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				74,31,22
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3	15,91	15,90	- 1
अनुपूरक	15,88			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2705. कमान क्षेत्र विकास				
102. चम्बल क्षेत्र का विकास				
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से				
[01] निदेशन एवं प्रशासन				
मू.	5,35.45	4,43.94	4,43.92	- 0.02
पु.	- 91.51			

₹ 91.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2705. कमान क्षेत्र विकास			
102. चम्बल क्षेत्र का विकास			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[05] जल प्रबन्धन जनसहभागिता			
मू.	1,07.00	21.63	21.63
पु.	- 85.37		..
₹ 85.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) आयुक्त क्षेत्रीय विकास के माध्यम से			
[01] निदेशन एवं प्रशासन			
मू.	5,82.06	5,20.68	5,20.68
पु.	- 61.38		..
31 मार्च 2016 ₹ 61.38 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**प्रभारित**

- व्यय विनियोजन से ₹ 21,106 अधिक हुआ जिसका नियमन आवश्यक है। आधिक्य शीर्ष " 2705-101(11) [01] मंडी समिति, बीकानेर" (प्रावधान: ₹ 0.03 लाख ; व्यय: ₹ 0.24 लाख) के अन्तर्गत हुआ।

**पूँजी****दत्तमत**

- ₹ 74,49.71 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 18.49 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 52,28.09 लाख, ₹ 20,83.90 लाख, ₹ 1,02,24.32 लाख, ₹ 90,45.39 लाख तथा ₹ 74,49.71 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 7.88 प्रतिशत से 25.98 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण आयोजना सीमा में कमी था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
01. डांग जिले			
101. डांग क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	33,72.99	29,93.10	29,93.10
पु.	- 3,79.89		..

31 मार्च 2016 को ₹ 3,79.89 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत आरक्षित निधि का उपयोग करने के लिए जल स्वावलम्बन से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु वित्तीय वर्ष में जिलों से प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
102. मेवात क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	41,21.95		
पु.	- 9,48.10	31,73.85	31,73.85
			..
<p>31 मार्च 2016 को ₹ 9,48.10 लाख का प्रावधान <i>मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान</i> के तहत आरक्षित निधि का उपयोग करने के लिए जल स्वावलम्बन से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु वित्तीय वर्ष में जिलों से प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
02. पिछड़े क्षेत्र			
103. मगरा क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	34,01.98		
पु.	- 7,54.25	26,47.73	26,47.73
			..
<p>31 मार्च 2016 को ₹ 7,54.25 लाख का प्रावधान <i>मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान</i> के तहत आरक्षित निधि का उपयोग करने के लिए जल स्वावलम्बन से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु वित्तीय वर्ष में जिलों से प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)			
800. अन्य व्यय			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	1,16,39.00		
पु.	- 20,45.00	95,94.00	95,94.00
			..
<p>31 मार्च 2016 को ₹ 20,45.00 लाख का प्रावधान <i>सीमा क्षेत्र विकास परियोजना</i> के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,44.40 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 16,00.60 लाख) किया गया।</p>			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
102. चम्बल क्षेत्र का विकास			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] भूमि विकास			
मू.	18,92.68		
पु.	- 9,45.84	9,46.84	9,46.85
			+ 0.01
<p>₹ 9,45.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।</p>			

## अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
106. बीसलपुर क्षेत्र का विकास			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[02] भूमि विकास कार्य			
मू.	12,10.12		
पु.	- 7,20.42	4,89.70	4,91.91 + 2.21
31 मार्च 2016 को ₹ 7,20.42 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (गंग नहर परियोजना क्षेत्र से)			
मू.	62,48.33		
अ.	0.01	50,24.05	50,06.54 - 17.51
पु.	- 12,24.29		
₹ 12,24.29 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 17.51 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[02] निदेशक, प्रशासन गंग कैनाल परिसर			
मू.	11,64.76		
पु.	- 1,86.91	9,77.85	9,76.78 - 1.07
₹ 1,86.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
108. भाखरा सिंचाई परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (भाखरा सिंचाई परियोजना)			
मू.	11,13.84		
	0.01	7,41.79	7,41.79 ..
पु.	- 3,72.06		
31 मार्च 2016 को ₹ 3,72.06 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			



### अनुदान संख्या 022 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
103. भाखड़ा और गंग क्षेत्र का विकास			
(03) अमर सिंह जस्साना डिस्ट्रीब्यूटरी			
[02] अमर सिंह जस्साना परियोजना			
मू.	1,00.12		
पु.	2,20.70	3,20.82	3,20.82
			..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,20.70 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

107. गंग नहर परियोजना

- (01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास  
(इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से  
[03] भूमि विकास कार्य ( गंग नहर परियोजना क्षेत्र) फेज- II

मू.	0.01		
पु.	1,32.72	1,32.73	1,32.73
			..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,32.72 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**3. मण्डी विकास निधि** - चम्बल सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित अथवा इससे लाभान्वित क्षेत्र की मण्डियों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए 1965-66 में मण्डी विकास निधि स्थापित की गयी थी।

इस निधि में जो कि एक ब्याज रहित रिजर्व है, मण्डियों में भूमि के अनुमानित विक्रय मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर राजस्व से वार्षिक अंशदानों से राशि आती है।

वर्ष 2015-16 के दौरान निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया। वर्ष के दौरान मण्डियों के विकास पर व्यय नहीं किया गया। 31 मार्च 2016 को निधि में जमा शेष ₹ 3.12 लाख था जो कि वर्ष 2015-16 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 22 में दिखाया गया है।

**अनुदान संख्या 023 - श्रम तथा रोजगार**

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2230. श्रम तथा रोजगार और  
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं  
पूंजी - 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,17,87,98	5,17,88,12	4,57,80,98	- 60,07,14
अनुपूरक	14			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				60,06,23
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	6,47	6,36	- 11
अनुपूरक	6,43			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				11
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	34,34,49	34,34,50	9,86,11	- 24,48,39
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				24,48,39

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम तथा रोजगार				
01. श्रम				
101. औद्योगिक सम्बन्ध				
(01) डिविजनल और जिला कार्यालय				
मू.	14,08.21	12,56.69	12,56.69	..
पु.	- 1,51.52			

₹ 1,51.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ए.सी.पी. के पेटे बकाया का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम तथा रोजगार			
01. श्रम			
103. सामान्य श्रम कल्याण			
(08) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना			
मू.	52,92.42		
पु.	- 28,74.35	24,18.07	24,18.07
			..
₹ 28,74.35 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, 31 मार्च 2016 को ₹ 28,74.34 लाख राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा समझौते के अनुसार कम दावा अनुपात के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किये गये।			
02. रोजगार सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(09) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	23,80.04		
पु.	- 6,98.73	16,81.31	16,81.31
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 6,98.73 लाख का प्रावधान मुख्यतः वित्तीय वर्ष में प्रार्थना पत्रों के कम संख्या में प्राप्त होने तथा बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए में से लाभार्थियों को कम संख्या में बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. प्रशिक्षण			
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(01) शिल्प प्रशिक्षण योजना			
मू.	90,32.19		
पु.	- 5,58.14	84,74.05	84,73.59
			- 0.46
₹ 5,58.14 लाख की प्रत्याशित बचत 2,953 स्वीकृति पदों में से 1,549 पदों के रिक्त रहने जिसमें वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुदेशकों के 1,275 पद शामिल थे तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ब्रांड एम्बेसेडर पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
03. प्रशिक्षण			
101. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
(03) वॉकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (वर्ल्ड बैंक सहायता अन्तर्गत)			
मू.	4,23.92		
पु.	- 2,31.13	1,92.79	1,92.79
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,31.13 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) 59 स्वीकृत पदों में से 48 पदों के रिक्त रहने, (ii) वॉकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट योजना हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कम व्यय होने तथा (iii) एजेन्सी द्वारा रिक्त पदों के विपरीत जॉब आधारित प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के लिए संविदा पर अनुदेशकों की भर्ती पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] विकास कार्य			
मू.	18,62.59	..	..
पु.	- 18,62.59	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 18,62.59 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] विकास कार्य			
मू.	22,04.35	..	..
पु.	- 22,04.35	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 22,04.35 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 18,22.10 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,82.25 लाख) किया गया।			

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम तथा रोजगार			
01. श्रम			
103. सामान्य श्रम कल्याण			
(07) भवन एवं अन्य निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड, राजस्थान			
मू.	2,50,00.01	2,78,75.29	2,78,75.29
पु.	28,75.28	..	..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,75.28 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त उपकर की वास्तविक राशि बोर्ड के खाते में हस्तांतरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

**अनुदान संख्या 023 - (समाप्त)**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(04) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू .	29,59.76		
		6,66.43	6,66.43
पु .	- 22,93.33		..
<p>₹ 29,59.76 लाख का प्रावधान महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण (डी.जी.ई.टी.) द्वारा निर्णित नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद तथा नये आई.टी.आई. हेतु इस शर्त के साथ कि मशीनरी आदि की खरीद से पहले भवन का निर्माण पूरा किये जाने के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 22,93.33 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौति तथा फर्मों द्वारा सम्पूर्ण सामग्री आंशिक/पूर्ति न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
203. रोजगार			
(10) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई.			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू .	4,00.00		
		2,91.29	2,91.29
पु .	- 1,08.71		..
<p>31 मार्च 2016 को ₹ 1,08.71 लाख का प्रावधान फर्मों द्वारा सम्पूर्ण सामग्री आंशिक/आपूर्ति न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			

**अनुदान संख्या 024 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति**

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,

2202. सामान्य शिक्षा,

2203. तकनीकी शिक्षा,

2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं और

2205. कला एवं संस्कृति

पूंजी - 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय और

6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,97,55,13,56	1,97,55,13,67	1,79,69,63,65	- 17,85,50,02
अनुपूरक	11			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				17,82,59,09
<b>प्रभारित</b>				
मूल	20	2,69,24	2,67,27	- 1,97
अनुपूरक	2,69,04			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1,97
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	41,19,55	89,67,77	86,56,92	- 3,10,85
अनुपूरक	48,48,22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				3,17,16

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 17,85,50.02 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,90.93 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(01) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
मू.	1,15,54.84	83,06.86	82,97.04
पु.	- 32,47.98		
			- 9.82

₹ 32,47.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के साथ विलय के कारण पदों के स्थानान्तरण को आरोपित की गई।

₹ 9.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय  
(02) बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय

मू.	37,32.71	27,38.49	27,37.16
पु.	- 9,94.22		
			- 1.33

₹ 9,94.22 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के साथ विलय के कारण पदों के स्थानान्तरण को आरोपित की गई।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय  
(03) बालकों के लिए प्राथमिक विद्यालय

मू.	1,50,60.01	88,20.38	88,19.86
पु.	- 62,39.63		
			- 0.52

31 मार्च 2016 को ₹ 62,39.63 लाख का प्रावधान प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के साथ विलय के कारण पदों के स्थानान्तरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय  
(05) प्राथमिक पाठशालायें (निदेशक, संस्कृत शिक्षा के माध्यम से)

मू.	1,20,30.52	1,05,62.46	1,05,58.00
पु.	- 14,68.06		
			- 4.46

₹ 14,68.06 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी, यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
103. प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता			
(13) शिक्षा कर्मी बोर्ड			
मू.	56,69.00	55,11.00	55,11.00
पु.	- 1,58.00		
₹ 1,58.00 लाख की प्रत्याशित बचत शिक्षा कर्मी बोर्ड की आवश्यकतानुसार अनुदान जारी करने को आरोपित की गयी।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
(05) अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
मू.	21,37.73	18,85.66	18,83.95
पु.	- 2,52.07		
- 1.71			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
(06) अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
मू.	20,09.12	19,00.81	18,96.11
पु.	- 1,08.31		
- 4.70			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 3,60.38 लाख का प्रावधान प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों का माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के साथ विलय होने से प्रारम्भिक शिक्षा में विद्यार्थियों की कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
111. सर्व शिक्षा अभियान			
(01) शिक्षा गारन्टी स्कीम			
मू.	32,15,47.82	26,75,23.03	26,75,23.03
पु.	- 5,40,24.79		
..			
31 मार्च 2016 को ₹ 5,40,24.79 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,55,25.38 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,84,99.41 लाख) की गई।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
196. जिला परिषद/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) निरीक्षण			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	29,27.35	26,82.15	26,80.39
पु.	- 2,45.20		
- 1.76			
₹ 2,45.20 लाख की प्रत्याशित बचत कार्मिकों की पदोन्नति के बाद निचले स्तर पर पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			



**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	29,61,58.21	16,86,95.77	16,86,34.33
पु.	- 12,74,62.44		

₹ 12,74,62.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के साथ विलय के कारण पदों के स्थानान्तरण को आरोपित की गई।

₹ 61.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(02) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)  
[01] स्थापना व्यय

मू.	3,27,46.25	2,26,45.15	2,26,40.36
पु.	- 1,01,01.10		

31 मार्च 2016 को ₹ 1,01,01.10 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के साथ विलय के कारण आयोजना भिन्न व्यय के अन्तर्गत पदों का स्थानान्तरण तथा (ii) सरकार के निर्णयानुसार अध्यापकों के 71,903 पदों का स्थानान्तरण माध्यमिक शिक्षा में हो जाने से आयोजना व्यय प्रभावित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(03) प्राथमिक विद्यालय (बालक)  
[01] स्थापना व्यय

मू.	3,25,72.43	2,07,25.07	2,07,23.02
पु.	- 1,18,47.36		

₹ 1,18,47.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के साथ विलय के कारण आयोजना भिन्न व्यय के अन्तर्गत पदों का स्थानान्तरण तथा (ii) सरकार के निर्णयानुसार अध्यापकों के 71,903 पदों का स्थानान्तरण माध्यमिक शिक्षा में हो जाने से आयोजना व्यय प्रभावित होने को आरोपित की गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(07) निरीक्षण  
[01] स्थापना व्यय

मू.	1,00,89.08	83,10.64	83,09.14
पु.	- 17,78.44		

₹ 17,78.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कार्मिकों की पदोन्नति के बाद निचले स्तर पर पदों के रिक्त रहने, (ii) 46 नवीन प्रारम्भिक शिक्षा ब्लॉक कार्यालयों में बी ई ओ, सहायक लेखाधिकारी- II, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि पर पोस्टिंग नहीं होने के कारण 322 पदों के रिक्त रहने तथा (iii) 46 नवीन ब्लॉक कार्यालयों में किराये की गाड़ियों की राशि उपयोग में नहीं लेने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान			
मू.	32,21,00.00	30,97,68.20	30,97,62.39
पु.	- 1,23,31.80		

31 मार्च 2016 को ₹ 1,23,31.80 लाख का प्रावधान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ई.ओ.) के निजी निक्षेप खाते में अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
800. अन्य व्यय  
(05) मदरसा स्कूल

मू.	63,31.70	42,79.40	42,79.40	..
पु.	- 20,52.30			

₹ 63,31.70 लाख का प्रावधान (i) 2500 कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों को मानदेय, (ii) 3326 उर्दू शिक्षा सहयोगियों को मानदेय तथा (iii) बजट घोषणा-2015-16 की अनुपालना में मदरसों को फर्नीचर, कम्प्यूटर उपलब्ध कराने हेतु मदरसा स्कूलों को अनुदान जारी करने हेतु अनुमानित था।

यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 20,52.30 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) शिक्षा सहयोगियों की प्रतिनियुक्ति संविदा पर किये जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा 3326 पदों में से छठे चरण की 739 उर्दू शिक्षा सहयोगियों के पदों के रिक्त रहने के कारण मानदेय का भुगतान कम होने तथा (ii) फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि के क्रय करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
800. अन्य व्यय  
(14) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को पुर्नभरण-सामान्य व्यय

मू.	2,72,00.00	99,53.47	99,53.47	..
पु.	- 1,72,46.53			

31 मार्च 2016 को ₹ 1,72,46.53 लाख का प्रावधान शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत पे-मैनेजर से प्रथम बार भुगतान को लिंक करने पर भुगतान प्रक्रिया देरी से शुरू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(01) सामान्य व्यय

मू.	41,35.92	37,73.36	37,73.36	..
पु.	- 3,62.56			

₹ 3,62.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा 02. माध्यमिक शिक्षा 107. छात्रवृत्तियाँ (02) अन्य संस्थान			
मू.	2,50.00	21.86	21.86
पु.	- 2,28.14		..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,28.14 लाख का प्रावधान विशिष्ट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस मद के स्थान पर अन्य लेखा मद द्वारा भुगतान किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा 107. छात्रवृत्तियाँ (07) अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ			
मू.	21,38.54	20,24.77	20,23.96
पु.	- 1,13.77		- 0.81
31 मार्च 2016 को ₹ 1,23.51 लाख का प्रावधान अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत योग्य विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर छात्रवृत्ति का भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा 107. छात्रवृत्तियाँ (11) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
मू.	45,20.53	..	..
पु.	- 45,20.53		..
31 मार्च 2016 को ₹ 45,20.53 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा सीधे लाभ हस्तान्तरण योजना के अन्तर्गत पात्र छात्रों के खाते में सीधे ही राशि हस्तांतरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा 109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (03) व्यावसायिक शिक्षा			
मू.	27,91.06	12,04.85	12,04.85
पु.	- 15,86.21		..
31 मार्च 2016 को ₹ 15,86.21 लाख का प्रावधान व्यावसायिक शिक्षा के लिए भारत सरकार से केन्द्रीयंश प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा 109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (05) विकलांग एकीकृत शिक्षा			
मू.	4,61.76	1,85.55	1,85.55
अ.	0.01		..
पु.	- 2,76.22		..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,76.22 लाख का प्रावधान विकलांग एकीकृत शिक्षा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(07) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान			
[01] माध्यमिक शिक्षा अभियान-सामान्य व्यय			
मू.	7,81,98.18	4,22,89.16	4,22,87.02
पु.	- 3,59,09.02		
31 मार्च 2016 को ₹ 3,59,09.02 लाख का प्रावधान (i) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों के वेतन तथा भत्तों का वास्तविक भुगतान तथा (ii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के तथा परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(08) बालिका छात्रावास			
[01] बालिका छात्रावास-सामान्य व्यय			
मू.	47,19.55	6,69.49	6,69.49
पु.	- 40,50.06		
31 मार्च 2016 को ₹ 40,50.06 लाख का प्रावधान मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(18) आई.सी.टी.			
[01] आई.सी.टी.			
मू.	34,50.00	31,14.64	31,14.64
पु.	- 3,35.36		
31 मार्च 2016 को ₹ 3,35.36 लाख का प्रावधान मुख्यतः आई.सी.टी. योजना के अन्तर्गत अनुमान से कम व्यय रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(01) राजस्थान विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	70,25.01	61,50.00	61,50.00
पु.	- 8,75.01		
31 मार्च 2016 को ₹ 8,75.01 लाख का प्रावधान विश्वविद्यालय की अधिक आय के कारण वेतन के लिए कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(05) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को अनुदान			
मू.	4,00.01	2,00.00	2,00.00
पु.	- 2,00.01		
31 मार्च 2016 को ₹ 2,00.01 लाख का प्रावधान विश्वविद्यालय की बढ़ी हुई आय के कारण वेतन के लिए कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(07) संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	5,93.81		
		2,52.00	2,52.00
पु.	- 3,41.81		..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,41.81 लाख का प्रावधान मुख्यतः (ii) "पूँजीगत सम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान " कम जारी करने के परिणामस्वरूप सड़क तथा मंत्राप्रतिष्ठान भवन के निर्माण पर व्यय नहीं हुआ तथा (ii) विश्वविद्यालय की अधिक आय के कारण वेतन के लिए कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(11) बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर			
मू.	2,40.00		
		85.00	85.00
पु.	- 1,55.00		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,55.00 लाख का प्रावधान गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति पर रोक/भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालय को सहायता			
(12) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर			
मू.	4,88.53		
		2,34.25	2,34.25
पु.	- 2,54.28		..
₹ 2,54.28 लाख की प्रत्याशित बचत विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 43 पदों के रिक्त रहने तथा पूर्व वर्षों की अवशेष राशि उपयोग में लेने को आरोपित की गयी।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालय को सहायता			
(13) शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर			
मू.	4,18.00		
		91.14	91.14
पु.	- 3,26.86		..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,26.86 लाख का प्रावधान शेखावाटी विश्वविद्यालय को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(14) हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू.	4,71.20		
		2,75.00	2,75.00
पु.	- 1,96.20		..
₹ 1,96.20 लाख की प्रत्याशित बचत नवीन मदों के क्रय तथा नवीन गतिविधियों पर रोक के कारण हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर को कम अनुदान जारी करने को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(15) सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर			
मू.	13,83.00	7,50.00	7,50.00
पु.	- 6,33.00		..
31 मार्च 2016 को ₹ 6,33.00 लाख का प्रावधान सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(16) डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू.	2,23.00	37.00	37.00
पु.	- 1,86.00		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,86.00 लाख का प्रावधान 2015-16 के दौरान विश्वविद्यालय को बन्द करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(01) निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा द्वारा			
मू.	12,66.57	10,18.06	10,18.15
अ.	0.01		+ 0.09
पु.	- 2,48.52		
₹ 2,48.52 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(02) साक्षर भारत अभियान			
मू.	39,90.00	..	..
पु.	- 39,90.00		..
31 मार्च 2016 को ₹ 39,90.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(03) महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन			
मू.	8,39.33	4,70.00	4,70.00
पु.	- 3,69.33		..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,69.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा 05. भाषा विकास 103. संस्कृत शिक्षा (01) निदेशालय			
मू.	9,01.58		
पु.	- 1,33.60	7,67.98	7,67.96
			- 0.02
₹ 1,33.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
05. भाषा विकास 103. संस्कृत शिक्षा (02) संस्कृत महाविद्यालय			
मू.	40,39.00		
पु.	- 13,44.40	26,94.60	26,94.59
			- 0.01
₹ 13,44.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
05. भाषा विकास 103. संस्कृत शिक्षा (03) संस्कृत विद्यालय			
मू.	1,43,30.83		
पु.	- 11,76.26	1,31,54.57	1,31,54.56
			- 0.01
₹ 11,76.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
80. सामान्य 003. प्रशिक्षण (03) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण विद्यालय			
मू.	53,65.34		
अ.	0.01	43,29.26	43,27.73
पु.	- 10,36.09		
			- 1.53
₹ 10,36.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कार्मिकों की पदोन्नति के बाद निचले स्तर पर पदों के रिक्त रहने, (ii) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने तथा (iii) अनुमोदित कार्यक्रम तथा कार्यकलापों के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी।			
80. सामान्य 004. अनुसंधान (01) राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान			
मू.	7,94.35		
पु.	- 1,36.81	6,57.54	6,57.54
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,36.81 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्मिकों की पदोन्नति होने के बाद निचले स्तर पर पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(04) माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाईल इन्स्टीट्यूट, भीलवाडा			
मू.	1,20.01	..	..
पु.	- 1,20.01	..	..
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(06) अभियांत्रिक कॉलेज, अजमेर			
मू.	1,90.01	..	..
पु.	- 1,90.01	..	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 3,10.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
105. बहुशिल्प (पॉलिटैक्निक) विद्यालय			
(03) बहुशिल्प (पॉलिटैक्निक) विद्यालयों के लिए अन्य सेवाएं			
मू.	2,75.00	1,09.96	1,09.97 + 0.01
पु.	- 1,65.04		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,65.04 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(01) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम			
मू.	12,75.00	9,68.75	..
पु.	- 3,06.25	9,68.75	..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,06.25 लाख का प्रावधान तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार कम राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(02) नेशनल सर्विस स्कीम (5:7)			
[01] महाविद्यालय			
मू.	5,50.00	1,12.65	..
पु.	- 4,37.35	1,12.65	..
31 मार्च 2016 को ₹ 4,37.35 लाख का प्रावधान नेशनल सर्विस स्कीम हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(02) नेशनल सर्विस स्कीम (5:7)			
[02] उच्च माध्यमिक विद्यालय			
मू.	4,08.00	..	..
पु.	- 4,08.00	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 4,08.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(03) राजस्थान भारत स्काउट्स और गाइड्स को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	10,37.67	7,96.30	7,96.30
पु.	- 2,41.37	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,41.37 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) गत वर्षों की अनुपयोजित अनुदान की उपलब्धता, (ii) आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की कम संख्या तथा (iii) निर्माण कार्य हेतु कार्य की अधिकता के कारण कार्यकारी एजेन्सी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य अगले वर्ष के लिए स्थगित किया गया इसलिए "पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
104. खेल-कूद			
(05) पाइका योजना			
मू.	33,03.16	1,84.87	1,84.87
पु.	- 31,18.29	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 31,18.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2205. कला एवं संस्कृति			
103. पुरातत्व विज्ञान			
(03) एस.एम.एस. टाउन हॉल में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना			
मू.	11,50.00	..	..
पु.	- 11,50.00	..	..
₹ 11,50.00 लाख का प्रावधान आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण, जयपुर द्वारा सवाई मानसिंह टाउन हॉल में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 11,50.00 लाख का समस्त प्रावधान सवाई मानसिंह टाउन हॉल में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिये कार्य बन्द किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(06) सार्वजनिक पाठशालाएं			
मू.	4,00.07	10,44.99	10,44.43
पु.	6,44.92		
			- 0.56

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,44.92 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन व भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी क्योंकि प्रारम्भ में प्रावधान केवल चार महीनों के लिए स्वीकृत किया गया था।

02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(01) लड़कों के विद्यालय			
मू.	48,88,20.59	60,07,60.18	60,06,88.36
पु.	11,19,39.59		
			- 71.82

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,19,39.59 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के साथ विलय के पश्चात् अध्यापकों/कर्मचारीगण के वेतन एवं भत्तों के भुगतान तथा (ii) विशिष्ट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 71.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(02) बालिका विद्यालय			
मू.	7,65,46.62	7,84,68.51	7,84,54.07
पु.	19,21.89		
			- 14.44

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,21.89 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के साथ विलय के पश्चात् अध्यापकों/कर्मचारीगण के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 14.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(09) मॉडल स्कूल			
[01] मॉडल स्कूल-सामान्य व्यय			
मू.	1,02,89.98	1,32,85.27	1,32,85.27
पु.	29,95.29		
			..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 29,95.29 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार द्वारा मॉडल स्कूलों के निर्माण हेतु निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(11) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरण			
मू.	55,20.00	85,38.39	85,37.84
पु.	30,18.39		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन ₹ 30,18.39 लाख की अतिरिक्त निधियां 2015-16 के बजट भाषण में की घोषणा की अनुपालना में छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अन्तर्गत 2014-15 के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(12) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा			
मू.	69.00	5,86.50	5,86.50
पु.	5,17.50		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,17.50 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभान्वितों की संख्या में वृद्धि हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(20) गार्गी पुरस्कार			
मू.	14,07.70	18,30.60	18,30.60
पु.	4,22.90		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 4,22.90 लाख की अतिरिक्त निधियां गार्गी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत कक्षा 10 व 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(23) लैपटॉप वितरण			
मू.	41,40.00	59,01.33	59,01.33
पु.	17,61.33		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,61.33 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2015-16 में लैपटॉप के क्रय के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी क्योंकि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 दोनों वर्षों के लिए प्रक्रिया को वर्ष 2015-16 में ही अन्तिम रूप दिया गया।			

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता			
(02) अन्य विद्यालय			
मू.	0.01		
पु.	5,59.79	5,59.80	5,59.80
			..
<p>31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,59.79 लाख की अतिरिक्त निधियां न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में अनुदानिक संस्थाओं के दावों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।</p>			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(02) राजकीय महाविद्यालय ( पुरुषों के लिए)			
मू.	5,42,07.54		
पु.	4,97.06	5,47,04.60	5,46,39.85
			- 64.75
<p>31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,97.06 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों के रिक्त पदों को भरने, (ii) बजट घोषणा की अनुपालना में खोले गये 8 नवीन राजकीय महाविद्यालयों में नवीन सृजित पदों के व्यय को पूरा करने तथा (iii) 8 नवीन राजकीय महाविद्यालयों के लिये फर्नीचर क्रय किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।</p>			
<p>₹ 64.75 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।</p>			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(03) राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिए)			
मू.	1,39,02.27		
पु.	3,44.21	1,42,46.48	1,42,46.48
			..
<p>31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,44.21 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) अन्य मदों से स्थानान्तरण, नई भर्ती/पदोन्नति द्वारा रिक्त पदों को भरना, (ii) बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान तथा (iii) वेतन निर्धारण के बकायों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।</p>			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(10) स्कूटी वितरण योजना			
[01] मेघावी छात्राओं को स्कूटी वितरण			
अ.	0.01		
पु.	3,76.28	3,76.29	3,76.29
			..
<p>31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,76.28 लाख की अतिरिक्त निधियां मेघावी छात्राओं को स्कूटी वितरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।</p>			

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
104. अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(02) महाविद्यालय			
मू.	0.03	9,44.60	9,16.84
पु.	9,44.57		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,44.57 लाख की अतिरिक्त निधियां न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में अनुदान जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 27.76 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(03) कॉलेज शिक्षा विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं			
मू.	5,00.00	72,60.55	72,59.55
पु.	67,60.55		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 67,60.55 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2203. तकनीकी शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) तकनीकी शिक्षा बोर्ड			
मू.	6,12.24	7,22.14	7,22.13
पु.	1,09.90		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,09.90 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
(01) साधारण व्यय			
मू.	1,01,10.07	1,07,12.10	1,07,12.11
पु.	6,02.03		
105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
(02) केन्द्रीय सहायता के तहत बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
मू.	5,08.75	7,90.47	7,90.48
पु.	2,81.72		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 8,83.75 लाख की अतिरिक्त निधियां माननीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में बकायों का भुगतान करने, शैक्षणिक अधिकारियों के ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान के तहत पी बी-4 में वेतन स्थिरीकरण किये जाने एवं मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
104. खेल-कूद			
(01) राजस्थान स्पोर्ट्स कोन्सिल को अनुदान			
मू.	25,57.22	27,92.22	27,92.22
पु.	2,35.00		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,35.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2205. कला एवं संस्कृति			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(11) जवाहर कला केन्द्र			
मू.	5,22.01	8,37.99	8,37.99
पु.	3,15.98		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,15.98 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(16) राजस्थान धरोवर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण			
मू.	3,35.55	14,51.48	14,51.48
पु.	11,15.93		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 11,15.93 लाख की अतिरिक्त निधियां 2015-16 के बजट भाषण में की गयी घोषणा की अनुपालना में बूढ़ा पुष्कर, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक, करणीमाता पेनोरमा तथा सन्त पीपाजी पेनोरमा के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
103. पुरातत्व विज्ञान			
(02) संग्रहालय एवं स्मारक			
मू.	22,85.71	45,18.91	45,18.92
पु.	22,33.20		
₹ 22,85.71 लाख का प्रावधान (i) भरतपुर (राणासांगा-पेनोरमा, बैर किला, वाटिका तथा सफेद महल), झालावाड़ ( मऊबोरदा तथा दलहनपुर) तथा बूंदी ( कमलेश्वर महादेव मंदिर) स्मारकों के रख-रखाव के लिए कार्यों का निष्पादन तथा (ii) 10 राज्य के स्मारकों का विकास कार्य हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात्, माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेशों की अनुपालना में 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,33.20 लाख लाख की अतिरिक्त निधियां नगर निगम जयपुर को निधियां उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 024 - (समाप्त)

### पूँजी

#### दत्तमत

1. ₹ 3,10.85 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 48,48.22 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।
2. ₹ 3,10.85 लाख की अंतिम बचत के सन्दर्भ में ₹ 3,17.16 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक)			
(02) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	6,17.96		
पु.	- 1,95.06		
	4,22.90	4,22.90	..

₹ 1,95.06 लाख की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती, फर्मों द्वारा सामग्री की आपूर्ति नहीं करने तथा मार्च 2016 के अंतिम दिनों में प्राप्त बिलों को कोषालयों द्वारा पारित नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 025 – कोषागार व लेखा प्रशासन**  
**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,10,75,05	2,10,75,05	1,86,39,10	- 24,35,95
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
				24,39,43
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
				2

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 24,35.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 24,39.43 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन				
095. लेखा तथा खजाना निदेशालय				
(01) निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान				
मू.	14,30.68	12,56.01	12,56.00	- 0.01
पु.	- 1,74.67			
₹ 1,74.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) निविदा की दरें कम प्राप्त होने, (iii) कुछ बिलों का भुगतान लम्बित होने तथा (iv) कुछ कार्यों के संबंध में कार्यों के क्षेत्र में बदलाव को आरोपित की गयी।				
097. खजाना स्थापना				
(01) खजाना स्थापना				
मू.	1,29,64.62	1,20,67.41	1,20,72.38	+ 4.97
पु.	- 8,97.21			

₹ 8,97.21 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 872 पदों के रिक्त रहने, (ii) सामाजिक सुरक्षा पेंशन का ऑनलाइन भुगतान होने के कारण धनादेशों के मुद्रण पर कम व्यय तथा (iii) कोषालयों में मॉड्यूलर फर्नीचर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 4.97 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।



**अनुदान संख्या 025 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
097. खजाना स्थापना			
(03) मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण			
मू.	11,45.00	3,20.00	3,20.00
पु.	- 8,25.00		
₹ 11,45.00 लाख का प्रावधान कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण, नेटवर्क कनेक्टिविटी तथा मशीन विद मैन इत्यादि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन योजना फेज- II हेतु अनुमानित था। यद्यपि, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के द्वारा कम व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2016 को ₹ 8,25.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
098. स्थानीय निधि लेखापरीक्षा			
(01) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा			
मू.	26,71.69	24,74.21	24,73.41
पु.	- 1,97.48		
₹ 1,97.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 799 स्वीकृत पदों में से 430 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(03) निदेशक, निरीक्षण			
मू.	11,50.34	8,05.09	8,05.10
पु.	- 3,45.25		
₹ 3,45.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 298 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 181 पदों के पूरे वर्ष रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 026 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य ,

2211. परिवार कल्याण और

3606. सहायता सामग्री तथा उपस्कर

पूंजी - 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय और

6210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	68,49,89,62	68,49,90,81	59,30,53,65	- 9,19,37,16
अनुपूरक	1,19			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				9,18,48,80
<b>प्रभारित</b>				
मूल	59,44	63,80	52,48	- 11,32
अनुपूरक	4,36			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				11,32
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,38,99,99	3,38,99,99	1,36,71,13	- 2,02,28,86
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1,92,06,14

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 9,19,37.16 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 88.36 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110. अस्पताल तथा औषधालय (01) अध्यापन अस्पताल [01] जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर	मू. 41,39.03 पु. - 2,17.55	39,21.48	39,21.25 - 0.23
₹ 2,17.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 1,083 स्वीकृत पदों में से 543 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110. अस्पताल तथा औषधालय (01) अध्यापन अस्पताल [04] पी.बी.एम. मेन्स अस्पताल, बीकानेर	मू. 48,31.36 पु. - 6,19.41	42,11.95	42,09.00 - 2.95
₹ 6,19.41 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों, मशीनरी एवं उपकरण तथा विद्युत्/जल पर वास्तविक उपभोग के अनुसार कम व्यय होने को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( अगस्त 2016)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110. अस्पताल तथा औषधालय (01) अध्यापन अस्पताल [05] पी.बी.एम. जनाना अस्पताल, बीकानेर	मू. 5,78.72 पु. - 1,64.04	4,14.68	4,14.69 + 0.01
₹ 1,64.04 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन तथा भत्तों एवं संविदा व्यय पर कम व्यय को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110. अस्पताल तथा औषधालय (01) अध्यापन अस्पताल [10] जनाना अस्पताल, जयपुर	मू. 20,82.57 पु. - 1,66.24	19,16.33	19,16.33 ..
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110. अस्पताल तथा औषधालय (01) अध्यापन अस्पताल [11] क्षय रोग अस्पताल, जयपुर	मू. 9,51.64 पु. - 1,10.08	8,41.56	8,41.55 - 0.01

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[13] मानसिक अस्पताल, जयपुर			
मू.	11,03.04	9,94.03	9,94.01
पु.	- 1,09.01		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 3,85.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[14] सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर			
मू.	20,88.88	19,73.47	19,78.68
पु.	- 1,15.41		
₹ 1,15.41 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
₹ 5.21 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[17] महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर			
मू.	39,35.32	35,99.39	35,98.32
पु.	- 3,35.93		
₹ 3,35.93 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 589 स्वीकृत पदों में से 198 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[18] उम्मेद अस्पताल, जोधपुर			
मू.	34,03.67	30,72.55	30,72.35
पु.	- 3,31.12		
₹ 3,31.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[31] महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा			
मू.	31,77.22		
पु.	- 1,93.32		
		29,83.90	29,83.88
			- 0.02
₹ 1,93.32 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 160 पदों के रिक्त रहने, वर्ष के दौरान 11 कार्मिकों की सेवानिवृत्ति, प्रस्तावित नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति न होने तथा स्थाई वेतन पर कार्य कर रहे कुछ कार्मिकों का वेतन स्थिरीकरण नहीं किए जाने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[32] जे.के. लोन महिला चिकित्सालय, कोटा			
मू.	13,55.32		
पु.	- 1,21.05		
		12,34.27	12,34.26
			- 0.01
₹ 1,21.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नर्सिंग स्टाफ के 117 पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने तथा कुछ कार्मिकों के स्थानान्तरण के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(02) भ्रमणशील अस्पताल			
[01] भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाइयां, जयपुर			
मू.	7,43.50		
पु.	- 1,03.49		
		6,40.01	6,39.91
			- 0.10
₹ 1,03.49 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 123 स्वीकृत पदों में से 39 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(02) भ्रमणशील अस्पताल			
[08] अन्य भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाइयां			
मू.	6,43.24		
पु.	- 1,06.86		
		5,36.38	5,36.30
			- 0.08
₹ 1,06.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 122 स्वीकृत पदों में से 61 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[01] सामान्य अस्पताल			
मू.	5,56,07.43		
अ.	0.01	5,24,11.31	5,24,02.25
पु.	- 31,96.13		- 9.06

₹ 31,96.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) मशीनरी एवं उपकरणों की कम खरीद, (iii) सी.टी. स्केन मशीन के रख-रखाव पर वार्षिक दर अनुबंध नहीं होने के कारण कम व्यय तथा (iv) संविदा सेवाओं पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

₹ 9.06 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

- 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
- 110. अस्पताल तथा औषधालय
- (03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय
- [06] औषधालय तथा सहायता चोकियां

मू.	73,41.42			
पु.	- 2,54.66	70,86.76	70,86.35	- 0.41

₹ 2,54.66 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

- 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
- 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (01) जिला स्तरीय संस्थापन
- [03] क्षय क्लिनिक

मू.	25,63.05			
पु.	- 3,00.75	22,62.30	22,61.70	- 0.60

₹ 3,00.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

- 02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां
- 101. आयुर्वेद
- (06) सहायतार्थ अनुदान
- [01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर को अनुदान

मू.	12,51.92			
पु.	- 1,29.20	11,22.72	11,22.72	..

31 मार्च 2016 को ₹ 1,29.20 लाख का प्रावधान राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को वेतन एवं भत्तों के लिए अनुदान कम जारी किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 102. होम्योपैथी (01) अस्पताल तथा औषधालय	मू. 17,44.37 पु. - 2,40.09	15,04.28	15,04.27 - 0.01
31 मार्च 2016 को ₹ 2,40.09 लाख का प्रावधान 362 पदों में से 94 पदों के रिक्त रहने जिसमें चिकित्सकों (26 पद), नर्स/कंपाउंडर (48 पद) एवं चतुर्थ श्रेणी (20 पद) सम्मिलित है, के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 103. यूनानी (01) अस्पताल तथा औषधालय	मू. 11,34.07 पु. - 1,65.30	9,68.77	9,68.77 ..
₹ 1,65.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 323 स्वीकृत पदों में से चिकित्सकों (46 पद), नर्सिंग अधीक्षक (1 पद), नर्स/कंपाउंडर (35 पद), लिपिक (2 पद) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (45 पद) के 129 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (01) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	मू. 16,35.72 पु. - 1,77.31	14,58.41	14,58.42 + 0.01
₹ 1,77.31 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	मू. 4,50,81.34 पु. - 37,42.24	4,13,39.10	4,13,15.55 - 23.55
₹ 37,42.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मशीनों एवं उपकरणों की कम खरीद को आरोपित की गयी।			
₹ 23.55 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (01) ब्लाक स्तरीय संस्थापन [01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	मू. 5,57,09.12 पु. - 58,36.09	4,98,73.03	4,98,69.24 - 3.79
₹ 58,36.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन [03] स्वास्थ्य उपकेन्द्र	मू. 88,81.83 अ. 0.01 पु. - 10,39.80	78,42.04	78,39.08 - 2.96
₹ 10,39.80 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) संविदा सेवाओं पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ 101. आयुर्वेद (01) अस्पताल और औषधालय	मू. 3,94,56.21 पु. - 14,86.51	3,79,69.70	3,79,69.61 - 0.09
₹ 14,86.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नये भर्ती कर्मचारियों के देरी से कार्यग्रहण, (ii) कुछ कर्मचारियों का गैर आयोजना मद से आयोजना लेखा मद में स्थानान्तरण तथा (iii) सुनिश्चित वृत्तिक पदोन्नति प्रकरणों के अन्तिमीकरण कम होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105. एलोपैथी (01) शिक्षा [02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	मू. 66,01.22 अ. 0.01 पु. - 6,23.27	59,77.96	59,76.38 - 1.58
₹ 6,23.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105. एलोपैथी (01) शिक्षा [06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा	मू. 41,60.95 अ. 0.01 पु. - 2,64.96	38,96.00	38,95.98 - 0.02
₹ 2,64.96 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 138 स्वीकृत पदों में से 103 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			



## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलौपेथी			
(03) स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय			
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू.	2,13,99.97	32,25.00	32,25.00
पु.	- 1,81,74.97		..

31 मार्च 2016 को ₹ 1,81,74.97 लाख का प्रावधान आर.यू.एच.एस. को कम अनुदान जारी होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 9,54.16 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,72,20.81 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
105. एलौपेथी  
(03) स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय  
[03] स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हेतु सहायतार्थ अनुदान

मू.	50,00.00	..	..
पु.	- 50,00.00		..

31 मार्च 2016 को ₹ 50,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
105. एलौपेथी  
(05) झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी  
[01] सहायतार्थ अनुदान

मू.	36,01.79	31,39.71	31,39.71
पु.	- 4,62.08		..

₹ 4,62.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कम अनुदान जारी किए जाने को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
105. एलौपेथी  
(05) झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी  
[02] टर्सरी कैंसर केयर सेंटर

मू.	22,50.00	..	..
पु.	- 22,50.00		..

31 मार्च 2016 को ₹ 22,50.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जांच योजना			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	7,67.01	5,16.76	5,16.76
पु.	- 2,50.25		..

₹ 2,50.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(01) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम			
मू.	67,89.33	52,23.01	52,22.04
अ.	0.01		- 0.97
पु.	- 15,66.33		

₹ 15,66.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा (iii) संविदा प्रभार पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(05) राष्ट्रीय लेपरोसी नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	7,75.46	6,21.91	6,21.90
पु.	- 1,53.55		- 0.01

₹ 1,53.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) चिकित्सा संस्थानों के कार्मिकों को कुछ क्षय रोग के प्रारंभिक स्तर पर उपचार तथा अनुसंधान हेतु प्रशिक्षण पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(20) निःशुल्क जांच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	74,28.03	55,57.45	55,56.25
पु.	- 18,70.58		- 1.20

31 मार्च 2016 को ₹ 18,70.58 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) सहायतार्थ अनुदान के अंतर्गत कम व्यय तथा (iii) मशीनरी तथा उपकरणों की कम खरीद के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(21) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	40,56.27	19,45.87	19,45.87
पु.	- 21,10.40		..

31 मार्च 2016 को ₹ 21,10.40 लाख का प्रावधान भारत सरकार से एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हेतु अनुमान से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. लोक स्वास्थ्य  
104. औषध नियंत्रण  
(01) औषध नियंत्रण स्थापना  
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से

मू.	19,81.55	11,09.07	11,09.10	+ 0.03
अ.	0.02			
पु.	- 8,72.50			

₹ 8,72.50 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद का आदेश समय पर जारी नहीं किए जाने को आरोपित की गयी।

06. लोक स्वास्थ्य  
107. लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं  
(01) जीवाणु सम्बन्धी प्रयोगशालाएं

मू.	5,34.11	3,27.05	3,26.87	- 0.18
अ.	0.02			
पु.	- 2,07.08			

₹ 2,07.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा संविदा प्रभार पर कम व्यय को आरोपित की गई।

06. लोक स्वास्थ्य  
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता  
(01) सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता  
[01] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को सहायता

मू.	1,94,99.94	1,88,99.92	1,88,99.92	..
पु.	- 6,00.02			

31 मार्च 2016 को ₹ 6,00.02 लाख का प्रावधान *मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना* के अन्तर्गत राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा औषधी तथा दवाओं की खरीद पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. लोक स्वास्थ्य  
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन  
[01] खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी

मू.	81,30.47	70,61.22	70,57.46	- 3.76
अ.	0.01			
पु.	- 10,69.26			

₹ 10,69.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो			
मू.	9,05.77	6,00.15	6,00.15
पु.	- 3,05.62		
31 मार्च 2016 को ₹ 3,05.62 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) निदेशक, आई.ई.सी. के वेतन एवं भत्ते एन.आर.एच.एम. से आहरित किए जाने तथा (ii) पी.सी.पी.एन.डी.टी. शाखा के अंतर्गत पद रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
003. प्रशिक्षण			
(02) आकजीलरी नर्स मिडवाइफ दाई और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
मू.	21,21.42	16,52.22	16,52.14
पु.	- 4,69.20		
₹ 4,69.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 27 जिलों के आकजीलरी नर्स मिडवाइफ ट्रेनिंग कोर्स कार्यालयों में पद रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
102. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं			
(01) राज्य सरकार द्वारा प्रचलित शहरी परिवार कल्याण केन्द्र			
मू.	21,31.91	19,92.21	19,92.21
पु.	- 1,39.70		
₹ 1,39.70 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[07] प्रथम प्रसव पर बी.पी.एल. महिलाओं को सहायता			
मू.	3,50.00	2,03.20	2,03.20
पु.	- 1,46.80		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,46.80 लाख का प्रावधान विभाग की विशिष्ट सेवाओं पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[12] शुभलक्ष्मी योजना			
मू.	1,17,95.55	1,14,12.55	1,14,12.55
पु.	-3,83.00		
31 मार्च 2016 को ₹ 3,83.00 लाख का प्रावधान विभाग की विशिष्ट सेवाओं पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2211. परिवार कल्याण				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(01) जिला स्तरीय संस्थापन				
[01] जिला परिवार कल्याण ब्यूरो				
मू.	32,59.20	31,29.03	31,28.59	- 0.44
पु.	- 1,30.17			
31 मार्च 2016 को ₹ 1,30.17 लाख का प्रावधान प्री-कंसेप्शन एण्ड प्री-नेटल डाइग्नोस्टिक टेकनीक्स शाखा के अन्तर्गत पद रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन				
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र				
मू.	25,96.02	22,51.54	22,48.74	- 2.80
पु.	- 3,44.48			
31 मार्च 2016 को ₹ 3,44.48 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(01) ब्लाक स्तरीय संस्थापन				
[02] ग्रामीण उपकेन्द्र				
मू.	4,54,36.53	4,05,66.90	4,05,64.82	- 2.08
पु.	- 48,69.63			
31 मार्च 2016 को ₹ 48,69.63 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
800. अन्य व्यय				
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)				
[01] बी.पी.एल. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष (30:70)				
मू.	48,09.03	14,42.02	14,42.02	..
पु.	- 33,67.01			

31 मार्च 2016 को ₹ 33,67.01 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) कुछ जिलों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अभिलेख अभिरक्षा में लिए जाने से कम भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइज इमरजेन्सी एम्बूलेन्स सर्विस (ई.एम.आर.आई.) (50:50)			
मू.	58,39.50	23,42.26	23,42.26
पु.	- 34,97.24		

31 मार्च 2016 को ₹ 34,97.24 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया तथा निःशुल्क दवा योजना एवं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत के पश्चात् भी इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय प्रभावित हुआ।

800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (15:85)			
मू.	12,43,47.00	10,68,72.70	10,68,72.70
पु.	- 1,74,74.30		

800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.) (15:85)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू.	1,99,31.95	56,81.66	56,81.66
पु.	- 1,42,50.29		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 3,17,24.59 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुरूप राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय स्थापना			
मू.	29,98.93	41,93.55	41,81.94
अ.	0.87		
पु.	11,93.75		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,93.75 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) वेतन एवं भत्तों के भुगतान, (ii) बजट भाषण 2015-16 की अनुपालना में आरोग्य राजस्थान अभियान को लागू करने तथा (iii) डोज़ा पोस्ट कार्यक्रम "नया सवेरा" के लिए प्रशिक्षण/सेमीनार/आयोजन/प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 11.61 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना			
(02) अस्पताल तथा औषधालय			
मू.	71,00.86		
पु.	6,77.19	77,78.05	77,77.69
			- 0.36
<p>31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,77.19 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल अस्पताल, जयपुर द्वारा दवाईयों की आपूर्ति बंद किए जाने के कारण औषधियों की अतिरिक्त मांग, (ii) 9 नये औषधालयों के शुरू किए जाने पर व्यय तथा (iii) विशिष्ट रोगों जैसे केन्सर, किडनी फैल्योर, हेपेटाईटिस एवं हेमोफीलिया आदि के लिए मांग पर मंहगी दवाईयाँ क्रय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।</p>			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[08] सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर			
मू.	1,30,65.95		
पु.	10,68.05	1,41,34.00	1,41,32.32
			- 1.68
<p>31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,68.05 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) वेतन एवं भत्तों, (ii) मशीनरी तथा उपकरण, (iii) विद्युत एवं जल प्रभार, (iv) संविदा व्यय तथा (v) भेषज तथा औषधियों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।</p>			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[01] क्षेत्रीय तथा जिला संस्थापन			
मू.	31,74.35		
पु.	1,74.02	33,48.37	33,48.35
			- 0.02
<p>31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,74.02 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों के भुगतान पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गई।</p>			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	15,94.64		
पु.	1,32.28	17,26.92	17,26.87
			- 0.05
<p>31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,32.28 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः कर्मचारियों के दूसरे लेखा शीर्ष से स्थानांतरण के कारण वेतन एवं भत्तों, चिकित्सकों की नयी भर्ती एवं बढ़े हुए मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।</p>			

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(02) अस्पताल और औषधालय			
[01] अस्पताल और औषधालय (निदेशक, आयुर्वेद विभाग के माध्यम से)			
मू.	74,43.09		
पु.	4,59.11	79,02.20	79,02.17 - 0.03

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,59.11 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः कर्मचारियों के दूसरे लेखा शीर्ष से स्थानांतरण के कारण वेतन एवं भत्तों, चिकित्सकों की नयी भर्ती एवं बढ़े हुए मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
800. अन्य व्यय			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से			
[01] आयुर्वेद विभाग-राज्यांश (15 प्रतिशत)			

मू.	4,20.00		
पु.	5,87.52	10,07.52	10,07.52 ..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,87.52 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की राज्य वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृतियाँ जारी होने के कारण उपलब्ध कराई गई।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			

मू.	1,55,22.46		
पु.	20,93.32	1,76,15.78	1,76,12.62 - 3.16

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,93.32 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों तथा वजीफा पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) शिक्षा			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			

मू.	47,04.97		
पु.	1,37.57	48,42.54	48,42.53 - 0.01

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,37.57 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।



**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जांच योजना			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	14,04.02	21,98.20	21,96.57
पु.	7,94.18		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,94.18 लाख की अतिरिक्त निधियां सामग्री तथा प्रदाय पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(02) निःशुल्क दवा योजना			
[01] निःशुल्क दवा योजना-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	9,10.00	13,11.22	13,11.21
पु.	4,01.22		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,01.22 लाख की अतिरिक्त निधियां औषधी तथा भेषज पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(19) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	56,38.02	59,29.39	59,27.94
पु.	2,91.37		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,91.37 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
800. अन्य व्यय			
(04) लोक स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	1,40,00.04	1,49,56.00	1,49,56.00
पु.	9,55.96		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,55.96 लाख की अतिरिक्त निधियां भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बन्धित प्रीमियम के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(04) प्रसूती केन्द्रों को विकसित करने की योजना			
अ .	0.02		
		1,89.00	1,89.00
पु .	1,88.98		..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,88.98 लाख की अतिरिक्त निधियां 1665 प्रसव केन्द्रों में से 100 प्रसव केन्द्रों पर अधिक सुविधायें उपलब्ध करवाने तथा बजट घोषणा 2015-16 की अनुपालना में 400 नये प्रसव केन्द्र खोलने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
800. अन्य व्यय			
(05) समुदाय आधारित अतिकुपोषित बच्चों का प्रबंधन			
अ .	0.03		
		1,20.32	1,20.32
पु .	1,20.29		..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,20.29 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट घोषणा 2015-16 की अनुपालना में 10,000 अतिकुपोषित बच्चों के लिये समुदाय आधारित अतिकुपोषित बच्चों का प्रबंधन योजना की क्रियान्विति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
800. अन्य व्यय			
(06) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनीटरिंग			
[01] पाइलेट बेसिस पर आशा/ए एन एम को टेबलेट पीसी के माध्यम से प्रशिक्षण			
अ .	0.03		
		3,40.55	3,40.55
पु .	3,40.52		..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,40.52 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट घोषणा 2015-16 की अनुपालना में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रभावी मॉनीटरिंग की क्रियान्विति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

**पूंजी**

**दत्तमत**

- वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 26,41.35 लाख, ₹ 67,06.86 लाख, ₹ 42,79.78 लाख, ₹ 1,22,96.68 लाख तथा ₹ 2,02,28.86 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 23.01 प्रतिशत से 59.67 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(07) निर्माण कार्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,00,39.00	31,98.00	31,98.00
पु.	- 68,41.00		..
31 मार्च 2016 को ₹ 68,41.00 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(12) तेहरवे वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य (डी.एम.एच.एस.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	0.02	..	- 10,22.73
पु.	- 0.02		- 10,22.73
₹ 10,22.73 लाख का ऋण व्यय (i) तेहरवे वित्त आयोग से सम्बन्धित राजस्थान स्वास्थ्य सेवा कॉरपोरेशन से प्राप्त ₹ 1,25.15 लाख की अवशेष राशि जमा कराने तथा (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त तेहरवे वित्त आयोग से सम्बन्धित अवशेष राशि ₹ 8,97.58 लाख जमा कराने के कारण था।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण			
मू.	1,45,69.10	68,01.95	68,01.95
पु.	- 77,67.15		..
31 मार्च 2016 को ₹ 77,67.15 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित (₹ 74,17.17 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,49.98 लाख) किया गया।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	30,50.16	9,95.00	9,95.00
पु.	- 20,55.16		..

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	15,88.42	5,97.68	5,97.68
पु.	- 9,90.74		
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 30,45.90 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान

105. एलोपैथी

(07) अन्य व्यय

[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर

मू. 4,50.02

पु. - 4,50.02

..

..

..

31 मार्च 2016 को ₹ 4,50.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पण करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान

105. एलोपैथी

(07) अन्य व्यय

[04] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर

मू. 2,30.90

पु. - 2,13.93

16.97

16.97

..

31 मार्च 2016 को ₹ 2,13.93 लाख का प्रावधान मुख्यतः पैरा मेडिकल कोर्स के उपकरणों की खरीद हेतु भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तद्अनुरूप राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान

105. एलोपैथी

(07) अन्य व्यय

[05] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर

मू. 14,45.24

पु. - 11,88.24

2,57.00

2,57.00

..

31 मार्च 2016 को ₹ 11,88.24 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 026 - (समाप्त)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	0.03		
पु.	3,49.96	3,49.99	3,49.99
			..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,49.96 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 027 – पेय जल योजना

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2215. जलपूर्ति तथा सफाई  
पूंजी – 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	26,06,96,65			
अनुपूरक	2,52,57,83			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		28,59,54,48	27,65,75,95	- 93,78,53
<b>प्रभारित</b>				
मूल	5,00			
अनुपूरक	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		10,00	4,40	- 5,60
				88,62,40

### पूंजी

<b>दत्तमत</b>				
मूल	35,94,77,61			
अनुपूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)		35,94,77,64	31,13,30,88	- 4,81,46,76
				4,75,96,86

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. ₹ 93,78.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,52,57.83 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 93,78.53 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 5,16.13 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई				
01. जलपूर्ति				
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम				
(04) जलपूर्ति योजना, भरतपुर				
मू.	17,87.80			
अ.	0.01			
पु.	- 2,20.48			
		15,67.33	15,65.06	- 2.27

₹ 2,20.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा विवादित बिजली बिलों का भुगतान न होने को आरोपित की गई।

**अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(06) जलपूर्ति योजना, बीकानेर			
मू.	43,52.90		
पु.	- 3,16.26	40,36.64	40,27.47
₹ 3,16.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			- 9.17
₹ 9.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(07) जलपूर्ति योजना, जयपुर			
मू.	1,97,68.60		
अ.	30,00.00	2,15,47.10	2,16,47.58
पु.	- 12,21.50		+ 1,00.48
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(08) जलपूर्ति योजना, जोधपुर			
मू.	60,48.50		
अ.	7,00.00	62,89.40	62,85.27
पु.	- 4,59.10		- 4.13
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 37,00.00 लाख का प्रावधान विद्युत् के अधिक उपभोग और दरों में वृद्धि के कारण विद्युत् प्रभार पर अधिक व्यय तथा बकाया दायित्वों के भुगतान की पूर्ति करने हेतु लिया गया जो शीर्षों के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक/अनावश्यक था।			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 16,80.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
शीर्ष "2215-01-101(07)" के अंतर्गत ₹ 1,00.48 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(10) जलपूर्ति योजना, कोटा			
मू.	49,12.40		
अ.	7,00.01	54,16.20	54,13.27
पु.	- 1,96.21		- 2.93
मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 7,00.01 लाख का प्रावधान विद्युत् के अधिक उपभोग तथा दरों में वृद्धि के कारण विद्युत् प्रभार पर अधिक व्यय तथा बकाया दायित्वों के भुगतान की पूर्ति करने हेतु लिया गया जो शीर्षों के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 1,96.21 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			

**अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(12) अन्य नगरीय जलपूर्ति योजनाएं			
मू.	4,66,15.19		
अ.	45,20.65	5,06,31.68	5,04,73.55
पु.	- 5,04.16		- 1,58.13

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 45,20.65 लाख का प्रावधान विद्युत् के अधिक उपभोग तथा दरों में वृद्धि के कारण विद्युत् प्रभार पर अधिक व्यय तथा बकाया दायित्वों के भुगतान की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 5,04.16 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा ठेकेदारों द्वारा बिलों को प्रस्तुत नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

₹ 1,58.13 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

- 01. जलपूर्ति
- 102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम
- (01) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं

मू.	10,01,20.30		
अ.	1,24,37.16	11,16,39.66	11,15,00.12
पु.	- 9,17.80		- 1,39.54

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,24,37.16 लाख का प्रावधान विद्युत् के अधिक उपभोग तथा दरों में वृद्धि के कारण विद्युत् प्रभार पर अधिक व्यय तथा बकाया दायित्वों के भुगतान की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 9,17.80 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा ठेकेदारों द्वारा बिलों को प्रस्तुत नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

₹ 1,39.54 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

- 01. जलपूर्ति
- 102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम
- (07) जल प्रदाय योजनाओं का निरीक्षण करने हेतु किराये पर वाहन रखना (ग्रामीण)
- [36] वाहनों का किराया

मू.	7,99.20		
पु.	- 3,56.70	4,42.50	4,41.04
			- 1.46

31 मार्च 2016 को ₹ 3,56.70 लाख का प्रावधान वाहनों को किराये पर लेने में हुई देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 02. मल जल तथा सफाई
- 001. निदेशन तथा प्रशासन
- (02) पर्यवेक्षण

मू.	36,58.28		
पु.	- 5,14.82	31,43.46	31,39.02
			- 4.44



## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) निष्पादन			
मू.	2,48,36.32	2,14,91.02	2,14,52.31
पु.	- 33,45.30		- 38.71

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 38,60.12 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 43.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) शिल्पशाला			
मू.	51,44.86	40,47.81	40,18.91
पु.	- 10,97.05		- 28.90

31 मार्च 2016 को ₹ 10,97.05 लाख का प्रावधान कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा खुदाई कार्य के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 28.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी संगठन			
मू.	7,34.49	6,05.39	6,04.40
पु.	- 1,29.10		- 0.99

₹ 1,29.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

02. मल जल तथा सफाई			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(01) मल निकासी योजनाओं का संधारण			
[01] नगर पालिकाओं को सहायताार्थ			
मू.	6,60.00	3,35.97	3,35.97
पु.	- 3,24.03		..

31 मार्च 2016 को ₹ 3,24.03 लाख का प्रावधान मल निकासी कर के कम संग्रहण के परिणामतः मल निकासी योजनाओं के संधारण के लिए नगरपालिकाओं को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(02) जलपूर्ति योजना, अलवर			
मू.	30,02.47	32,81.33	32,78.55
पु.	2,78.86		
			- 2.78

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,78.86 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत के उपभोग में वृद्धि तथा नवीन पंप हाउसों के संचालन पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(04) जलपूर्ति योजना, साहबा गंधेली			
मू.	43,60.75	57,02.30	56,97.73
अ.	8,00.00		
पु.	5,41.55		
			- 4.57

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,41.55 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत् के उपभोग में वृद्धि तथा गत वर्षों के बकाया बिलों के भुगतान पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(11) जलपूर्ति योजना, उदयपुर			
मू.	48,35.00	50,83.30	48,81.26
पु.	2,48.30		
			- 2,02.04

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,48.30 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत् के उपभोग में वृद्धि पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 2,02.04 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. ₹ 4,81,46.76 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 5,49.90 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
2. वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 5,93,18.06 लाख, ₹ 1,78,04.63 लाख, ₹ 2,00,41.29 लाख, ₹ 2,65,69.23 लाख तथा ₹ 4,81,46.76 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के कुल बजट की 7.43 प्रतिशत से 40.25 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः कार्यों का अनुमान से कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी। वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न शीर्षों में बचत के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[12] बीसलपुर परियोजना से जयपुर जलपूर्ति (जे बी आई सी)			
मू. 2,67.24	1,12.21	1,12.20	- 0.01
पु. - 1,55.03			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[19] फिल्टर प्लान्ट का पुनर्जीवीकरण एवं क्रमोन्नयन			
मू. 2,00.00	43.83	43.82	- 0.01
पु. - 1,56.17			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[22] प्रशासनिक कार्यालयों का विस्तार, सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवीकरण			
मू. 5,98.60	3,16.81	3,16.80	- 0.01
पु. - 2,81.79			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[46] नर्मदा परियोजना			
मू. 2,44.11	60.94	60.93	- 0.01
पु. - 1,83.17			

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[47] इन्द्रोका, माणकलाव, दांतीवाडा जल पूर्ति योजना			
मू.	14,28.00		
पु.	- 3,59.62	10,68.38	10,68.38
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[51] राजगढ-बूंगी जलपूर्ति परियोजना			
मू.	16,90.58		
पु.	- 9,44.39	7,46.19	7,46.19
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[65] बल्क मीटर एवं उपभोक्ता मीटर की सप्लाई/स्थापना/संचालन एवं संधारण			
मू.	3,50.00		
पु.	- 3,35.29	14.71	14.71
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[69] नागदा- अन्ता- बलदेवपुरा जल प्रदाय योजना			
मू.	11,74.69		
पु.	- 8,90.17	2,84.52	2,84.51
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[75] 200 एम एल डी जल शोधन यंत्र, सूरजपुरा (शहरी)			
मू.	36,70.64		
पु.	- 16,96.64	19,74.00	19,73.99
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[76] शहरी जलपूर्ति योजनाएं, जालोर (शहरी)			
मू.	14,96.00		
पु.	- 7,73.24	7,22.76	7,22.76

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[78] नर्मदा परियोजना (डी आर) (शहरी)			
मू .	10,20.00	4,99.86	4,99.85
पु .	- 5,20.14		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[80] पिपलाद जलपूर्ति योजना			
मू .	7,99.88	4,20.39	4,20.39
पु .	- 3,79.49		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[86] ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू .	6,80.00	74.29	74.28
पु .	- 6,05.71		
उपरोक्त तेरह शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 72,80.85 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[23] शहरी क्षेत्रों में विशेष केन्द्रीय योजना अन्तर्गत पानी निस्तारण तथा पानी संवर्द्धन			
	..	..	- 6,29.09
			- 6,29.09
₹ 6,29.09 लाख का ऋण व्यय शहरी क्षेत्रों में विशेष केन्द्रीय योजना के अंतर्गत पानी के निस्तारण तथा पानी के प्रसार की अवशेष राशि जमा कराने के कारण था।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[61] शहरी जलपूर्ति योजना, जोधपुर ( ई.ए.पी.)			
मू .	1,03,05.00	29,04.48	29,04.48
पु .	- 74,00.52		

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[64] नागौर लिफ्ट जलपूर्ति योजना, फेज- II			
मू.	1,71,75.00	97,47.74	97,47.73
पु.	- 74,27.26		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 1,48,27.78 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(08) मूल्यहास आरक्षित निधि के विरुद्ध जल पूर्ति योजनाओं का पुनरुद्धार			
मू.	30,00.00	4,93.92	4,93.92
पु.	- 25,06.08		
31 मार्च 2016 को ₹ 25,06.08 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[24] इन्द्रोका-माणकलाव-दांतीवाडा जल पूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	10,30.51	9,25.45	9,25.45
पु.	- 1,05.06		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[31] कोलायत तहसील जलपूर्ति योजना			
मू.	23,97.97	8,90.33	8,90.32
पु.	- 15,07.64		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[37] देवनिया-शेरगढ़-छाबा जलपूर्ति योजना			
मू.	72,48.01	35,91.90	35,91.90
पु.	- 36,56.11		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[43] रेवा जल पूर्ति योजना			
मू.	1,14.73	1.91	1.99
पु.	- 1,12.82		

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[48] नर्मदा-गुढ़ामलानी जलपूर्ति योजना			
मू.	13,41.84	5,37.99	5,37.98
पु.	- 8,03.85		- 0.01

उपरोक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 61,85.48 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. जलपूर्ति  
102. ग्रामीण जलपूर्ति  
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना  
[49] ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम कार्यक्रम

मू.	4,39.63	..	..
पु.	- 4,39.63		..

31 मार्च 2016 को ₹ 4,39.63 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. जलपूर्ति  
102. ग्रामीण जलपूर्ति  
(02) पाइपों द्वारा ग्रामीण जलपूर्ति योजना  
[03] 2215-जलपूर्ति और सफाई 02-001(09) से स्थानान्तरित प्रतिशतता व्यय (प्रोरेटा)

मू.	67,20.68	55,95.02	55,95.02
पु.	- 11,25.66		..

31 मार्च 2016 को ₹ 11,25.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. जलपूर्ति  
102. ग्रामीण जलपूर्ति  
(03) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम  
[02] नारु उन्मूलन परियोजना

..	..	- 3,30.00	- 3,30.00
----	----	-----------	-----------

₹ 3,30.00 लाख का ऋण व्यय नारु उन्मूलन परियोजना की अवशेष राशि जमा कराये जाने के कारण था।

01. जलपूर्ति  
102. ग्रामीण जलपूर्ति  
(06) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन

मू.	3,00.00	1,51.77	1,51.55
पु.	- 1,48.23		- 0.22

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(09) पम्प एवं मोटर्स की पुनःस्थापना			
मू.	25,00.00	8,24.15	8,24.15
पु.	- 16,75.85		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(25) नहरों का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत			
मू.	70,00.00	29,75.60	29,75.60
पु.	- 40,24.40		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(35) रिंग्स की खरीद एवं पुनः उपयोग हेतु			
मू.	2,00.00	45.47	45.47
पु.	- 1,54.53		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(36) नर्मदा परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	35,05.80	13,40.32	13,40.31
पु.	- 21,65.48		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(38) नागौर लिफ्ट कैनाल			
मू.	34,08.85	24,21.53	24,21.53
पु.	- 9,87.32		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(43) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम			
मू.	17,50.00	7,88.65	7,88.64
पु.	- 9,61.35		



## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(46) बोरावास मंडाना जल प्रदाय परियोजना			
मू.	9,53.68	4,09.96	4,09.96
पु.	- 5,43.72		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(47) नागदा-अंता-बलदेवपुरा जल प्रदाय परियोजना			
मू.	6,31.33	1,84.34	1,84.34
पु.	- 4,46.99		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(48) ग्रामीण पेयजल योजनाओं के विभिन्न कम्पोनेन्ट्स का सुदृढीकरण, रिजूविनेशन			
मू.	26,00.00	6,47.07	6,47.07
पु.	- 19,52.93		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(50) बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फेज-II			
मू.	11,28.87	4,16.52	4,16.51
पु.	- 7,12.35		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(55) राजगढ़-बूंगी जलप्रदाय परियोजना			
मू.	41,22.30	25,76.72	25,76.72
पु.	- 15,45.58		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(60) नर्मदा परियोजना (डी आर)			
मू.	28,28.39	3,35.09	3,35.09
पु.	- 24,93.30		

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(62) बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2 पार्ट-बी ( 473 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	13,41.84	..	..
पु.	- 13,41.84	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(67) जवाई क्लस्टर परियोजना- II			
मू.	35,49.84	31,54.22	- 0.01
पु.	- 3,95.62	31,54.21	- 0.01
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(70) बारां क्लस्टर परियोजना			
मू.	1,46.25	0.37	- 0.01
पु.	- 1,45.88	0.36	- 0.01
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(81) नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जल पूर्ति परियोजना (205 गांव)			
मू.	20,73.08	8,12.66	..
पु.	- 12,60.42	8,12.66	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(84) भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जल पूर्ति परियोजना			
मू.	12,73.70	9,78.16	..
पु.	- 2,95.54	9,78.16	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(86) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू.	37,32.60	21,23.72	..
पु.	- 16,08.88	21,23.72	..

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(87) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सहायता राशि			
मू.	25,00.00	17,06.51	17,06.51
पु.	- 7,93.49		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(89) ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना मलार-जोड-हिंगाडोल फलौदी (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्र)			
मू.	11,24.11	7,73.97	7,73.96
पु.	- 3,50.14		- 0.01
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(94) चम्बल-बूंदी जल प्रदाय परियोजना (क्लस्टर वितरण) ग्रामीण			
मू.	1,42.59	0.93	0.92
पु.	- 1,41.66		- 0.01
उपरोक्त बाईस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 2,41,45.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(03) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
[01] अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
मू.	6,59,98.08	4,56,91.74	4,56,38.67
पु.	- 2,03,06.34		- 53.07
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(21) जनता जल योजना			
मू.	1,39,55.36	23,90.31	23,88.67
पु.	- 1,15,65.05		- 1.64

**अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(45) नागौर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II ( ई.ए.पी.)			
मू.	2,86,68.51		
		1,09,99.05	1,11,01.88
			+ 1,02.83
पु.	- 1,76,69.46		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 4,95,40.85 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

शीर्ष "4215-01-102(03) [01] " के अंतर्गत ₹ 53.07 लाख की अंतिम बचत तथा शीर्ष "4215-01-102(45)" के अंतर्गत ₹ 1,02.83 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. जलपूर्ति			
799. उचंत			
(01) स्टॉक			
मू.	1,50,00.00		
		98,98.10	99,46.61
			+ 48.51
पु.	- 51,01.90		

₹ 51,01.90 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 48.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. जलपूर्ति			
799. उचंत			
(02) विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम			
मू.	5,00.00		
		97.81	97.81
			..
पु.	- 4,02.19		

31 मार्च 2016 को ₹ 4,02.19 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
मू.	1,43,00.60		
		1,84,20.65	1,83,64.71
			- 55.94
पु.	41,20.05		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41,20.05 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 55.94 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[18] जलपूर्ति योजनाओं का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण			
मू.	2,00.00		
पु.	1,89.51	3,89.51	4,31.23
			+ 41.72
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,89.51 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 41.72 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[31] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	3,40.00		
पु.	4,70.22	8,10.22	8,10.21
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[33] चूरु-झुन्झुनू जलप्रदाय योजना ( आपणी योजना फेज- II)			
मू.	0.01		
पु.	19,39.78	19,39.79	19,39.78
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[49] टोंक-देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	0.01		
पु.	14,77.06	14,77.07	14,77.07
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[63] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना			
मू.	30,43.00		
पु.	13,53.38	43,96.38	43,96.37
			- 0.01

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[66] डीग जल प्रदाय परियोजना			
मू.	0.01		
पु.	4,81.23	4,81.24	4,81.24
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[81] चम्बल-भीलवाड़ा जलप्रदाय परियोजना - क्लस्टर			
मू.	15,64.00	23,77.91	23,77.91
पु.	8,13.91		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[83] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना			
मू.	27,71.00	56,62.61	56,62.61
पु.	28,91.61		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[88] जवाई-पाली पाईप लाइन परियोजना फेज- II पार्ट-बी (शहरी)			
मू.	0.01	4,79.91	4,79.91
पु.	4,79.90		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(07) ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता			
मू.	7,00.00	15,08.28	15,08.28
पु.	8,08.28		

उपरोक्त नौ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,07,15.37 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय				
01. जलपूर्ति				
102. ग्रामीण जलपूर्ति				
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना				
[08] चम्बल परियोजना, भरतपुर (नाबार्ड)				
मू.	9,74.00	11,38.37	11,38.36	- 0.01
पु.	1,64.37			
01. जलपूर्ति				
102. ग्रामीण जलपूर्ति				
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना				
[13] राजसमन्द जल प्रदाय परियोजना (बागेरी का नाका) (नाबार्ड)				
मू.	0.02	1,03.94	1,03.94	..
पु.	1,03.92			
01. जलपूर्ति				
102. ग्रामीण जलपूर्ति				
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना				
[23] बीसलपुर बांध से टोंक-उनियारा एवं देवली जलपूर्ति योजना				
मू.	10,96.12	22,61.66	22,61.66	..
पु.	11,65.54			
01. जलपूर्ति				
102. ग्रामीण जलपूर्ति				
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना				
[25] उम्मेद सागर जलपूर्ति योजना				
मू.	36,00.01	41,00.01	41,00.01	..
पु.	5,00.00			
01. जलपूर्ति				
102. ग्रामीण जलपूर्ति				
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना				
[30] कोलायत (नोखा) जल पूर्ति योजना				
मू.	38.99	3,32.11	3,32.11	..
पु.	2,93.12			

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[36] फ्लोराइड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट अजमेर-पीसांगन			
मू.	3,66.37	8,94.86	8,94.86
पु.	5,28.49		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[41] तीवरी-मथानिया-ओसिया-बावड़ी-भोपालगढ़ जल पूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	14,09.08	23,80.29	23,80.29
पु.	9,71.21		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[46] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	14,34.17	27,02.78	27,02.78
पु.	12,68.61		
उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49,95.26 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(03) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
[05] मु.शी. 2215-जलपूर्ति और सफाई -01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण प्रतिशतता व्यय (ओ. एण्ड एम.)			
मू.	1,71,81.73	2,13,25.84	2,20,99.86
पु.	41,44.11		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41,44.11 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 7,74.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(12) पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	15,00.00	17,47.69	17,49.68
पु.	2,47.69		



## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(18) बीसलपुर-दूदू जल प्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू.	14,65.45	26,72.16	26,72.15
पु.	12,06.71		
01. जलपूर्ति			- 0.01
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(20) चूरु-झुन्झुनू जल प्रदाय योजना (आपणी योजना फेज-II)			
मू.	61,21.13	67,72.36	67,72.36
पु.	6,51.23		
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(39) पोकरण-फलसूण्ड जलपूर्ति योजना			
मू.	63,91.20	71,08.58	71,08.58
पु.	7,17.38		
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(44) चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना (ई. ए. पी. )			
मू.	19,52.44	27,78.81	27,78.81
पु.	8,26.37		
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(58) नावां के 72 गांवों की जलप्रदाय परियोजना			
मू.	68.71	4,23.97	4,23.96
पु.	3,55.26		
01. जलपूर्ति			- 0.01
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(59) निवाई एवं टोंक तहसील के 199 गांवों की जलप्रदाय परियोजना			
मू.	9,32.89	10,92.82	10,92.82
पु.	1,59.93		
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(61) बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना			
फेज- 2 पार्ट-बी (68 गाँवों की क्लस्टर योजना)			
मू .	5,18.27	6,68.37	6,68.37
पु .	1,50.10		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(63) जवाई-पाली-जोधपुर पाइपलाईन			
परियोजना फेज- II ( क्लस्टर परियोजना)			
मू .	8,85.40	10,89.77	10,89.77
पु .	2,04.37		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(64) ब्यावर जवाजा क्लस्टर योजना			
मू .	12,60.18	19,85.56	19,85.56
पु .	7,25.38		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(65) गागरिन जलपूर्ति योजना			
मू .	10,36.54	33,50.31	33,50.30
पु .	23,13.77		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(68) बीसलपुर -दूदू परियोजना-चाकसू-फागी एवं बस्सी			
मू .	36,27.89	66,47.14	66,47.14
पु .	30,19.25		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(71) चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना- क्लस्टर			
मू .	52,42.24	91,27.90	91,27.90
पु .	38,85.66		

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(72) नर्मदा एफ. आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	7,31.24	12,41.31	12,41.31
पु.	5,10.07		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(74) चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I पार्ट- II			
मू.	9,44.21	22,75.78	22,75.78
पु.	13,31.57		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(75) बांसवाड़ा जल पूर्ति परियोजना			
मू.	7,49.51	28,66.24	28,66.23
पु.	21,16.73		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(76) बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जल पूर्ति परियोजना			
मू.	16,56.27	37,74.48	37,74.48
पु.	21,18.21		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(78) नर्मदा परियोजना-क्लस्टर (डी.आर.)			
मू.	4,62.87	9,40.77	9,40.77
पु.	4,77.90		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(80) कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी एकीकृत जल पूर्ति परियोजना			
मू.	40,40.03	1,28,10.15	1,28,10.15
पु.	87,70.12		

**अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(82) राजीव गांधी लिफ्ट केनाल योजना से बावड़ीकला खारा एवं जलोड़ा, जल पूर्ति परियोजना			
मू .	2,49.90	34,80.70	34,80.70
पु .	32,30.80		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(85) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू .	92,79.53	1,23,37.66	1,23,39.59
पु .	30,58.13		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(90) ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना पीलवा-सागरी-जम्बेश्वर नगर आर.जी.एल.सी. से आर.डी.111 (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्र)			
मू .	2,44.24	5,49.69	5,49.68
पु .	3,05.45		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(97) राजगढ़ पेयजल परियोजना, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़			
अ.	0.01	4,60.23	4,60.23
पु .	4,60.22		

उपरोक्त तेईस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,68,42.30 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(19) चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जल प्रदाय योजना			
मू .	5,48.06	8,10.46	7,27.26
पु .	2,62.40		

**अनुदान संख्या 027 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(83) राजीव गांधी लिफ्ट केनाल योजना से घटोर, कानासर एवं बाप जल पूर्ति परियोजना			
मू.	1,90.82	29,89.29	26,89.28
पु.	27,98.47		
			- 3,00.01

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30,60.87 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 3,83.21 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**6. उचन्त लेन-देन :** 2015-16 में पूंजी अनुभाग में लेखांकित "उचन्त" लेन-देनों का विभाजन विभिन्न उचन्त उप शीर्षों में आदि शेष और अन्त शेष के साथ नीचे दिया गया है:-

लघु शीर्ष "उचन्त" के उपखण्ड	आदि शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
		(₹ लाख में)		
स्टॉक	(+ 26,65.46	99,46.61	1,05,66.34	(+ 20,45.73
विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम	(+ 32,75.63	97.81	1,19.24	(+ 32,54.20
<b>योग</b>	<b>(+) 59,41.09</b>	<b>1,00,44.42</b>	<b>1,06,85.58</b>	<b>(+) 52,99.93</b>

**अनुदान संख्या 028 – ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम और

2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहरस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	6,35,43,32	6,35,43,38	3,91,19,72	- 2,44,23,66
अनुपूरक	6			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,74,80,00	2,74,80,00	2,74,80,00	..
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) समन्वित जल ग्रहण विकास हेतु			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू .	4,32,72.00	2,99,03.78	2,99,03.78
पु .	- 1,33,68.22		

### अनुदान संख्या 028 - (क्रमशः)

31 मार्च 2016 को ₹ 1,33,68.22 लाख का प्रावधान समन्वित जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा परिणामस्वरूप राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 74,84.93 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 58,83.29 लाख) किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) जलग्रहण प्रबन्धन के परिणामों में सुधार/ आई.डब्ल्यू.एम.पी. का सुदृढीकरण			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	2,74.80	..	..
पु.	- 2,74.80	..	..

31 मार्च 2016 को ₹ 2,74.80 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) फोर वाटर कन्सेप्ट			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	32,50.00	18,48.39	18,48.39
पु.	- 14,01.61		..

31 मार्च 2016 को ₹ 14,01.61 लाख का प्रावधान (i) वन क्षेत्रों में श्रमिकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण कार्य की प्रगति रुक जाने, (ii) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में व्यस्तता के कारण पर्याप्त संख्या में मशीनरी की अनुपलब्धता, (iii) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी में समस्त तकनीकी स्टाफ के व्यस्त रहने, (iv) वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में कार्य निष्पादन की स्वीकृति समय पर जारी नहीं किये जाने तथा (v) निधियां देरी से प्राप्त होने के कारण " फोर वाटर प्रोग्राम " कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[01] अनुदान			
मू.	64,80.00	..	..
पु.	- 64,80.00	..	..

31 मार्च 2016 को ₹ 64,80.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 028 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना			
[01] अनुदान			
मू.	15,59.60	4,12.50	4,12.50
पु.	- 11,47.10		..
31 मार्च 2016 को ₹ 11,47.10 लाख का प्रावधान <i>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन</i> के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) नियोजनबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना			
[01] अनुदान			
मू.	57,10.40	..	..
पु.	- 57,10.40		..
31 मार्च 2016 को ₹ 57,10.40 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान <i>नियोजनबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना</i> के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु (राज्यांश)			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	22,32.69	5,41.90	5,41.90
पु.	- 16,90.79		..
31 मार्च 2016 को ₹ 16,90.79 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्यालय			
मू.	2,70.78	90.24	89.94
पु.	- 1,80.54		- 0.30
₹ 1,80.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			



**अनुदान संख्या 028 - (समाप्त)**

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी एम के एस वाई)			
अदर इन्टरवेंशन			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	0.03		
पु.	56,87.97	56,88.00	56,88.00
			..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 56,87.97 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से केन्द्रीयंश प्राप्त होने तथा परिणामस्वरूप राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध कराई गई।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
104. डी.आर.डी.ए. प्रशासन			
(01) मुख्यालय			
मू.	3,97.04		
पु.	1,93.58	5,90.62	5,90.62
			.
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,93.58 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

अनुदान संख्या 029 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2216. आवास,  
2217. शहरी विकास और  
3055. सड़क परिवहन

पूँजी – 4217. शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय ,  
5055. सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय,  
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज और  
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहरन्न में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	28,12,23,77	34,14,62,81	28,72,95,53	- 5,41,67,28
अनुपूरक	6,02,39,04			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				5,41,46,76
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				3
<b>पूँजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	9,59,29,45	9,59,29,67	6,36,71,30	- 3,22,58,37
अनुपूरक	22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				3,13,02,55
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1

**अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)**

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 5,41,67.28 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए कुल ₹ 6,02,39.04 लाख की अनुपूरक अनुदान में से मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ली गयी राशि ₹ 4,39,48.54 लाख अनावश्यक थी।
2. ₹ 5,41,67.28 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 20.52 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) मेट्रो रेल परियोजना			
[01] जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड			
मू.	2,29,00.01	..	..
पु.	- 2,29,00.01	..	..

31 मार्च 2016 को ₹ 2,29,00.01 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 50,38.32 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,78,61.69 लाख) किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[02] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	80,65.03	52,03.11	52,03.11
पु.	- 28,61.92		..

31 मार्च 2016 को ₹ 28,61.62 लाख का प्रावधान जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा अनुदान (गैर संवेतन) में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[02] जयपुर स्मार्ट सिटी			
अ.	1,82,45.74	2,00.00	2,00.00
पु.	- 1,80,45.74		..

05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[03] उदयपुर स्मार्ट सिटी			
अ.	1,82,45.74	2,00.00	2,00.00
पु.	- 1,80,45.74		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 3,60,91.48 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) स्थानीय निकायों के संचालक			

मू.	7,96.04	6,62.09	6,62.10	+ 0.01
पु.	- 1,33.95			

₹ 1,33.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।

80. सामान्य  
191. नगर निगम को सहायता  
(09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगर निगमों को चुनाव हेतु विशेष अनुदान

मू.	2,00.00	50.35	50.32	- 0.03
पु.	- 1,49.65			

31 मार्च 2016 को ₹ 1,49.65 लाख का प्रावधान (i) ई वी एम प्रणाली द्वारा चुनाव कराने के परिणामस्वरूप मतपत्रों के मुद्रण तथा गणना दलों पर कम व्यय, (ii) स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करने पर कम व्यय हुआ क्योंकि लोकसभा/विधानसभा चुनाव के लिए प्रयुक्त मतदाता सूची को ही स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए प्रयुक्त करने हेतु नया साफ्टवेयर विकसित किया गया तथा (iii) मतदाता सूची को तैयार करने हेतु प्रणालियों को मानदेय का भुगतान कम किया गया क्योंकि राज्य स्तर की एजेन्सी द्वारा सूची तैयार किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

80. सामान्य  
191. नगर निगम को सहायता  
(30) पर्यावरण एवं स्वास्थ्य निधि से व्यय  
[01] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

मू.	13,74.00	..	..	..
पु.	- 13,74.00			

31 मार्च 2016 को ₹ 13,74.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कार्य की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

80. सामान्य  
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगरपालिकाओं/ नगर परिषदों को चुनाव हेतु विशेष अनुदान

मू.	11,90.00	6,85.41	6,70.20	- 15.21
पु.	- 5,04.59			

31 मार्च 2016 को ₹ 5,04.59 लाख का प्रावधान (i) ई वी एम प्रणाली द्वारा चुनाव कराने के परिणामस्वरूप मतपत्रों के मुद्रण तथा गणना दलों पर कम व्यय, (ii) स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करने पर कम व्यय हुआ क्योंकि लोकसभा/विधानसभा चुनाव के लिए प्रयुक्त मतदाता सूची को ही स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए प्रयुक्त करने हेतु नया साफ्टवेयर विकसित किया गया तथा (iii) मतदाता सूची को तैयार करने हेतु प्रणालियों को मानदेय का भुगतान कम किया गया क्योंकि राज्य स्तर की एजेन्सी द्वारा सूची तैयार किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 15.21 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(33) सार्वजनिक रोशनी			
[01] विद्युत् बिलों का भुगतान			
मू.	60,40.00	54,55.94	54,55.94
पु.	- 5,84.06		..

₹ 60,40.00 लाख का प्रावधान नगरीय निकायों से विद्युत् कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक रोशनी के विद्युत् बिलों के भुगतान के दावे हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 5,84.06 लाख का प्रावधान विद्युत् बिलों के वास्तविक भुगतान का पुर्वानुमान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य  
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(33) सार्वजनिक रोशनी  
[02] राजस्थान शहरी विकास कोष  
(आर. यू. डी. एफ.) को हस्तान्तरण

मू.	5,00.00	..	..
पु.	- 5,00.00		..

31 मार्च 2016 को ₹ 5,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना में परिवर्तन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य  
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(37) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान  
[01] 14 वें वित्त आयोग के तहत सामान्य  
बुनियादी अनुदान

मू.	3,37,83.36	3,01,65.16	3,01,65.16
पु.	- 36,18.20		..

31 मार्च 2016 को ₹ 36,18.20 लाख का प्रावधान 14वें वित्त आयोग के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य  
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(39) स्वच्छ भारत मिशन  
[01] स्वच्छ भारत मिशन

मू.	18,56.00	86,61.31	86,61.31
अ.	95,29.42		..
पु.	- 27,24.11		

भारत सरकार से स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रथम अनुपूरक अनुदान (₹ 20,72.35 लाख) तथा द्वितीय अनुपूरक अनुदान (₹ 74,57.07 लाख) द्वारा लिया गया ₹ 95,29.42 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। 31 मार्च 2016 को ₹ 27,24.11 लाख का प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रगति के आधार पर भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) नगर तथा देशी आयोजन संगठन (0:100)			
मू.	13,38.47	12,07.41	12,07.03
पु.	- 1,31.06		

₹ 1,31.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 15 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों के रिक्त रहने, (ii) 6 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समर्पित अवकाश का भुगतान नहीं किये जाने तथा (iii) सहायक नगर नियोजकों के रूप में कार्यरत परीविक्षाधीन प्रशिक्षुओं को नियमित नहीं करने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

80. सामान्य  
800. अन्य व्यय  
(10) मास्टर प्लान एवं अन्य योजनाएं  
[01] नगर नियोजन विभाग के माध्यम से

मू.	3,31.47	96.91	96.91	..
पु.	- 2,34.56			

31 मार्च 2016 को ₹ 2,34.56 लाख का प्रावधान मुख्यतः तीन शहरों का चयन *अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन* (अमृत) योजना में होने से 7 कस्बों की मास्टर प्लान बनाने की कार्यवाही स्थगित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। 7 शहरों के मास्टर प्लान की बोलियां निरस्त कर दी गयी क्योंकि इन शहरों के लिए मास्टर प्लान अमृत योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार किया जाना था।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[01] अजमेर स्मार्ट सिटी			
मू.	0.04	2,00.00	2,00.00
पु.	1,99.96		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,99.96 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

05. अन्य शहरी विकास योजनाएं  
800. अन्य व्यय  
(01) स्मार्ट सिटी  
[04] कोटा स्मार्ट सिटी

अ.	0.04	2,00.00	2,00.00	..
पु.	1,99.96			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,99.96 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	1,47,24.91	1,54,44.20	1,54,44.20
पु.	7,19.29		..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,19.29 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगमों को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

80. सामान्य  
191. नगर निगमों को सहायता  
(35) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान  
[01] 14 वें वित्त आयोग के तहत सामान्य  
बुनियादी अनुदान

मू.	95,28.64	1,31,46.84	1,31,46.84	..
पु.	36,18.20			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 36,18.20 लाख की अतिरिक्त निधियां 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के लिये भारत सरकार से अधिक अनुदान प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य  
191. नगर निगमों को सहायता  
(36) स्वच्छ भारत मिशन  
[01] स्वच्छ भारत मिशन

मू.	15,81.00	35,16.68	35,16.68	..
अ.	9,28.32			
पु.	10,07.36			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,07.36 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना की प्रगति के अनुसार भारत सरकार से स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के लिये अधिक अनुदान प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य  
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान  
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान

मू.	3,32,94.51	3,86,09.68	3,86,09.68	..
पु.	53,15.17			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 53,15.17 लाख की अतिरिक्त निधियां नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अधिक अनुदान जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2217. शहरी विकास				
80. सामान्य				
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता				
(22) छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (यू. आई. डी. एस. एस. एम. टी.)				
(10:10:80)				
[01] विकास कार्य				
मू .	0.09	33,39.44	33,34.55	- 4.89
पु .	33,39.35			
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 33,39.35 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
80. सामान्य				
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता				
(36) विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण				
[01] विद्युत प्रभार हेतु				
मू	16,00.00	17,60.00	17,60.00	..
पु .	1,60.00			
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,60.00 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत् पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।				
3055. सड़क परिवहन				
800. अन्य व्यय				
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि				
[04] परिवहन विभाग के माध्यम से				
मू	0.09	29,13.74	29,13.74	..
पु .	29,13.65			
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 29,13.65 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।				



**अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. ₹ 3,22,58.37 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 9,55.82 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
[02] शहरी जनसहभागी योजना			
मू. 17,17.50	7,94.29	7,87.55	- 6.74
पु. - 9,23.21			

31 मार्च 2016 को ₹ 9,23.21 लाख का प्रावधान शहरी जनसहभागी योजना के लिये निधियां कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

₹ 6.74 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(02) शहरी सड़कें एवं नालियां आदि (आर.ओ.बी.)			
[07] विभिन्न शहरी निकायों के लिये			
मू. 85,87.50	72,28.11	72,28.11	..
पु. - 13,59.39			

31 मार्च 2016 को ₹ 13,59.39 लाख का प्रावधान श्री गंगानगर एवं रींगस में उपलब्ध भूमि पर न्यायालय का स्थगन आदेश के कारण निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. गंदी बस्तियों का विकास			
800. अन्य व्यय			
(04) राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु			
मू. 1,78,62.00	3,01.14	3,01.14	..
पु. - 1,75,60.86			

31 मार्च 2016 को ₹ 1,75,60.86 लाख का प्रावधान राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,29,03.61 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 46,57.25 लाख) किया गया।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(02) राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना के माध्यम से (आर.यू.आई.डी.पी.) छः प्रमुख शहरों का विकास (ई.ए.पी.) निर्माण कार्य			
मू. 5,00.00	3.91	- 96.09	- 1,00.00
पु. - 4,96.09			

31 मार्च 2016 को ₹ 4,96.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

₹ 96.09 लाख ऋण व्यय जोधपुर विकास प्राधिकरण से ₹ 1,00.00 लाख के अंशदान प्राप्त होने तथा निदेशक ए डी बी परियोजना, राजस्थान द्वारा जमा कराये जाने के कारण रहा।

## अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(03) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर. यू. एस. डी. आई. पी.) आर. यू. आई. डी. पी. द्वितीय चरण (ई. ए. पी.) निर्माण कार्य			
मू.	2,99,99.82	2,00,85.07	1,92,36.00
पु.	- 99,14.75		- 8,49.07
₹ 99,14.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने और कार्यों की धीमी गति को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण तथा ₹ 8,49.07 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(04) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर. यू. एस. डी. आई. पी.) आर. यू. आई. डी. पी. तृतीय चरण (ई. ए. पी.) निर्माण कार्य			
मू.	1,05,00.00	58,12.32	58,12.31
पु.	- 46,87.68		- 0.01
₹ 46,87.68 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निविदा प्रक्रिया में विलम्ब को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि			
[01] जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड			
मू.	15,00.00	7,50.00	7,50.00
पु.	- 7,50.00		..
31 मार्च 2016 को ₹ 7,50.00 लाख का प्रावधान रेल निगम लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा कर्ज कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(03) जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उधार (फेज- I-बी)			
[01] एशियन विकास बैंक ऋण			
मू.	2,50,00.00	72,02.44	72,02.44
पु.	- 1,77,97.56		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,77,97.56 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

### अनुदान संख्या 029 - (क्रमांक:)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(06) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
अ .	0.02		
		67,94.43	
पु .	67,94.41	67,94.43	..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 67,94.41 लाख की अतिरिक्त निधियां अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन योजना के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज			
(01) आर.यू. आई.डी.पी. फेज- II			
[13] नगर पालिका/ परिषद, सीकर			
मू .	0.01		
		2,11.58	
पु .	2,11.57	2,11.58	..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई ₹ 2,11.57 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज			
(01) आर.यू. आई. डी.पी. फेज- II			
[14] नगर पालिका/परिषद, नागौर			
मू .	0.01		
		1,77.71	
पु .	1,77.70	1,77.71	..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई ₹ 1,77.70 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) मेट्रो रेल परियोजना			
[01] जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का उधार			
मू .	0.01		
		1,00,00.00	
पु .	99,99.99	1,00,00.00	..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कर्ज जारी करने के कारण उपलब्ध कराई गयी।			

**अनुदान संख्या 029 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि			
[01] राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड			
मू .	0.01		
		50,00.00	50,00.00
पु .	49,99.99		..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को कर्ज जारी करने के कारण उपलब्ध कराई गयी।

## अनुदान संख्या 030 - जनजाति क्षेत्रीय विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व -	2014.	न्याय प्रशासन,
	2029.	भू-राजस्व,
	2041.	वाहन कर,
	2059.	लोक निर्माण कार्य,
	2202.	सामान्य शिक्षा,
	2203.	तकनीकी शिक्षा,
	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं ,
	2205.	कला एवं संस्कृति,
	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
	2211.	परिवार कल्याण,
	2216.	आवास,
	2217.	शहरी विकास,
	2220.	सूचना तथा प्रचार,
	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
	2230.	श्रम तथा रोजगार,
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
	2236.	पोषण,
	2401.	फसल कृषि-कर्म,
	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण,
	2403.	पशु-पालन,
	2405.	मछली-पालन,
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी,
	2415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
	2425.	सहकारिता,
	2501.	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
	2505.	ग्राम रोजगार,
	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
	2700.	मुख्य सिंचाई,
	2702.	लघु सिंचाई,
	2705.	कमान क्षेत्र विकास,
	2810.	नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
	2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग,
	2852.	उद्योग,
	2853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
	3055.	सड़क परिवहन,
	3425.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
	3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण,
	3451.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,
	3452.	पर्यटन,
	3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
	3456.	सिविल पूर्ति और
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी -	4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
	4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
	4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
	4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,  
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर  
 पूंजीगत परिव्यय,  
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,  
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6216. आवास के लिए कर्ज,  
 6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज,  
 6425. सहकारिता के लिए कर्ज,  
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज,  
 6885. उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज और  
 7055. सड़क परिवहन के लिए अन्य कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	67,15,04,53			
अनुपूरक	68	67,15,05,21	55,07,53,84	- 12,07,51,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	9			
अनुपूरक	2,05	2,14	2,05	- 9
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
				9

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहरस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>पूँजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	26,53,19,27	87,54,71,88	80,45,55,89	- 7,09,15,99
अनुपूरक	61,01,52,61			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				7,04,24,01

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 12,07,51.37 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 3,16.59 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा				
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
111. सर्व शिक्षा अभियान				
(03) जन जाति क्षेत्र के लिए उपयोजना (शिक्षा गारन्टी स्कीम)				
मू.	7,62,38.37	5,94,36.60	5,94,36.60	..
पु.	- 1,68,01.77			

31 मार्च 2016 को ₹ 1,68,01.77 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्य सरकार द्वारा निधियां कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 59,02.12 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,08,99.65 लाख) किया गया।

- |   |            |            |            |        |
|---|------------|------------|------------|--------|
| 01. प्रारम्भिक शिक्षा                                       |            |            |            |        |
| 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर<br>की पंचायतों को सहायता |            |            |            |        |
| (08) जनजाति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)     |            |            |            |        |
| [01] स्थापना व्यय   |            |            |            |        |
| मू.   | 2,39,51.74 | 1,58,09.35 | 1,58,05.98 | - 3.37 |
| पु.   | - 81,42.39 |            |            |        |

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) जनजाति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	19,68.93	13,60.71	13,59.67
पु.	- 6,08.22		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 87,50.61 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान			
मू.	1,90,50.00	1,84,50.00	1,84,49.92
पु.	- 6,00.00		

31 मार्च 2016 को ₹ 6,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) प्राथमिक विद्यालय बालकों के लिए			
मू.	8,82.44	3,61.31	3,61.27
पु.	- 5,21.13		

31 मार्च 2016 को ₹ 5,21.13 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से छात्रावासों/विद्यालय का संचालन/ संस्थापन			
[02] आश्रम छात्रावासों का संचालन			
मू.	40,03.53	35,63.10	35,63.09
पु.	- 4,40.43		

₹ 4,40.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।



**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुनर्भरण			
मू.	56,00.00		
		19,67.13	19,65.79
पु.	- 36,32.87		- 1.34

31 मार्च 2016 को ₹ 36,32.87 लाख का प्रावधान शिक्षा के अधिकार के तहत पे-मैनेजर के माध्यम से भुगतान को पहली बार जोड़ने से भुगतान प्रक्रिया के आरम्भ में विलम्ब के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा  
107. छात्रवृत्तियां  
(06) अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां  
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां

मू.	66,49.20		
		15,84.40	15,84.40
पु.	- 50,64.80		..

31 मार्च 2016 को ₹ 50,64.80 लाख का प्रावधान (i) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कक्षा IX एवं X के छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना में शामिल किये जाने तथा (ii) अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में मुफ्त आवासीय अध्ययन सुविधा के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों के व्यय का पुनर्भरण हेतु राज्य सरकार की सहमति से प्रावधान अन्य शीर्षों को हस्तान्तरित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा  
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय  
(07) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान  
[03] माध्यमिक शिक्षा अभियान-अनुसूचित जन जातियों के लिए

मू.	1,31,95.00		
		65,28.03	65,28.03
पु.	- 66,66.97		..

31 मार्च 2016 को ₹ 66,66.97 लाख का प्रावधान (i) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को वेतन एवं भत्तों का वास्तविक भुगतान, (ii) सहायतार्थ अनुदान (गैर-संवेतन) की आयोजना सीमा में कटौती तथा (iii) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा  
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय  
(08) बालिका छात्रावास  
[03] बालिका छात्रावास-अनुसूचित जन जातियों के लिए

मू.	9,25.38		
		2,58.17	2,58.17
पु.	- 6,67.21		..

31 मार्च 2016 को ₹ 6,67.21 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[01] लड़कों के विद्यालय			
मू.	4,42,78.07	4,09,62.87	4,09,52.89
पु.	- 33,15.20		
			- 9.98
₹ 33,15.20 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यरत स्ट्रेथ के अनुसार वेतन एवं भत्तों के भुगतान को आरोपित की गयी।			
₹ 9.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[03] व्यावसायिक शिक्षा			
मू.	5,46.08	2,88.94	2,88.94
पु.	- 2,57.14		
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,57.14 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(17) जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[02] खेल छात्रावासों का संचालन			
मू.	3,97.32	2,63.40	2,63.41
पु.	- 1,33.92		
			+ 0.01
₹ 1,33.92 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों, खाद्य सामग्री इत्यादि पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सरकारी महाविद्यालय (पुरुषों के लिये)			
मू.	44,64.65	37,57.26	37,56.42
पु.	- 7,07.39		
			- 0.84
₹ 7,07.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में नव सृजित महाविद्यालयों में कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बाद रिक्त हुए पदों को आरोपित की गयी।			

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर			
मू.	4,00.00	99.99	99.99
पु.	- 3,00.01		
31 मार्च 2016 को ₹ 3,00.01 लाख का प्रावधान विश्वविद्यालय का उदयपुर से बांसवाड़ा स्थानान्तरित किये जाने के परिणामस्वरूप (i) उदयपुर में विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवन पर निर्माण नहीं किये जाने, (ii) नियमित नियुक्तियों में भर्ती नहीं किये जाने तथा (iii) नये मर्दों की खरीद नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) साक्षर भारत			
मू.	8,10.00	..	..
पु.	- 8,10.00		
31 मार्च 2016 को ₹ 8,10.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण			
मू.	6,62.92	5,05.93	5,05.93
पु.	- 1,56.99		
₹ 1,56.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2203. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम			
मू.	2,62.50	93.75	93.75
पु.	- 1,68.75		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,68.75 लाख का प्रावधान तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत अभियांत्रिकी महाविद्यालय के लिए भारत सरकार से केन्द्रीयशंश कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	62,75.19	49,12.15	49,11.97
पु.	- 13,63.04		
31 मार्च 2016 को ₹ 13,63.04 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन				
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र				
मू.	14,18.04	7,06.92	7,06.93	+ 0.01
पु.	- 7,11.12			
31 मार्च 2016 को ₹ 7,11.12 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना				
(02) अन्य अस्पताल				
मू.	73,58.63	61,73.37	61,72.92	- 0.45
पु.	- 11,85.26			
₹ 11,85.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय तथा मशीनों एवं उपकरणों की कम खरीद को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना				
(05) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र				
मू.	14,91.04	6,53.67	6,53.67	..
पु.	- 8,37.37			
31 मार्च 2016 को ₹ 8,37.37 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां				
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना				
(02) अस्पताल तथा औषधालय-आयुर्वेद				
मू.	27,93.45	26,13.58	26,13.27	- 0.31
पु.	- 1,79.87			
₹ 1,79.87 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नव नियुक्त कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने में देरी, (ii) कुछ कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का अन्य लेखा शीर्षों में हस्तान्तरण तथा (iii) अनुमान से सुनिश्चित वृत्ति पदोन्नति के प्रकरणों का कम अन्तिमीकरण होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।				
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां				
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना				
(06) राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को अनुदान				
मू.	4,72.47	2,01.37	2,01.37	..
पु.	- 2,71.10			
31 मार्च 2016 को ₹ 2,71.10 लाख का प्रावधान राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	12,92.91	8,42.21	8,42.21
पु.	- 4,50.70		..
31 मार्च 2016 को ₹ 4,50.70 लाख का प्रावधान मुख्यतः स्नातकोत्तर अध्ययनरत डॉक्टर की कम संख्या के परिणामतः वजीफे पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	11,12.18	8,30.01	8,30.01
पु.	- 2,82.17		..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,82.17 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) 157 स्वीकृत पदों में से 145 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) निविदा में कम दरें प्राप्त होने के कारण मशीनरी तथा उपकरण पर कम व्यय तथा फर्मों द्वारा उपकरणों की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(03) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)			
मू.	5,05.31	3,97.22	3,96.99
अ.	0.01		- 0.23
पु.	- 1,08.10		
₹ 1,08.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(06) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	14,40.24	10,77.45	10,77.46
पु.	- 3,62.79		+ 0.01
31 मार्च 2016 को ₹ 3,62.79 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) निःशुल्क जाँच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	19,13.12	11,72.73	11,72.73
पु.	- 7,40.39		
₹ 7,40.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पर्दों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	8,05.00	3,61.38	3,61.38
पु.	- 4,43.62		
31 मार्च 2016 को ₹ 4,43.62 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[01] बी.पी.एल. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष (30:70)			
मू.	9,45.00	2,93.74	2,93.74
पु.	- 6,51.26		
31 मार्च 2016 को ₹ 6,51.26 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनान्तर्गत निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया तथा इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय निःशुल्क दवा योजना एवं भामाशाह स्वास्थ्य योजना चालू होने के पश्चात् भी प्रभावित हुआ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बूलेंस सेवा योजना (50:50)			
मू.	11,47.50	4,66.50	4,66.50
पु.	- 6,81.00		
31 मार्च 2016 को ₹ 6,81.00 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से योजनान्तर्गत निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) कुछ जिलों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अभिलेखों को जब्त करने के कारण भुगतान नहीं होने से अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (15:85)			
मू.	2,44,35.00	2,13,24.15	2,13,24.15
पु.	- 31,10.85		
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन			
मू.	39,16.73	10,55.17	10,55.17
पु.	- 28,61.56		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 59,72.41 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनान्तर्गत निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	16,60.00	10,10.55	10,10.55
पु.	- 6,49.45		
31 मार्च 2016 को ₹ 6,49.45 लाख का प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के लिए जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[03] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
मू.	2,70.00	..	..
पु.	- 2,70.00	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,70.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(02) उपयोजना क्षेत्र के छात्रावासों का संधारण			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	7,76.40	4,48.92	4,48.93
पु.	- 3,27.48		
₹ 3,27.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः खाद्य सामग्री पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) अनुसूचित जनजाति के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	30,00.00		
पु.	- 9,26.37	20,73.63	20,73.63
31 मार्च 2016 को ₹ 9,26.37 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ-अनुदान			
[41] बैफ को सहायतार्थ अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	1,27.34		
पु.	- 1,27.34	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,27.34 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजनांतर्गत निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[44] अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पौधारोपण हेतु सहायता (वि.के.स.)			
मू.	7,99.46		
पु.	- 7,24.46	75.00	75.00
31 मार्च 2016 को ₹ 7,24.46 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनांतर्गत निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[47] वाडियों का विकास (वि.के.स.)			
मू.	1,80.00		
पु.	- 1,80.00	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,80.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजनांतर्गत निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[54] कृषि विकास परियोजना एवं उपकरण (वि.के.स.)			
मू.	28,82.00	22,56.41	22,56.41
पु.	- 6,25.59		
31 मार्च 2016 को ₹ 6,25.59 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनांतर्गत निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[56] विद्युत/डीजल पम्प सेट वितरण, कुओं का विद्युतिकरण, पी.वी.सी. पाइप लाइन तथा ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट हेतु सहायता			
मू.	6,41.25	2,80.00	2,80.00
पु.	- 3,61.25		
31 मार्च 2016 को ₹ 3,61.25 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनांतर्गत निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु सहायता (वि.के.स.)			
[06] विद्युत/डीजल पम्प सेट वितरण, कुओं का विद्युतिकरण, पी.वी.सी. पाइप लाइन तथा ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट हेतु सहायता (वि.के.स.)			
मू.	2,00.00	1,00.00	1,00.00
पु.	- 1,00.00		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनांतर्गत निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10) माडा व बिखरी के आश्रम छात्रावास			
मू.	3,60.94	1,77.00	1,77.00
पु.	- 1,83.94		

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[03] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू.	1,78.68	61.32	61.32
पु.	- 1,17.36		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 3,01.30 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)  
[18] सहरियाओं के लिए एकीकृत विकास परियोजना

मू.	24,52.00	17,90.00	17,90.00	..
पु.	- 6,62.00			

31 मार्च 2016 को ₹ 6,62.00 लाख का प्रावधान योजना की आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं  
[01] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन

मू.	18,09.50	11,39.64	11,39.64	..
पु.	- 6,69.86			

₹ 6,69.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी।

02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं  
[09] छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विकास

मू.	8,00.00	50.00	50.00	..
पु.	- 7,50.00			

31 मार्च 2016 को ₹ 7,50.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनान्तर्गत निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत संचालित योजनाएं			
[02] सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनांतर्गत नवाचार योजनाएं			
मू. 3,40.96	2,10.00	2,10.00	..
पु. - 1,30.96			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत संचालित योजनाएं			
[06] सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनांतर्गत सहरिया के माँ-बाडी केन्द्रों का संचालन			
मू. 10,00.00	7,75.19	7,75.19	..
पु. - 2,24.81			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 3,55.77 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[01] आश्रम छात्रावासों का संचालन			
मू. 12,76.04	11,64.35	11,64.35	..
पु. - 1,11.69			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[04] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू. 2,01.54	69.02	69.02	..
पु. - 1,32.52			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[12] माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन			
मू.	4,11.00	3,10.56	3,10.56
पु.	- 1,00.44		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 3,44.65 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2230. श्रम तथा रोजगार			
01. श्रम			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(04) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना			
मू.	10,92.00	5,38.38	5,38.38
पु.	- 5,53.62		..
31 मार्च 2016 को ₹ 5,53.62 लाख का प्रावधान <i>राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना</i> के लिए बीमा कम्पनी द्वारा कम दावे अनुपात के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. रोजगार सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	4,90.00	1,49.57	1,49.57
पु.	- 3,40.43		..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,40.43 लाख का प्रावधान बेरोजगारी भत्ता के लिए लाभार्थियों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[10] अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. परिवारों को जनश्री बीमा योजना हेतु सहायता			
मू.	4,85.46	3,63.62	3,63.62
पु.	- 1,21.84		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,21.84 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(13) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[07] मिशन ग्राम्य शक्ति			
मू.	2,50.00	..	..
पु.	- 2,50.00	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,50.00 लाख का समस्त प्रावधान <i>मिशन ग्राम्य शक्ति योजना</i> को लागू नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[11] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	64,14.11	51,81.01	50,94.23
पु.	- 12,33.10		- 86.78
31 मार्च 2016 को ₹ 12,33.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने तथा ₹ 86.78 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू.	10,57.21	7,35.92	7,26.94
पु.	- 3,21.29		- 8.98
31 मार्च 2016 को ₹ 3,21.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने तथा ₹ 8.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[01] पोषाहार क्रेष कार्यक्रम			
मू.	1,00,21.69	87,91.53	87,90.42
पु.	- 12,30.16		- 1.11
31 मार्च 2016 को ₹ 12,30.16 लाख का प्रावधान खाद्य सामग्रियों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[02] एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम			
मू.	7,46.53	2,58.14	2,58.09
पु.	- 4,88.39		
₹ 4,88.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[17] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ			
मू.	5,19.81	1,83.88	1,83.88
पु.	- 3,35.93		
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[18] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	18,89.60	10,88.04	10,88.04
पु.	- 8,01.56		
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[20] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज			
मू.	7,54.29	2,43.05	2,43.05
पु.	- 5,11.24		
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[26] टिकाऊ खेती मिशन-बारानी क्षेत्र विकास			
मू.	8,12.50	1,30.19	1,30.19
पु.	- 6,82.31		

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 23,31.04 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2401. फसल कृषि-कर्म				
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(03) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु				
मू.	35,97.06	31,15.40	30,92.23	
पु.	- 4,81.66			- 23.17
₹ 4,81.66 लाख की प्रत्याशित बचत (i) 715 स्वीकृत पदों में से 301 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में गैर कृषि योग्यता प्राप्त कृषि पर्यवेक्षकों को 1998 से बकाया के भुगतान हेतु निधियां अनुमानित की गयी, का कुछ विभागों द्वारा आहरण नहीं करने को आरोपित की गयी।				
₹ 23.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना				
(41) नवाचार कार्यक्रम/मिनि किट वितरण				
मू.	4,38.00	2,46.34	2,46.34	
अ.	0.01			..
पु.	- 1,91.67			
31 मार्च 2016 को ₹ 1,91.67 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना				
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से				
[03] राष्ट्रीय बागवानी मिशन (15% राज्यांश : 85% केन्द्रीयंश)				
मू.	7,44.63	5,13.21	5,13.21	
पु.	- 2,31.42			..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,31.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना				
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से				
[04] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (20% राज्यांश : 80% केन्द्रीयंश)				
मू.	23,50.00	4,82.50	4,82.50	
पु.	- 18,67.50			..
₹ 23,50.00 लाख का प्रावधान जल बचाने एवं अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बूंद-बूंद तथा स्प्रेकलर सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु अनुमानित किया गया था। 31 मार्च 2016 को ₹ 18,67.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[05] बूंद-बूंद सिंचाई राज्य योजना			
मू.	8,87.00	..	..
पु.	- 8,87.00	..	..
₹ 8,87.00 लाख का प्रावधान जल का अधिकतम उपयोग हेतु बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु अनुमानित किया गया था। 31 मार्च 2016 को ₹ 8,87.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[11] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	9,50.00	6,81.94	6,81.94
पु.	- 2,68.06	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,68.06 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[12] ऑटोमेशन पर सहायता			
मू.	1,27.57	..	..
पु.	- 1,27.57	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,27.57 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(57) मिशन फॉर लिवलिहुड			
मू.	9,55.14	6,40.00	6,40.00
पु.	- 3,15.14	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,15.14 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(63) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
मू.	11,05.00	20.81	20.81
पु.	- 10,84.19	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 10,84.19 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	54,99.99	27,24.28	27,24.29
अ.	0.02	..	..
पु.	- 27,75.73	..	..
₹ 27,75.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			



## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2401. फसल कृषि-कर्म				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)				
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से				
मू.	12,00.00	2,17.00	2,16.76	
पु.	- 9,83.00			- 0.24
31 मार्च 2016 को ₹ 9,83.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(72) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन				
[01] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन				
मू.	8,12.37	5,23.40	5,23.40	
पु.	- 2,88.97			..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,88.97 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(74) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन				
[02] टिकाउ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन				
मू.	1,24.00	0.22	0.22	
अ.	0.03			..
पु.	- 1,23.81			
31 मार्च 2016 को ₹ 1,23.81 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
2402. मृदा तथा जल संरक्षण				
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना				
(03) पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना (आई फैड फण्डेड)(एम पावर)				
मू.	5,32.44	3,25.90	3,25.90	
पु.	- 2,06.54			..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,06.54 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
2403. पशु पालन				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(01) पशु पालन विभाग के अभिकरण से				
[02] अस्पताल और चिकित्सालय				
मू.	40,99.29	37,48.69	37,31.83	
पु.	- 3,50.60			- 16.86
₹ 3,50.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिकारियों/कर्मचारियों के नये संस्थानों में स्थानान्तरण के कारण पदों के रिक्त रहने, (ii) सुनिश्चित वृत्ति पदोन्नति प्रकरणों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप फिक्सेशन नहीं किये जाने के साथ बकायों का भुगतान नहीं किये जाने तथा (iii) आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।				
₹ 16.86 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग के अभिकरण से			
[26] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	38,37.06		
		49.99	49.96
पु.	- 37,87.07		- 0.03
₹ 37,87.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत दवाइयों तथा औषधियों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी क्योंकि जो दवाइयां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में उपलब्ध होने के कारण निधियों को प्राथमिकता पर खर्च किये जाने के अन्तर्गत क्रय की गयी तथा संविदा अवधि समय पर पूर्ण नहीं किये जाने के कारण विभाग द्वारा दवाइयों एवं काम में आने वाली सर्जिकल की खरीद नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) वन संरक्षण			
मू.	11,14.13		
		8,70.46	8,70.42
पु.	- 2,43.67		- 0.04
31 मार्च 2016 को ₹ 2,43.67 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(33) सहकारी संस्थाओं को ब्याज अनुदान			
मू.	22,61.00		
		15,65.00	15,65.00
पु.	- 6,96.00		..
31 मार्च 2016 को ₹ 6,96.00 लाख का प्रावधान केन्द्रीय सहकारी बैंकों से दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(35) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू.	46,47.00		
		44,54.90	44,54.90
पु.	- 1,92.10		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,92.10 लाख का प्रावधान केन्द्रीय सहकारी बैंकों से दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) समन्वित जलग्रहण विकास हेतु			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	85,03.00		
		57,42.00	57,42.00
पु.	- 27,61.00		..
31 मार्च 2016 को ₹ 27,61.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) फोर वॉटर कन्सेप्ट			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	6,25.00		
पु.	- 4,82.40	1,42.60	1,42.60

31 मार्च 2016 को ₹ 4,82.40 लाख का प्रावधान (i) वन क्षेत्रों में श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण कार्य में रूकावट, (ii) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में मशीनरी काम आने, (iii) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को बनाने में समस्त तकनीकी स्टाफ के व्यस्त होने, (iv) वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों में कार्य निष्पादन की स्वीकृति समय पर जारी नहीं किये जाने तथा (v) निधियां देरी से प्राप्त होने के कारण "फोर वाटर प्रोग्राम" कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[02] अनुदान			

मू.	25,92.00	..	..
पु.	- 25,92.00	..	..

31 मार्च 2016 को ₹ 25,92.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के परिणामतः राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना			
[02] अनुदान			

मू.	6,23.84		
पु.	- 4,58.84	1,65.00	1,65.00

31 मार्च 2016 को ₹ 4,58.84 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) नियोजनबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना			
[02] अनुदान			

मू.	22,84.16	..	..
पु.	- 22,84.16	..	..

31 मार्च 2016 को ₹ 22,84.16 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के परिणामतः राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) इंदिरा आवास योजना			
[02] अनुदान (राज्यांश)			
मू.	6,42,79.90		
		3,20,24.82	3,20,24.82
पु.	- 3,22,55.08		..
₹ 6,42,79.90 लाख का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में नये मकानों के निर्माण/मकानों के उन्नयन के लिए चयनित आश्रय रहित बी.पी.एल. परिवारों को एक मुश्त वित्तीय सहायता हेतु अनुमानित किया गया था।			
यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 3,22,55.08 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	5,46,76.85		
		4,08,80.96	4,08,80.96
पु.	- 1,37,95.89		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,37,95.89 लाख का प्रावधान कम मांग को देखते हुए भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) स्टेट बी.पी.एल. परिवार हेतु आवास			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	14,00.00		
		2,10.00	2,10.00
पु.	- 11,90.00		..
31 मार्च 2016 को ₹ 11,90.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(25) ग्रामीण बी.पी.एल. आवास			
[03] जन जाति क्षेत्रीय उपयोजना में कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	89,03.60		
		82,05.81	82,05.81
पु.	- 6,97.79		..
31 मार्च 2016 को ₹ 6,97.79 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई 27. माही परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (02) यूनिट-II (नहर)	मू. 16,36.31 पु. - 2,49.09	13,87.22	13,86.06 - 1.16
31 मार्च 2016 को ₹ 2,49.09 लाख का प्रावधान वेतन एवं मजदूरी पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2702. लघु सिंचाई 01. सतही जल 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (01) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम [01] मुख्य अभियंता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. के माध्यम से	मू. 4,10.00 पु. - 1,72.94	2,37.06	2,37.06 ..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,72.94 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (03) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विद्युतिकरण [01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से	मू. 6,25.00 पु. - 6,25.00	..	.. ..
31 मार्च 2016 को ₹ 6,25.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसन्धान 01. भारतीय सर्वेक्षण 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (05) सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	मू. 1,32.78 पु. - 1,32.78	..	.. ..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,32.78 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
3452. पर्यटन 80. सामान्य 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (01) पर्यटक सूचना और प्रचार	मू. 8,73.07 पु. - 1,92.49	6,80.58	6,80.58 ..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,92.49 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[20] स्वान वर्टिकल/स्टेट शेयर			
मू.	1,99.18	..	..
पु.	- 1,99.18	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,99.18 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] राज सम्पर्क			
मू.	1,79.20	33.70	33.70
पु.	- 1,45.50	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,45.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[06] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	12,40.00	38.06	36.36
पु.	- 12,01.94	..	- 1.70
31 मार्च 2016 को ₹ 12,01.94 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[09] बी.पी.एल. व अंत्योदय परिवारों को चीनी वितरण योजना			
मू.	4,20.00	..	..
पु.	- 4,20.00	..	..
₹ 4,20.00 लाख का प्रावधान बी.पी.एल. व अंत्योदय परिवारों को रियायती चीनी वितरण के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 4,20.00 लाख का समस्त प्रावधान चीनी की दरों में वृद्धि नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू.	8,15.05	5,14.62	5,14.62
पु.	- 3,00.43	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,00.43 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अंत्योदय परिवारों को गेहूँ का परिवहन एवं वितरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[03] विकास कार्य			
मू.	3,82.51	..	..
पु.	- 3,82.51	..	..
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[03] विकास कार्य			
मू.	4,52.69	..	..
पु.	- 4,52.69	..	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 8,35.20 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(09) मॉडल स्कूल			
[03] मॉडल स्कूल-अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	44,46.91	50,32.95	..
पु.	5,86.04	50,32.95	..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,86.04 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से मॉडल स्कूल हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान जारी किये जाने हेतु अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[02] बालिका विद्यालय			
मू.	38,34.85	39,58.73	- 0.22
पु.	1,23.88	39,58.51	- 0.22

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,23.88 लाख की अतिरिक्त निधियां शिक्षकों/विद्यालयों का प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा के साथ विलय के पश्चात् वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(11) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण			
मू.	10,80.00	16,94.86	16,94.86
पु.	6,14.86		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,14.86 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी घोषणा की अनुपालना में मुफ्त साइकिल वितरण योजना के अन्तर्गत 2014-15 के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(12) अनुसूचित जन जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को ट्रान्सपोर्ट वाउचर का वितरण			
मू.	13.50	1,14.75	1,14.75
पु.	1,01.25		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,01.25 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(17) जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[04] माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू.	11,88.75	13,94.67	13,94.67
पु.	2,05.92		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,05.92 लाख अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(18) लेपटॉप वितरण			
मू.	8,10.00	11,59.97	11,59.97
पु.	3,49.97		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,49.97 लाख की अतिरिक्त निधियां 2014-15 तथा 2015-16 के लिये क्रय किये गये लेपटॉप के भुगतान वर्ष के दौरान किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी क्योंकि दोनों वर्षों के लिए 2015-16 में प्रक्रिया निर्धारित की गयी।			



**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जनजाति कल्याण निधि अंतर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[02] महाविद्यालय स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू.	12,38.00	15,15.54	15,14.13
पु.	2,77.54		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,77.54 लाख की अतिरिक्त निधियां आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-अनुसूचित जनजातियों के लिए			
मू.	0.03	17,55.94	17,55.94
पु.	17,55.91		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,55.91 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
05. भाषा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) संस्कृत विद्यालय			
मू.	5,11.97	7,05.91	7,05.91
पु.	1,93.94		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,93.94 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के भरे जाने के बाद वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं -अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) आयुर्वेद			
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-राज्यांश राशि			
मू.	9,96.00	17,96.00	17,96.00
पु.	8,00.00		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वार्षिक कार्य योजना के संबंध में भारत सरकार से 2014-15 तथा 2015-16 के लिए वर्ष के दौरान स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जन स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	26,00.04	27,82.00	27,82.00
पु.	1,81.96		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,81.96 लाख की अतिरिक्त निधियां जन स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिक अंशदान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	28,86.20	30,26.00	30,26.00
पु.	1,39.80		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,39.80 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर निगमों को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	3,10.00	6,89.48	6,89.48
पु.	3,79.48		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,79.48 लाख की अतिरिक्त निधियां स्वच्छ भारत मिशन के लिए भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	60,45.80	70,08.88	70,08.88
पु.	9,63.08		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,63.08 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(22) छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (10:10:80)			
[03] विकास कार्य			
मू.	0.01	6,55.66	6,55.66
पु.	6,55.65		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,55.65 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	3,64.00	16,98.16	16,98.16
पु.	13,34.16		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,34.16 लाख की अतिरिक्त निधियां स्वच्छ भारत मिशन के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[48] उद्यान विकास कार्यक्रम (वि.के.स.)			
मू.	67.83	2,70.15	2,70.15
पु.	2,02.32		
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[51] पशु पालन परियोजना (वि.के.स.)			
मू.	9,00.00	13,28.26	13,28.26
पु.	4,28.26		
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[52] मत्स्य विकास योजना (वि.के.स.)			
मू.	10.00	10,00.00	10,00.00
पु.	9,90.00		

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण				
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण				
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना				
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान				
[53] स्वरोजगार हेतु सहायता (वि.के.स.)				
मू .	2,00.00	4,00.00	4,00.00	..
पु .	2,00.00			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण				
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना				
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान				
[55] कौशल विकास परियोजना				
मू .	3,00.00	10,00.00	10,00.00	..
पु .	7,00.00			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण				
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना				
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान				
[57] विभागीय योजनाओं का सर्वे एवं मूल्यांकन				
मू .	0.01	1,12.69	1,12.69	..
पु .	1,12.68			
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 26,33.26 लाख की अतिरिक्त निधियां इन योजनाओं के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।				
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(03) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम (माडा)				
[18] कौशल विकास परियोजना				
मू .	1,00.00	4,00.00	4,00.00	..
पु .	3,00.00			
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना की आयोजना सीमा में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।				

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु सहायता (वि.के.स.)			
[10] कौशल विकास परियोजना			
मू.	1,00.00	4,90.00	4,90.00
पु.	3,90.00		..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,90.00 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा			
मू.	1,79,17.30	1,99,48.72	1,99,48.72
पु.	20,31.42		..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,31.42 लाख की अतिरिक्त निधियां छात्रवृत्तियां तथा वजीफे के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय-जन जाति क्षेत्र उपयोजना			
मू.	77,87.14	79,54.25	79,50.95
पु.	1,67.11		- 3.30
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,67.11 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[21] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन			
मू.	2,44.93	3,48.15	3,48.40
पु.	1,03.22		+ 0.25
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,03.22 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[29] परम्परागत कृषि विकास योजना			
अ .	0.02	2,08.93	2,08.93
पु .	2,08.91		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,08.91 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(76) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[05] ई.जी.एस. ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से			
अ.	0.01	9,18.00	9,18.00
पु .	9,17.99		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,17.99 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(31) समग्र सहकारिता विकास हेतु सहायता			
मू .	1,84.16	4,98.62	4,98.62
पु .	3,14.46		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,14.46 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा बांसवाडा में समग्र सहकारिता विकास परियोजना शुरू करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) अदर इंटरवेंशन			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
अ .	0.03	11,18.00	11,18.00
पु .	11,17.97		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,17.97 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (राज्यांश)			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण विकास विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	0.02	6,28.00	6,28.00
पु.	6,27.98		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,27.98 लाख की अतिरिक्त निधियां 2015-16 के बजट भाषण में की गई उद्घोषणा की अनुपालना में एडिशनल मेटिरियल कम्पोनेंट हिस्से हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सहायता (कुल प्रावधान का 3%)			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			

मू. 8,39.90

15,16.99

15,16.99

..

पु. 6,77.09

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,77.09 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को अनुदान जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष			
[02] कार्यकलाप /गतिविधियां			

मू. 1,96.25

4,32.70

4,32.70

..

पु. 2,36.45

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,36.45 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			

मू. 72,47.88

2,01,41.79

2,01,41.79

..

पु. 1,28,93.91

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन ₹ 1,28,93.91 लाख की अतिरिक्त निधियां सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12%)			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	33,59.50	45,50.97	45,50.97
पु.	11,91.47		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,91.47 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	7,85.50	23,35.37	23,35.37
पु.	15,49.87		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,49.87 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,37,96.30	2,42,71.81	2,42,71.81
पु.	4,75.51		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,75.51 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्राम पंचायतों हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये)			
मिड-डे मील योजनान्तर्गत सहायता			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	98,55.74	1,01,39.38	1,01,39.42
पु.	2,83.64		
₹ 98,55.74 लाख का प्रावधान सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रति शैक्षणिक दिवस हेतु बनाये गये मिड-डे मील उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमानित किया गया था। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,83.64 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			



**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	0.01		
पु.	2,78.54	2,78.55	..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,78.54 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[02] तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू.आई.डी. परियोजना			
मू.	0.01	2,42.00	..
पु.	2,41.99	2,42.00	..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,41.99 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] जिला कार्यालय			
मू.	2,02.99	3,13.16	+ 0.01
पु.	1,10.17	3,13.17	+ 0.01
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,10.17 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) भामाशाह योजना, 2014			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	27,91.35	29,71.24	..
पु.	1,79.89	29,71.24	..
₹ 27,91.35 लाख का प्रावधान भामाशाह योजना, 2014 के क्रियान्वयन हेतु सरकारी योजनाओं के वित्तीय तथा गैर वित्तीय लाभों को पारदर्शी तरीके से बी.पी.एल., अन्त्योदय तथा अन्नपूर्णा परिवारों के प्रत्येक परिवार की महिला प्रमुख को सीधे हस्तान्तरण हेतु अनुमानित किया गया था। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,79.89 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार की महिला प्रमुख के बैंक खाते में निधियों के हस्तान्तरण तथा भामाशाह नोमिनेशन कार्ड तथा नेट कनेक्टिविटी कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[04] घरेलू गैस पर अनुदान			
मू.	0.01	3,64.31	3,64.31
पु.	3,64.30		..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,64.30 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान घरेलू एल.पी.जी. सहाय्य योजना, 2011 के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर विभाग के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना  
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु

मू.	32,77.05	34,24.79	34,07.67	- 17.12
पु.	1,47.74			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,47.74 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गेहूँ के परिवहन एवं वितरण पर दरों की वृद्धि के कारण बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 17.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

4. निम्न शीर्ष के अन्तर्गत समस्त प्रावधान के अनुपयोजित रहने को देखते हुए प्रावधान का आवर्द्धन अनावश्यक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[07] वितरण			
मू.	0.01	1,09.50	..
पु.	1,09.49		- 1,09.50

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,09.49 लाख की अतिरिक्त निधियां बेमौसमी बारिश तथा तूफान के कारण गेहूँ की गुणवत्ता में कमी के कारण भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में कमी के पश्चात् कृषकों के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, ₹ 1,09.50 लाख का समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. ₹ 7,09,15.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 61,01,52.61 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 61,01,52.58 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	3,71.36		
पु.	- 2,45.85	1,25.51	1,31.30
			+ 5.79

31 मार्च 2016 को ₹ 2,45.85 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 5.79 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

80. सामान्य  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(03) सामान्य भवन (जेल विभाग)  
[02] अन्य भवन

मू.	6,42.48			
पु.	- 6,22.32	20.16	20.16	..

31 मार्च 2016 को ₹ 6,22.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

80. सामान्य  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(04) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)  
[03] पुलिस आधुनिकीकरण योजना

मू.	5,30.97			
पु.	- 5,30.97	..	..	..

31 मार्च 2016 को ₹ 5,30.97 लाख का समस्त प्रावधान योजनान्तर्गत कार्यों का निरस्तीकरण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

80. सामान्य  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(05) न्यायिक भवन (जनजाति क्षेत्र उपयोजना)

मू.	15,81.21			
पु.	- 14,58.09	1,23.12	1,23.12	..

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) सामान्य भवन (आबकारी विभाग)			
मू.	3,53.98		
पु.	- 1,84.51	1,69.47	1,69.47
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 16,42.60 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यो पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) शिक्षक शिक्षा के लिए ब्लॉक संस्थान			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,78.00		
पु.	- 1,78.00	..	..
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,78.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2014-15 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।			
02. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	3,08.90		
पु.	- 1,57.50	1,51.40	1,77.40
			+ 26.00
31 मार्च 2016 को ₹ 1,57.50 लाख का प्रावधान लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यो के कम निष्पादन तथा मशीनरी एवं उपकरणों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 26.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	0.02		
पु.	- 0.02	..	- 2,80.99
			- 2,80.99

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य			
[90] अस्पताल और औषधालय			
मू .	0.02	..	- 2,25.00
पु .	- 0.02		- 2,25.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 5,05.99 लाख का ऋण व्यय राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड से प्राप्त तेरहवें वित्त आयोग के सम्बन्ध में अवशेष राशि के जमा कराने के कारण रहा।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण			
मू .	27,05.69	12,65.00	12,65.00
पु .	- 14,40.69		..
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू .	5,64.87	1,87.50	1,87.50
पु .	- 3,77.37		..
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू .	2,95.00	1,11.50	1,11.50
पु .	- 1,83.50		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 20,01.56 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	14,00.00		
पु.	- 3,92.80		
		10,07.20	8,35.88
			- 1,71.32
₹ 3,92.80 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 1,71.32 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[01] ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
मू.	88,19.16		
पु.	- 47,79.64		
		40,39.52	40,38.72
			- 0.80
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[10] नर्मदा जलप्रदाय योजना (एफ.आर.) (नाबार्ड)			
मू.	6,88.91		
पु.	- 3,77.78		
		3,11.13	3,11.13
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[16] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज- II			
मू.	56,33.55		
पु.	- 34,91.20		
		21,42.35	21,42.35
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[19] नागदा-अंता-बलदेवपुरा जलप्रदाय परियोजना			
मू.	1,70.26		
पु.	- 1,15.70		
		54.56	54.56
			..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[26] नर्मदा-गुढा मलानी जलपूर्ति योजना			
मू.	3,37.20	1,58.05	1,58.04
पु.	- 1,79.15		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[28] राजगढ-बूंगी जलप्रदाय परियोजना			
मू.	8,10.00	4,24.05	4,24.05
पु.	- 3,85.95		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[33] नर्मदा परियोजना (डी.आर.)			
मू.	5,55.79	41.53	41.53
पु.	- 5,14.26		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[35] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फेज-II पार्ट-सी (473 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	3,37.20	..	..
पु.	- 3,37.20		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[60] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू.	10,33.09	4,53.35	4,53.34
पु.	- 5,79.74		

उपरोक्त नौ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 1,07,60.62 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
42 15. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[13] शहरी जलप्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	20,25.00	6,09.14	6,06.14
पु.	- 14,15.86		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[15] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-II			
मू.	33,75.00	18,73.99	18,73.99
पु.	- 15,01.01		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[19] नागदा-अंता-बलदेवपुरा जलप्रदाय योजना			
मू.	2,41.85	70.52	70.51
पु.	- 1,71.33		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[24] राजगढ़-बूंगी जलप्रदाय योजना (शहरी)			
मू.	3,48.06	1,46.63	1,46.63
पु.	- 2,01.43		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[25] इन्द्रोका-मानकलाव-दांतीवाड़ा पेयजल परियोजना (शहरी)			
मू.	2,94.00	1,27.66	1,27.66
पु.	- 1,66.34		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[30] 200 एम.एल.डी. जलशोधन यंत्र, सूरजपुरा (शहरी)			
मू.	7,55.72	3,98.73	3,98.73
पु.	- 3,56.99		



## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[31] शहरी जलप्रदाय योजना, जालौर (शहरी)			
मू.	3,08.00	1,54.00	1,53.99
पु.	- 1,54.00		- 0.01
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	3,00.00	1,89.67	1,89.66
पु.	- 1,10.33		- 0.01
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[45] ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	1,40.00	..	..
पु.	- 1,40.00		..
उपरोक्त नौ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 42,17.29 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम/नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) शहरी जन सहभागी योजना			
मू.	3,37.50	1,56.22	1,56.22
पु.	- 1,81.28		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,81.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आर.ओ.बी.)			
[01] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू.	16,87.50		
पु.	- 2,67.20	14,20.30	14,20.30
31 मार्च 2016 को ₹ 2,67.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. गन्दी बस्तियों का विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु			
मू.	35,10.00		
पु.	- 34,50.82	59.18	59.18
31 मार्च 2016 को ₹ 34,50.82 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[01] जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण			
मू.	3,50.00		
पु.	- 3,50.00	..	..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[02] नहरों का सुदृढीकरण			
मू.	2,00.00		
पु.	- 2,00.00	..	..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[03] जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बन्द पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरुत्थान			
मू.	3,00.00		
पु.	- 3,00.00	..	..

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[01] आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 25,50.00	12,10.00	12,10.00	..
पु. - 13,40.00			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[06] धनुर्विद्या अकादमी की स्थापना			
मू. 2,00.00	..	..	..
पु. - 2,00.00			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[07] सामुदायिक भवनों का निर्माण			
मू. 2,00.00	..	..	..
पु. - 2,00.00			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[08] जनजाति भवन का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 9,00.00	..	..	..
पु. - 9,00.00			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[10] सड़क एवं पुलिया का निर्माण			
मू. 20,86.84	6,42.00	6,42.00	..
पु. - 14,44.84			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.)			
[04] बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू.	4,00.00	1,00.00	1,00.00
पु.	- 3,00.00		..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) माडा क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.)			
[03] जन जाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू.	3,00.00	1,00.00	1,00.00
पु.	- 2,00.00		..
उपरोक्त दस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 54,34.84 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम/नहीं प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[13] स्मारकों का निर्माण			
मू.	1,00.00	..	16.03 + 16.03
पु.	- 1,00.00		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, शीर्षों के अन्तर्गत बिना प्रावधान के ₹ 16.03 लाख का व्यय हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[21] पब्लिक स्कूल भवन निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	14,20.69	4,44.00	4,44.00
पु.	- 9,76.69		..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[23] छात्रावास भवनों में सोलर लाइट व पेयजल सुविधा सहित अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण			
मू.	2,00.00	90.28	90.28
पु.	- 1,09.72		..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[28] धार्मिक स्थलों पर आधारभूत निर्माण कार्य			
मू .	2,00.00		
पु .	- 1,40.06	59.94	59.94
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[31] चिकित्सा भवनों का निर्माण			
मू .	2,00.00		
पु .	- 2,00.00	..	..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(22) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[02] छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू .	1,30.00		
पु .	- 1,30.00	..	..
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 15,56.47 लाख का प्रावधान इन योजनाओं की आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(24) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[01] जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू .	14,46.96		
पु .	- 11,46.96	3,00.00	3,00.00

31 मार्च 2016 को ₹ 11,46.96 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनान्तर्गत निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(27) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रों के छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	5,00.00		
पु.	- 4,96.80	3.20	3.20
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 4,96.80 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र का निर्माण			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	1,55.00		
पु.	- 1,55.00	..	..
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,55.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्त विभाग द्वारा वित्तीय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	26,44.83		
पु.	- 18,89.33	7,55.50	7,55.50
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 18,89.33 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) आंगनबाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	1,95.71		
पु.	- 1,95.71	..	..
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,95.71 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र तथा उपकरण			
मू.	4,84.96	1,48.03	1,48.03
पु.	- 3,36.93		..
₹ 4,84.96 लाख का प्रावधान महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के लिए इस शर्त पर अनुमानित किया गया कि नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मशीनों की खरीद से पहले भवन का निर्माण पूर्ण कर लिया जाना चाहिये। यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 3,36.93 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती तथा फर्मों द्वारा आंशिक/पूर्ण सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	7,94.96	4,97.92	4,92.69
पु.	- 2,97.04		- 5.23
₹ 7,94.96 लाख का प्रावधान जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में 9 नवीन आई.टी.आई. भवनों के निर्माण, कम्प्यूटर लैब का निर्माण तथा प्लम्बर ट्रेड के लिए वर्कशॉप के निर्माण हेतु अनुमानित था, परन्तु 4 आई.टी.आई. के लिए भूमि का आवंटन नहीं किये जाने, निविदाओं की कानूनी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने तथा भूमि के कम आवंटन के कारण 3 आई.टी.आई. के निर्माण कार्य शुरु नहीं किये गये, जैसा कि 1 आई.टी.आई. के लिए फरवरी 2016 में भूमि आवंटित किए जाने के परिणामतः कम व्यय हुआ तथा 31 मार्च 2016 को ₹ 2,97.04 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) तीर्थ यात्रियों के लिए विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य			
मू.	1,20.00	15.09	15.09
पु.	- 1,04.91		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,04.91 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	14,15.00	5,76.21	5,76.21
पु.	- 8,38.79		..
31 मार्च 2016 को ₹ 8,38.79 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] मेवात क्षेत्र का विकास			
मू.	8,10.00	6,23.70	6,23.70
पु.	- 1,86.30		
02. पिछड़े क्षेत्र			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[02] मगरा क्षेत्र का विकास			
मू.	6,75.00	5,25.55	5,25.55
पु.	- 1,49.45		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 3,35.75 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत आरक्षित निधि का उपयोग करने के लिए जल स्वावलम्बन से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष में जिलों से प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	22,95.00	18,95.00	18,95.00
पु.	- 4,00.00		
31 मार्च 2016 को ₹ 4,00.00 लाख का प्रावधान सीमा क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[01] दाईं मुख्य नहर			
मू.	5,05.12	1,14.33	1,14.33
पु.	- 3,90.79		
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[02] बाईं मुख्य नहर			
मू.	3,49.50	1.49	1.49
पु.	- 3,48.01		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 7,38.80 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।



## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	20,38.50	7,30.63	7,30.63
पु.	- 13,07.87		..
31 मार्च 2016 को ₹ 13,07.87 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] नहरों के सुदृढीकरण			
मू.	5,00.99	1,32.00	1,32.00
पु.	- 3,68.99		..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,68.99 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	2,02.50	0.61	0.61
पु.	- 2,01.89		..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,01.89 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदडा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	1,49.00	21.34	21.34
पु.	- 1,27.66		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,27.66 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[01] निष्पादन			
मू.	3,25.50	2,14.45	2,14.46
पु.	- 1,11.05		+ 0.01
31 मार्च 2016 को ₹ 1,11.05 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[03] राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
मू.	24,00.00	18,63.93	18,63.93
पु.	- 5,36.07		
31 मार्च 2016 को ₹ 5,36.07 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	10,00.00	2,28.65	2,28.65
पु.	- 7,71.35		
31 मार्च 2016 को ₹ 7,71.35 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) लघु सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास (मुख्य अभियन्ता, गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता के माध्यम से)			
मू.	3,69.20	1,28.11	1,14.80
पु.	- 2,41.09		
31 मार्च 2016 को ₹ 2,41.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 13.31 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) लघु सिंचाई निर्माण (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	80,51.05	31,38.45	31,38.45
पु.	- 49,12.60		
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(13) जल संग्रहण संरचना (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	14,29.92	69.12	69.12
पु.	- 13,60.80		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 62,73.40 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (बीसलपुर, अजमेर)			
मू.	1,97.00	73.18	73.18
पु.	- 1,23.82		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,23.82 लाख का प्रावधान (i) पक्का जल संग्रहण का निर्माण कम क्षेत्र में निष्पादित हुआ क्योंकि कार्य केवल खेती के पश्चात् ही किया गया तथा जल संग्रहण के निर्माण कार्य के लिए कृषकों के साथ विवाद होने के कारण भी कार्य में रुकावट रही तथा (ii) 27 स्वीकृत पदों में से 20 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,71,24.75	1,54,44.00	1,54,44.00
पु.	- 16,80.75		
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	74,52.00	73,05.66	73,05.66
पु.	- 1,46.34		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 18,27.09 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया, परिणामतः अंश पूंजी में कम निवेश हुआ।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,62,19.93	1,00,03.09	1,00,03.09
पु.	- 62,16.84		
31 मार्च 2016 को ₹ 62,16.84 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,34.20 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 57,82.64 लाख) किया गया, परिणामतः अंश पूंजी में कम निवेश हुआ।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,84,60.85	95,77.56	95,77.56
पु.	- 88,83.29		

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,84,93.53	85,63.97	85,63.97
पु.	- 99,29.56		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 1,88,12.85 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, परिणामतः अंश पूंजी में कम निवेश हुआ।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	10,15.49	6,29.33	6,29.33
पु.	- 3,86.16		
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	10,39.38	3,22.90	3,22.90
पु.	- 7,16.48		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 11,02.64 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	43,00.88	9,44.70	9,44.70
पु.	- 33,56.18		
31 मार्च 2016 को ₹ 33,56.18 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	3,44.07	..	..
पु.	- 3,44.07		

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	1,29.03	..	..
पु.	- 1,29.03	..	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 4,73.10 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

03. राज्य राजमार्ग  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना  
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें

मू.	33,75.00	9,47.10	9,47.10	..
पु.	- 24,27.90			

31 मार्च 2016 को ₹ 24,27.90 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना  
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें  
[07] मिसिंग लिंक परियोजना-॥ (अष्टदशम्)

मू.	5,97.35	2,34.19	2,26.43	- 7.76
पु.	- 3,63.16			

04. जिला तथा अन्य सड़कें  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना  
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें  
[08] सड़क उन्नयन परियोजना (नवदशम्)

मू.	11,06.19	5,77.41	5,61.46	- 15.95
पु.	- 5,28.78			

04. जिला तथा अन्य सड़कें  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना  
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें  
[10] सड़क उन्नयन परियोजना (एकविंशतितमः)

मू.	7,16.81	2,63.88	2,63.87	- 0.01
पु.	- 4,52.93			

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 13,44.87 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण तथा शीर्ष "5054-04-796(06) [07] तथा [08]" के अंतर्गत ₹ 23.71 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	28,67.26	4,78.00	4,78.00
पु.	- 23,89.26		..

31 मार्च 2016 को ₹ 23,89.26 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)  
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)

मू.	2,29.37	..	..	..
पु.	- 2,29.37			

31 मार्च 2016 को ₹ 2,29.37 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(15) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र  
आधुनिकीकरण परियोजना  
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें

मू.	30,97.35	14,19.31	14,19.32	+ 0.01
पु.	- 16,78.04			

31 मार्च 2016 को ₹ 16,78.04 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(15) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र  
आधुनिकीकरण परियोजना  
[02] सड़क सुरक्षा प्रबन्धन

मू.	1,76.99	5.62	5.62	..
पु.	- 1,71.37			

31 मार्च 2016 को ₹ 1,71.37 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,61.94		
पु.	- 1,47.95	1,13.99	1,14.00 + 0.01
31 मार्च 2016 को ₹ 1,47.95 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) हवाई पट्टियों का विस्तार एवं निर्माण			
मू.	3,31.87		
पु.	- 3,09.27	22.60	20.00 - 2.60
31 मार्च 2016 को ₹ 3,09.27 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हवाई पट्टियों का विकास तथा सुधार पर कम व्यय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
05. सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण			
मू.	2,70.00		
पु.	- 2,70.00	..	.. ..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,70.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	7,14.99		
पु.	- 2,62.95	4,52.04	4,52.04 ..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,62.95 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती तथा पैलेस ऑन व्हील के आधुनिकीकरण के लिए कार्यकारी एजेन्सी को निधियों का हस्तान्तरण नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[10] आरोग्य ऑनलाइन			
मू.	1,40.00	10.00	10.00
पु.	- 1,30.00		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,30.00 लाख का प्रावधान कंप्यूटराइजेशन पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[12] स्वान हॉरीजन्टल			
मू.	8,46.60	3,50.00	3,50.00
पु.	- 4,96.60		..
31 मार्च 2016 को ₹ 4,96.60 लाख का प्रावधान कंप्यूटराइजेशन पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[17] सी.एम.आई.एस. (समान प्रबन्धन सूचना सेवा)			
मू.	3,50.00	21.53	21.53
पु.	- 3,28.47		..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,28.47 लाख का प्रावधान कंप्यूटराइजेशन पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] जी. आई. एस.			
मू.	7,12.86	2,21.03	2,21.03
पु.	- 4,91.83		..
31 मार्च 2016 को ₹ 4,91.83 लाख का प्रावधान कंप्यूटराइजेशन पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[24] राज सम्पर्क			
मू.	1,29.80	13.48	13.48
पु.	- 1,16.32		..



**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[30] राजस्थान एकाउण्टेबिलिटी एश्योरेंस सिस्टम (रास)			
मू.	6,04.00	5,00.00	5,00.00
पु.	- 1,04.00		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 2,20.32 लाख का प्रावधान कंप्यूटराइजेशन पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] उदय योजना के अन्तर्गत उधार			
अ.	17,41,21.61	15,90,92.15	15,90,92.14
पु.	- 1,50,29.46		
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] उदय योजना के अन्तर्गत उधार			
अ.	16,12,55.15	14,55,20.63	14,55,20.63
पु.	- 1,57,34.52		
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] उदय योजना के अन्तर्गत उधार			
अ.	16,76,95.87	15,91,09.07	15,91,09.07
पु.	- 85,86.80		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 50,30,72.63 लाख का प्रावधान उदय योजना के अन्तर्गत बिजली कम्पनियों को कर्ज की प्रत्याशा में लिया गया जो प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 3,93,50.78 लाख का प्रावधान उदय योजना के बाँड कम जारी करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(04) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार  
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम

मू.	6,79.48	2,03.81	2,03.81
पु.	- 4,75.67		

31 मार्च 2016 को ₹ 4,75.67 लाख का प्रावधान कर्ज कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[02] 2215-जलपूर्ति और सफाई -01-102			
से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए			
संधारण- प्रतिशतता व्यय (ओ. एण्ड एम.)			
मू.	38,55.90	43,20.37	45,37.88
पु.	4,64.47		
			+ 2,17.51
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,64.47 लाख की अतिरिक्त निधियां इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, उसके विस्तृत कारण तथा ₹ 2,17.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[03] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	2,01.20	3,11.44	3,11.44
पु.	1,10.24		
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[04] बीसलपुर-दूदू जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू.	4,05.60	9,89.10	9,89.10
पु.	5,83.50		
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[05] चुरु-झुन्झुनू जलप्रदाय परियोजना फेज- II (ई.ए.पी.)			
मू.	12,86.07	19,09.23	19,09.23
पु.	6,23.16		
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[07] इन्द्रोका-मानकलाव-दांतीवाडा जलप्रदाय योजना			
मू.	2,02.50	5,17.12	5,17.12
पु.	3,14.62		
			..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[17] चम्बल-भीलवाड़ा जलप्रदाय योजना			
मू .	5,06.20	8,58.70	8,58.70
पु .	3,52.50		
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[20] पोकरण-फलसुंड़ जलप्रदाय परियोजना			
मू .	13,44.00	20,03.02	20,03.02
पु .	6,59.02		
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[22] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू .	10,53.75	17,36.43	17,36.42
पु .	6,82.68		
01. जलपूर्ति			- 0.01
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[25] फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट अजमेर-पीसांगन			
मू .	1,01.41	4,08.78	4,08.78
पु .	3,07.37		
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[30] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय परियोजना			
मू .	1,17.50	2,83.54	2,54.59
पु .	1,66.04		
01. जलपूर्ति			- 28.95
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[31] नावा के 72 गांवों की जलप्रदाय परियोजना			
मू .	13.50	1,71.66	1,71.66
पु .	1,58.16		
01. जलपूर्ति			..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[36] जवाई, पाली-जोधपुर पाइप लाइन परियोजना फेज- II (क्लस्टर परियोजना)			
मू.	2,23.00	6,56.09	6,56.09
पु.	4,33.09		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[37] ब्यावर जवाजा क्लस्टर योजना			
मू.	2,96.64	6,11.95	6,11.94
पु.	3,15.31		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[38] गागरिन जलपूर्ति योजना			
मू.	2,52.70	11,18.24	11,18.23
पु.	8,65.54		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[40] जवाई क्लस्टर परियोजना-II			
मू.	8,93.62	15,52.55	15,52.55
पु.	6,58.93		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[41] बीसलपुर-दूदू परियोजना-चाकसु, फागी एवं बस्सी			
मू.	8,84.45	23,22.50	23,22.49
पु.	14,38.05		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[44] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	12,63.50	38,62.02	38,62.01
पु.	25,98.52		

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[45] नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	1,68.20		
पु.	4,99.85	6,68.05	6,68.04
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[47] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I पार्ट- II			
मू.	2,10.05		
पु.	3,20.19	5,30.24	5,30.24
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[48] बांसवाडा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	7,94.55		
पु.	2,03.49	9,98.04	9,98.03
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[49] बांसवाडा-प्रतापगढ़ जलपूर्ति परियोजना			
मू.	13,27.45		
पु.	11,68.84	24,96.29	24,96.28
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[51] नर्मदा परियोजना-क्लस्टर (डी.आर.)			
मू.	1,00.76		
पु.	3,31.89	4,32.65	4,32.65
			..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[53] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतडी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना			
मू.	8,72.25		
पु.	23,33.06		
		32,05.31	32,05.31
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[55] राजीव गाँधी लिफ्ट कैनाल योजना से बावड़ीकलां खारा एवं जलोडा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	58.91		
पु.	2,92.85		
		3,51.76	3,51.76
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[56] राजीव गाँधी लिफ्ट कैनाल योजना से घटोर, कानासर एवं बाप जलपूर्ति परियोजना			
मू.	47.30		
पु.	3,76.62		
		4,23.92	4,23.92
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[57] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	2,01.64		
पु.	1,41.20		
		3,42.84	3,42.84
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[58] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	3,79.85		
पु.	9,07.89		
		12,87.74	12,87.74
			..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय				
01. जलपूर्ति				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं				
[63] ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना पीलवा सागरी- जम्बेश्वर नगर-आर.जी.एल.सी. से आर.डी.111(राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्र)				
मू.	67.60	2,93.85	2,93.84	- 0.01
पु.	2,26.25			
01. जलपूर्ति				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं				
[68] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II (डीडीपी) ग्रामीण				
मू.	5,07.00	8,12.40	8,12.40	..
पु.	3,05.40			
01. जलपूर्ति				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं				
[70] राजगढ़ पेयजल परियोजना, तहसील पंचपहाड, जिला झालावाड				
अ.	0.01	3,79.50	3,79.50	..
पु.	3,79.49			
उपरोक्त उनतीस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,77,53.75 लाख की अतिरिक्त निधियां ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
01. जलपूर्ति				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं				
[14] चम्बल भीलवाड़ा जलप्रदाय परियोजना				
मू.	4,32.00	8,63.87	8,63.86	- 0.01
पु.	4,31.87			
01. जलपूर्ति				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं				
[28] चुरु-झुंझुनू जलप्रदाय परियोजना फेज- II (शहरी)				
मू.	0.01	3,78.00	3,78.00	..
पु.	3,77.99			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[37] टोक-देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	0.01		
पु.	3,26.99	3,27.00	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[40] चम्बल-भीलवाड़ा जल पूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	3,22.00	4,67.18	- 0.01
पु.	1,45.18	4,67.17	
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[42] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुझुनू, खेतड़ी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना			
मू.	3,76.00	12,26.79	..
पु.	8,50.79	12,26.79	
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,32.82 लाख की अतिरिक्त निधियां शहरी क्षेत्रों में इन योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
अ.	0.02	13,35.15	..
पु.	13,35.13	13,35.15	
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,35.13 लाख की अतिरिक्त निधियां अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[05] हेण्ड-पम्प स्थापना सहित पेयजल योजनाएं			
मू.	7,50.00	15,20.55	..
पु.	7,70.55	15,20.55	



**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[11] खेल छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 0.01	3,00.00	3,00.00	..
पु. 2,99.99			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[12] जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण			
मू. 2,00.00	5,00.00	5,00.00	..
पु. 3,00.00			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[13] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव			
मू. 5,00.00	22,00.00	22,00.00	..
पु. 17,00.00			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[14] राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण			
मू. 0.01	3,75.00	3,75.00	..
पु. 3,74.99			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[16] बाउण्ड्रीवॉल निर्माण तथा मरम्मत			
मू. 0.01	7,40.00	7,40.00	..
पु. 7,39.99			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[19] टी.ए.डी. के अतिरिक्त भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू.	3,50.00	8,00.00	8,00.00
पु.	4,50.00		..
उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 46,35.52 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत आ रही इन योजनाओं के लिये भारत सरकार से अतिरिक्त निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[02] जनजाति के छात्रों/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	27,00.00	33,56.51	34,31.73
पु.	6,56.51		+ 75.22
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,56.51 लाख की अतिरिक्त निधियां जनजाति छात्रों/छात्राओं के छात्रावास भवनों के निर्माण कार्यों में त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 75.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(24) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[02] टी.ए.डी. भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू.	0.01	8,96.90	8,96.90
पु.	8,96.89		..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य			
[05] आश्रम छात्रावासों (छात्रा) का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	10,22.99	14,27.65	14,27.65
पु.	4,04.66		..

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य			
[06] वनबन्धु कल्याण योजना की योजनाओं का क्रियान्वयन			
मू.	3,00.00	6,30.00	6,30.00
पु.	3,30.00		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,31.55 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(27) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[03] महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	85.52	1,90.76	1,90.77
पु.	1,05.24		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,05.24 लाख की अतिरिक्त निधियां महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास भवन निर्माण में त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी ।

4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	2,00.00	3,00.00	3,00.00
पु.	1,00.00		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत नई योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मौजूदा योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[04] सहकारी विभाग के माध्यम से ग्रामीण गोदामों का निर्माण			
मू.	0.01	14,00.00	14,00.00
पु.	13,99.99		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत नई योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मौजूदा योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.) [07] वन विभाग के माध्यम से			
मू .	3,00.00	5,22.26	5,22.26
पु .	2,22.26		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,22.26 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत नई योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मौजूदा योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय 01. वानिकी 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (02) परिभ्रांशित वनों का पुनरारोपण			
मू .	11,91.60	13,37.96	13,36.92
पु .	1,46.36		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,46.36 लाख की अतिरिक्त निधियां श्रमिक दरों में वृद्धि के कारण व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
01. वानिकी 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (16) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू .	10,54.54	17,93.94	17,93.80
पु .	7,39.40		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,39.40 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय 195. सहकारिता में निवेश (05) जनजातियों के लिए सहकारिता समितियों में विनियोजन [03] समग्र सहकारिता विकास हेतु सहायता			
मू .	2,27.52	8,52.55	8,52.55
पु .	6,25.03		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,25.03 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा बांसवाड़ा में समग्र सहकारिता विकास परियोजनाओं के शुरू करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (02) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण [01] निर्माण कार्य	मू. 5,00.00 पु. 5,99.99	10,99.99	10,99.99 ..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों को त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (03) माही नहरी तंत्र का उन्नयन/पुनर्जीवीकरण/आधुनिकीकरण [01] निर्माण कार्य	मू. 10,00.00 पु. 11,08.91	21,08.91	21,08.74 - 0.17
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,08.91 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों को त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
37. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/ उन्नयन / आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) निर्माण कार्य	मू. 15.00 पु. 1,19.81	1,34.81	1,34.69 - 0.12
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,19.81 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/ उन्नयन / आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) निर्माण कार्य	मू. 3,38.00 पु. 4,54.37	7,92.37	7,92.37 ..
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) निर्माण कार्य	मू. 3,00.00 पु. 11,39.40	14,39.40	14,39.40 ..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,93.77 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	4,22.31	65,72.88	65,72.88
पु.	61,50.57		
			..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 61,50.57 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[01] वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर			
मू.	15,59.86	18,95.95	18,88.50
पु.	3,36.09		
			- 7.45
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[02] परियोजनाओं का पुनर्जीवनीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	2,70.00	4,64.55	4,64.55
पु.	1,94.55		
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,30.64 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, उसके विस्तृत कारण तथा शीर्ष "4702-796(04) [01]" के अन्तर्गत ₹ 7.45 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) परियोजनाओं का पुनर्जीवन/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
मू.	13.50	5,51.44	5,51.33
पु.	5,37.94		
			- 0.11
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,37.94 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03. राज्य राजमार्ग 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (09) निजी जन सहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण	मू. 2,31.23 पु. 1,39.01	3,70.24	3,70.24 ..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,39.01 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (05) शहरी सड़कें	मू. 1,13.50 पु. 3,85.69	4,99.19	4,99.20 + 0.01
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,85.69 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें [09] सड़क उन्नयन परियोजना (विंशतितम्)	मू. 52,21.24 पु. 28,34.54	80,55.78	80,00.57 - 55.21
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,34.54 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, उसके विस्तृत कारण तथा ₹ 55.21 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (07) ग्रामीण सड़कें	मू. 1,00,88.50 पु. 12,14.62	1,13,03.12	1,13,09.70 + 6.58
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,14.62 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, उसके विस्तृत कारण तथा ₹ 6.58 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (13) विशेष प्राथमिकता प्राप्त सड़कें	मू. 59.73 पु. 2,10.70	2,70.43	2,70.43 ..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,25.32 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, उसके विस्तृत कारण तथा शीर्ष "5054-04-796(07)" के अन्तर्गत ₹ 6.58 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जन जातीय क्षेत्र की सड़कें )			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू .	16,54.43	18,17.67	18,13.49
पु .	1,63.24		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,63.24 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] बैकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू .	3,85.00	5,38.95	5,38.95
पु .	1,53.95		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,53.95 लाख की अतिरिक्त निधियां कम्प्यूटराइजेशन पर अधिक व्यय के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[32] डाटा सेन्टर और नेटवर्क ऑपरेशन सेन्टर (नोक)			
मू .	5,68.06	16,51.99	16,51.99
पु .	10,83.93		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,83.93 लाख की अतिरिक्त निधियां कम्प्यूटराइजेशन पर अधिक व्यय के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
6425. सहकारिता के लिए कर्ज			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) समग्र सहकारिता विकास परियोजना हेतु उधार			
मू .	0.01	5,86.24	5,86.24
पु .	5,86.23		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,86.23 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा बांसवाड़ा में समग्र सहकारिता विकास परियोजना के प्रारम्भ हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)			
अ .	0.01	62,51.54	62,51.54
पु .	62,51.53		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 62,51.53 लाख की अतिरिक्त निधियां वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार हेतु उपलब्ध करायी गयी।			



**अनुदान संख्या 030 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)			
अ .	0.01		
पु .	62,37.86	62,37.87	..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 62,37.86 लाख की अतिरिक्त निधियां वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार हेतु उपलब्ध करायी गयी।

4. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजना			
मू .	14,68.00	15,36.66	- 45.37
पु .	68.66		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 68.66 लाख की अतिरिक्त निधियां आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 45.37 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[29] छात्रावासों में क्षमता वृद्धि हेतु निर्माण कार्य			
मू .	12,00.00	15,60.95	- 93.84
पु .	3,60.95		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,60.95 लाख की अतिरिक्त निधियां आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 93.84 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या 031 - पुनर्वास एवं सहायता

इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया।

**अनुदान संख्या 032 - नागरिक आपूर्ति**

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3456. सिविल पूर्ति और

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

पूंजी - 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर  
पूंजीगत परिव्यय और

7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,92,84,20	2,92,84,59	2,12,43,35	- 80,41,24
अनुपूरक	39			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
75,07,15				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2	4,03	4,02	- 1
अनुपूरक	4,01			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
1				
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	52,04	73,01	4,13	- 68,88
अनुपूरक	20,97			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
68,88				

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 80,41.24 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 5,34.09 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।

**अनुदान संख्या 032 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से			
[03] उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ			
मू.	21,16.94	18,47.74	18,47.04
पु.	- 2,69.20		
₹ 2,69.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(01) खाद्यान्न संभरण			
[08] राशन कार्डों का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	2,72.00	1,49.89	1,49.89
पु.	- 1,22.11		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,22.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(02) खाद्यान्न वितरण			
[08] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	60,20.00	2,64.16	2,64.16
पु.	- 57,55.84		
31 मार्च 2016 को ₹ 57,55.84 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 31,04.59 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 26,51.25 लाख) किया गया।			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(02) खाद्यान्न वितरण			
[10] बी.पी.एल. व अंत्योदय परिवारों को चीनी वितरण			
मू.	20,40.00	..	..
पु.	- 20,40.00		
₹ 20,40.00 लाख का प्रावधान बी.पी.एल. व अंत्योदय परिवारों को सस्ती दरों पर चीनी वितरण हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 20,40.00 लाख का समस्त प्रावधान चीनी की दरों में वृद्धि न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(07) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[01] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू.	32,59.05	20,54.86	20,54.86
पु.	- 12,04.19		
31 मार्च 2016 को ₹ 12,04.19 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के लिए गेहूँ के वितरण तथा परिवहन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 032 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(07) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु			
मू.	1,26,08.05	1,21,37.96	..
पु.	- 4,70.09		

31 मार्च 2016 को ₹ 4,70.09 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के अतिरिक्त परिवारों को गेहूँ के वितरण तथा परिवहन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] जिला शिकायत निवारण केन्द्र ( एन. एफ. एस. एक्ट)			
मू.	0.14	1,98.10	..
पु.	1,97.96		

31 मार्च 2016 को ₹ 1,97.96 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

102. सिविल पूर्ति योजना  
(04) घरेलू गैस पर अनुदान

मू.	0.01	17,66.00	17,66.00	..
पु.	17,65.99			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,65.99 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

4. निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत में समस्त प्रावधान के अनुपयोजित रहने को देखते हुए प्रावधान का आवर्द्धन अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(01) खाद्यान्न संभरण			
[02] वितरण			
मू.	0.03	5,32.50	..
पु.	5,32.47		- 5,32.50

31 मार्च 2016 को ₹ 5,32.47 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 5,32.50 लाख के समस्त प्रावधान के अनुपयोजित रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

### अनुदान संख्या 033 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2202. सामान्य शिक्षा,  
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,  
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,  
 2230. श्रम तथा रोजगार,  
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और  
 2236. पोषण  
 पूंजी - 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े  
 वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े  
 वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज और  
 6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	58,15,47,55	58,15,47,79	50,07,38,88	- 8,08,08,91
अनुपूरक	24			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	52	4,94	4,64	- 30
अनुपूरक	4,42			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,50,11,36	2,50,11,36	1,06,05,31	- 1,44,06,05
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 8,08,08.91 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 66,76.45 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

### अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

2. वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 90,59.83 लाख, ₹ 1,74,38.54 लाख, ₹ 2,00,06.06 लाख, ₹ 2,33,27.05 लाख तथा ₹ 8,08,08.91 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 3.89 प्रतिशत से 13.89 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचतों के लिए विभिन्न कारण रहे।

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	51,83.01	48,95.21	48,93.91
पु.	- 2,87.80		- 1.30

₹ 2,87.80 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों, खाद्य सामग्री तथा छात्रावासों की मरम्मत पर कम व्यय को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति कम छात्रावास			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	7,82.35	6,67.33	6,67.31
पु.	- 1,15.02		- 0.02

₹ 1,15.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों तथा खाद्य सामग्री पर कम व्यय को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
793. अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			
(01) अनुसूचित जाति उप योजना			
मू.	55,00.00	34,00.39	34,00.39
पु.	- 20,99.61		..

31 मार्च 2016 को ₹ 20,99.61 लाख का प्रावधान अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[04] देवनारायण आदर्श छात्रावास योजना के अन्तर्गत छात्रावासों का संचालन			
मू.	5,95.40	4,80.53	4,80.52
पु.	- 1,14.87		

₹ 1,14.87 लाख की प्रत्याशित बचत छात्रावासों में खाद्य सामग्री पर कम व्यय को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजना ( शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[04] माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन (माध्यमिक शिक्षा विद्यालय)			
मू.	3,46.80	2,22.19	2,22.19
पु.	- 1,24.61		

31 मार्च 2016 को ₹ 1,24.61 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(02) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्तियां तथा वजीफा			
मू.	90,00.00	8,16.15	8,16.01
पु.	- 81,83.85		

31 मार्च 2016 को ₹ 81,83.85 लाख का प्रावधान मुख्यतः छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्रों की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए रोजगार उन्मुखी/स्वरोजगार योजना			
मू.	2,00.00	1,00.00	1,00.00
पु.	- 1,00.00		

31 मार्च 2016 को ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कम आयोजित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(38) निदेशालय विशेष योग्यजन			
[02] विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना हेतु अनुदान (अनुसूचित जाति/जनजाति निगम के माध्यम से)			
मू.	8,00.01	4,92.98	4,92.98
पु.	- 3,07.03		
31 मार्च 2016 को ₹ 3,07.03 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से प्रार्थना पत्रों के अपूर्ण/कम प्राप्त होने तथा लाभार्थियों को भुगतान में विलम्ब के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(40) संभाग मुख्यालय पर मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह निर्माण			
मू.	6,66.07	4,52.35	4,52.35
पु.	- 2,13.72		
31 मार्च 2016 को ₹ 2,13.72 लाख का प्रावधान स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों को अनुदान के कम वितरण के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि इन संस्थाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का सत्यापन जिला कलेक्टरों अथवा जिला कलेक्टर द्वारा नामित अन्य अधिकारी के माध्यम से कराए गए निरीक्षण की रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होने, रिपोर्ट में कमियां तथा कमियों की पूर्ति नहीं हुयी।			
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(10) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] समेकित बाल संरक्षण योजना			
मू.	60,00.00	46,48.43	46,48.43
पु.	- 13,51.57		
31 मार्च 2016 को ₹ 13,51.57 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने, (ii) विभिन्न जिलों में राज्य बाल गृहों के अच्छी तरह संचालन नहीं होने से केन्द्रीय अंशों से इन गृहों को अनुदान कम जारी करने तथा (iii) गैर सरकारी आश्रम गृहों को समय पर पंजीकृत न कराने से अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(05) महिला विकास कार्यक्रम			
[14] महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स			
मू.	5,20.00	2,14.05	2,14.05
पु.	- 3,05.95		
31 मार्च 2016 को ₹ 3,05.95 लाख का प्रावधान वित्तीय सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(12) महिला स्वयं सहायता गुप संस्थान			
मू.	4,52.35	2,85.01	2,85.00
पु.	- 1,67.34		
₹ 1,67.34 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(20) मिशन ग्राम्य शक्ति			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	10,60.00	..	..
पु.	-10,60.00	..	..
₹ 10,60.00 लाख का प्रावधान <i>मिशन ग्राम्य शक्ति योजना</i> हेतु अनुमानित था। यद्यपि, ₹ 10,60.00 लाख का समस्त प्रावधान <i>मिशन ग्राम्य शक्ति योजना</i> के क्रियान्वयन न होने के कारण 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया।			
वर्ष 2014-15 के दौरान भी, ₹ 10,60.01 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[01] संस्थापन व्यय हेतु			
मू.	24,26.24	21,96.58	21,96.03
पु.	- 2,29.66		
₹ 2,29.66 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा ग्राम सभा द्वारा साथिनों का चयन न होने को आरोपित की गयी।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[10] समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम			
मू.	3,99.42	85.95	85.95
पु.	- 3,13.47		
31 मार्च 2016 को ₹ 3,13.47 लाख का प्रावधान समेकित <i>महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम</i> के तहत संविदा पर कार्य कर रहे ग्राम सहभागियों को मानदेय के भुगतान हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) संयुक्त सहायता के लिए अनुदान			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	3,32.50	2,24.61	2,24.61
पु.	- 1,07.89		..

31 मार्च 2016 को ₹ 1,07.89 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से पर्याप्त संख्या में प्रार्थना पत्रों के प्राप्त न होने के कारण विशेष योग्यजनों को अंग उपकरण के वितरण हेतु केम्प आयोजित न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	1,70.30	60.07	60.07
पु.	- 1,10.23		..

31 मार्च 2016 को ₹ 1,10.23 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कम संख्या में प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) निःशक्त कल्याण			
[02] शारीरिक तथा मानसिक पीड़ितों के क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता			
मू.	7,00.00	5,53.82	5,53.82
पु.	- 1,46.18		..

31 मार्च 2016 को ₹ 1,46.18 लाख का प्रावधान स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों को अनुदान के कम वितरण के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि इन संस्थाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का सत्यापन जिला कलेक्टरों अथवा जिला कलेक्टर द्वारा नामित अन्य अधिकारी के माध्यम से कराये गये निरीक्षण की रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होने, रिपोर्ट में कमियां तथा कमियों की पूर्ति नहीं हुई।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[04] बी. पी. एल. परिवारों को जनश्री बीमा योजना हेतु सहायता			
मू.	8,33.87	6,30.53	6,30.53
पु.	- 2,03.34		..

31 मार्च 2016 को ₹ 2,03.34 लाख का प्रावधान गत वर्ष के लाभांश के समायोजन के पश्चात् वर्ष 2015-16 के दौरान जनश्री बीमा योजना में प्रीमियम राशि के कम भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(19) सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/ आपदा, पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के मार्फत सहायता			
मू.	36,00.00	14,99.99	14,99.99
पु.	-21,00.01		..
31 मार्च 2016 को ₹ 21,00.01 लाख का प्रावधान सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/ आपदा तथा पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष से कम सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
104. निक्षेप सम्बद्ध बीमा योजना-सरकारी भविष्य निधि			
(02) प्रावधायी निधि के लेखों का संधारण			
मू.	31,89.87	29,60.64	29,60.43
पु.	- 2,29.23		- 0.21
₹ 2,29.23 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान मंहगाई भत्ते की दरों में अनुमान से कम वृद्धि होने तथा कुछ कर्मचारियों के वेतन का नियमितिकरण न होने के कारण, वेतन तथा भत्तों की अन्तर राशि का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
105. सरकारी कर्मचारी बीमा योजना			
(01) राज्य बीमा विभाग			
मू.	53,72.01	49,18.82	49,18.30
पु.	- 4,53.19		- 0.52
₹ 4,53.19 लाख की प्रत्याशित बचत (i) वर्ष के दौरान मंहगाई भत्तों की दरों में अनुमान से कम वृद्धि होने, (ii) कुछ कर्मचारियों के वेतन का नियमितिकरण न होने के कारण वेतन तथा भत्तों के अन्तर राशि का भुगतान न होने तथा (iii) मंत्रालयिक स्टाफ संवर्ग की संख्या के पुनरीक्षण के पश्चात् पदों में कटौती को आरोपित की गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
107. स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
(01) स्वतन्त्रता सैनिकियों तथा उनके आश्रितों आदि को पेंशन-सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से			
मू.	21,16.81	14,23.58	14,23.55
पु.	- 6,93.23		- 0.03
31 मार्च 2016 को ₹ 6,93.23 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान लाभार्थियों की कम संख्या द्वारा पेंशन आहरित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	30,00,00.00	27,37,62.01	26,83,25.15
पु.	- 2,62,37.99		
			- 54,36.86
₹ 2,62,37.99 लाख की प्रत्याशित बचत पेंशन के कम भुगतान को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
₹ 54,36.86 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	2,50,00.00	2,07,04.82	2,04,04.00
पु.	- 42,95.18		
			- 3,00.82
31 मार्च 2016 को ₹ 42,95.18 लाख का प्रावधान पेंशन के कम भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
₹ 3,00.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[03] मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना			
मू.	4,50,00.00	4,24,18.55	4,18,56.57
पु.	- 25,81.45		
			- 5,61.98
31 मार्च 2016 को ₹ 25,81.45 लाख का प्रावधान पेंशन के कम भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
₹ 5,61.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[05] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	1,64,34.54	1,19,24.47	1,16,40.38
पु.	- 45,10.07		
			- 2,84.09
31 मार्च 2016 को ₹ 45,10.07 लाख का प्रावधान पेंशन के कम भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
₹ 2,84.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[06] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू.	29,31.34	22,64.37	22,22.50
पु.	- 6,66.97		
31 मार्च 2016 को ₹ 6,66.97 लाख का प्रावधान पेंशन के कम भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
₹ 41.87 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[07] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन			
मू.	5,93.50	4,43.85	4,36.62
पु.	- 1,49.65		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,49.65 लाख का प्रावधान पेंशन के कम भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
₹ 7.23 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[05] द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन			
मू.	33,00.00	19,51.58	19,51.58
पु.	- 13,48.42		
31 मार्च 2016 को ₹ 13,48.42 लाख का प्रावधान द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन के कम भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(03) सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से			
[01] मीसा/डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन			
मू.	26,00.00	11,32.25	11,32.21
पु.	- 14,67.75		
₹ 26,00.00 लाख का प्रावधान मीसा/डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन के भुगतान हेतु अनुमानित था, परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्थगन आदेश के कारण पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया रोक दी गयी एवं रोक फरवरी 2016 में हटा दी गयी जिसके परिणामतः वर्ष के दौरान पेंशन का कम भुगतान किया गया तथा 31 मार्च 2016 को ₹ 14,67.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] पोषाहार क्रेष प्रोग्राम			
मू.	2,31,48.31	1,98,96.29	1,98,55.36
पु.	- 32,52.02		
			- 40.93
31 मार्च 2016 को ₹ 32,52.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 40.93 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] एकीकृत बाल विकास योजना			
मू.	1,41,98.10	90,48.04	90,49.75
पु.	- 51,50.06		
			+ 1.71
₹ 51,50.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[10] आई.सी.डी.एस. - IV (विश्व बैंक)			
मू.	10,11.78	3,74.33	3,74.28
पु.	- 6,37.45		
			- 0.05
31 मार्च 2016 को ₹ 6,37.45 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना			
मू.	10,00.01	17.69	17.69
पु.	- 9,82.32		
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 9,82.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[14] मल्टी सेक्टोरियल न्यूट्रिशन प्रोग्राम			
मू.	7,08.56	..	..
पु.	- 7,08.56	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 7,08.56 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[02] ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	4,58,42.04	4,35,86.19	- 8.08
पु.	- 22,55.85		
31 मार्च 2016 को ₹ 22,55.85 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 8.08 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[04] सहयोगिनी को मानदेय			
मू.	72,96.00	67,34.10	+ 1.58
पु.	- 5,61.90		
31 मार्च 2016 को ₹ 5,61.90 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित की गयी जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	9,20.27	10,29.68	..
पु.	1,09.41	10,29.68	..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,09.41 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			



**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम तथा गतिविधियां			

मू. 19,40.42

23,54.87

23,54.88

+ 0.01

पु. 4,14.45

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,14.45 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
104. वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
(03) गरीबों को कानूनी सलाह शुल्क तथा सहायता			

मू. 9,33.72

11,70.02

11,70.01

- 0.01

पु. 2,36.30

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,36.60 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) मई 2015 से 32 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों, राज्य प्राधिकरण, जयपुर और जोधपुर में पदस्थापित वरिष्ठ सिविल जज संवर्ग के पूर्णकालिक सचिवों/उप सचिवों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान, (ii) दिसम्बर 2015 में चयनित 10 वाहन चालकों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान, (iii) तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 35 वैकल्पिक विवाद निराकरण केन्द्रों के संचालन पर हुए कार्यालय व्यय की पूर्ति हेतु तथा (iv) योग्य व्यक्तियों, ट्रायल कैदियों तथा कम महत्व के व्यक्तियों को कानूनी मदद हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जिला स्तरीय कार्यालय महिला अधिकारिता विभाग			
[09] बालिका समृद्धी योजना			

मू. 0.01

1,47.85

1,47.85

..

पु. 1,47.84

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,47.84 लाख की अतिरिक्त निधियां *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना* तथा महिला हेल्पलाइन हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(11) पीड़िता एवं उनके आश्रितों को प्रतिकर			
[01] राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से			

मू. 2,00.00

4,99.97

4,99.97

..

पु. 2,99.97

₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान पीड़ित, भयंकर एवं घृणित अपराध के परिणामस्वरूप घायल अथवा जो जान गंवा चुके उनके आश्रितों तथा जिसे *राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011* के अन्तर्गत पुनर्वास की आवश्यकता है, को क्षतिपूर्ति के उद्देश्य हेतु निधियां उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित किया गया। तत्पश्चात् 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,99.97 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के बारे में जागरूकता के कारण अधिक संख्या में पीड़ितों को लाभ देने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराया गया क्योंकि योजना की क्रियान्विति के कारण अधिक संख्या में पीड़ित आगे आये।

**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(09) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[01] छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास भवन का निर्माण			
मू. 3,00.00			
पु. - 1,07.77	1,92.23	1,92.23	..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,07.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(09) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[02] छात्रों हेतु महाविद्यालय भवन का निर्माण			
मू. 3,00.00			
पु. - 1,52.83	1,47.17	1,47.17	..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,52.83 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रावास भवनों का निर्माण			
मू. 4,00.00			
पु. - 1,69.63	2,30.37	2,30.37	..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,69.63 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[03] अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कार्यालय भवन का निर्माण			
मू. 2,00.00			
पु. - 1,98.69	1.31	1.48	+ 0.17
31 मार्च 2016 को ₹ 1,98.69 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(15) धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र निर्माण			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू .	8,20.32	..	..
पु .	- 8,20.32	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 8,20.32 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(09) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[01] महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवन का निर्माण			
मू .	40,65.00	..	..
पु .	- 40,65.00	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 40,65.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(10) विकलांगता अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों के लिए योजना			
[01] रेम्प एवं लिफ्ट आदि का निर्माण			
मू .	5,49.99	74.77	- 2,14.85
पु .	- 4,75.22	-	- 2,89.62
31 मार्च 2016 को ₹ 4,75.22 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
₹ 2,14.85 लाख का ऋण व्यय एस.आई.पी.डी.ए. योजना से संबंधित अवशेष राशि ₹ 2,89,61,210 जमा कराने के कारण था।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(03) भवन निर्माण			
मू .	4,36.73	42.52	42.52
पु .	- 3,94.21	-	..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,94.21 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4236. पोषण पर पूँजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(08) नाबार्ड पोषित आंगन बाड़ी भवन निर्माण			
मू.	0.01	..	- 2,14.34
पु.	- 0.01		- 2,14.34

₹ 2,14.34 लाख का ऋणव्यय विभिन्न जिला परिषदों द्वारा गत वर्षों की अवशेष राशि जमा कराने के कारण रही।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(09) आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत			
मू.	1,34,76.79	39,83.50	39,83.50
पु.	- 94,93.29		..

31 मार्च 2016 को ₹ 94,93.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 61,90.57 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 33,02.72 लाख) किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(10) आंगनबाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत			
मू.	9,97.35	..	..
पु.	- 9,97.35		..

31 मार्च 2016 को ₹ 9,97.35 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण			
मू.	13,00.00	22,87.07	22,85.57
पु.	9,87.07		- 1.50

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,87.07 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 033 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम			
मू.	9,98.00	21,32.26	21,32.26
पु.	11,34.26		..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,34.26 लाख की अतिरिक्त निधियां आयोजना सीमा में बढ़ोतरी के कारण उपलब्ध करायी गयी।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को हिस्सा पूंजी			
मू.	0.01	11,70.67	11,70.67
पु.	11,70.66		..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,70.66 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को हिस्सा पूंजी हेतु उपलब्ध करायी गयी।

### अनुदान संख्या 034 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

पूंजी - 6245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	23,53,17,75	53,98,22,73	50,47,50,51	- 3,50,72,22
अनुपूरक	30,45,04,98			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				3,44,55,24
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	35	34	- 1
अनुपूरक	34			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				3

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

##### राजस्व

###### दत्तमत

- ₹ 3,50,72.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर 2015 (₹ 30,43,86.00 लाख) तथा मार्च 2016 (₹ 1,18.98 लाख) में मुख्यतः ओलावृष्टि से राहत पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 30,45,04.98 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 3,50,72.22 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 6,16.98 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 5,43,85.52 लाख, ₹ 4,08,26.84 लाख, ₹ 87,46.94 लाख, ₹ 1,27,01.03 लाख तथा ₹ 3,50,72.22 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.12 प्रतिशत से 34.57 प्रतिशत के बीच थी। बचत का कारण मुख्यतः राहत कार्यों पर कम व्यय बताया गया।

### अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
101. आनुग्रहिक राहत			
(11) वृद्ध-असक्त एवं निस्सहाय बच्चों के लिए राहत			
मू.	5,00.00		
अ.	2,00.00	..	- 21.16
पु.	- 7,00.00		- 21.16

सितम्बर 2015 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा सूखा राहत कार्यों पर व्यय हेतु लिया गया ₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि सूखा प्रभावित क्षेत्र में कम राहत कार्यों के निष्पादन के कारण ₹ 7,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

₹ 21.16 लाख का ऋण व्यय गत वर्ष की अवशेष राशि जमा कराने के कारण रहा।

01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(10) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जल पूर्ति			
मू.	70,00.00		
अ.	3,00.00	7,87.91	7,90.17
पु.	- 65,12.09		+ 2.26

सितम्बर 2015 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा सूखा राहत कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 3,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2016 को ₹ 65,12.09 लाख का प्रावधान जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जलापूर्ति पर जिलों द्वारा कम व्यय करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 38,28.61 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 26,83.48 लाख) किया गया।

01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(07) ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति			
मू.	5,00.01		
पु.	- 3,31.78	1,68.23	1,68.23
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(02) परिवहन			
मू.	51,63.47		
पु.	- 46,86.04	4,77.43	4,78.04

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 50,17.82 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के कम निष्पादन किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(08) नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति			
मू .	1,00.00	..	..
पु .	- 1,00.00	..	..
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(03) पशु पोषण केन्द्र			
मू .	26,00.00	..	..
पु .	- 26,00.00	..	..
01. सूखा			
105. पशु चिकित्सा			
(02) औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत			
मू .	9,50.00	..	..
पु .	- 9,50.00	..	..
01. सूखा			
282. लोक स्वास्थ्य			
(02) दवाइयों की पूर्ति			
मू .	5,00.00	..	..
पु .	- 5,00.00	..	..

उपरोक्त चार शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 41,50.00 लाख का समस्त प्रावधान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों का निष्पादन नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

01. सूखा  
104. चारे की पूर्ति  
(06) पशु शिविर/गौशाला

मू .	91,00.00			
अ.	1,28,50.00	2,08,65.18	2,08,64.62	- 0.56
पु .	- 10,84.82			

सितम्बर 2015 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों हेतु लिया गया ₹ 1,28,50.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था ।

31 मार्च 2016 को ₹ 10,84.82 लाख का प्रावधान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के कम निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।



**अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(01) राहत कार्यों पर व्यय			
[08] अन्य विशेष राहत कार्य			
मू.	3,72,90.02		
अ.	1,00.00	..	- 0.01
पु.	- 3,73,90.02		- 0.01

सितम्बर 2015 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा सूखा राहत कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2016 को ₹ 3,73,90.02 लाख का समस्त प्रावधान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,73,90.01 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

₹ 0.01 लाख का ऋण व्यय गत वर्ष की अवशेष राशि जमा कराने के कारण रहा।

- 01. सूखा
- 800. अन्य व्यय
- (01) राहत कार्यों पर व्यय
- [13] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय

मू.	17,00.00			
अ.	20,00.00	64.50	64.50	..
पु.	- 36,35.50			

सितम्बर 2015 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा सूखा राहत कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 20,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2016 को ₹ 36,35.50 लाख का प्रावधान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के कम निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 01. सूखा
- 800. अन्य व्यय
- (01) राहत कार्यों पर व्यय
- [17] कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लगान फसलों के लिए लघु सीमान्त कृषकों को कृषि आदान अनुदान

मू.	1,50,00.00			
पु.	- 92,30.40	57,69.60	57,13.57	- 56.03

**अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(01) राहत कार्यों पर व्यय			
[18] लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान			
मू .	95,00.00		
		14,91.66	14,14.60
पु .	- 80,08.34		- 77.06

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 1,72,38.74 लाख का प्रावधान फसलों के नुकसान के विरुद्ध किसानों से सहायता की मांग कम होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,33.09 लाख की अंतिम बचत जिलों द्वारा अवशेष राशि जमा कराये जाने के कारण रही।

01. सूखा  
800. अन्य व्यय  
(01) राहत कार्यों पर व्यय  
[22] प्रशिक्षण व्यय

मू .	0.01		
अ.	5,00.00	8.76	8.59
पु .	- 4,91.25		- 0.17

सितम्बर 2015 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा सूखा राहत कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2016 को ₹ 4,91.25 लाख का प्रावधान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार कम राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. बाढ़, चक्रवात आदि  
101. अनुग्रहिक राहत  
(13) आवश्यक वस्तुओं एवं भोजन हेतु राहत

मू .	1,10.00		
		1.29	2.10
पु .	- 1,08.71		+ 0.81

02. बाढ़, चक्रवात आदि  
105. पशु चिकित्सा  
(02) औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत

मू .	5,15.00		
		..	..
पु .	- 5,15.00		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 6,23.71 लाख का प्रावधान बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
(02) सड़कों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
मू.	50,00.00		
अ.	3,50.00	37,79.61	40,53.96
पु.	- 15,70.39		+ 2,74.35
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
(05) सर्व रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू.	23,00.01		
अ.	30,00.00	2,60.24	2,61.76
पु.	- 50,39.77		+ 1.52
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(02) पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	5,00.00		
अ.	2,50.00	1,11.64	1,10.73
पु.	- 6,38.36		- 0.91
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/ पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(04) पूर्ण क्षतिग्रस्त झोपड़ी			
मू.	3,00.00		
अ.	1,00.00	2,19.70	2,19.82
पु.	- 1,80.30		+ 0.12
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(05) गंभीर क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	3,00.00		
अ.	50.00	70.19	9.47
पु.	- 2,79.81		- 60.72

**अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(07) गंभीर क्षतिग्रस्त झोंपड़ी			
मू .	2,00.00		
अ .	50.00	0.17	0.17
पु .	- 2,49.83		..
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत सितम्बर 2015 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा बाढ़ राहत कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 38,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक/अनावश्यक था।			
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 79,58.46 लाख का प्रावधान बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
शीर्ष "2245-02-106(02)" के अंतर्गत ₹ 2,74.35 लाख के अंतिम आधिक्य तथा शीर्ष "2245-02-113(05)" के अंतर्गत ₹ 60.72 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर			
कृषि आदान अनुदान			
[01] बाढ़			
मू .	14,00.00		
पु .	- 14,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर			
कृषि आदान अनुदान			
[03] बादल फटना			
मू .	1,00.00		
पु .	- 1,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर			
कृषि आदान अनुदान			
[04] पाला			
मू .	4,00.00		
पु .	- 4,00.00	..	..

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू.	4,00.00	..	..
पु.	- 4,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(05) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों का कृषि अनुदान			
[01] बाढ़			
मू.	10,00.00	..	..
पु.	- 10,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(05) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों का कृषि अनुदान			
[04] पाला			
मू.	3,00.00	..	..
पु.	- 3,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(05) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों का कृषि अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू.	2,80.00	..	..
पु.	- 2,80.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
191. नगर निगम को सहायता			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
192. नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों को सहायता			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
193. नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समान को सहायता			
मू.	1,20.00	..	..
पु.	- 1,20.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
282. लोक स्वास्थ्य			
(02) दवाइयों की पूर्ति			
मू.	4,00.00	..	..
पु.	- 4,00.00	..	..
उपरोक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 47,00.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
122. खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
मू.	18,00.00	5,91.91	..
अ.	4,23.00	5,91.91	..
पु.	- 16,31.09		
सितम्बर 2015 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा बाढ़ राहत कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 4,23.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था ।			
31 मार्च 2016 को ₹ 16,31.09 लाख का प्रावधान बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार कम राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(04) अन्य सहायता			
मू.	1,40,27.71	27.07	..
पु.	- 1,40,00.64	27.07	..

31 मार्च 2016 को ₹ 1,40,00.64 लाख का प्रावधान फसलों के नुकसान के विरुद्ध किसानों से सहायता की मांग कम होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,40,00.63 लाख) किया गया ।

**अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)**

5 उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
109. खराब जल पूर्ति, जल निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
मू .	2,50.00	15,86.10	15,86.10
अ.	50.00		
पु .	12,86.10		
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(08) आंशिक क्षतिग्रस्त घर			
मू .	4,50.00	19,32.57	19,15.04
अ.	2,00.00		
पु .	12,82.57		
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू .	12,00.00	11,50,67.14	11,50,93.42
अ.	7,29,56.94		
पु .	4,09,10.20		
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(05) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों का कृषि अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू .	8,00.00	9,98,84.91	9,98,86.31
अ.	7,26,62.00		
पु .	2,64,22.91		
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
115. भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता			
मू .	0.01	5,22.34	5,22.33
पु .	5,22.33		

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,04,24.11 लाख की अतिरिक्त निधियां तूफान ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों पर बड़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

शीर्ष "2245-02-113(08)" के अंतर्गत ₹ 17.53 लाख की अंतिम बचत तथा शीर्ष "2245-02-114(02) [02]" के अंतर्गत ₹ 26.28 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

### अनुदान संख्या 034 - (समाप्त)

6. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत /पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(06) गंभीर क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू.	2,50.00		
पु.	6,96.19	9,46.19	1,86.42
			- 7,59.77

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,96.19 लाख की अतिरिक्त निधियां बाढ़ राहत कार्यों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 7,59.77 लाख की अंतिम बचत जिलों द्वारा व्यय नहीं करने के कारण रही।

7. **राज्य आपदा मोचन निधि:**—चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-16 से 5 वर्षों के लिये *राज्य आपदा मोचन निधि* को यथावत रखा निधि ब्याज वाली है। निधि से निवेश पर अर्जित आय के साथ निधि में वृद्धि की जायेगी, जो एक अथवा अधिक किशतों में विभक्त की जावे जब तक कि भारत सरकार विपरीत निर्देश जारी न करें यद्यपि कमीशन की अनुसंशा के अनुसार सम्पूर्ण वर्ष के आवंटन का 90 प्रतिशत अंशदान आयोजना भिन्न अनुदान के रूप में भारत सरकार करेगी और शेष राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायगा वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार ने कुल अनुशांसित राशि का 75 प्रतिशत अंशदान किया तथा शेष राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया।

2015-16 के दौरान ₹ 24,81.13 करोड़ (जिसने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के विरुद्ध ₹ 13,78.13 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त भी शामिल है) को जमा करते हुए शीर्ष "2245-05-101-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों में अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि" के नाम की गई तथा प्राकृतिक आपदाओं पर हुए व्यय की राशि ₹ 25,59.75 करोड़ को वर्ष के दौरान निधि से पूरित किया गया।

तेरहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि की अवशेष राशि पर छमाही ब्याज का भुगतान किया जाएगा, यदि राज्य सरकार द्वारा निवेश नहीं किया जाता है। तदनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि पर ₹ 22.17 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान मुख्य शीर्ष 2049 को नामे करते हुए निधि मद 8121 को जमा किया गया। 31 मार्च 2016 को ₹ 2,31.57 करोड़ का शेष (ब्याज सहित) राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अवशेष रहा।

उपरोक्त निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2015-16 के विवरण संख्या 15, 21 तथा 22 में दर्शाया गया है।



## अनुदान संख्या 035 - विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं ,

3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी और

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

पूंजी - 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,

5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश और

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,66,53,64		
अनुपूरक	43,50,57		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	3,10,04,21	2,55,20,76	- 54,83,45
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,32,34,73		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)	3,32,34,73	3,01,31,55	- 31,03,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)			54,81,86

### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 54,83.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 43,50.57 लाख का प्रावधान (i) ब्लाक स्तर एवम् जिला कार्यालय पर *अटल सेवा केन्द्र* के संचालन, (ii) यू.आई.डी. परियोजना तथा (iii) स्टेट डाटा सेन्टर हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 28,24.83 लाख, ₹ 35,25.48 लाख, ₹ 22,43.96 लाख, ₹ 4,49,51.62 लाख तथा ₹ 54,83.45 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 17.69 प्रतिशत से 53.03 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[02] जिला कार्यालय			
मू.	7,45.49		
अ.	12,45.57	13,33.43	13,33.01
पु.	- 6,57.63		- 0.42

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 12,45.57 लाख का प्रावधान ब्लाक स्तर एवम् जिला कार्यालयों पर अटल सेवा केन्द्र के संचालन हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 6,57.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] यू.आई.डी. परियोजना			
मू.	1,80.91		
अ.	11,99.99	8,48.62	8,48.61
पु.	- 5,32.28		- 0.01

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा यू.आई.डी. परियोजना हेतु लिया गया ₹ 11,99.99 लाख का अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 5,32.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[07] स्टेट डाटा सेन्टर			
मू.	0.01		
अ.	15,06.72	..	..
पु.	- 15,06.73		..

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 15,06.72 लाख का प्रावधान भारत सरकार से स्टेट डाटा सेन्टर के लिए निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया जो भारत सरकार से निधियां नहीं प्राप्त होने के कारण 31 मार्च 2016 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[12] स्वान होरीजेंटल			
मू.	12,75.20		
अ.	12,75.20	10,55.00	10,55.00
पु.	- 2,20.20		..

31 मार्च 2016 को ₹ 2,20.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] स्वान वर्टिकल/स्टेट शेयर			
मू.	9,66.44	0.03	0.03
पु.	- 9,66.41		..

31 मार्च 2016 को ₹ 9,66.41 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित की गई। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
203. कम्प्यूटर सेवाएं  
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[25] राज सम्पर्क

मू.	8,70.40	1,71.73	1,71.73	..
पु.	- 6,98.67			

31 मार्च 2016 को ₹ 6,98.67 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
203. कम्प्यूटर सेवाएं  
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[27] ई-डिस्ट्रिक्ट

मू.	3,92.63	..	..	..
पु.	- 3,92.63			

31 मार्च 2016 को ₹ 3,92.63 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
203. कम्प्यूटर सेवाएं  
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[29] नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (कैपेसिटी बिल्डिंग)

मू.	1,74.24	..	..	..
पु.	- 1,74.24			

31 मार्च 2016 को ₹ 1,74.24 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
203. कम्प्यूटर सेवाएं  
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[32] सम्पर्क केन्द्र ऑपरेशन

मू.	4,08.00	..	..	..
पु.	- 4,08.00			

31 मार्च 2016 को ₹ 4,08.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(02) भामाशाह योजना, 2014			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	1,18,38.94	1,09,04.63	- 4.15
पु.	- 9,34.31	1,09,00.48	

₹ 9,34.31 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भामाशाह योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के कम नामांकन के कारण जिलो तथा ब्लाक पर फॉलोअप कैम्प तथा सीडिंग कैम्प आयोजित करने थे किन्तु ई-मित्र को स्थायी केन्द्र घोषित करने के कारण कम कैम्प आयोजित हुए, (ii) बैंकों को लेन देन शुल्क का भुगतान नहीं करने के निर्णय के कारण, (iii) ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होना, (iv) भामाशाह योजना के अन्तर्गत सरकारी स्तर पर त्यौहारों एवम् सेमीनारों का आयोजन नहीं होना तथा (v) ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों के लिए वाहनों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गई।

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

106. भार और माप का विनियमन

मू.	4,08.30	1,45.79	1,46.81	+ 1.02
पु.	- 2,62.51			

₹ 2,62.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 130 पदों के रिक्त रहने तथा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण मानक तुलाएं नहीं खरीदने को आरोपित की गयी क्योंकि कुछ जिलों में फर्मों द्वारा अपूर्ण निविदा प्रस्तुत की गयी।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[04] तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू.आई.डी. परियोजना			
मू.	0.01	11,76.00	11,76.00
अ.	3,98.29		..
पु.	7,77.70		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,77.70 लाख की अतिरिक्त निधियां 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[33] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेन्टर (नोक)			
मू.	1,48.80	6,36.34	6,36.34
पु.	4,87.54		..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,87.54 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
204. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन			
(03) तैरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सांख्यिकी प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु			
मू.	0.13	5,30.11	5,32.05
पु.	5,29.98		+ 1.94
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,29.98 लाख की अतिरिक्त निधियां 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकी एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[02] जिला सांख्यिकी कार्यालय			
मू.	14,74.67	16,53.38	16,53.38
पु.	1,78.71		..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,78.71 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों पर बढे हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

## पूंजी

## दत्तमत

- ₹ 31,03.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 31,04.86 लाख का अभ्यर्षण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) राजस्व आसूचना विभाग			
मू.	1,26.73	..	..
पु.	- 1,26.73		

31 मार्च 2016 को ₹ 1,26.73 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतिमीकरण नहीं होने के कारण समेकित सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना प्रारम्भ नहीं होने के कारण अभ्यर्षित किया गया।

**अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(06) भार एवं माप			
मू.	8,60.00		
पु.	- 7,36.02	1,23.98	1,23.98
			..

31 मार्च 2016 को ₹ 7,36.02 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा माप-तौल मानक प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण पर कार्य कम निष्पादित होने तथा भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय  
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[10] आरोग्य ऑनलाईन

मू.	7,62.15		
पु.	- 7,00.00	62.15	62.15
			..

31 मार्च 2016 को ₹ 7,00.00 लाख का प्रावधान कम्प्यूटराईजेशन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

800. अन्य व्यय  
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[12] स्वान होरीजेंटल

मू.	41,12.05		
पु.	- 19,87.34	21,24.71	21,24.71
			..

31 मार्च 2016 को ₹ 19,87.34 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

800. अन्य व्यय  
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[17] सी.एम.आई.एस. (समान प्रबन्ध सूचना सेवा)

मू.	17,00.00		
पु.	- 16,97.58	2.42	2.42
			..

31 मार्च 2016 को ₹ 16,97.58 लाख का प्रावधान कम्प्यूटराईजेशन पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

800. अन्य व्यय  
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[21] स्वान वरटीकल (स्टेट शेयर)

मू.	3,81.48		
पु.	- 3,81.48	..	..
			..

31 मार्च 2016 को ₹ 3,81.48 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[27] जी. आई. एस.			
मू.	34,62.44	9,08.00	9,08.00
पु.	- 25,54.44		
31 मार्च 2016 को ₹ 25,54.44 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[28] राज सम्पर्क			
मू.	4,37.60	68.69	68.69
पु.	- 3,68.91		
31 मार्च 2016 को ₹ 3,68.91 लाख का प्रावधान कम्प्यूटराईजेशन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[31] ई-ऑफिस			
मू.	15,53.15	13,33.78	13,33.78
पु.	- 2,19.37		
31 मार्च 2016 को ₹ 2,19.37 लाख का प्रावधान कम्प्यूटराईजेशन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[34] राजस्थान एकाउण्टेबिलिटी एश्योरेंस सिस्टम (रास)			
मू.	31,43.00	20,64.25	20,64.25
पु.	- 10,78.75		
31 मार्च 2016 को ₹ 10,78.75 लाख का प्रावधान कम्प्यूटराईजेशन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,96.12 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,82.63 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 035 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(13) इण्डिया स्ट्रैथनिंग स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	2,50.01	1,00.00	1,00.00
पु.	- 1,50.01		

31 मार्च 2016 को ₹ 1,50.01 लाख का प्रावधान (i) एम.ओ.यू. के संशोधित होने एवम् भारत सरकार से निधियां देरी से प्राप्त होने तथा (ii) प्रतिस्पर्धात्मक निविदा में कम दर प्राप्त होने के कारण नवीनीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[26] बैकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू.	18,70.00	25,57.47	25,59.14
पु.	6,87.47		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,87.47 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[36] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेन्टर (नोक)			
मू.	19,89.46	83,21.99	83,21.99
पु.	63,32.53		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 63,32.53 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।



### अनुदान संख्या 036 - सहकारिता

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार और  
2425. सहकारिता  
पूंजी - 4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय,  
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,  
6408. खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज,  
6425. सहकारिता के लिए कर्ज और  
7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,77,24,43	4,77,24,43	4,62,74,34	- 14,50,09
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	14,73	14,71	- 2
अनुपूरक	14,72			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	15,40,86	31,46,61	30,03,37	- 1,43,24
अनुपूरक	16,05,75			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
मू.	18,54.59	17,34.60	- 0.57
पु.	- 1,19.99		

₹ 1,19.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अंतर्विभागीय हस्तांतरण/कुछ कर्मचारियों का विदेश विभाग में पदस्थापन करने, अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा (ii) बकाया मामलों के अंतिमीकरण न होने को आरोपित की गई।

**अनुदान संख्या 036 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) अधीक्षण			
मू.	28,73.57	26,34.54	26,33.51
पु.	- 2,39.03		

₹ 2,39.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अंतर्विभागीय हस्तांतरण/कुछ कर्मचारियों का विदेश विभाग में पदस्थापन करने, अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा (ii) बकाया मामलों के अंतिमीकरण न होने को आरोपित की गई।

101. सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा

मू.	20,41.18	17,46.28	17,45.92	- 0.36
पु.	- 2,94.90			

₹ 2,94.90 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) अंतर्विभागीय हस्तांतरण/कुछ कर्मचारियों का विदेश विभाग में पदस्थापन करने, अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा (ii) बकाया मामलों के अंतिमीकरण न होने को आरोपित की गई।

107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता

(20) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता

मू.	1,26,51.00	1,03,50.00	1,03,50.00	..
पु.	- 23,01.00			

₹ 23,01.00 लाख का प्रावधान गत वर्षों की अवशेष राशि को उपयोग करने के कारण 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित (₹ 7,40.60 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 15,60.40 लाख) किया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतिम दिन अर्थात् 31.3.2015 को योजना की स्वीकृति के परिणामतः वर्ष 2014-15 के दौरान ऋण का वितरण अनुमान से कम किये जाने के कारण वर्ष 2015-16 के लिए ब्याज के भुगतान हेतु क्रेडिट सहकारी समितियों को अनुमानित सहायता पूरी तरह उपयोजित नहीं हो सकी।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(27) ग्राम सेवा सहकारी समिति			
मू.	10,00.01	20,00.00	20,00.00
पु.	9,99.99		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण 2015-16 की उद्घोषणा की अनुपालना में सहकारी समितियों के पूर्व में निर्मित गोदामों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु उपलब्ध करायी गयी।

108. अन्य सहकारी समितियों को सहायता

(07) समग्र सहकारी विकास हेतु सहायता

मू.	7,16.95	12,22.48	12,22.47	- 0.01
पु.	5,05.53			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,05.53 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा बांसवाड़ा जिले में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना शुरू करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 036 - (समाप्त)

### पूँजी

#### दत्तमत

1. ₹ 1,43.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 16,05.75 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6425. सहकारिता के लिए कर्ज			
107. जमा सहकारी समितियों को कर्ज			
(03) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों की खरीद			
[02] ए.आर.सी. की विशिष्ट योजनाओं के ऋण पत्र			
मू. 6,50.00			
पु. - 4,43.17		2,06.83	2,06.83
			..

31 मार्च 2016 को ₹ 4,43.17 लाख का प्रावधान पुनः निवेश राशि के विपरीत नाबार्ड से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,43.09 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,00.08 लाख) किया गया। कुछ मामलों में नाबार्ड ने अपना अंशदान बढ़ा दिया जिसके परिणामतः राज्य सरकार द्वारा कम ऋण जारी किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4425. सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय			
195. सहकारिता में निवेश			
(03) अन्य सहकारी समितियों में निवेश			
[02] समग्र सहकारी विकास हेतु विनियोजन			
मू. 8,68.70			
अ. 6,34.02		16,77.81	16,77.81
पु. 1,75.09			..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,75.09 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा बांसवाड़ा जिले में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना शुरू करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।

6425. सहकारिता के लिए कर्ज
108. अन्य सहकारी समितियों को कर्ज
- (07) स्पिन फेड/ कॉटन कॉम्प्लेक्स को उधार

मू. 0.02			
पु. 1,24.98		1,25.00	1,25.00
			..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,24.98 लाख की अतिरिक्त निधियां स्पिन फेड की गुलाबपुरा तथा हनुमानगढ़ इकाई के कानूनी दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

### अनुदान संख्या 037 - कृषि

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2401. फसल कृषि-कर्म,  
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा और  
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम  
पूंजी - 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,  
6401. फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज और  
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	18,67,92,25	18,67,92,70	15,42,41,54	- 3,25,51,16
अनुपूरक	45			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				3,21,70,19
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,02	1,79	1,77	- 2
अनुपूरक	77			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				2
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,83,25,13	2,83,25,22	1,47,64,22	- 1,35,61,00
अनुपूरक	9			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1,35,42,29

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 3,25,51.16 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 3,80.97 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) संचालन				
मू.	19,91.34	18,04.61	18,04.60	- 0.01
अ.	0.02			
पु.	- 1,86.75			

₹ 1,86.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत स्ट्रैथ में 335 पदों से 304 की कटौती एवं 45 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

**अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
102. खाद्यान्न फसलें			
(01) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[02] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन -दलहन			
मू.	3,98.07		
अ.	0.01	2,97.80	2,97.80
पु.	- 1,00.28		..

31 मार्च 2016 को ₹ 1,00.28 लाख का प्रावधान जिप्सम की टॉप अप सब्सिडी समाप्त करने के बाद जिप्सम की दर में वृद्धि के कारण किसानों से मांग कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

107. वनस्पति रक्षण

(06) नॉन-इन्डेमिक क्षेत्रों में कीट एवं बीमारियों का उन्मूलन

मू.	11,17.03			
पु.	- 1,87.50	9,29.53	9,29.56	+ 0.03

₹ 11,17.03 लाख का प्रावधान कीट, महामारी और बीमारियों के प्रकोप के विरुद्ध जमीनी फसलों की सुरक्षा हेतु वनस्पति सुरक्षा कैमिकल देने के लिए अनुमानित था। इसमें गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं तथा कीटनाशक जांच प्रयोगशालाओं तथा गुण नियंत्रण नमूने के परिचालन व्यय भी शामिल है।

₹ 1,87.50 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः फसलों के लिए अनुकूल मौसम के कारण कीड़ों/बीमारियों के प्रकोप को आरोपित की गयी।

109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण

(13) नवाचार कार्यक्रम/मिनी किट वितरण

मू.	8,68.00			
पु.	- 3,57.77	5,10.23	5,10.22	- 0.01

₹ 8,68.00 लाख का प्रावधान ऐसी गतिविधियों को सम्मिलित करना जो कृषि क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक है तथा जिसके लिये निधियां उपलब्ध नहीं हैं जैसे, आधारभूत विकास, जल बचत की उच्च तकनीकी प्रदर्शन, सरकारी फार्मों पर बीज उत्पादन तथा आर्गेनिक खेती के लिये विकास के पैकेज के अभ्यास तथा मिनिकिट्स का आवंटन हेतु अनुमानित किया गया था।

₹ 3,57.77 लाख की प्रत्याशित बचत रबी बीज मिनिकिट्स के मुफ्त आवंटन के लिए राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।

109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण

(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन

[01] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन

मू.	15,14.00			
अ.	0.02	13,33.05	13,31.77	- 1.28
पु.	- 1,80.97			

₹ 15,14.00 लाख का प्रावधान किसानों को उचित तकनीक और उन्नत खेतीहर अभ्यास का हस्तान्तरण किया जाना संभव किये जाने हेतु अनुमानित किया गया था।

₹ 1,80.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 142 स्वीकृत पदों में से 51 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
114. तिलहन विकास			
(01) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन			
[01] राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन-तिलहन			
मू.	39,29.28	14,13.30	14,13.30
पु.	- 25,15.98		..

₹ 39,29.28 लाख का प्रावधान वृक्षजनित तिलहन तथा तिलहन का उत्पादन बढ़ाने हेतु अनुमानित किया गया था।

31 मार्च 2016 को ₹ 25,15.98 लाख का प्रावधान (i) खरीफ 2015 में तिलहन तथा अरण्डी के बीज की उपलब्धता नहीं होने, (ii) रबी में सरसों के बीज की कम उपलब्धता एवं 13.8.2015 के बाद वर्षा नहीं होने से नमी नहीं होने के कारण तारामीरा के प्रदर्शन का कम आयोजन, (iii) जिप्सम का उपयोग फसल प्रदर्शन में निःशुल्क करने, (iv) संस्थाओं द्वारा लक्ष्य के अनुसार समय पर जिप्सम की आपूर्ति नहीं करने तथा (v) 2014-15 में आयोजित होने वाले *तिलहन किसान मेले* लम्बित रहने पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें  
(02) बागवानी का विकास

मू.	31,91.00	29,22.82	29,11.00	- 11.82
अ.	0.02			
पु.	- 2,68.20			

₹ 2,68.20 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 11.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें  
(25) राष्ट्रीय बागवानी मिशन  
(15% राज्यांश 85% केन्द्रीयंश)

मू.	51,37.38	50,30.53	50,30.53	..
पु.	- 1,06.85			

₹ 51,37.38 लाख का प्रावधान 24 जिलों में बागवानी का एकीकृत विकास हेतु अनुमानित किया गया था।

₹ 1,06.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें  
(26) प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु  
(20% राज्यांश 80% केन्द्रीयंश)

मू.	1,27,61.68	57,43.07	57,41.82	- 1.25
पु.	- 70,18.61			

₹ 1,27,61.68 लाख का प्रावधान जल बचाने तथा अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु *बूंद-बूंद एवम् फव्वारा सिंचाई योजना* को उन्नत करने हेतु अनुमानित किया गया था।

₹ 70,18.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(28) बूंद-बूंद सिंचाई राज्य योजना			
मू.	51,90.00	..	..
पु.	- 51,90.00	..	..

₹ 51,90.00 लाख का प्रावधान जल बचाने तथा अधिक उत्पादन हेतु बूंद-बूंद एवम् फव्वारा सिंचाई योजना को उन्नत करने हेतु अनुमानित किया गया था।

यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 51,90.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 1.23 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 51,88.77 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें  
(37) आटोमेशन पर सहायता

मू.	2,26.50	..	..	..
पु.	- 2,26.50	..	..	..

31 मार्च 2016 को ₹ 2,26.50 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

2014-15 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें  
(38) राष्ट्रीय बम्बू मिशन

मू.	1,64.52	41.51	41.51	..
पु.	- 1,23.01			

31 मार्च 2016 को ₹ 1,23.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(04) जिला स्तरीय संस्थापन व्यय

मू.	43,88.10	38,94.73	38,94.60	- 0.13
पु.	- 4,93.37			

₹ 4,93.37 लाख की प्रत्याशित बचत (i) 957 स्वीकृत पदों में से 267 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में गैर कृषि योग्यता प्राप्त कृषि सहायकों को 1998 से बकाया भुगतान हेतु निधियां अनुमानित की गई थी, का कुछ कार्यालयों द्वारा का आहरण नहीं करने को आरोपित की गयी।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं  
[11] कृषि प्रदर्शन/मिनिकिट्स

मू.	18,22.85	12,99.03	12,99.03	..
पु.	- 5,23.82			

31 मार्च 2016 को ₹ 5,23.82 लाख का प्रावधान खरीफ 2015 में ग्वार सीड की उपलब्धता नहीं होने तथा मानसून देरी से आने एवं जल्दी जाने के कारण फसल प्रदर्शन का आयोजन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[19] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- गेहू			
मू.	27,33.06	9,36.22	9,36.22
पु.	- 17,96.84		

31 मार्च 2016 को ₹ 17,96.84 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने, (ii) कृषि आदानों की दरों का देरी से अनुमोदन, (iii) फसल प्रदर्शन के भौतिक लक्ष्यों को अर्जित करने के बावजूद प्रति प्रदर्शन इकाई लागत कम होने, (iv) पॉलीप्रोपिलिन कैमिकल एवं बायोएजेन्ट घटक में कीट/बीमारियों के प्रकोप ई टी एल से कम होने के कारण प्रावधान का उपयोग नहीं होने, (v) जिप्सम पर टॉपअप सब्सिडी समाप्त करने के बाद जिप्सम की दर में वृद्धि के कारण कृषकों से मांग कम होने तथा (vi) फव्वारा सिंचाई योजना में अन्य योजनाओं की तुलना में कम अनुदान के कारण लाभार्थी किसानों की कम संख्या के कारण अभ्यर्पित किया गया।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं  
[20] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन

मू.	1,08,89.83	81,52.91	81,56.92	+ 4.01
पु.	- 27,36.92			

31 मार्च 2016 को ₹ 27,36.92 लाख का प्रावधान (i) दलहनी फसलों के बीजों की उपलब्धता कम होने के कारण प्रमाणित बीज का कम वितरण, (ii) फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम में अन्य योजनाओं की तुलना में कम अनुदान के कारण लाभार्थी किसानों की संख्या कम रहने, (iii) जिलों में आर एल डी सी द्वारा जून 2015 से जिप्सम की आपूर्ति नहीं किया जाना, (iv) जिलों में आपूर्ति जिप्सम का उपयोग फसल प्रदर्शनों में निःशुल्क करने, (v) कृषि आदानों की दरों का अनुमोदन देरी से होने, (vi) फसल प्रदर्शनों के भौतिक लक्ष्यों को अर्जित करने के बावजूद प्रति प्रदर्शन इकाई लागत कम रहने, (vii) पॉलीप्रोपिलिन कैमिकल एवं बायोएजेन्ट घटक में कीट/बीमारियों का प्रकोप ई टी एल से कम होने के कारण प्रावधान का उपयोग नहीं होने, (viii) जिप्सम पर टॉपअप सब्सिडी समाप्त करने से जिप्सम की दर में वृद्धि होने के कारण कृषकों से मांग कम रहने तथा (ix) सलाहकार एवं तकनीकी सहायक के 96 पदों के विरुद्ध मात्र 23 व्यक्तियों द्वारा कार्य करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 4.01 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं  
[22] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज

मू.	38,43.62	16,82.84	16,82.84	..
पु.	- 21,60.78			

31 मार्च 2016 को ₹ 21,60.78 लाख का प्रावधान (i) मानसून की समय से पूर्व वापसी के कारण बारानी क्षेत्रों में जौ फसल प्रदर्शनों का आयोजन कम होना, (ii) बाजरा, जवार, मक्का एवं जौ फसलों की बीजों की उपलब्धता कम होने के कारण प्रमाणित बीज का कम वितरण, (iii) कृषि आदानों की दरों का अनुमोदन देरी से होने तथा (iv) फसल प्रदर्शनों के भौतिक लक्ष्यों को अर्जित करने के बावजूद प्रदर्शनों पर प्रति इकाई लागत कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[25] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि विस्तार			
मू.	22,47.00	14,14.20	14,13.15
अ.	0.02		
पु.	- 8,32.82		
			- 1.05

31 मार्च 2016 को ₹ 22,47.00 लाख का प्रावधान कृषि विस्तार की पुनर्संरचना तथा सुदृढ़ करने के लिये उचित तकनीक का वितरण सक्षम करने तथा किसानों को कृषि पद्धतियों में सुधार हेतु अनुमानित था।

31 मार्च 2016 को ₹ 8,32.82 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं  
[28] टिकाउ खेती मिशन-बारानी क्षेत्र विकास

मू.	40,22.00	10,23.87	10,23.87	..
पु.	- 29,98.13			

31 मार्च 2016 को ₹ 29,98.13 लाख का प्रावधान पशुओं की कम खरीद तथा मानसून जल्दी जाने के कारण पौधारोपण पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(02) पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय

मू.	2,34,86.22	2,21,18.87	2,21,14.95	- 3.92
पु.	- 13,67.35			

₹ 13,67.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुल 4,978 स्वीकृत पदों में से 2,255 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई तथा (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में गैर कृषि योग्यता प्राप्त कृषि पर्यवेक्षकों को 1998 से बकाया भुगतान हेतु निधियां अनुमानित की गई थी, का कुछ कार्यालय द्वारा आहरण नहीं करने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय  
(23) मिशन फॉर लाइवलिहुड

मू.	53,65.06	35,95.94	35,95.94	..
पु.	- 17,69.12			

31 मार्च 2016 को ₹ 17,69.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

800. अन्य व्यय  
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)  
[01] कृषि विभाग के माध्यम से

मू.	1,81,54.94	1,14,79.69	1,14,56.57	- 23.12
अ.	0.03			
पु.	- 66,75.28			

₹ 66,75.28 लाख की प्रत्याशित बचत (i) नये परियोजनाओं के अनुमोदन के उपरान्त कम मांग, (ii) भारत सरकार द्वारा डिग्गी (जलहॉज) में अनुदानों के कम स्वीकृत होने के कारण किसानों से ऑन लाइन आवेदन कम प्राप्त होने तथा (iii) प्रदेश में सूखे के कारण कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 23.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	34,25.00		
पु.	- 12,05.55	22,19.45	22,06.07
			- 13.38
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	35,10.00		
पु.	- 3,32.89	31,77.11	31,70.96
			- 6.15
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[08] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	5,00.00		
पु.	- 1,82.79	3,17.21	3,17.21
			..
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[17] गोपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	5,00.00		
पु.	- 4,77.76	22.24	22.24
			..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 21,98.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2016)।

शीर्ष " 2401-800(27) [02] तथा [03] " के अन्तर्गत ₹ 19.53 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

800. अन्य व्यय  
(31) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना  
[01] कृषि विभाग के माध्यम से

मू.	58,65.00		
पु.	- 46,08.01	12,56.99	12,52.64
			- 4.35

31 मार्च 2016 को ₹ 46,08.01 लाख का प्रावधान (i) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के पुर्नगठन की कार्यवाही/मार्गदर्शन प्राप्त करने में सम्पूर्ण वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण कम व्यय हुआ तथा (ii) मानसून फेल होने से खरीफ 2015 तथा अप्रत्याशित तापमान का विचलन होने से रबी 2016 में लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(35) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन			
[01] बारानी क्षेत्र विकास			
मू.	3,32.50		
पु.	- 3,02.48	30.02	30.02
			..

31 मार्च 2016 को ₹ 3,02.48 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

800. अन्य व्यय			
(35) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन			
[02] मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	10,90.12		
अ.	0.01	2,13.84	2,13.84
पु.	- 8,76.29		..

31 मार्च 2016 को ₹ 8,76.29 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर कृषि आदानों की अनुपलब्धता को आरोपित की गयी।

2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[02] महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर			
मू.	69,54.98		
पु.	- 1,35.01	68,19.97	68,19.97
			..

31 मार्च 2016 को ₹ 1,35.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[02] बीज एवं रोपण सामग्री			
मू.	0.02		
पु.	1,72.19	1,72.21	1,72.21
			..

भारत सरकार की योजना *राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन* की उप-योजना बीज एवं पौध रोपण सामग्री का बीज गाँव कार्यक्रम वर्ष 2014-15 तक 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना थी, दिनांक 01.04.2015 को राज्य बीज निगम के पास ₹ 1,72.21 लाख अवशेष राशि थी। जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान इस शर्त पर रिवेलिडेट किया गया कि उक्त राशि का राज्यांश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा परिणामस्वरूप 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,72.19 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(32) ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	3,60.00	7,64.80	7,64.80
पु.	4,04.80		
₹ 3,60.00 लाख का प्रावधान किसानों की आय में वृद्धि के लिए उच्च तकनीकी बागवानी की ग्रीन हाउस/शेड्स-नेट्स की स्थापना को उन्नत करने हेतु अनुमानित किया गया था।			
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 4,04.80 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(36) सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	75,15.15	79,36.18	79,36.18
पु.	4,21.03		
₹ 75,15.15 लाख का प्रावधान कृषि क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा को उन्नत करने हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 4,21.03 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[23] राष्ट्रीय तिलहन मिशन -तिलहन			
मू.	14,54.88	22,59.35	22,59.23
पु.	8,04.47		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,04.47 लाख की अतिरिक्त निधियां आर एल डी सी द्वारा जून 2015 से जिलों में जिप्सम की आपूर्ति नहीं करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[26] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	6,64.96	7,86.55	7,82.55
पु.	1,21.59		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,21.59 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त अधिक राशि के लिए कार्य योजना स्वीकृत किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

**अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[31] परम्परागत कृषि विकास योजना			
अ.	0.03		
पु .	14,65.01	14,65.04	14,61.54
			- 3.50

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,65.01 लाख की अतिरिक्त निधियां परम्परागत कृषि विकास योजना लागू करने के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय  
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)  
[04] डेयरी विभाग के माध्यम से

मू .	15,00.00	40,12.04	40,12.04	..
पु .	25,12.04			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,12.04 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृतिदात्री समिति द्वारा डेयरी विभाग की परियोजनाएं अनुमोदित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय  
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)  
[12] राजफैड को सहायता (सहकारी विभाग के माध्यम से)

मू .	10,00.00	33,00.00	33,00.00	..
पु .	23,00.00			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृतिदात्री समिति द्वारा सहकारी विभाग की परियोजनाएं अनुमोदित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय  
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)  
[16] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से

मू .	15,00.00	23,00.00	23,00.00	..
पु .	8,00.00			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृतिदात्री समिति द्वारा विश्वविद्यालय की परियोजनाएं अनुमोदित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय  
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)  
[19] कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के माध्यम से

अ.	0.01	1,06.03	1,06.03	..
पु .	1,06.02			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,06.02 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृतिदात्री समिति द्वारा विश्वविद्यालय की परियोजनाएं अनुमोदित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(37) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
अ.	0.07		
पु .	2,78.96	2,79.03	..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,78.96 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय			
(37) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[03] ई.जी.एस. ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से			
अ.	0.01		
पु .	46,71.99	46,72.00	..

प्रावधान जल बचाने तथा अधिक उत्पादन हेतु बूंद-बूंद एवम् फव्वारा सिंचाई योजना को उन्नत करने हेतु अनुमानित किया गया था।

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 46,71.99 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

4. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[05] कृषि में ई-गवर्नेंस योजना			
मू .	3,59.16		
अ.	0.02	3,65.22	- 3,10.92
पु .	3,16.96	6,76.14	

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,16.96 लाख की अतिरिक्त निधियां एग्रीसनेट परियोजना द्वारा जमा करायी गयी केन्द्रीयशां से सम्बन्धित ₹ 3,10.92 लाख की अवशेष राशि का उपयोग करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, यह राशि अनुपयोजित रही, ₹ 3,10.92 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

### पूँजी

#### दत्तमत

1. ₹ 1,35,61.00 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 18.71 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[05] किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	77,75.00		
पु.	- 58,58.06	19,16.94	18,99.30
			- 17.64

₹ 77,75.00 लाख का प्रावधान पंचायती राज विभाग द्वारा किसान सेवा केन्द्र के निर्माण हेतु अनुमानित था। कुल स्वीकृत राशि में से नाबार्ड द्वारा कार्य प्रारम्भ करने हेतु 20 प्रतिशत मोबीलाइजेशन फंड जारी किया गया तथा 5 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कृषि विभाग द्वारा अंशदान किया गया।

यद्यपि 31 मार्च 2016 को ₹ 58,58.06 लाख का प्रावधान कोषालय द्वारा पंचायत समिति को 25 प्रतिशत अंशदान उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि पंचायती राज विभाग द्वारा समय पर पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण नाबार्ड द्वारा राशि जारी नहीं की गयी।

₹ 17.64 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	22,00.00		
पु.	- 17,30.25	4,69.75	4,69.97
			+ 0.22

31 मार्च 2016 को ₹ 17,30.25 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण कराये जाने वाले कार्यों में निविदा प्रक्रिया में समय लगने तथा वित्त विभाग से देरी से स्वीकृति प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[04] मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू.	20,00.00		
पु.	- 15,75.43	4,24.57	4,24.57
			..

31 मार्च 2016 को ₹ 15,75.43 लाख का प्रावधान नवीन परियोजनाओं के अनुमोदन के उपरान्त बजट की मांग कम होने तथा नये परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[07] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू.	15,00.00		
पु.	- 10,09.76	4,90.24	4,90.24
			..

31 मार्च 2016 को ₹ 10,09.76 लाख का प्रावधान परियोजनाओं के अनुमोदन के उपरान्त बजट की मांग कम होने तथा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
02. भंडारण तथा भांडागार			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) गोदामों का निर्माण			
[01] राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को उधार			
मू.	1,00,00.00	25,00.00	25,00.00
पु.	- 75,00.00		

31 मार्च 2016 को ₹ 75,00.00 लाख का प्रावधान गोदाम निर्माण हेतु भूमि आवंटन में विलम्ब, बेमौसम वर्षा तथा समय पर कार्य पूरा नहीं होने के कारण ठेकेदारों द्वारा बिल समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 32,66.77 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 42,33.23 लाख) किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	10,00.00	15,87.02	15,87.02
अ.	0.01		
पु.	5,87.01		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,87.01 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृतिदात्री समिति द्वारा कृषि विभाग की परियोजनाएं अनुमोदित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय  
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)  
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से

मू.	10,00.02	20,91.48	20,91.48
पु.	10,91.46		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,91.46 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृतिदात्री समिति द्वारा उद्यान विभाग की परियोजनाएं अनुमोदित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय  
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)  
[05] सहकारी विभाग के माध्यम से ग्रामीण गोदामों का निर्माण

मू.	5,00.00	21,00.00	21,00.00
पु.	16,00.00		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृतिदात्री समिति द्वारा सहकारी विभाग की परियोजनाएं अनुमोदित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।



**अनुदान संख्या 037 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[09] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	15,00.00		
		24,54.74	
पु.	9,54.74		
		24,53.46	- 1.28

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,54.74 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृतिदात्री समिति द्वारा वन विभाग की परियोजनाएं अनुमोदित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

### अनुदान संख्या 038 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2402. मृदा तथा जल संरक्षण और  
2702. लघु सिंचाई  
पूंजी - 4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय और  
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहरस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,28,02,33	1,28,02,33	1,18,83,01	- 9,19,32
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				9,12,16
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	1,27	1,25	- 2
अनुपूरक	1,23			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				2

### पूंजी

<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,52,66	2,52,66	1,63,22	- 89,44
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				89,46

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 9,19.32 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 7.16 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- बचत (जो अन्य शीर्षों में हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2402. मृदा तथा जल संरक्षण				
102. मृदा संरक्षण				
(03) पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना (आई फैंड फण्डेड)(एम पॉवर)				
मू.	26,70.57	17,15.14	17,14.94	- 0.20
पु.	- 9,55.43			

₹ 9,55.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

अनुदान संख्या 038 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय			
102. मृदा संरक्षण			
(03) जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य			
मू.	87.07	..	..
पु.	- 87.07	..	..

31 मार्च 2016 को ₹ 87.07 लाख का समस्त प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर द्वारा अजमेर स्थित सरकारी भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए अनुमानित लागत प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

### अनुदान संख्या 039 – पशुपालन एवं चिकित्सा

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2403. पशु-पालन,  
 2404. डेरी विकास,  
 2405. मछली-पालन और  
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा  
 पूंजी – 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4404. डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6403. पशु-पालन के लिए कर्ज और  
 6404. डेयरी विकास के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,93,91,47	5,93,91,47	5,47,94,12	- 45,97,35
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				45,13,93
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,01	81,37	81,37	..
अनुपूरक	80,36			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,79,72	1,93,32	1,49,96	- 43,36
अनुपूरक	13,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				55,01

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 45,97.35 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 83.42 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।

**अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) पशुपालन			
[13] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	3,57.71	1,46.55	1,46.17
पु.	- 2,11.16		
			- 0.38

₹ 2,11.16 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत दवाओं की कम खरीद होने क्योंकि निधियों को प्राथमिकता से खर्च करने हेतु दवाइयों की खरीद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत की गई तथा नवीन मदों पर व्यय हेतु स्वीकृति जारी नहीं करने को आरोपित की गयी।

101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य  
(05) अस्पताल और चिकित्सालय

मू.	3,92,31.20	3,65,14.19	3,64,66.82
पु.	- 27,17.01		
			- 47.37

₹ 27,17.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिकारियों/कर्मचारियों को नवीन संस्थाओं पर स्थानांतरण करने के कारण पद रिक्त रहने, (ii) ए.सी.पी. के मामलों का अंतिमीकरण न होने के परिणामतः वेतन स्थिरीकरण नहीं होने के साथ बकायों का भुगतान न होने, (iii) स्वीकृति देरी से जारी होने के कारण नवीन संस्थाओं हेतु फर्नीचर तथा मशीनरी आदि की खरीद न होने, (iv) उपकरणों की दरों की स्वीकृति में देरी होने से हिंगोनिया गो पुनर्वास केन्द्र तथा बहुउपयोगी पशु चिकित्सालय हेतु उपकरणों की खरीद कम होने, (v) मरम्मत तथा संधारण हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने तथा (vi) टेंडर प्रक्रिया में विलम्ब तथा आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।

₹ 47.37 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य  
(17) पशु रोग नियंत्रण योजना (एस्केड)(1:3)

मू.	2,97.53	1,88.56	1,87.90
पु.	- 1,08.97		
			- 0.66

31 मार्च 2016 को ₹ 1,08.97 लाख का प्रावधान मुख्यतः भारत सरकार से वित्तीय अंशदान की सीमा हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश देरी से प्राप्त होने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्य की रिपोर्ट देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य  
(21) मुख्यमंत्री मोबाइल वेटेनरी यूनिट

मू.	16,97.38	14,60.58	14,56.63
पु.	- 2,36.80		
			- 3.95

31 मार्च 2016 को ₹ 2,36.80 लाख का प्रावधान मुख्यतः आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(23) पी.पी.आर. रोग नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	4,35.05	..	..
पु.	- 4,35.05		
31 मार्च 2016 को ₹ 4,35.05 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
102. पशु तथा भैस विकास			
(20) गोपालन विभाग			
[01] निदेशालय गोपालन			
मू.	3,48.55	1,66.21	1,66.22 + 0.01
पु.	- 1,82.34		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,82.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
102. पशु तथा भैस विकास			
(20) गोपालन विभाग			
[04] वध से बचाये गौ वंश को सहायता			
मू.	5,88.00	1,79.64	1,79.64 ..
पु.	- 4,08.36		
31 मार्च 2016 को ₹ 4,08.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2404. डेरी विकास			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(01) राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ को सहायता			
मू.	8,18.93	3,89.78	3,89.78 ..
पु.	- 4,29.15		
31 मार्च 2016 को ₹ 4,29.15 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(11) पोलिक्लिनिकों की स्थापना			
मू.	3,52.71	4,73.97	4,70.79
पु.	1,21.26		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,21.26 लाख की अतिरिक्त निधियां पदों के भरे जाने के पश्चात् वेतन पर व्यय तथा कर्मचारियों का दो वर्ष का परिवीक्षा पूर्ण होने पर नियमित वेतन तथा भत्तों की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(22) खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	5,35.03	7,09.22	7,08.98
पु.	1,74.19		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,74.19 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार द्वारा फंडिंग पैटर्न में संशोधन करने तथा राज्य सरकार स्तर पर टीकों की खरीद के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
102. पशु तथा भैस विकास			
(16) पशुधन नस्ल सुधार योजना			
[01] स्वयंसेवी सस्थाओं के माध्यम से			
मू.	4,87.25	9,60.00	9,60.00
पु.	4,72.75		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,72.75 लाख की अतिरिक्त निधियां 1,000 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों के खोले जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 13.60 लाख का प्रावधान मत्स्य फार्म के विकास हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 43.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 55.01 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

### अनुदान संख्या 039 - (समाप्त)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4405. मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. अन्तर्देशीय मछली पालन			
(02) मुख्य अभियंता ,जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
[07] मत्स्य फार्म विकास			
मू.	1,79.66		
अ.	13.60	1,38.31	+ 11.65
पु.	- 54.95		

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मत्स्य फार्म के विकास हेतु लिया गया ₹ 13.60 लाख का प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2016 को ₹ 54.95 लाख का प्रावधान जल संसाधन विभाग को वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में निधियां जारी करने के कारण सूरसागर (कोटा) तथा गिलवा (टोंक) पर मत्स्य फार्मों के निर्माण कार्य हेतु निविदाएं वित्तीय वर्ष में प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 11.65 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।



**अनुदान संख्या 040 - राजकीय उपक्रम**

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2852. उद्योग

पूंजी - 4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और

6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहरस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,46,64	1,46,64	1,36,78	- 9,86
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	42,57,02	65,35,20	65,35,19	- 1
अनुपूरक	22,78,18			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
1				

### अनुदान संख्या 041 - सामुदायिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

पूंजी - 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	48,14,89,92	59,96,42,82	57,54,73,99	- 2,41,68,83
अनुपूरक	11,81,52,90			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				2,41,28,95
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1

#### पूंजी

<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,65,06	1,68,66	28,65	- 1,40,01
अनुपूरक	3,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1,42,40

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 2,41,68.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर 2015 (₹ 0.04 लाख) तथा मार्च 2016 (₹ 11,81,52.86 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 11,81,52.90 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 2,41,68.83 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 39.88 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(07) जिला योजना समिति कर्मचारी वर्ग				
मू.	10,07.39	8,57.05	8,57.02	- 0.03
पु.	- 1,50.34			
31 मार्च 2016 को ₹ 1,50.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				

**अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) पंचायतीराज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	7,02.23		
अ.	20,96.67	15,27.07	15,27.07
पु.	- 12,71.83		..

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 20,96.67 लाख का प्रावधान निर्बन्ध कोष के लिए जिला परिषदों को अतिरिक्त अनुदान जारी करने हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2016 को ₹ 12,71.83 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(24) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान  
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां

मू.	2,41,59.60		
अ.	9,39,07.65	11,20,55.89	11,20,55.89
पु.	- 60,11.36		..

₹ 2,41,59.60 लाख का प्रावधान ग्रामीण जनसंख्या के अच्छे रहन-सहन में योगदान के लिए स्वच्छ तथा स्वस्थ राज्य बनाने के लिए अनुमानित था। तत्पश्चात् मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 9,39,07.65 लाख की निधियां सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान हेतु अतिरिक्त अनुदान जारी करने के लिए ली गयी जो शीर्ष में प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक थी। यद्यपि, भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण ₹ 60,11.36 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(25) ग्रामीण बी.पी.एल. आवास  
[01] सामान्य कार्यकलाप/गतिविधियां

मू.	3,22,60.91		
अ.	2,97,32.34	2,97,32.34	2,97,32.34
पु.	- 25,28.57		..

₹ 3,22,60.91 लाख का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए बी.पी.एल. परिवारों को निधियां उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, ₹ 25,28.57 लाख की प्रत्याशित बचत 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित की गई, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)  
[02] कार्यकलाप/ गतिविधियां

मू.	1,70,96.00		
अ.	82,21.04	2,31,59.35	2,31,59.35
पु.	- 21,57.69		..

₹ 1,70,96.00 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के संधारण के लिए पंचायती राज संस्थाओं को उनकी जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए अनुदान हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात्, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 82,21.04 लाख की निधियां उसी उद्देश्य के लिए ली गई जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक थी।

यद्यपि, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निधियां जारी की गई परिणामतः ₹ 21,57.69 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम				
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(09) तदर्थ सहायता				
[01] हैंड पम्प मिस्त्रियों एवं फिटर्स के लिए अनुदान (संस्थापन)				
मू.	68,71.00	17,17.75	17,14.67	
पु.	- 51,53.25			- 3.08
31 मार्च 2016 को ₹ 51,53.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(09) तदर्थ सहायता				
[03] जनता जल योजनान्तर्गत संधारण				
मू.	37,82.05	..	..	
पु.	- 37,82.05	..	..	
31 मार्च 2016 को ₹ 37,82.05 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				
198. ग्राम पंचायतों को सहायता				
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान				
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां				
मू.	12,10,96.70	12,35,16.56	12,35,16.56	
अ.	1,39,27.50			..
पु.	- 1,15,07.64			..
₹ 12,10,96.70 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के संधारण के लिए पंचायती राज संस्थाओं को उनकी जिम्मेदारियों की पूर्ति हेतु अनुदान हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात्, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान ₹ 1,39,27.50 लाख की निधियां उसी उद्देश्य के लिए ली गईं जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक थी।				
यद्यपि, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निधियां जारी की गईं परिणामतः ₹ 1,15,07.64 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित (₹ 16,79.86 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 98,27.78 लाख) किया गया।				
198. ग्राम पंचायतों को सहायता				
(06) राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये) मिड डे मील योजनान्तर्गत सहायता				
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां				
मू.	4,27,08.20	4,21,89.05	4,21,88.79	
पु.	- 5,19.15			- 0.26
₹ 4,27,08.20 लाख का प्रावधान सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रत्येक शिक्षण दिवस पर दोपहर का तैयार भोजन उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, भारत सरकार द्वारा निधियां कम जारी करने के कारण ₹ 5,19.15 लाख की प्रत्याशित बचत 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित की गयी।				

**अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(04) राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम			
[01] मुख्यालय			
मू.	2,40.00	1,35.89	1,35.89
पु.	- 1,04.11		
₹ 1,04.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सहायता ( कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	42,74.00	77,19.78	77,19.78
पु.	34,45.78		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 34,45.78 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(10) पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष  
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां

मू.	28,07.95	82,78.07	82,78.07
पु.	54,70.12		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 54,70.12 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

198. ग्राम पंचायतों को सहायता  
(19) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए विशेष क्षेत्र निष्पादन बुनियादी अनुदान  
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां

मू.	0.01	1,62.62	1,62.62
पु.	1,62.61		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,62.61 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 041 - (समाप्त)**

पूंजी

**दत्तमत**

1. ₹ 1,40.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 1,42.40 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
45 15. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
103. ग्राम विकास			
(01) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] पंचायत समितियों / जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु			
मू .	1,65.06		
अ.	3.60	26.26	+ 2.39
पु .	- 1,42.40		

मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3.60 लाख का प्रावधान पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु लिया गया जो अनावश्यक था।

31 मार्च 2016 को ₹ 1,42.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

## अनुदान संख्या 042 - उद्योग

मुख्य शीर्ष : राजस्व -2040. बिक्री , व्यापार आदि पर कर,

2851. ग्राम तथा लघु उद्योग और

2852. उद्योग

पूंजी - 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,

4885. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,

6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज,

6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज और

6885. उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य कर्ज

			कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>					
<b>दत्तमत</b>					
मूल	1,72,07,23				
अनुपूरक	63,02,88		2,35,10,11	2,31,03,84	- 4,06,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)					
					4,03,21
<b>प्रभारित</b>					
मूल	3				
अनुपूरक	..		3	..	- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)					
					3
<b>पूंजी</b>					
<b>दत्तमत</b>					
मूल	43,77,53				
अनुपूरक	51,02		44,28,55	8,82,27	- 35,46,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)					
					35,07,65
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>					
<b>राजस्व</b>					
<b>दत्तमत</b>					

- ₹ 4,06.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 63,02.88 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।

**अनुदान संख्या 042 - (समाप्त)**

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
102. लघु उद्योग			
(01) हैण्डलूम एवं खादी प्लाजा			
[01] आयुक्त उद्योग विभाग			
मू .	35,00.00	..	..
पु .	- 35,00.00	..	..

31 मार्च 2016 को ₹ 35,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान हैण्डलूम एवं खादी प्लाजा की कार्य योजना का अनुमोदन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



### अनुदान संख्या 043 - खनिज

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2802. पेट्रोलियम और  
 2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग  
 पूंजी - 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर  
 पूंजीगत परिव्यय और  
 6802. पेट्रोलियम के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,69,57,68	3,69,57,68	2,30,70,20	- 1,38,87,48
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1,38,93,40
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	81,20,03	81,20,03	20,40	- 80,99,63
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				80,99,63

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 1,38,87.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,38,93.40 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 58,20.29 लाख, ₹ 82,11.10 लाख, ₹ 25,29.51 लाख, ₹ 94,51.16 लाख तथा ₹ 1,38,87.48 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के कुल बजट की 17 प्रतिशत से 48 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

### अनुदान संख्या 043 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) संचालन एवं अधीक्षण			
मू.	78,89.84		
पु.	- 7,54.70	71,35.14	71,41.76
			+ 6.62

₹ 7,54.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिवर्षिता पर निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने, (ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा वर्ष के दौरान विभागीय शर्तों पर एक्स-रे फ्लोरेसीन (एक्स आर एफ) मशीन की आपूर्ति न करने तथा (iii) ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी पी एस) की खरीद न होने को आरोपित की गयी।

₹ 6.62 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) विभाग द्वारा शुल्क वसूली पर व्यय			
मू.	17,94.01		
पु.	- 1,23.74	16,70.27	16,70.26
			- 0.01

₹ 1,23.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिवर्षिता पर निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) सघन पूर्वक्षण तथा खनिज सर्वेक्षण			
मू.	4,02.87		
पु.	- 1,77.42	2,25.45	2,25.60
			+ 0.15

₹ 1,77.42 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आउटसोर्सिंग आधार के माध्यम से कार्य की दर कम प्राप्त होने के कारण लाइमस्टोन तथा लिग्नाइट में परफोरेशन कार्य हेतु *मशीन मय आदमी* पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को अन्तरण			
(02) लेखा मद 8229-200(09) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन निधि			
मू.	14,00.07		
पु.	- 14,00.07	..	..
			..

₹ 14,00.07 लाख का समस्त प्रावधान खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय सुधार तथा स्वास्थ्य निधि को हस्तांतरण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 14,00.07 लाख का समस्त प्रावधान योजना शुरू न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 043 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से संबंधित व्यय			
[02] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग			
मू.	14,27.00	12,49.65	12,49.65
पु.	- 1,77.35		..

₹ 14,27.00 लाख का प्रावधान जिलाधीशों को सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित के आश्रित को ₹ 1.00 लाख के भुगतान तथा सिलिकोसिस बीमारी से खनन मजदूर की मृत्यु के मामले में ₹ 1.50 लाख नकद तथा पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी को ₹ 1.50 लाख स्थायी जमा हेतु अधिकृत कर अनुमानित किया गया।

यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 1,77.35 लाख का प्रावधान कुछ जिला कलेक्टरों द्वारा समय पर निधियां उपयोग में नहीं लिये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से संबंधित व्यय			
[04] सड़क एवं अन्य सम्बन्धी कार्य			
मू.	1,00,00.00	2,39.01	2,39.01
पु.	- 97,60.99		..

₹ 1,00,00.00 लाख का प्रावधान खनन क्षेत्रों में सुगम यातायात तथा पर्यावरणीय सुरक्षा की शर्तों पर नयी सड़कों के निर्माण तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान सड़कों की मरम्मत के तहत खनन सम्पर्क सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, लोक निर्माण विभाग द्वारा समय पर कार्यों का निष्पादन नहीं किये जाने के कारण 31 मार्च 2016 को ₹ 97,60.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 93,86.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,74.99 लाख) किया गया।

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
800. अन्य व्यय			
(02) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबन्धन एवं तत्संबंधी विकास कार्य			
[01] खान एवं भू-विज्ञान विभाग			
मू.	14,00.07	..	..
पु.	- 14,00.07		..

₹ 14,00.07 लाख का प्रावधान खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रबन्धन तथा संबंधित विकास कार्यों हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 14,00.07 लाख का समस्त प्रावधान योजना शुरू न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 043 - (समाप्त)**

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(03) एच. पी. सी. एल.-राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
मू.	79,80.00	..	..
पु.	- 79,80.00	..	..

₹ 79,80.00 लाख का प्रावधान राज्य में रिफायनरी की स्थापना हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 79,80.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य में रिफायनरी की स्थापना के अंतिमीकरण न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया परिणामतः मूल बजट में आवंटित निधि के विपरीत अंश पूंजी जारी नहीं की गयी।

4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

- 01. खनिज अन्वेषण तथा विकास
- 004. अनुसंधान तथा विकास
- (05) खनिज भवनों का निर्माण

मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..

₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान खनन भवन के निर्माण के लिए भूमि की लीज का अधिग्रहण न लिये जाने के कारण 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 044 - लेखन सामग्री एवं मुद्रण

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण

पूंजी - 4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	32,43,17	32,43,17	29,63,83	- 2,79,34
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
<b>2,77,45</b>				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
<b>1</b>				
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,46,01	1,46,01	1,20,76	- 25,25
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				
<b>25,25</b>				

**टिप्पणी तथा टीका:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण				
103. सरकारी मुद्रणालय				
मू.	30,91.67	28,10.98	28,09.08	- 1.90
पु.	- 2,80.69			

₹ 2,80.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 47 पदों के रिक्त रहने, (ii) वर्ष के दौरान समयोपरि राशि के भुगतान की स्वीकृति जारी नहीं होने तथा (iii) निविदाओं के निरस्त होने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 045 - राज्य कर्मचारियों को ऋण  
(समस्त दत्तमत)**

मुख्य शीर्ष : पूंजी - 7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूंजी				
मूल	9			
		9	..	- 9
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				9

### अनुदान संख्या 046 - सिंचाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2700. मुख्य सिंचाई,  
 2701. मध्यम सिंचाई और  
 2702. लघु सिंचाई  
 पूंजी - 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और  
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहरस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	18,97,85,49	18,99,33,50	18,12,20,88	- 87,12,62
अनुपूरक	1,48,01			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1,31,32,55
<b>प्रभारित</b>				
मूल	10	23,96	23,86	- 10
अनुपूरक	23,86			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				9
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	11,61,99,75	11,61,99,79	8,67,71,86	- 2,94,27,93
अनुपूरक	4			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				2,91,01,65
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2	49	48	- 1
अनुपूरक	47			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 87,12.62 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,31,32.55 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- ₹ 87,12.62 लाख की अंतिम बचत के सन्दर्भ में, ₹ 1,48.01 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से, सितम्बर 2015 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,48.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था।

### अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) दाहिनी मुख्य नहर			
[01] मुख्य नहर एवं शाखाएं (सिंचित क्षेत्र विकास कोटा के माध्यम से)			
मू.	4,12.20		
पु.	- 1,09.35	3,02.85	3,02.85

₹ 1,09.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) मुख्य अभियंता, जल संसाधन, जयपुर के माध्यम से (कोटा बैराज)			
[01] दाहिनी मुख्य नहर से स्थानान्तरित प्रोरेटा			
मू.	1,08.70		
पु.	- 1,08.70	..	..

31 मार्च 2016 को ₹ 1,08.70 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सिंचाई योजनाएं (भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय)			
[01] सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य			
मू.	76,31.19		
पु.	- 1,78.04	74,53.15	71,45.15

31 मार्च 2016 को ₹ 1,78.04 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 3,08.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल को अग्रिम			
[01] अन्य रखरखाव व्यय			
मू.	76,31.19		
पु.	- 1,78.04	74,53.15	74,53.15

31 मार्च 2016 को ₹ 1,78.04 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।



**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) इंदिरा गाँधी नहर कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से			
[01] राजस्व कर्मचारी वर्ग			
मू.	4,02.06		
पु.	- 1,15.36	2,86.70	2,87.46 + 0.76
31 मार्च 2016 को ₹ 1,15.36 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) इंदिरा गाँधी नहर कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से			
[02] अनुरक्षण व्यय			
मू.	11,33.74		
पु.	- 1,72.11	9,61.63	9,61.69 + 0.06
₹ 1,72.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) द्वितीय चरण			
[01] मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	19,62.95		
पु.	- 1,72.67	17,90.28	17,89.18 - 1.10
₹ 1,72.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कर्मचारियों के चयनित ग्रेड बकाया के बिलों का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(07) मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
[01] कार्य प्रभारित स्थापना			
मू.	31,76.37		
पु.	- 2,37.63	29,38.74	29,38.74 ..
₹ 2,37.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों को चयनित ग्रेड स्केल की स्वीकृति जारी नहीं होने को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	4,63,69.79	4,59,61.10	4,56,80.96
पु.	- 4,08.69		
31 मार्च 2016 को ₹ 4,08.69 लाख का प्रावधान का अभ्यर्पण तथा ₹ 2,80.14 लाख की अंतिम बचत कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण रही ।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य व्यय			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) के माध्यम से			
मू.	5,74.28	4,59.93	3,75.84
पु.	- 1,14.35		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,14.35 लाख का प्रावधान का अभ्यर्पण तथा ₹ 84.09 लाख की अंतिम बचत कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण रही ।			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	8,64.57	7,64.57	..
पु.	- 1,00.00		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	2,28,59.72	2,22,70.15	2,23,22.49
पु.	- 5,89.57		
31 मार्च 2016 को ₹ 5,89.87 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक हुआ जिसके परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 52.34 लाख का अंतिम आधिक्य रहा ।			
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) राजस्व कर्मचारी वर्ग			
मू.	4,03.52	3,00.46	3,00.20
पु.	- 1,03.06		
₹ 1,03.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) राजस्थान में रखरखाव			
[02] कार्य प्रभारित स्थापना			
मू.	5,60.00	4,53.29	4,53.19
पु.	1,06.71		
			- 0.10
31 मार्च 2016 को ₹ 1,06.71 लाख का प्रावधान कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी का कम भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[01] निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	25,36.02	21,07.04	21,05.87
पु.	- 4,28.98		
			- 1.17
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[02] अधीक्षण			
मू.	14,51.72	11,31.16	11,30.95
पु.	- 3,20.56		
			- 0.21
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[03] निष्पादन			
मू.	90,10.22	65,81.00	65,77.51
पु.	- 24,29.22		
			- 3.49
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 31,78.76 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
80. सामान्य			
005. सर्वेक्षण			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[02] निष्पादन			
मू.	20,28.43	17,28.77	17,28.53
पु.	- 2,99.66		
			- 0.24
₹ 2,99.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
006. गुण नियंत्रण			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर			
[01] अधीक्षण			
मू.	4,29.05		
अ.		2,90.31	2,90.31
पु.	- 1,38.74		..

₹ 1,38.74 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) उपनिवेशन योजनाएँ			
मू.	17,85.30		
पु.	- 2,86.11	14,99.19	14,99.15
			- 0.04

₹ 2,86.11 लाख की प्रत्याशित बचत सेवानिवृत्ति /स्थानान्तरण के बाद पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य			
[01] निदेशन			
मू.	61,96.10		
पु.	- 8,11.85	53,84.25	53,84.24
			- 0.01

₹ 8,11.85 लाख की प्रत्याशित बचत मजदूरी पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] शीर्ष 2701-80-सामान्य से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	10,51.97		
पु.	- 1,27.84	9,24.13	9,45.16
			+ 21.03

31 मार्च 2016 को ₹ 1,27.84 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक हुआ जिसके परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 21.03 लाख का अंतिम आधिक्य रहा।

**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(05) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
[01] मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग के माध्यम से			
मू.	24,84.00	9,46.01	9,45.16
पु.	- 15,37.99		
₹ 15,37.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
799. उचन्त			
(02) भाखरा व्यास प्रबंधक मण्डल			
मू.	1,10.00	1,10.00	2,50.15
₹ 1,40.15 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) लुणकरणसर लिफ्ट (कंवरसेन लिफ्ट) योजना का प्रवर्तन व अनुरक्षण व्यय (मुख्य अभियंता, इ.गा.न.परियोजना, बीकानेर के माध्यम से)			
[02] प्रवर्तन व अनुरक्षण व्यय			
मू.	31,29.70	35,19.34	35,19.32
पु.	3,89.64		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,89.64 लाख का अतिरिक्त प्रावधान नहरों के तीन समूहों में से दो समूहों में जल की निरंतर आपूर्ति होने के कारण विद्युत् प्रभार पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) इंदिरा गांधी नहर परियोजना कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक ( मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[04] जल उपभोक्ता संगमों को जल प्रभार की वापसी			
मू.	1,50.00	4,70.08	4,70.07
पु.	3,20.08		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,20.08 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) इंदिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब हिस्सा)			
मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर ) विभाग			
के माध्यम से			
मू .	3,60.00	4,60.00	..
पु .	1,00.00		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्षा काल में बांध में से बहकर नहरों में आने वाले केली प्लांट्स की सफाई हेतु उपलब्ध करवाई गई।			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(02) माधोपुर व्यास लिंक			
[01] अन्य रखरखाव व्यय			
मू .	75.00	2,99.26	..
पु .	2,24.26		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,24.26 लाख की अतिरिक्त निधियां पंजाब में माधोपुर व्यास लिंक के विशेष रखरखाव कार्य के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) रखरखाव और मरम्मत (राजस्थान भाग)			
[01] अन्य रखरखाव व्यय			
मू .	30.00	1,99.82	..
पु .	1,69.82		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,69.82 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016) ।			
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) बजट शीर्ष 2701-80 से स्थानान्तरित			
आनुपातिक व्यय			
मू .	29.23	23.90	+ 1,43.08
पु .	- 5.33		
₹ 1,43.08 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016) ।			

**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(02) पंजाब सरकार को देय अंशदान			
[01] अन्य रखरखाव व्यय			
मू.	80.00		
पु.	1,67.01	2,47.01	2,47.01

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,67.01 लाख की अतिरिक्त निधियां पंजाब में बीकानेर नहर के विशेष रखरखाव कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2701. मध्यम सिंचाई			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	5,08.83		
पु.	2,50.92	7,59.75	7,53.46

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,50.92 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमान से कम हुआ जिसके परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 6.29 लाख की अंतिम बचत रही।

2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(03) लिफ्ट सिंचाई योजना			
मू.	3,51.55		
पु.	4,12.33	7,63.88	7,63.88

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,12.33 लाख की अतिरिक्त निधियां जल प्रभार तथा बिजली पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन/कटौती अत्यधिक/अनावश्यक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव एवं मरम्मत			
(03) बाई मुख्य नहर			
[04] अन्य इकाईयों को स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	8.95		
पु.	1,27.25	1,36.20	13.60

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,27.25 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 1,22.60 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(03) अन्य व्यय			
मू .	45,46.91		
पु .	- 29,62.18		
	15,84.73	48,35.72	+ 32,50.99

31 मार्च 2016 को ₹ 29,62.18 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक हुआ जिसके परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 32,50.99 लाख का अंतिम आधिक्य हुआ।

03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)

800. अन्य व्यय

(01) अन्य व्यय

[01] पूंजी लेखे पर ब्याज

मू .	15,84.73		
पु .	- 15,84.73		
	..	15,84.73	+ 15,84.73

31 मार्च 2016 को ₹ 15,84.73 लाख का समस्त प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन नहीं होने की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन कार्य परिव्यय के अनुसार किया गया जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 15,84.73 लाख का व्यय प्रावधान के बिना प्रदर्शित रहा।

**5. उचन्त लेन-देन:** "उचन्त" लेन-देनों की प्रकृति विनियोग लेखे के अनुदान संख्या "019- लोक निर्माण कार्य" के राजस्व अनुभाग के नीचे टिप्पणी (3) में स्पष्ट की गयी है।

2015-16 में अनुदान के राजस्व अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
(₹ लाख में)				
<b>राजस्व *</b>				
स्टॉक	(+ 5,08.33	1,45.23	1,64.54	(+ 4,89.02
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+ 2,89.03	1,06.66	1,15.44	(+ 2,80.25
<b>योग</b>	<b>(+ 7,97.36</b>	<b>2,51.89</b>	<b>2,79.88</b>	<b>(+ 7,69.27</b>

\* इसमें मुख्य शीर्ष 2700 तथा 2701 के उचन्त लेन-देन सम्मिलित हैं।



## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

### पूंजी

#### दत्तमत

1. ₹ 2,94,27.93 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 3,26.28 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
2. वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 1,71,26.35 लाख, ₹ 2,28,96.72 लाख, ₹ 2,79,18.12 लाख, ₹ 2,11,68.34 लाख तथा ₹ 2,94,27.93 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 18.16 प्रतिशत से 28.22 प्रतिशत के बीच थी। 2011-15 के दौरान बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण बतायी गयी। 2015-16 के दौरान बचत हेतु विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[01] मुख्य नहर			
मू.	40,00.00	1,17.09	1,17.09
पु.	- 38,82.91		
31 मार्च 2016 को ₹ 38,82.91 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[03] मुख्य शीर्ष 2700 दाहिनी मुख्य नहर से (क्षेत्रीय विकास आयुक्त चम्बल के माध्यम से) स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	2,00.78	10.98	10.98
पु.	- 1,89.80		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,89.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[10] जल निकास			
मू.	6,01.00	3,93.85	3,93.85
पु.	- 2,07.15		
31 मार्च 2016 को ₹ 2,07.15 लाख का प्रावधान नहरों से जुड़ी नालियों की सफाई तथा मरम्मत के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[14] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	88,81.92	30,24.85	30,24.84
पु.	- 58,57.07		- 0.01

31 मार्च 2016 को ₹ 58,57.07 लाख की प्रत्याशित बचत को अभ्यर्पित (₹ 15,02.60 लाख) एवं अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 43,54.57 लाख) करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाईं मुख्य नहर)			
[05] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	37,75.00	24.45	24.45
पु.	- 37,50.55		..

31 मार्च 2016 को ₹ 37,50.55 लाख की प्रत्याशित बचत को अभ्यर्पित (₹ 22,32.98 लाख) एवं अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 15,17.57 लाख) करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[01] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	47,01.54	40,66.27	40,62.44
पु.	- 6,35.27		- 3.83

₹ 6,35.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अतिरिक्त मुख्य अभियंता, निरीक्षण, गुण नियंत्रण एवं नियमितीकरण, बीकानेर का मद अन्य शीर्षों को स्थानान्तरित होने, (ii) चयनित वेतनमान श्रृंखला के बकाया का आहरण नहीं किये जाने, (iii) ठेकेदार द्वारा परियोजना की प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने से नियम एवं शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं किया गया, (iv) राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण नियंत्रण तथा आंकड़े अधिग्रहण प्रणाली (एस.सी.ए.डी.ए.) के लिए निविदा की स्वीकृति नहीं मिलने तथा (v) इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन विभाग के वार्षिक निर्माण कार्य योजना के माध्यम से करने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[19] गुरु जम्भेश्वर जलोत्थान योजना (फ्लौदी लिफ्ट योजना)			
मू.	4,25.14		
		3,07.44	3,07.41
पु.	- 1,17.70		- 0.03

₹ 1,17.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन विभाग के वार्षिक निर्माण कार्य योजना के माध्यम से करने को आरोपित की गयी।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(02) द्वितीय चरण  
[25] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना,  
जैसलमेर के माध्यम से

मू.	39,43.69		
		33,58.08	33,51.72
पु.	- 5,85.61		- 6.36

₹ 5,85.61 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 94 स्वीकृत पदों में से तकनीकी संवर्ग, सहायक/कनिष्ठ अभियंताओं के 64 पदों के रिक्त रहने से निर्माण कार्य बाधित होने, (ii) अभियांत्रिकी शाखा से मशीनों के भुगतान हेतु बिल समय पर प्रस्तुत नहीं करने तथा (iii) रामगढ़ ओपन माईनर के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किए जाने से पी सी सी ब्लॉक का उपयोग नहीं किए जाने को आरोपित की गयी।

₹ 6.36 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत  
सरकार से प्राप्त राशि  
[01] चौधरी कुम्भाराम आर्य जल उत्थान योजना  
(नोहर सावा लिफ्ट योजना)

मू.	40,00.00		
		..	..
पु.	- 40,00.00		..

31 मार्च 2016 को ₹ 40,00.00 लाख का प्रावधान फव्वारा प्रणाली परियोजना के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.03 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 39,99.97 लाख) किया गया।

2014-15 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत  
सरकार से प्राप्त राशि  
[02] पन्ना लाल बारूपाल जल उत्थान योजना  
(गजनेर लिफ्ट योजना)

मू.	10,00.00		
		..	..
पु.	- 10,00.00		..

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
[03] डा. करणीसिंह जल उत्थान योजना (कोलायत लिफ्ट योजना)			
मू.	20,00.00	..	..
पु.	- 20,00.00	..	..
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
[04] गुरु जम्भेश्वर जल उत्थान योजना (फलौदी लिफ्ट योजना)			
मू.	10,00.00	..	..
पु.	- 10,00.00	..	..
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
[07] जयनारायण व्यास जल उत्थान योजना पोकरण लिफ्ट योजना)			
मू.	9,99.97	..	..
पु.	- 9,99.97	..	..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 49,99.97 लाख का प्रावधान *फव्वारा प्रणाली परियोजना* के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2014-15 में भी शीर्ष 4700-04-001(03)[03] में समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[01] विस्तार, नवीनीकरण व आधुनिकीकरण			
मू.	24,73.98	14,65.95	14,54.80
पु.	- 10,08.03		- 11.15

31 मार्च 2016 को ₹ 10,08.03 लाख का प्रावधान नहरों में पानी की लगातार आवक के कारण पर्यावरणीय संसाधन प्रबंधन (ई.आर.एम.) कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 11.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[02] सेम निवारण कार्य			
मू.	5,00.00		
पु.	- 2,50.44	2,49.56	2,49.56
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,50.44 लाख का प्रावधान सफाई कार्य हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[05] सोलर पावर प्लांट			
मू.	25,00.00		
पु.	- 17,20.00	7,80.00	7,80.00
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 25,00.00 लाख का प्रावधान इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजस्थान राज्य अक्षय उर्जा निगम (आर.आर.ई.सी.) के द्वारा 2 मेगावाट का सौर उर्जा संयंत्र लगाने हेतु अनुमानित किया गया। यद्यपि, आर.आर.ई.सी. द्वारा केवल ₹ 7,80.00 लाख की मांग की गई क्योंकि निविदा प्रक्रिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत आमंत्रित की गयी थी परिणामस्वरूप 31 मार्च 2016 को ₹ 17,20.00 लाख अभ्यर्पित किये गये।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(08) मुख्य नहर (कि.मी. 74 से कि.मी. 189 तक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[01] विस्तार, नवीनीकरण व आधुनिकीकरण			
मू.	4,60.00		
पु.	- 1,43.97	3,16.03	3,14.80
			- 1.23
31 मार्च 2016 को ₹ 1,43.97 लाख का प्रावधान नहरों में पानी की लगातार आवक के कारण पर्यावरणीय संसाधन प्रबंधन (ई.आर.एम.) कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
799. उंचत			
(02) द्वितीय चरण			
[01] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	44,12.25		
पु.	- 8,74.97	35,37.28	35,37.52
			+ 0.24
31 मार्च 2016 को ₹ 8,74.97 लाख का प्रावधान उंचत लेखे के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
799. उंचत			
(02) द्वितीय चरण			
[05] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू .	2,05.35		
पु .	- 1,31.63	73.72	73.72
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,31.63 लाख का प्रावधान उंचत लेखे के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] पंजाब में इंदिरा गांधी फीडर और सम्बन्धित निर्माण कार्य पर व्यय ( मुख्य अभियंता, सिंचाई पंजाब के माध्यम से)			
मू .	16,44.00		
पु .	- 16,44.00	..	..
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 16,44.00 लाख का समस्त प्रावधान पंजाब सरकार द्वारा इंदिरा गांधी फीडर के पंजाब हिस्से में रि-लाईनिंग कार्यों के निष्पादन नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निष्पादन			
मू .	10,19.66		
पु .	- 3,19.43	7,00.23	7,00.24
			+ 0.01
₹ 3,19.43 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[01] राजस्थान में निर्माण कार्य			
मू .	51,22.36		
पु .	- 18,49.24	32,73.12	32,73.05
			- 0.07
₹ 18,49.24 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[02] गुजरात सरकार की निर्माण कार्य में हिस्सा राशि			
मू.	25,00.00	9,37.50	9,37.50
पु.	- 15,62.50		..
31 मार्च 2016 को ₹ 15,62.50 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	7,72.84	54.66	54.66
पु.	- 7,18.18		..
31 मार्च 2016 को ₹ 7,18.18 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय (स्थापना)			
मू.	2,54.66	15.53	11.89
पु.	- 2,39.13		- 3.64
31 मार्च 2016 को ₹ 2,39.13 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदडा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[01] निर्माण कार्य (कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन भत्ते)			
मू.	3,94.97	26.86	26.86
पु.	- 3,68.11		..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,68.11 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(08) लघु सिंचाई योजनाओं का पुनर्वास (जे.आई.सी.ए.)			
[01] मुख्य शीर्ष 2701 से हस्तांतरित आनुपातिक व्यय			
मू.	3,53.25		
पु.	- 1,43.10	2,10.15	1,43.21
			- 66.94

31 मार्च 2016 को ₹ 1,43.10 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 66.94 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

101. सतही जल			
(08) लघु सिंचाई योजनाओं का पुनर्वास (जे.आई.सी.ए.)			
[02] निष्पादन मुख्य अभियंता जल संसाधन (गुण नियंत्रण) के माध्यम से			
मू.	15,09.91		
पु.	- 6,80.69	8,29.22	8,15.79
			- 13.43

₹ 6,80.69 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 13.43 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

101. सतही जल			
(09) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,60,70.07		
पु.	- 80,97.44	79,72.63	79,72.63
			..

31 मार्च 2016 को ₹ 80,97.44 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

101. सतही जल			
(09) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[02] मुख्य शीर्ष 2701- से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	49,32.61		
पु.	- 34,93.64	14,38.97	13,99.54
			- 39.43

31 मार्च 2016 को ₹ 34,93.64 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 39.43 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।



**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(10) जल सग्रहण संरचना (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	46,55.46		
पु.	- 42,80.40	3,75.06	3,74.93
			- 0.13
31 मार्च 2016 को ₹ 42,80.40 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
101. सतही जल			
(10) जल सग्रहण संरचना (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[02] मुख्य शीर्ष 2701- से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	12,44.42		
पु.	- 11,93.03	51.39	65.82
			+ 14.43
31 मार्च 2016 को ₹ 11,93.03 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

₹ 14.43 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

800. अन्य व्यय			
(09) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम (यूरोपियन कमीशन) (मुख्य अभियन्ता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. के माध्यम से)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	9,51.00		
पु.	- 6,26.18	3,24.82	3,24.82
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 6,26.18 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन तथा कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. भांखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) भांखरा नहर प्रणाली का पुनर्जीवीकरण/ उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	15,03.10		
पु.	5,87.89	20,90.99	20,92.75
			+ 1.76

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,87.89 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान क्षेत्र में नहरों के पर्यावरणीय संसाधन प्रबंधन (ईआरएम) कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[13] चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना (नोहर सावा लिफ्ट योजना)			
मू .	18,68.74	24,38.62	24,38.59
पु .	5,69.88		
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[15] पन्ना लाल बारू पाल जलोत्थान योजना (गजनेर लिफ्ट योजना)			
मू .	14,70.30	16,88.40	..
पु .	2,18.10		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,87.98 लाख की अतिरिक्त निधियां नहरों के तीन समूहों में से दो समूहों में जल की निरंतर आपूर्ति होने के कारण विद्युत् प्रभार पर अधिक व्यय एवं विभाग की वार्षिक कार्य योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों की त्वरित प्रगति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) राजस्थान में निर्माण कार्य			
[01] आधुनिकीकरण			
मू .	44,45.18	69,13.09	69,13.39
पु .	24,67.91		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,67.91 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
37. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू .	1,72.20	7,71.86	7,65.15
पु .	5,99.66		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,99.66 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	13,37.56	17,30.48	17,30.48
पु.	3,92.92		..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,92.92 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना			
मू.	4,24.44	6,00.54	6,67.03
पु.	1,76.10		+ 66.49
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,76.10 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 66.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	0.01	1,10.37	1,10.21
अ.	0.01		- 0.16
पु.	1,10.35		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,10.35 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
67. लहसी परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	0.01	7,68.73	7,67.28
अ.	0.01		- 1.45
पु.	7,68.71		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,68.71 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	10,84.93	32,01.80	32,01.80
पु.	21,16.87		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,16.87 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	3,39.55	9,74.80	10,75.24
पु.	6,35.25		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,35.25 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,00.44 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	0.01	17,11.57	17,08.33
अ.	0.01		
पु.	17,11.55		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,11.55 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	0.01	34,90.93	34,90.93
पु.	34,90.92		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 34,90.92 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[04] मुख्य शीर्ष 2701 स्थापना से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	0.01	6,20.58	6,12.81
पु.	6,20.57		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,20.57 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 7.77 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
101. सतही जल			
(03) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	10,30.45	22,92.15	22,92.15
पु.	12,61.70		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,61.70 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
101. सतही जल			
(04) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्य (मरुस्थल प्रदेश में)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	9,29.85	12,72.92	12,72.92
पु.	3,43.07		
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[01] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	51.52	24,49.40	24,49.40
पु.	23,97.88		
101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[01] निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	38,03.00	59,96.65	59,96.65
पु.	21,93.65		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49,34.60 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. बाढ़ नियंत्रण			
103. सिविल निर्माण कार्य			
(03) अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य			
[03] अन्य जिला			
मू.	5,50.00	40,71.48	40,63.78
पु.	35,21.48		
			- 7.70

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35,21.48 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(03) पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	3,39.55	6,94.54	4,02.37
पु.	3,54.99		
			- 2,92.17
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	16.98	5,78.53	4,29.97
पु.	5,61.55		
			- 1,48.56

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,16.54 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, आनुपातिक व्यय का वास्तविक समायोजन अनुमान से कम हुआ जिसके परिणामतः उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 4,40.73 लाख की अंतिम बचत रही।

**अनुदान संख्या 046 - (समाप्त)**

6. **उचन्त लेन-देन** : 2015-16 में अनुदान के पूंजी अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
	<i>(₹ लाख में)</i>			
<b>पूंजी *</b>				
स्टॉक	(-) 40,33.32	17,19.35	19,15.24	(-) 42,29.21
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 4,31.28	18,34.72	36,46.76	(-) 22,43.32
<b>योग</b>	<b>(-) 44,64.60</b>	<b>35,54.07</b>	<b>55,62.00</b>	<b>(-) 64,72.53</b>

\* इसमें मुख्य शीर्ष 4700, 4701 तथा 4711 के उचन्त संव्यवहार सम्मिलित हैं।

### अनुदान संख्या 047 - पर्यटन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3452. पर्यटन

पूंजी - 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय और

7452. पर्यटन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	38,78,39	60,17,26	59,09,85	- 1,07,41
अनुपूरक	21,38,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1,04,67
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	66,89,22	66,89,22	53,02,39	- 13,86,83
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				13,66,11

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 1,07.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 21,38.87 लाख का प्रावधान मुख्यतः पर्यटक सूचना तथा प्रचार हेतु जोर-शोर से विपणन अभियान की पूर्ति हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।



**अनुदान संख्या 047 - (समाप्त)**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. ₹ 13,86.83 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 20.72 लाख अन्व्यर्पित रही।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू. 25,69.18	24,09.03	23,88.32	- 20.71
पु. - 1,60.15			

₹ 1,60.15 लाख की प्रत्याशित बचत (i) वन विभाग द्वारा रणथम्भोर चीता परियोजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा झालावाड़ में रेन बसेरा तथा पुरातत्व विभाग द्वारा जैसलमेर में कुलधारा के कार्यों का कम निष्पादन होने तथा (ii) वित्त विभाग द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी प्राधिकृति जारी न करने के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा गागरोन किला, झालावाड़ हेतु व्यय न होने को आरोपित की गयी।

₹ 20.71 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(05) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू. 38,20.00	18,14.08	18,14.07	- 0.01
पु. - 20,05.92			

31 मार्च 2016 को ₹ 20,05.92 लाख का प्रावधान (i) सुरलिया बेरन तथा नागौर में अमर सिंह की छतरी पर कार्यकारी अभिकरण के रूप में पुरातत्व विभाग द्वारा व्यय नहीं करने तथा (ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा पुरातत्व विभाग द्वारा कार्यकारी अभिकरण के रूप में सांभर परियोजना हेतु चालू कार्यों की धीमी गति के कारण अन्व्यर्पित (₹ 8,89.14 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 11,16.78 लाख) किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
7452. पर्यटन के लिए कर्ज			
60. अन्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(04) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को उधार			
मू. 0.01	8,00.00	8,00.00	..
पु. 7,99.99			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को कर्ज जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

### अनुदान संख्या 048 - विद्युत् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2801. बिजली और  
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा  
 पूंजी - 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय और  
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
मूल	1,01,40,12,90	1,11,39,29,96	1,10,16,41,83	- 1,22,88,13
अनुपूरक	9,99,17,06			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1,22,88,13
<b>पूंजी</b>				
मूल	46,97,17,73	3,35,02,10,38	3,11,44,02,34	- 23,58,08,04
अनुपूरक	2,88,04,92,65			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				23,58,08,05

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

##### राजस्व

- ₹ 1,22,88.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 9,99,17.06 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।

##### पूंजी

###### दत्तमत

- ₹ 23,58,08.04 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर 2015 (₹ 7.50 लाख) तथा मार्च 2016 (₹ 2,88,04,85.15 लाख) में लिया गया ₹ 2,88,04,92.65 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	8,18,18.25	7,37,88.00	7,37,88.00
पु .	- 80,30.25		

**अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	3,79,22.40	3,68,01.54	3,68,01.54
पु.	- 11,20.86		
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	7,83,34.35	4,92,64.11	4,92,64.11
पु.	- 2,90,70.24		
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	8,91,30.08	4,64,98.64	4,64,98.64
पु.	- 4,26,31.44		
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	8,90,67.61	3,93,30.00	3,93,30.00
पु.	- 4,97,37.61		
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 13,05,90.40 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया जिसके परिणामतः विद्युत् कम्पनियों में कम निवेश हुआ।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)			
मू.	5,76,00.00	53,51.12	53,51.12
पु.	- 5,22,48.88		

31 मार्च 2016 को ₹ 5,22,48.88 लाख का प्रावधान एशियन विकास बैंक से कम ऋण लेने के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,96,45.82 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 26,03.06 लाख) किया गया।

## अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इन्ट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के. एफ. डब्ल्यू.)			
मू.	1,22,20.00		
पु.	- 1,19,06.23	3,13.77	3,13.77
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,19,06.23 लाख का प्रावधान के.एफ.डब्ल्यू. से कम ऋण लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(03) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] उदय योजना के अन्तर्गत उधार			
अ.	88,54,40.65		
पु.	- 7,64,27.65	80,90,13.00	80,90,13.00
			..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(04) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] उदय योजना के अन्तर्गत उधार			
अ.	82,00,12.32		
पु.	- 8,00,12.96	73,99,99.36	73,99,99.36
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,70,54,52.97 लाख का प्रावधान उदय योजना के तहत विद्युत् कम्पनियों को ऋणों की प्रत्याशा में लिया गया जो प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 15,64,40.61 लाख की प्रत्याशित बचत उदय योजना के तहत बॉन्ड्स कम जारी करने को आरोपित की गयी।			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(05) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] उदय योजना के अन्तर्गत उधार			
अ.	85,27,64.58		
पु.	- 4,36,65.53	80,90,99.05	80,90,99.05
			..
मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 85,27,64.58 लाख का प्रावधान उदय योजना के तहत विद्युत् कम्पनियों को ऋणों की प्रत्याशा में लिया गया जो प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2016 को ₹ 4,36,65.53 लाख का प्रावधान उदय योजना के तहत बॉन्ड्स कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 048-(समाप्त)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(16) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत अधिग्रहण			
अ. 0.01	5,56,35.29	5,56,35.29	..
पु . 5,56,35.28			
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,56,35.28 लाख की अतिरिक्त निधियां उदय योजना के तहत बान्ड्स अधिग्रहित करने के लिए जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अंश पूंजी जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(03) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार ( विश्व बैंक से)			
अ. 0.01	3,94,64.04	3,94,64.04	..
पु . 3,94,64.03			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(04) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार ( विश्व बैंक से)			
अ. 0.01	3,17,90.24	3,17,90.24	..
पु . 3,17,90.23			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(05) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार ( विश्व बैंक से)			
अ. 0.01	3,17,20.72	3,17,20.72	..
पु . 3,17,20.71			

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,29,74.97 लाख की अतिरिक्त निधियां वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए विद्युत् कम्पनियों को विश्व बैंक से ऋणों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 049 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को  
मुआवजा और समनुदेशन (समस्त दत्तमत)**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं  
को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
मूल	53,54			
अनुपूरक	..	53,54	9,94	- 43,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				42,44

**अनुदान संख्या 050 – ग्रामीण रोजगार (समस्त दत्तमत)**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2505. ग्राम रोजगार और**

**2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम**

**पूँजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहरस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
मूल	32,07,03,87	32,07,03,87	24,68,02,91	- 7,39,00,96
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				7,39,00,96
<b>पूँजी</b>				
मूल	71,44,79	71,44,79	71,44,79	..
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

- वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 76,14.94 लाख, ₹ 60,69.06 लाख, ₹ 57,43.06 लाख, ₹ 12,21,59.91 लाख तथा ₹ 7,39,00.96 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 9.08 प्रतिशत से 33.83 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम निधियां प्राप्त होने के कारण बतायी गयी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
<b>2505. ग्राम रोजगार</b>				
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)				
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम				
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना				
[03] कार्यकलाप संबंधी				
मू.	30,49,63.74	22,86,90.57	22,86,90.57	..
पु.	- 7,62,73.17			

31 मार्च 2016 को ₹ 7,62,73.17 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा इसी अनुरूप राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 7,09,07.38 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 53,65.79 लाख) किया गया।

**अनुदान संख्या 050 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
60. अन्य कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) स्टेट बी.पी.एल. परिवार हेतु आवास			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	35,00.00	5,25.00	5,25.00
पु.	- 29,75.00		
31 मार्च 2016 को ₹ 29,75.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( अगस्त 2016)।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) इंदिरा आवास योजना			
[03] अनुदान ( राज्यांश)			
मू.	1,22,19.10	1,40,70.90	1,40,70.90
पु.	18,51.80		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,51.80 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां अधिक प्राप्त होने तथा इसी अनुरूप राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण विकास विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	0.02	35,14.00	35,14.00
पु.	35,13.98		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35,13.98 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			



## अनुदान संख्या 051 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2014. न्याय प्रशासन,  
 2029. भू-राजस्व,  
 2041. वाहन कर,  
 2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2202. सामान्य शिक्षा,  
 2203. तकनीकी शिक्षा,  
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं,  
 2205. कला एवं संस्कृति,  
 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,  
 2211. परिवार कल्याण,  
 2216. आवास,  
 2217. शहरी विकास,  
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,  
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,  
 2230. श्रम तथा रोजगार,  
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,  
 2236. पोषण,  
 2401. फसल कृषि-कर्म,  
 2402. मृदा तथा जल संरक्षण,  
 2403. पशु-पालन,  
 2405. मछली-पालन,  
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी,  
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,  
 2425. सहकारिता,  
 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,  
 2505. ग्राम रोजगार,  
 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,  
 2701. मध्यम सिंचाई,  
 2702. लघु सिंचाई,  
 2705. कमान क्षेत्र विकास,  
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,  
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,  
 2852. उद्योग,  
 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,  
 3055. सड़क परिवहन,  
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,  
 3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,  
 3452. पर्यटन,  
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,  
 3456. सिविल पूर्ति और  
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
- पूँजी - 4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4217. शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े  
 वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,  
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6216. आवास के लिए कर्ज,  
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज और  
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	59,50,24,69			
अनुपूरक	2,64,91,92	62,15,16,61	53,10,63,80	- 9,04,52,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				8,94,58,87
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	33,29,48,62			
अनुपूरक	77,58,62,84	1,10,88,11,46	1,01,46,76,61	- 9,41,34,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2016)				9,35,21,79

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. ₹ 2,64,91.92 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,64,91.48 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 9,04,52.81 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 9,93.94 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 2,02,87.95 लाख, ₹ 1,95,65.11 लाख, ₹ 2,62,25.90 लाख, ₹ 16,54,41.49 लाख तथा ₹ 9,04,52.81 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 2.18 प्रतिशत से 26.84 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किया जाना रहा।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
111. सर्व शिक्षा अभियान			
(02) अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (शिक्षा गारन्टी स्कीम)			
मू.	10,09,48.07	7,55,40.37	7,55,40.37
पु.	- 2,54,07.70		
₹ 2,54,07.70 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा परिणामतः राज्यांश कम जारी करने को आरोपित की गयी।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुनःभरण			
मू.	72,00.00	27,19.24	27,19.24
पु.	- 44,80.76		
31 मार्च 2016 को ₹ 44,80.76 लाख का प्रावधान शिक्षा के अधिकार के तहत पे-मैनेजर के माध्यम से पहली बार भुगतान की लिकिंग पर भुगतान प्रक्रिया में विलम्ब के कारण अभ्यर्पित (₹ 5,21.84 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 39,58.92 लाख) किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(05) अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	80,50.00	19,44.21	19,43.86
पु.	- 61,05.79		

31 मार्च 2016 को ₹ 61,05.79 लाख का प्रावधान (i) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना में अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 एवं 10 के छात्रों को सम्मिलित करने तथा (ii) उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त निजी विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा सुविधा के तहत चयनित विद्यालयों को खर्चों का पुनःभरण करने हेतु राज्य सरकार की सहमति से प्रावधान अन्य शीर्षों को हस्तांतरित किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 10,95.70 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 50,10.09 लाख) किया गया।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(14) अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	26,04.30	19,03.76	18,85.14
पु.	- 7,00.54		
			- 18.62

31 मार्च 2016 को ₹ 7,00.54 लाख का प्रावधान अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के छात्रों की वास्तविक संख्या अनुमान से कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 18.62 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. माध्यमिक शिक्षा  
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय  
(07) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान  
[02] माध्यमिक शिक्षा अभियान-अनुसूचित जातियों के लिए

मू.	1,72,55.00	1,00,41.79	1,00,40.28	- 1.51
पु.	- 72,13.21			

31 मार्च 2016 को ₹ 72,13.21 लाख का प्रावधान (i) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त शिक्षकों को वास्तविक आधार पर वेतन तथा भत्तों के भुगतान, (ii) सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) की आयोजना सीमा में कटौती तथा (iii) भारत सरकार से पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा  
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय  
(08) बालिका छात्रावास  
[02] बालिका छात्रावास-अनुसूचित जातियों के लिए

मू.	11,99.57	2,61.97	2,61.97	..
पु.	- 9,37.60			

31 मार्च 2016 को ₹ 9,37.60 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)  
[03] व्यावसायिक शिक्षा

मू.	7,07.88	4,00.83	4,00.83	..
पु.	- 3,07.05			

31 मार्च 2016 को ₹ 3,07.05 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) अनुसूचित जाति क्षेत्र के विद्यालयों में संचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा			
मू.	8,75.00	5,50.46	5,50.46
पु.	- 3,24.54		

31 मार्च 2016 को ₹ 3,24.54 लाख का प्रावधान आई.सी.टी. योजना के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)

मू.	8,18.38	5,36.30	5,36.31	+ 0.01
पु.	- 2,82.08			

₹ 2,82.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कार्यालय व्यय पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

04. प्रौढ़ शिक्षा  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(02) साक्षर भारत

मू.	12,00.00	..	..	..
पु.	- 12,00.00			

31 मार्च 2016 को ₹ 12,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. प्रौढ़ शिक्षा  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(04) महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन

मू.	3,18.10	1,71.82	1,71.44	- 0.38
पु.	- 1,46.28			

31 मार्च 2016 को ₹ 1,46.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

80. सामान्य  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(01) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय

मू.	10,22.99	8,12.72	8,12.72	..
पु.	- 2,10.27			

₹ 2,10.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम			
मू.	3,37.50	1,87.50	1,87.50
पु.	- 1,50.00		..
31 मार्च 2016 को ₹1,50.00 लाख का प्रावधान तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज हेतु भारत सरकार से केन्द्रीय अंश कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति			
मू.	1,70.00	11.85	11.85
पु.	- 1,58.15		..
₹1,70.00 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे आई.आई. टी, आई.आई. एम. में अध्ययनरत राजस्थान के निवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु अनुमानित था। छात्रवृत्तियों का वितरण सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग द्वारा किया गया। यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹1,58.15 लाख का प्रावधान लाभार्थियों की कम संख्या के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल को अनुदान			
मू.	2,20.79	1,10.40	1,10.40
पु.	- 1,10.39		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,10.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
(निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
मू.	10,30.05	51.53	51.37
पु.	- 9,78.52		- 0.16
₹ 9,78.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) मशीनों एवं उपकरणों के क्रय आदेश देरी से जारी करने को आरोपित की गयी।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) शिक्षा			
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	3,34.15	1,33.21	1,33.21
पु.	- 2,00.94		..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,00.94 लाख का प्रावधान राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन [01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	मू. 25,05.04 पु. - 18,95.84	6,09.20	6,09.21 + 0.01
31 मार्च 2016 को ₹ 18,95.84 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन [03] स्वास्थ्य उप केन्द्र	मू. 6,31.03 पु. - 3,76.25	2,54.78	2,54.77 - 0.01
31 मार्च 2016 को ₹ 3,76.25 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	मू. 20,24.29 पु. - 7,65.57	12,58.72	12,58.71 - 0.01
31 मार्च 2016 को ₹ 7,65.57 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अस्पताल एवं औषधालय [01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर	मू. 20,00.01 पु. - 1,13.09	18,86.92	18,86.93 + 0.01
31 मार्च 2016 को ₹ 1,13.09 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अस्पताल एवं औषधालय [02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर	मू. 13,19.01 पु. - 1,82.10	11,36.91	11,36.91 ..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,82.10 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	15,86.53	13,38.17	13,37.22
पु.	- 2,48.36		

31 मार्च 2016 को ₹ 2,48.36 लाख का प्रावधान मुख्यतः 806 स्वीकृत पदों में से 126 पदों के रिक्त रहने तथा बोली में कम दर प्राप्त होने, बोली प्राप्त न होने से मशीनरी तथा उपकरणों पर कम व्यय होने तथा फर्मों द्वारा उपकरणों की आपूर्ति नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	26,47.48	24,85.74	24,85.59
पु.	- 1,61.74		

₹ 1,61.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।

06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) निःशुल्क जांच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	23,77.03	14,82.33	14,82.33
पु.	- 8,94.70		

31 मार्च 2016 को ₹ 8,94.70 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन एवं भत्तों, संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने तथा गैर संवेतन के लिए अनुदान कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	10,70.00	4,72.57	4,72.57
पु.	- 5,97.43		

31 मार्च 2016 को ₹ 5,97.43 लाख का प्रावधान एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया।



**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[01] बी.पी.एल. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष (30:70)			
मू.	12,46.00	3,89.24	3,89.24
पु.	- 8,56.76		
31 मार्च 2016 को ₹ 8,56.76 लाख का प्रावधान योजना के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा निःशुल्क दवा योजना और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के शुरु होने के पश्चात् इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय भी प्रभावित होने से अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेंस सेवा योजना (50:50)			
मू.	15,13.00	6,16.24	6,16.24
पु.	- 8,96.76		
₹ 15,13.00 लाख का प्रावधान स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेंस सेवा योजना हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में अनुमानित था परन्तु भारत सरकार ने एम्बुलेंस सेवा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सी पूल में निधियां जारी की जो कि विभाग द्वारा राज्यांश सहित पूल से आहरित की गई तथा कुछ विभागों में भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिकार्ड जब्त कर लिया गया जिसके परिणामतः 31 मार्च 2016 को ₹ 8,96.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) (15:85)			
मू.	3,22,18.00	3,15,19.95	3,15,19.95
पु.	- 6,98.05		
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू.	51,64.32	13,79.17	13,79.17
पु.	- 37,85.15		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 44,83.20 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा परिणामतः राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[06] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	21,35.00	12,99.72	12,99.72
पु.	- 8,35.28		
31 मार्च 2016 को ₹ 8,35.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास 80. सामान्य 191. नगर निगम को सहायता (30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय [02] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	मू. 3,56.00 पु. - 3,56.00	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,56.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 01. अनुसूचित जातियों का कल्याण 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (12) संबल ग्रामों का विकास	मू. 40,60.00 पु. - 40,60.00	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 40,60.00 लाख का समस्त प्रावधान संबल ग्रामों के विकास हेतु अनुदान जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (17) अंतर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि [02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां	मू. 20,00.00 पु. - 5,06.00	14,94.00	14,94.00 ..
31 मार्च 2016 को ₹ 5,06.00 लाख का प्रावधान अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत प्रोत्साहन हेतु अनुदान कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा	मू. 2,11,84.41 पु. - 13,35.06	1,98,49.35	1,98,47.75 - 1.60
31 मार्च 2016 को ₹ 13,35.06 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2230. श्रम तथा रोजगार 01. श्रम 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (02) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	मू. 14,04.00 पु. - 9,15.88	4,88.12	4,88.12 ..
31 मार्च 2016 को ₹ 9,15.88 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत किये गये समझौते के अनुसार बीमा कम्पनियों द्वारा कम दावे अनुपात के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम तथा रोजगार			
02. रोजगार सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू .	6,30.00	4,06.77	4,06.77
पु .	- 2,23.23		

31 मार्च 2016 को ₹ 2,23.23 लाख का प्रावधान बेरोजगारी भत्ता हेतु लाभार्थियों से आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[09] अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों को			
जनश्री बीमा योजना हेतु सहायता			

मू . 4,33.23

3,32.45

3,32.45

..

पु . - 1,00.78

31 मार्च 2016 को ₹ 1,00.78 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[06] मिशन ग्राम्य शक्ति			

मू . 3,50.00

..

..

..

पु . - 3,50.00

31 मार्च 2016 को ₹ 3,50.00 लाख का समस्त प्रावधान मिशन ग्राम्य शक्ति योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान भी, दोनों वर्षों में अनुमानित किया गया ₹ 3,50.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[08] अनुसूचित जातियों के लिए इन्दिरा गांधी			
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			

मू . 44,59.04

35,45.29

34,84.85

- 60.44

पु . - 9,13.75

31 मार्च 2016 को ₹ 9,13.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 60.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[09] अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू.	11,19.71	7,80.02	7,63.73
पु.	- 3,39.69		

31 मार्च 2016 को ₹ 3,39.69 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 16.29 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] पोषाहार क्रेष कार्यक्रम			
मू.	2,97,88.86	2,77,16.54	2,77,45.92
पु.	- 20,72.32		

31 मार्च 2016 को ₹ 20,72.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 29.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[14] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ			
मू.	6,88.18	1,70.79	1,70.79
पु.	- 5,17.39		

31 मार्च 2016 को ₹ 5,17.39 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने, (ii) फसल प्रदर्शन के भौतिक लक्ष्यों को अर्जित करने के बावजूद प्रदर्शनों पर प्रति इकाई लागत कम होने, (iii) पॉलीप्रोपिलिन कैमिकल एवं बायोएजेन्ट घटक में कीट/बीमारियों के प्रकोप ई टी एल से कम होने के कारण प्रावधान का उपयोग नहीं होने, (iv) फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम में अन्य योजनाओं की तुलना में अनुदान की कम राशि के कारण लाभार्थी किसानों का कम संख्या में होने, (v) अनुसूचित जाति जनसंख्या में किसानों का कम संख्या में होने तथा (vi) जिप्सम पर टॉपअप सब्सिडी हटाने के पश्चात् जिप्सम की दर में वृद्धि के कारण कृषकों से मांग कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[15] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	27,03.93	15,89.82	15,89.82
पु.	- 11,14.11		

31 मार्च 2016 को ₹ 11,14.11 लाख का प्रावधान (i) कृषि आदानों की दरों का अनुमोदन देरी से होने, (ii) फसल प्रदर्शन के भौतिक लक्ष्यों को अर्जित करने के बावजूद प्रदर्शनों पर प्रति इकाई लागत कम होने, (iii) पॉलीप्रोपिलिन कैमिकल एवं बायोएजेन्ट घटक में कीट/बीमारियों के प्रकोप ई टी एल से कम होने के कारण प्रावधान का उपयोग नहीं होने, (iv) जिप्सम पर टॉपअप सब्सिडी हटाने के पश्चात् जिप्सम की दर में वृद्धि के कारण कृषकों से मांग कम होने, (v) फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम में अन्य योजनाओं की तुलना में अनुदान की कम राशि के कारण लाभार्थी किसानों का कम संख्या में होने, (vi) जिला अधिकारियों द्वारा माह मार्च 2016 में प्रस्तुत बिलों को कोषालयों द्वारा पारित ना करने तथा (vii) अनुसूचित जाति जनसंख्या में किसानों का कम संख्या में होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2401. फसल कृषि-कर्म				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं				
[17] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज				
मू.	9,97.69	4,01.66	4,01.66	
पु.	- 5,96.03			..
31 मार्च 2016 को ₹ 5,96.03 लाख का प्रावधान (i) मानसून की समय से पूर्व वापसी के कारण बारानी क्षेत्रों में जौ फसल प्रदर्शनों का आयोजन कम होना, (ii) बाजरा, ज्वार, मक्का एवं जौ फसलों की बीजों की उपलब्धता कम होने के कारण प्रमाणित बीज का कम वितरण, (iii) कृषि आदानों की दरों का अनुमोदन देरी से होने तथा (iv) फसल प्रदर्शन के भौतिक लक्ष्यों को अर्जित करने के बावजूद प्रदर्शनों पर प्रति इकाई लागत कम होने तथा (v) अनुसूचित जाति जनसंख्या में किसानों का कम संख्या में होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं				
[20] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि विस्तार				
मू.	4,51.79	3,25.74	3,25.65	
अ.	0.01			- 0.09
पु.	- 1,26.06			
31 मार्च 2016 को ₹ 1,26.06 लाख का प्रावधान अनुसूचित जाति के किसानों से आवेदन कम प्राप्त होने के परिणामतः आत्मा योजना के अन्तर्गत निधियां कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं				
[21] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी				
मू.	1,85.00	45.14	45.14	
पु.	- 1,39.86			..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,39.86 लाख का प्रावधान कृषि उपकरण अनुदान वितरण कार्यक्रम हेतु जिला स्तरीय कार्यालयों में ऑन लाईन/ऑफ लाईन आवेदन प्राप्त न होने तथा कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं				
[23] टिकाऊ खेती मिशन-बारानी क्षेत्र विकास				
मू.	10,63.00	1,46.61	1,46.61	
पु.	- 9,16.39			..
31 मार्च 2016 को ₹ 9,16.39 लाख का प्रावधान क्लस्टर क्षेत्र में चयनित किसानों द्वारा ग्रीन हाउस गतिविधि का उपभोग न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				
(01) कृषि विभाग के द्वारा				
[18] नवाचार कार्यक्रम/मिनि किट वितरण				
मू.	8,50.00	4,73.22	4,73.22	
अ.	0.01			..
पु.	- 3,76.79			
31 मार्च 2016 को ₹ 3,76.79 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।				

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के माध्यम से			
[23] मिशन फॉर लिवलिहुड			
मू.	12,59.77	8,44.00	8,44.00
पु.	- 4,15.77		
31 मार्च 2016 को ₹ 4,15.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के माध्यम से			
[28] राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
मू.	15,30.00	29.77	29.76
पु.	- 15,00.23		
31 मार्च 2016 को ₹ 15,00.23 लाख का प्रावधान (i) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के दिशानिर्देश/पुर्नगठन की कार्यवाही को प्राप्त करने के लिए पूरा वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण कम व्यय होने तथा (ii) मानसून के निष्क्रिय होने से खरीफ 2015 के लक्ष्य अर्जित नहीं करने तथा रबी 2016 में तापक्रम में अप्रत्याशित विचलन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[04] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
(15% राज्यांश : 85% केन्द्रीयंश)			
मू.	7,56.01	3,48.24	3,48.24
पु.	- 4,07.77		
31 मार्च 2016 को ₹ 4,07.77 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[05] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु			
(20% राज्यांश : 80% केन्द्रीयंश)			
मू.	31,50.00	4,29.20	4,29.20
पु.	- 27,20.80		
31 मार्च 2016 को ₹ 27,20.80 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[06] बूंद-बूंद सिंचाई राज्य योजना			
मू.	11,23.00	..	..
पु.	- 11,23.00		
31 मार्च 2016 को ₹ 11,23.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के बन्द होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[12] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	15,50.00	6,89.33	6,89.33
पु.	- 8,60.67		..
31 मार्च 2016 को ₹ 8,60.67 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[13] आटोमेशन पर सहायता			
मू.	1,51.67	..	..
पु.	- 1,51.67		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,51.67 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	32,74.98	21,02.33	20,99.60
अ.	0.02		- 2.73
पु.	- 11,72.67		
₹ 11,72.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य में सूखे के कारण कम मांग तथा कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	18,05.00	2,48.85	2,44.24
पु.	- 15,56.15		- 4.61
31 मार्च 2016 को ₹ 15,56.15 लाख का प्रावधान (i) परियोजना के अनुमोदन के बाद भी कम मांग होने, (ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों की निविदाओं में देरी होने तथा (iii) वित्त विभाग से स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन			
[03] तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन			
मू.	10,74.51	85.29	85.29
पु.	- 9,89.22		..
31 मार्च 2016 को ₹ 9,89.22 लाख का प्रावधान (i) अनुसूचित जाति के किसानों द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम में कम रुचि दिखाने, (ii) संस्थानों द्वारा जिप्सम की आपूर्ति समय पर न करने तथा (iii) तिलहन मेले तथा किसानों की एक्सपोजर विजिट पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन			
[02] टिकाउ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	3,28.24		
अ.	0.03	0.58	0.58
पु.	- 3,27.69		..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,27.69 लाख का प्रावधान कृषि आदानों की समय पर उपलब्धता न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2402. मृदा तथा जल संरक्षण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना (आई फैड फण्डेड) ( एम पावर)			
मू.	7,02.03		
पु.	- 2,52.03	4,50.00	4,50.00
31 मार्च 2016 को ₹ 2,52.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2403. पशु-पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग के अधिकरण से			
[04] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	33,20.00		
पु.	- 31,21.00	1,99.00	1,97.64
31 मार्च 2016 को ₹ 31,21.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत दवाइयों का कम क्रय क्योंकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निधियों को प्राथमिकता से खर्च करने हेतु दवाइयां क्रय की गयीं तथा दर अनुबंध अवधि के समय पर न होने के कारण विभाग द्वारा दवाइयों तथा उपभोज्य सर्जिकल्स की खरीद न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग के अधिकरण से			
[05] पशु रोग नियंत्रण योजना			
मू.	2,41.70		
पु.	- 1,83.68	58.02	57.97
₹ 1,83.68 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः समय पर दर अनुबंध अवधि समाप्त न होने के कारण दवाइयों की खरीद न होने को आरोपित की गयी।			
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता			
मू.	30,88.00		
पु.	- 8,39.00	22,49.00	22,49.00
..			



**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू.	63,49.00	53,71.50	53,71.50
पु.	- 9,77.50		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 18,16.50 लाख का प्रावधान केन्द्रीय सहकारी बैंकों से दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) समन्वित जल ग्रहण विकास हेतु			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	1,12,12.00	71,32.00	71,32.00
पु.	- 40,80.00		
31 मार्च 2016 को ₹40,80.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) फोर वॉटर कन्सेप्ट			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	11,25.00	1,09.87	1,09.88
पु.	- 10,15.13		
31 मार्च 2016 को ₹10,15.13 लाख का प्रावधान (i) वन क्षेत्रों में मजदूरों की उपलब्धता न होने के कारण कार्यों में व्यवधान होने, (ii) मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में मशीनरी की लिप्तता, (iii) मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में समस्त तकनीकी स्टाफ की लिप्तता, (iv) वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में कार्यों के निष्पादन हेतु स्वीकृति के समय पर जारी न होने तथा (v) निधियों के देरी से प्राप्त होने के कारण "फोर जल कार्यक्रम" हेतु कार्यों का निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[03] अनुदान			
मू.	38,88.00	..	..
पु.	- 38,88.00		

31 मार्च 2016 को ₹ 38,88.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2014-15 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना			
[03] अनुदान			
मू.	9,35.76	2,47.50	2,47.50
पु.	- 6,88.26		..
31 मार्च 2016 को ₹ 6,88.26 लाख का प्रावधान भारत सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) नियोजनबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना			
[03] अनुदान			
मू.	34,26.24	..	..
पु.	- 34,26.24		..
31 मार्च 2016 को ₹ 34,26.24 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से नियोजनबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना हेतु निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	7,53,38.33	5,58,36.10	5,58,36.10
पु.	- 1,95,02.23		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,95,02.23 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
60. अन्य कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) स्टेट बी.पी.एल. परिवार हेतु आवास			
[03] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	21,00.00	3,15.00	3,15.00
पु.	- 17,85.00		..
31 मार्च 2016 को ₹ 17,85.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु राज्यांश			
[03] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	7,62.45	6,31.16	6,31.16
पु.	- 1,31.29		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,31.29 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(25) ग्रामीण बी.पी.एल. आवास			
[02] विशिष्ट संघटक योजना में कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	1,21,50.49	1,11,98.20	1,11,98.20
पु.	- 9,52.29		
31 मार्च 2016 को ₹ 9,52.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये) मिड डे मील योजनान्तर्गत सहायता			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	1,31,40.98	1,24,37.61	1,24,37.61
पु.	- 7,03.37		
₹ 1,31,40.98 लाख का प्रावधान सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 1 से 8 वीं कक्षा के छात्रों हेतु प्रत्येक शिक्षण दिवस पर तैयार दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित किया गया। यद्यपि, भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण ₹ 7,03.37 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सर्वेक्षण (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,11.57	81.63	81.63
पु.	- 4,29.94		
₹ 4,29.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
[01] मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग के माध्यम से			
मू.	21,55.00	16,14.29	16,14.29
पु.	- 5,40.71		
31 मार्च 2016 को ₹ 5,40.71 लाख का प्रावधान ठेकेदारों से बिल प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से			
मू.	8,75.00	..	..
पु.	- 8,75.00	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 8,75.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)। 2014-15 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटक सूचना और प्रचार			
मू.	11,61.85	9,21.58	9,21.58
पु.	- 2,40.27	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,40.27 लाख का प्रावधान विज्ञापन तथा प्रचार पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[20] स्वान वर्टिकल/स्टेट शेयर			
मू.	2,56.08	..	..
पु.	- 2,56.08	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,56.08 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] राज सम्पर्क			
मू.	2,30.40	44.57	44.57
पु.	- 1,85.83	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,85.83 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[25] ई-डिस्ट्रिक्ट			
मू.	1,03.93	..	..
पु.	- 1,03.93	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,03.93 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[30] सम्पर्क केन्द्र ओपरेशन			
मू.	1,08.00	..	..
पु.	- 1,08.00		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,08.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[01] निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	3,22.71	1,34.19	1,34.19
पु.	- 1,88.52		..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,88.52 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[06] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	15,94.00	56.86	45.96
पु.	- 15,37.14		- 10.90
31 मार्च 2016 को ₹ 15,37.14 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। ₹ 10.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[09] बी.पी.एल. व अंत्योदय परिवारों को चीनी वितरण योजना			
मू.	5,40.00	..	..
पु.	- 5,40.00		
₹ 5,40.00 लाख का प्रावधान गरीबी रेखा से नीचे तथा अन्त्योदय परिवारों को रियायती दरों पर चीनी के वितरण हेतु अनुमानित किया गया। यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 5,40.00 लाख का समस्त प्रावधान चीनी की दरों में वृद्धि न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू.	10,18.05	5,65.42	5,56.44
पु.	- 4,52.63		- 8.98
31 मार्च 2016 को ₹ 4,52.63 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 8.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 191. नगर निगम को सहायता (02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन [02] विकास कार्य			
मू.	5,04.34	..	..
पु.	- 5,04.34	..	..

31 मार्च 2016 को ₹ 5,04.34 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन  
[02] विकास कार्य

मू.	5,96.89	..	..
पु.	- 5,96.89	..	..

31 मार्च 2016 को ₹ 5,96.89 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा 02. माध्यमिक शिक्षा 109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (09) मॉडल स्कूल [02] मॉडल स्कूल-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	29,63.11	37,22.78	..
पु.	7,59.67	37,22.78	..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,59.67 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजनाओं के क्रियान्वयन तथा चालू योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

02. माध्यमिक शिक्षा  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)  
[01] लड़कों के विद्यालय (आवासीय विद्यालय)

मू.	1,57,72.27	2,06,15.35	2,06,05.91	- 9.44
पु.	48,43.08			

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 48,43.08 लाख की अतिरिक्त निधियां प्राथमिक शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा के साथ विलय के पश्चात् अध्यापकों/कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु तथा विशिष्ट निजी आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त शिक्षा की सुविधा के अन्तर्गत स्कूलों को भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 9.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) अनुसूचित जाति क्षेत्र की छात्राओं को गार्गी/प्रोत्साहन पुरस्कार			
मू.	3,57.02	4,64.28	4,64.28
पु.	1,07.26		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,07.26 लाख की अतिरिक्त निधियां गार्गी पुरस्कार हेतु 75% और अधिक अंक लाने वाली छात्राओं की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साईकिल का वितरण			
मू.	14,00.00	21,84.52	21,84.52
पु.	7,84.52		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,84.52 लाख की अतिरिक्त निधियां निःशुल्क साईकिल वितरण योजना के तहत बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को ट्रान्सपोर्ट वाउचर का वितरण			
मू.	17.50	1,48.75	1,48.75
पु.	1,31.25		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,31.25 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान तथा लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) लेपटोप वितरण			
मू.	10,50.00	15,29.91	15,29.91
पु.	4,79.91		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,79.91 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान 2014-15 तथा 2015-16 के लिये लेपटॉप की खरीद हेतु उपलब्ध करायी गयी क्योंकि 2015-16 में दोनों वर्षों के लिये निविदा प्रक्रिया का अंतिमीकरण हुआ।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	0.03		
पु.	28,73.97	28,74.00	28,74.00
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,73.97 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
05. भाषा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)			
[02] संस्कृत विद्यालय			
मू.	4,51.26		
पु.	2,58.89	7,10.15	7,10.14 - 0.01
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,58.89 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के भरे जाने के बाद वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
[01] आयुर्वेद विभाग-राज्यांश राशि			
मू.	9,84.00		
पु.	8,00.00	17,84.00	17,84.00
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वार्षिक कार्य योजना से संबंधित, वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए स्वीकृति भारत सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	7,81.02		
पु.	4,76.05	12,57.07	12,56.54 - 0.53
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,76.05 लाख की अतिरिक्त निधियां चिकित्सा महाविद्यालय में नर्स ग्रेड- II के 749 नये पदों के भरे जाने के बाद वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			



**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	16,64.11	19,43.33	19,40.62
पु.	2,79.22		
			- 2.71

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,79.22 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जन स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	34,00.04	36,38.00	36,38.00
पु.	2,37.96		
			..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,37.96 लाख की अतिरिक्त निधियां जन स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिक अंशदान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	34,78.95	36,49.80	36,49.80
पु.	1,70.85		
			..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,70.85 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर निगमों को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[02] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	4,09.00	9,09.57	9,09.57
पु.	5,00.57		
			..

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,00.57 लाख की अतिरिक्त निधियां स्वच्छ भारत मिशन हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	83,26.63	96,56.44	96,56.44
पु.	13,29.81		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,29.81 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(22) छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.)			
(10:10:80)			
[02] विकास कार्य			
मू.	0.01	8,66.52	8,66.52
पु.	8,66.51		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,66.51 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[02] स्वच्छ भारत मिशन ( अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	4,80.00	22,40.10	22,40.10
पु.	17,60.10		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,60.10 लाख की अतिरिक्त निधियां स्वच्छ भारत मिशन हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	18,17.79	21,15.28	21,15.28
पु.	2,97.49		

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,97.49 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[18] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन			
मू.	3,23.99	4,46.27	4,46.02
पु.	1,22.28		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,22.28 लाख की अतिरिक्त निधियां रबी 2015-16 हेतु अतिरिक्त क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			- 0.25
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[26] परम्परागत कृषि विकास योजना			
अ.	0.02	1,93.07	1,93.07
पु.	1,93.05		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन ₹ 1,93.05 लाख की अतिरिक्त निधियां पारम्परिक कृषि विकास योजना के तहत क्लस्टर क्षेत्र में आर्गेनिक खेती से संबंधित कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[04] डेयरी विभाग के माध्यम से			
मू.	10,00.00	18,00.00	18,00.00
पु.	8,00.00		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति कमेटी द्वारा डेयरी विभाग की परियोजनाओं का अनुमोदन होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[08] राजफेड को सहायता (सहकारिता विभाग के माध्यम से)			
मू.	5,00.00	12,00.00	12,00.00
पु.	7,00.00		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति कमेटी द्वारा सहकारिता विभाग की परियोजनाओं का अनुमोदन होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[12] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	10,00.00	12,00.00	12,00.00
पु.	2,00.00		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति कमेटी द्वारा विश्वविद्यालय की परियोजनाओं का अनुमोदन होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल-कृषि कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[02] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन- बीज एवं रोपण सामग्री			
मू.	0.02	2,49.78	2,49.78
पु.	2,49.76		..
<p>भारत सरकार की योजना <i>राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन</i> की उप-योजना बीज एवं पौध रोपण सामग्री का बीज गाँव कार्यक्रम वर्ष 2014-15 तक 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना थी। दिनांक 1.4.2015 को राज्य बीज निगम के पास योजना की ₹ 2,49.78 लाख अवशेष राशि थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान इस शर्त के साथ अवशेष राशि को रिवेलिडेट किया गया कि राज्यांश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा जिसके परिणामतः 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,49.76 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी।</p>			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[05] ई.जी.एस. ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से			
अ.	0.01	12,10.00	12,10.00
पु.	12,09.99		..
<p>31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,09.99 लाख की अतिरिक्त निधियां <i>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना</i> के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।</p>			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( पी.एम.के.एस.वाई.)			
अदर इंटरवेंशन			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी			
अ.	0.03	14,74.00	14,74.00
पु.	14,73.97		..
<p>31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,73.97 लाख की अतिरिक्त निधियां <i>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना</i> के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।</p>			
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) इन्दिरा आवास योजना			
[04] अनुदान (राज्यांश)			
मू.	49,84.00	1,80,68.91	1,73,65.41
पु.	1,30,84.91		- 7,03.50
<p>31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,30,84.91 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 7,03.50 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।</p>			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण विकास विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं			
[02] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	0.02		
पु.	8,57.98	8,58.00	8,58.00

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,57.98 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में अतिरिक्त सामग्री संघटक हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सहायता ( कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां			

मू. 11,07.35

20,00.18

20,00.18

..

पु. 8,92.83

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,92.83 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			

मू. 2,67.83

5,83.24

5,83.24

..

पु. 3,15.41

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,15.41 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(27) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			

मू. 88,58.52

4,02,71.00

4,02,71.00

..

अ. 2,64,91.32

पु. 49,21.16

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49,21.16 लाख की अतिरिक्त निधियां सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान ( कुल प्रावधान का 12%)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	44,29.50	60,00.53	60,00.53
पु.	15,71.03		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,71.03 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	10,71.79	31,68.66	31,68.66
पु.	20,96.87		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,96.87 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	3,13,75.75	3,20,02.83	3,20,02.83
पु.	6,27.08		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,27.08 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
3055. सड़क परिवहन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	0.01	4,24.95	4,24.95
पु.	4,24.94		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,24.94 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को अधिक निधियां जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[02] तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू.आई.डी. परियोजना			
मू.	0.01		
पु.	3,11.99	3,12.00	3,12.00 ..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,11.99 लाख की अतिरिक्त निधियां तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से यू.आई.डी. परियोजना हेतु निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायीं गयीं।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] जिला कार्यालय			
मू.	2,93.66		
पु.	1,60.60	4,54.26	4,54.26 ..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,60.60 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[04] घरेलू गैस पर अनुदान			
मू.	0.01		
पु.	4,66.99	4,67.00	4,67.00 ..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,66.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान घरेलू एल.पी.जी. सहायता योजना, 2011 के तहत वाणिज्यिक कर विभाग के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायीं गयीं।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु			
मू.	40,96.05		
पु.	2,49.93	43,45.98	43,18.83 - 27.15
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,49.93 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दरों में वृद्धि के कारण गेहूं के परिवहन तथा वितरण पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायीं गयीं।			
₹ 27.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

### अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

6. शीर्ष में समस्त प्रावधान के अनुपयोजित रहने को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अनावश्यक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[07] वितरण			
मू.	0.01		
		1,41.00	
पु.	1,40.99	..	- 1,41.00

31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,40.99 लाख की अतिरिक्त निधियां बैमोसम बरसात तथा तूफान के कारण गेहूं की गुणवत्ता में कमी से भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि को घटाने से किसानों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि ₹ 1,41.00 लाख का समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

#### पूंजी

##### दत्तमत

- ₹ 9,41,34.85 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 77,58,62.84 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से, मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान लिया गया ₹ 77,58,62.81 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 4,01,80.68 लाख, ₹ 1,23,83.38 लाख, ₹ 2,75,07.63 लाख, ₹ 4,97,46.10 लाख तथा ₹ 9,41,34.85 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.49 प्रतिशत से 32.11 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय ( अनुसूचित जाति क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,08.93		
		62.32	
पु.	- 1,46.61	63.06	+ 0.74

31 मार्च 2016 को ₹ 1,46.61 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।



**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामान्य भवन (जेल विभाग)			
[02] जेल भवन का निर्माण			
मू.	8,44.25	..	..
पु.	- 8,44.25	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 8,44.25 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[03] पुलिस आधुनिकीकरण योजना			
मू.	6,63.72	..	..
पु.	- 6,63.72	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 6,63.72 लाख का समस्त प्रावधान योजनान्तर्गत कार्यों का निरस्तीकरण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) कॉलेज शिक्षा			
[90] वृहद् निर्माण कार्य			
मू.	8,84.96	6,16.60	6,15.44
पु.	- 2,68.36		- 1.16
31 मार्च 2016 को ₹ 2,68.36 लाख का प्रावधान (i) चार महाविद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन में देरी तथा (ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) शिक्षक शिक्षा के लिए ब्लॉक संस्थान			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,78.00	..	..
पु.	- 1,78.00	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 1,78.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2014-15 के दौरान भी, समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	4,96.00	2,90.00	2,90.00
पु.	- 2,06.00		..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,06.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	0.02	..	- 4,80.13
पु.	- 0.02		- 4,80.13
₹ 4,80.13 लाख का ऋण व्यय राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड से प्राप्त तेरहवें वित्त आयोग की अवशेष राशि जमा कराने के कारण था।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) स्वास्थ्य उप केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	30,46.00	10,00.00	10,00.00
पु.	- 20,46.00		..
31 मार्च 2016 को ₹ 20,46.00 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य			
[90] अस्पताल एवं औषधालय			
मू.	0.02	..	- 1,23.00
पु.	- 0.02		- 1,23.00
₹ 1,23.00 लाख का ऋण व्यय राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड से प्राप्त तेरहवें वित्त आयोग से संबंधित अवशेष राशि जमा कराने के कारण था।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण			
मू.	35,38.21	16,55.00	16,55.00
पु.	- 18,83.21		..

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	7,38.97	2,42.50	2,42.50
पु.	- 4,96.47		
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	3,85.76	1,45.50	1,45.50
पु.	- 2,40.26		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 26,19.94 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[01] अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाएं			
मू.	1,58,78.66	59,23.53	59,22.66
पु.	- 99,55.13		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[11] कोलायत तहसील जल प्रदाय परियोजना			
मू.	6,14.02	5,06.60	5,06.59
पु.	- 1,07.42		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[13] नर्मदा जल प्रदाय परियोजना (एफ.आर.) नाबार्ड			
मू.	9,08.34	3,39.48	3,39.47
पु.	- 5,68.86		

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[19] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जल प्रदाय परियोजना			
फेज- II			
मू .	3,85.78		
पु .	- 1,13.11	2,72.67	2,72.66
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[23] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज- II			
मू .	74,27.94		
पु .	- 46,12.33	28,15.61	28,15.60
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[26] नागदा -अंता-बलदेवपुरा जलप्रदाय परियोजना			
मू .	2,22.21		
पु .	- 1,18.21	1,04.00	1,04.00
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[31] नर्मदा-गुढामलानी जलपूर्ति योजना			
मू .	4,40.96		
पु .	- 2,10.06	2,30.90	2,30.90
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[32] राजगढ-बूंगी जल प्रदाय परियोजना			
मू .	10,68.00		
पु .	- 5,68.47	4,99.53	4,99.53
			..

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[37] नर्मदा परियोजना ( डी.आर.)			
मू .	7,32.83	1,22.93	1,22.92
पु .	- 6,09.90		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[39] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना			
फेज- II पार्ट-सी (473 गांवों की कलस्टर योजना)			
मू .	4,40.96	..	..
पु .	- 4,40.96	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[64] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू .	13,47.31	6,20.12	6,20.11
पु .	- 7,27.19		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[65] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए संचालन एवं संधारण प्रतिशतता व्यय			
मू .	42,30.58	11,87.31	12,77.80
पु .	- 30,43.27		
उपरोक्त बारह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 2,10,74.91 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण तथा शीर्ष "4215-01-789(01)[65]" के अंतर्गत ₹ 90.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[13] शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू .	26,70.00	4,01.19	4,01.18
पु .	- 22,68.81		

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[15] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II			
मू.	44,50.00	28,77.18	28,77.18
पु.	- 15,72.82		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[19] नागदा -अंता-बलदेवपुरा जल प्रदाय योजना			
मू.	3,10.95	75.30	75.30
पु.	- 2,35.65		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[24] राजगढ़-बूंगी जल प्रदाय परियोजना (शहरी)			
मू.	4,47.51	1,93.27	1,93.27
पु.	- 2,54.24		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[25] इन्द्रोका-माणकलाव-दांतीवाड़ा पेयजल परियोजना (शहरी)			
मू.	3,78.00	2,49.20	2,49.20
पु.	- 1,28.80		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[30] 200 एमएलडी जलशोधन यंत्र, सूरजपुरा (शहरी)			
मू.	9,71.64	5,18.84	5,18.84
पु.	- 4,52.80		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[31] शहरी जलप्रदाय योजना, जालौर (शहरी)			
मू.	3,96.00	1,98.00	1,98.00
पु.	- 1,98.00		

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[33] नर्मदा परियोजना (डी.आर.) (शहरी)			
मू.	2,70.00	1,00.00	1,00.00
पु.	- 1,70.00		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[39] पिपलाद जलपूर्ति योजना			
मू.	2,11.73	1,07.53	1,07.52
पु.	- 1,04.20		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[45] ईसरदा बाँध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	1,80.00	13.67	13.67
पु.	- 1,66.33		
उपरोक्त दस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 55,51.65 लाख का प्रावधान शहरी क्षेत्रों में कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) शहरी जन सहभागी योजना			
मू.	4,45.00	2,06.52	2,06.52
पु.	- 2,38.48		
31 मार्च 2016 को ₹ 2,38.48 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आर.ओ.बी.)			
[01] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू.	22,25.00	18,72.28	18,72.28
पु.	- 3,52.72		
31 मार्च 2016 को ₹ 3,52.72 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
04. गन्दी बस्तियों का विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु			
मू.	46,28.00		
पु.	- 45,49.97	78.03	78.03
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 45,49.97 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) छात्रों हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	6,40.00		
पु.	- 6,08.52	31.48	31.47
			- 0.01
31 मार्च 2016 को ₹ 6,08.52 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) नाबार्ड सहायतान्तर्गत अनुसूचित जाति छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	6,00.00		
पु.	- 4,62.44	1,37.56	1,37.59
			+ 0.03
31 मार्च 2016 को ₹ 4,62.44 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र निर्माण			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	2,14.00		
पु.	- 2,14.00	..	..
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,14.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) आंगन बाड़ी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू .	34,70.18		
पु .	- 24,56.93	10,13.25	10,13.25
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 24,56.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) आंगन बाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू .	2,56.59		
पु .	- 2,56.59	..	..
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 2,56.59 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)। 2014-15 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था ।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू .	7,13.28		
पु .	- 5,09.11	2,04.17	2,04.17
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 5,09.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. भवन का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	27,72.16		
पु .	- 18,19.67	9,52.49	9,57.71
			+ 5.22
₹ 27,72.16 लाख का प्रावधान 14 नये आई.टी.आई. भवनों का निर्माण, अनुसूचित जाति क्षेत्रों में कम्प्यूटर लेब तथा प्लम्बर ट्रेड हेतु कार्यशाला के निर्माण हेतु अनुमानित था, परन्तु 2 आई.टी.आई. हेतु भूमि का आवंटन न होने, भूमि के कम आवंटन होने से, 2 आई.टी.आई. का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने, 5 आई.टी.आई. के लिए फरवरी तथा मार्च 2016 में भूमि का आवंटन किया गया तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 2 आई.टी.आई. में कार्यों के निष्पादन न होने के परिणामतः व्यय कम हुआ तथा ₹ 18,19.67 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया ।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. भवन का निर्माण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,21.78		
पु.	- 2,12.86	8.92	9.33
			+ 0.41

₹ 2,21.78 लाख का प्रावधान नयी आई.टी.आई.भवनों के निर्माण, कम्प्यूटर लेब तथा प्लम्बर ट्रेड हेतु कार्यशाला पर व्यय होने पर प्रतिशतता व्यय हेतु अनुमानित था। यद्यपि, व्यय केवल कम्प्यूटर लेब तथा प्लम्बर ट्रेड हेतु कार्यशाला के निर्माण पर हुआ परिणामतः प्रतिशतता व्यय का कम समायोजन हुआ तथा ₹ 2,12.86 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित किया गया।

4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[03] पशु पालन विभाग के माध्यम से			
मू.	5,00.00		
पु.	- 4,06.83	93.17	86.77
			- 6.40

31 मार्च 2016 को ₹ 4,06.83 लाख का प्रावधान (i) नये परियोजनाओं की स्वीकृति के उपरान्त भी बजट की मांग कम होने, (ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों की निविदा प्रक्रिया में देरी तथा वित्त विभाग से स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 6.40 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[06] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू.	5,00.00		
पु.	- 1,00.00	4,00.00	4,00.00
			..

31 मार्च 2016 को ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान नई परियोजनाओं की स्वीकृति के बाद भी बजट की मांग कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	17,10.00		
पु.	- 11,38.03	5,71.97	5,89.61
			+ 17.64

₹ 17,10.00 लाख का प्रावधान पंचायती राज विभाग द्वारा किसान सेवा केन्द्र के निर्माण हेतु अनुमानित था। कुल स्वीकृत राशि में से नाबार्ड द्वारा कार्य शुरू करने के लिए मोबीलाइजेशन फण्ड के रूप में 20 प्रतिशत जारी की गई तथा 5 प्रतिशत कृषि विभाग द्वारा राज्यांश के रूप में अंशदान किया गया।

यद्यपि, 31 मार्च 2016 को ₹ 11,38.03 लाख का प्रावधान कोषालयों द्वारा पंचायत समितियों को यह 25 प्रतिशत अंशदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में विलम्ब रहा क्योंकि पंचायती राज विभाग द्वारा समस्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण नाबार्ड ने निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 17.64 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. डांग जिला			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] डांग क्षेत्र का विकास			
मू.	8,90.00		
पु.	- 1,01.28	7,88.72	7,88.72
02. पिछड़ा क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] मेवात क्षेत्र का विकास			
मू.	10,68.00		
पु.	- 2,45.60	8,22.40	8,22.40
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 3,46.88 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष में जिलों से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत संचित निधि का उपयोग करने के लिए जल स्वावलंबन से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. पिछड़ा क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[02] मगरा क्षेत्र का विकास			
मू.	8,90.00		
पु.	- 1,97.70	6,92.30	6,92.30
31 मार्च 2016 को ₹ 1,97.70 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष में जिलों से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत संचित निधि का उपयोग करने के लिए जल स्वावलंबन से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	30,26.00		
पु.	- 5,30.00	24,96.00	24,96.00
31 मार्च 2016 को ₹ 5,30.00 लाख का प्रावधान सीमा क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[01] दाईं मुख्य नहर			
मू.	2,11.06	65.92	65.92
पु.	- 1,45.14		
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[02] बाईं मुख्य नहर			
मू.	1,24.50	0.99	0.99
पु.	- 1,23.51		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 2,68.65 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	36,12.54	12,36.82	12,36.82
पु.	- 23,75.72		
31 मार्च 2016 को ₹ 23,75.72 लाख का प्रावधान (i) आयोजना सीमा में कटौती, (ii) चारण वाला शाखा के डिच माइनर की निविदा स्वीकृत न होने तथा (iii) किसानों द्वारा कार्यों का विरोध करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	9,79.00	7,16.94	7,16.95
पु.	- 2,62.06		

31 मार्च 2016 को ₹ 2,62.06 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) 94 स्वीकृत पदों में से तकनीकी स्टाफ, सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के 64 पदों के रिक्त रहने से निर्माण कार्य बाधित होने, (ii) इंजीनियरिंग इकाई से मशीनरी के भुगतान हेतु बिलों के समय पर प्राप्त नहीं होने तथा (iii) रामगढ़ ओपन माइनर हेतु भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
05. इन्दिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पंजाब में इंदिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय ( मुख्य अभियंता, जल संसाधन, पंजाब के माध्यम से)			
[01] पंजाब में इंदिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय ( मुख्य अभियंता, जल संसाधन, पंजाब के माध्यम से)			
मू.	3,56.00	..	..
पु.	- 3,56.00		
31 मार्च 2016 को ₹ 3,56.00 लाख का समस्त प्रावधान पंजाब सरकार द्वारा पंजाब हिस्से के इंदिरा गांधी नहर फीडर में री-लाइनिंग कार्यों के निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	27,18.00	19,41.22	19,41.22
पु.	- 7,76.78		..
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	2,70.00	12.47	12.46
पु.	- 2,57.53		- 0.01
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 10,34.31 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) मुख्य अभियंता, गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता कार्यक्रम			
[01] लघु सिंचाई परियोजनाओं का पुर्नवास			
मू.	4,37.60	1,93.33	1,85.84
पु.	- 2,44.27		- 7.49
31 मार्च 2016 को ₹ 2,44.27 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 7.49 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वाटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	46,23.11	21,55.40	21,55.40
पु.	- 24,67.71		..
31 मार्च 2016 को ₹ 24,67.71 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वाटर कन्सेप्ट)			
[02] मुख्य शीर्ष -2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	9,45.39	3,83.43	3,78.36
पु.	- 5,61.96		
31 मार्च 2016 को ₹ 5,61.96 लाख का प्रावधान संस्थापन व्यय का समायोजन कार्य परिव्यय के अनुसार करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण तथा ₹ 5.07 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जल संग्रहण संरचना (फोर वाटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	14,14.30	1,06.36	1,06.36
पु.	- 13,07.94		
31 मार्च 2016 को ₹ 13,07.94 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जल संग्रहण संरचना (फोर वाटर कन्सेप्ट)			
[02] मुख्य शीर्ष -2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	2,89.22	18.96	18.67
पु.	- 2,70.26		
31 मार्च 2016 को ₹ 2,70.26 लाख का प्रावधान संस्थापन व्यय का समायोजन कार्य परिव्यय के अनुसार करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (बीसलपुर, अजमेर)			
मू.	2,62.00	97.74	97.54
पु.	- 1,64.26		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,64.26 लाख का प्रावधान (i) पक्का जलग्रहण का कम क्षेत्र में निर्माण क्योंकि कार्य केवल फसल काटने के बाद किये जाने थे, (ii) जलग्रहण के निर्माण हेतु किसानों से मतभेद होने के कारण कार्य बाधित होने तथा (iii) 27 स्वीकृत पदों में से 20 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू .	4,40.00	2,49.66	2,63.09
पु .	- 1,90.34		
			+ 13.43
31 मार्च 2016 को ₹ 1,90.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 13.43 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू .	2,79,07.00	2,51,68.00	2,51,68.00
पु .	- 27,39.00		
			..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू .	98,25.60	96,08.80	96,08.80
पु .	- 2,16.80		
			..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू .	2,55,93.40	1,48,24.80	1,48,24.80
पु .	- 1,07,68.60		
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 1,37,24.40 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के परिणामतः अंश पूंजी में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू .	2,91,55.75	1,47,84.80	1,47,84.80
पु .	- 1,43,70.95		
			..

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	2,94,27.50	1,24,20.03	1,24,20.03
पु.	- 1,70,07.47		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 3,13,78.42 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के परिणामस्वरूप अंश पूँजी में कम निवेश के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	13,38.94	6,79.97	6,79.98
पु.	- 6,58.97		+ 0.01
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	13,70.44	4,04.41	4,04.40
पु.	- 9,66.03		- 0.01
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	56,70.80	11,81.64	11,81.64
पु.	- 44,89.16		..
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	4,53.66	1.28	1.28
पु.	- 4,52.38		..



## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[92] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,13.42		
पु.	- 1,13.10	0.32	0.32
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	1,70.12		
पु.	- 1,69.64	0.48	0.48
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	44,50.00		
पु.	- 28,50.02	15,99.98	15,99.98
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[07] मिरिंग लिक परियोजना-द्वितीय (अष्टदशम्)			
मू.	7,87.61		
पु.	- 3,19.49	4,68.12	4,78.87
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[08] सड़क उन्नयन परियोजना (नवदशम्)			
मू.	11,94.69		
पु.	- 3,54.07	8,40.62	8,45.80
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[10] सड़क उन्नयन परियोजना (एकविंशतितमः)			
मू.	9,20.35		
पु.	- 5,57.02	3,63.33	3,63.32

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	37,80.53	11,34.00	11,34.00
पु .	- 26,46.53		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू .	3,02.44	..	..
पु .	- 3,02.44		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू .	1,13.42	..	..
पु .	- 1,13.42		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र			
आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू .	35,39.82	32,48.59	32,48.59
पु .	- 2,91.23		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र			
आधुनिकीकरण परियोजना			
[02] सड़क सुरक्षा प्रबन्धन			
मू .	2,65.49	11.25	11.25
पु .	- 2,54.24		

उपरोक्त पन्द्रह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 1,45,37.74 लाख का प्रावधान कार्यों के निष्पादन कम/नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण तथा शीर्ष " 5054-04-789(04) [07] एवं [08] " के अन्तर्गत ₹ 15.93 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) हवाई पट्टियों का विस्तार एवं निर्माण			
मू.	4,29.21		
पु.	- 2,98.90	1,30.31	1,15.32
			- 14.99
31 मार्च 2016 को ₹ 2,98.90 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हवाई पट्टियों के विकास एवं सुधार पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 14.99 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
05. सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण			
मू.	3,56.00		
पु.	- 3,56.00	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,56.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के लागू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	5,55.00		
पु.	- 3,26.25	2,28.75	2,28.75
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,26.25 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	5,56.00		
पु.	- 3,19.57	2,36.43	2,36.43
			..
31 मार्च 2016 को ₹ 3,19.57 लाख का प्रावधान रामगढ़ शेखावाटी की हवेलियों के विकास हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा कार्यकारी अभिकरणों द्वारा कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[01] स्वान वर्टिकल (स्टेट शेयर)			
मू.	1,00.98	..	..
पु.	- 1,00.98		
31 मार्च 2016 को ₹ 1,00.98 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[10] आरोग्य ऑन लाईन			
मू.	1,80.00	10.00	10.00
पु.	- 1,70.00		..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[17] सी.एम.आई.एस. (समान प्रबन्धन सूचना सेवाएं)			
मू.	4,50.00	23.04	23.04
पु.	- 4,26.96		..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[24] राज सम्पर्क			
मू.	1,52.60	17.83	17.83
पु.	- 1,34.77		..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[30] राजस्थान एकाउण्टेबिलिटी एश्योरेंस सिस्टम (रास)			
मू.	7,86.00	5,00.00	5,00.00
पु.	- 2,86.00		..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 10,17.73 लाख का प्रावधान कम्प्यूटराईजेशन पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[12] स्वान होरीजेन्टल			
मू .	10,88.48	..	..
पु .	- 10,88.48	..	..
31 मार्च 2016 को ₹ 10,88.48 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] जी.आई.एस.			
मू .	9,16.53	2,76.53	2,76.53
पु .	- 6,40.00		..
31 मार्च 2016 को ₹ 6,40.00 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] उदय योजना के अन्तर्गत उधार			
अ .	23,02,27.47	21,03,55.16	21,03,55.16
पु .	- 1,98,72.31		..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] उदय योजना के अन्तर्गत उधार			
अ .	21,32,15.14	19,24,10.62	19,24,10.62
पु .	- 2,08,04.52		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 44,34,42.61 लाख का प्रावधान उदय योजना के तहत विद्युत् कम्पनियों को ऋणों की प्रत्याशा में लिया गया जो प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 4,06,76.83 लाख का प्रावधान उदय योजना के बॉण्ड कम जारी होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] उदय योजना के अन्तर्गत उधार			
अ .	22,17,31.21	21,03,77.54	21,03,77.54
पु .	- 1,13,53.67		..
मार्च 2016 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 22,17,31.21 लाख का प्रावधान उदय योजना के तहत विद्युत् कम्पनियों को ऋणों की प्रत्याशा में लिया गया जो प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2016 को ₹ 1,13,53.67 लाख का प्रावधान उदय योजना के बॉण्ड कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 13,17.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,00,36.67 लाख) किया गया।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[02] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	2,64.80	4,87.31	4,87.31
पु.	2,22.51		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[03] बीसलपुर-दूदू जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	5,28.96	13,67.10	13,67.10
पु.	8,38.14		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[07] इन्द्रोका-माणकलाव-दांतिवाडा जल प्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू.	2,67.00	6,57.43	6,57.43
पु.	3,90.43		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[14] पोकरण-फलसूंड जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	14,64.80	42,34.12	42,34.12
पु.	27,69.32		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[16] तिवरी-मथानिया-भोपालगढ़ जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	3,30.92	13,24.98	13,24.97
पु.	9,94.06		

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 52,14.46 लाख की अतिरिक्त निधियां इन नाबार्ड परियोजना के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[05] चूरू-झुंझुनू जल प्रदाय परियोजना फेज-II (ई.ए.पी.)			
मू.	14,89.64	27,00.68	27,00.67
पु.	12,11.04		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,11.04 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[22] टोंक, उनियारा और देवली को बीसलपुर बांध से जलप्रदाय परियोजना			
मू.	3,08.88	6,97.01	6,97.01
पु.	3,88.13		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[24] चम्बल-भीलवाड़ा जल प्रदाय योजना			
मू.	6,61.36	9,83.01	9,83.01
पु.	3,21.65		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[28] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	12,83.20	21,22.03	21,22.03
पु.	8,38.83		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[30] फ्लोराईड कंट्रोल प्रोजेक्ट अजमेर-पीसांगन			
मू.	1,32.25	5,41.05	5,41.04
पु.	4,08.80		

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[33] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	1,54.44	3,39.11	3,36.81
पु.	1,84.67		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[34] नागौर लिफ्ट केनाल फेज-प्रथम			
मू.	10,13.52	13,08.10	13,08.10
पु.	2,94.58		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[35] नावां के 72 गांवों की जलप्रदाय परियोजना			
मू.	17.80	2,07.00	2,07.00
पु.	1,89.20		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[36] निवाई एवं टोंक तहसील के 199 गांवों की जलप्रदाय परियोजना			
मू.	2,97.68	5,67.79	5,67.78
पु.	2,70.11		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[38] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना-फेज- II पार्ट-बी (68 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	1,65.38	3,87.04	3,87.04
पु.	2,21.66		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[40] जवाई-पाली-जोधपुर पाईप लाईन परियोजना फेज-II ( क्लस्टर परियोजना)			
मू.	2,91.60	9,51.80	9,51.79
पु.	6,60.20		



**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[41] ब्यावर-जवाजा क्लस्टर योजना			
मू.	3,88.68	7,08.81	7,08.81
पु.	3,20.13		
01. जलपूर्ति			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[42] गागरिन जल पूर्ति योजना			
मू.	3,30.76	14,28.25	14,28.25
पु.	10,97.49		
01. जलपूर्ति			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[44] जवाई क्लस्टर परियोजना - II			
मू.	11,68.54	16,87.08	16,87.07
पु.	5,18.54		
01. जलपूर्ति			- 0.01
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[45] बीसलपुर-दूदू परियोजना, चाकसू-फागी एवं बस्सी			
मू.	11,57.66	26,52.29	26,52.29
पु.	14,94.63		
01. जलपूर्ति			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[48] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	15,94.26	50,96.25	50,96.24
पु.	35,01.99		
01. जलपूर्ति			- 0.01
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[49] नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	2,20.56	7,98.36	7,98.36
पु.	5,77.80		
01. जलपूर्ति			..

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[51] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I पार्ट- II			
मू .	2,75.74	11,58.58	11,58.58
पु .	8,82.84		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[52] बांसवाड़ा जल पूर्ति परियोजना			
मू .	3,85.94	15,70.90	15,70.90
पु .	11,84.96		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[53] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जल पूर्ति परियोजना			
मू .	7,23.48	12,20.45	12,20.45
पु .	4,96.97		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[55] नर्मदा परियोजना-क्लस्टर (डी.आर.)			
मू .	1,32.37	5,18.58	5,18.58
पु .	3,86.21		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[57] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतडी एकीकृत जल पूर्ति परियोजना			
मू .	10,45.24	46,56.39	46,56.39
पु .	36,11.15		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[58] नर्मदा से शिव तहसील, जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)			
मू .	6,61.52	7,77.97	7,77.97
पु .	1,16.45		

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[59] राजीव गाँधी लिफ्ट कैनाल योजना से बावड़ीकलां खारा एवं जलोड़ा जल पूर्ति परियोजना			
मू.	77.19		
पु .	10,81.34		
		11,58.53	11,58.52
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[60] राजीव गाँधी लिफ्ट कैनाल योजना से घटोर, कानासर एवं बाप जल पूर्ति परियोजना			
मू.	61.88		
पु .	6,17.51		
		6,79.39	6,79.39
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[61] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जल पूर्ति परियोजना			
मू.	2,64.66		
पु .	1,54.24		
		4,18.90	4,18.89
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[62] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू .	4,95.98		
पु .	13,21.22		
		18,17.20	18,17.19
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[63] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू .	33,49.51		
पु .	2,95.23		
		36,44.74	36,42.97
			- 1.77

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[68] ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना पीलवा सागरी-जम्बेश्वर नगर आर.जी.एल.सी से आर.डी.111 (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 100% केन्द्र)			
मू.	88.16	3,42.22	3,42.22
पु.	2,54.06		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[73] नागौर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II (डी डी पी) ग्रामीण			
मू.	6,61.20	11,24.16	11,24.16
पु.	4,62.96		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[75] राजगढ़ पेयजल परियोजना, तहसील पंचपहाड़, जिला-झालावाड़			
अ.	0.01	4,52.62	4,52.62
पु.	4,52.61		
उपरोक्त तीस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,26,06.16 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	23,02.00	24,32.87	23,92.49
पु.	1,30.87		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[06] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलप्रदाय परियोजना			
मू.	90.00	2,08.24	2,08.24
पु.	1,18.24		

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[14] चम्बल-भीलवाड़ा जल प्रदाय परियोजना			
मू.	4,25.00	11,38.39	11,38.39
पु.	7,13.39		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[16] डीग जलप्रदाय योजना			
मू.	0.01	1,24.69	1,24.69
पु.	1,24.68		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[28] चूरु-झुझुनू जल प्रदाय परियोजना फेज- II (शहरी)			
मू.	0.01	4,98.40	4,98.40
पु.	4,98.39		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[37] टोंक, देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	0.01	3,44.83	3,44.83
पु.	3,44.82		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[40] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-कलस्टर			
मू.	4,14.00	6,15.90	6,15.90
पु.	2,01.90		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[42] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत सीकर- झुझुनू-खेतड़ी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना			
मू.	3,53.00	15,97.19	15,97.18
पु.	12,44.19		

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[47] जवाई-पाली पाईपलाईन परियोजना, फेज-II पार्ट-बी (शहरी)			
मू.	0.01	1,24.00	1,24.00
पु.	1,23.99		..
उपरोक्त नौ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35,00.47 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण तथा शीर्ष "4215-01-789 (02) [02]" के अन्तर्गत ₹ 40.38 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
अ.	0.02	17,60.42	17,60.42
पु.	17,60.40		..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,60.40 लाख की अतिरिक्त निधियां अमृत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	6,00.00	7,82.52	7,82.53
पु.	1,82.52		+ 0.01
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,82.52 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[07] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	3,00.00	6,97.90	6,97.90
पु.	3,97.90		..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,97.90 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति कमेटी द्वारा वन विभाग की परियोजनाओं की स्वीकृति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	14,06.05		
पु.	6,07.15		
	20,13.20	20,34.57	+ 21.37
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,07.15 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 21.37 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
के माध्यम से			
[05] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट (नोहर साहवा लिफ्ट)			
अ.	0.01		
पु.	2,51.99		
	2,52.00	2,52.00	..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,51.99 लाख की अतिरिक्त निधियां नोहर साहवा लिफ्ट पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना			
के माध्यम से			
[06] पन्ना लाल बारुपाल लिफ्ट (गजनेर लिफ्ट)			
अ.	0.02		
पु.	1,97.20		
	1,97.22	1,97.22	..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,97.20 लाख की अतिरिक्त निधियां गजनेर लिफ्ट पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) (मुख्य अभियन्ता,			
जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधान (उत्तर)			
हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	11,25.00		
पु.	4,75.40		
	16,00.40	16,00.40	..
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,75.40 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
37. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) निर्माण कार्य			
मू.	37.80		
पु.	1,40.59	1,78.39	1,78.05
			- 0.34
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,40.59 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) निर्माण कार्य			
मू.	4,00.00	12,76.97	12,76.97
पु.	8,76.97		..
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) निर्माण कार्य			
मू.	2,75.52	14,84.00	14,84.00
पु.	12,08.48		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,85.45 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से [01] लघु सिंचाई परियोजनायें			
मू.	0.02	7,99.67	7,98.16
पु.	7,99.65		- 1.51
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से [03] वाटर हारवेंस्टिंग स्ट्रक्चर			
मू.	16,07.14	23,38.37	23,33.95
पु.	7,31.23		- 4.42



**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[04] आधुनिकीकरण/उन्नयन/पुनर्जीवीकरण			
मू.	3,60.00	8,13.62	8,13.40
पु.	4,53.62		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,84.50 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[05] त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
मू.	1,80.00	2,85.73	2,85.19
पु.	1,05.73		
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[07] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
मू.	18.00	7,52.27	7,52.27
पु.	7,34.27		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,40.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में उदय			
योजनान्तर्गत अधिग्रहण			
अ.	1,29,20.54	1,68,55.79	1,68,55.79
पु.	39,35.25		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 39,35.25 लाख की अतिरिक्त निधियां जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को बॉण्ड्स के अधिग्रहण हेतु अंश पूंजी जारी करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) निजी जन सहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों			
का निर्माण			
मू.	3,04.88	4,88.30	4,88.31
पु.	1,83.42		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,83.42 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04. जिला तथा अन्य सड़कें 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) शहरी सड़कें			
मू.	1,49.65	5,17.47	5,17.47
पु.	3,67.82		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,67.82 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें [09] सड़क उन्नयन परियोजना (विंशतितमः)			
मू.	60,35.40	1,03,58.02	1,03,41.91
पु.	43,22.62		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 43,22.62 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 16.11 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (05) ग्रामीण सड़कें			
मू.	1,33,80.53	1,51,60.31	1,50,77.71
पु.	17,79.78		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,79.78 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 82.60 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
80. सामान्य 001. निदेशन तथा प्रशासन (03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें) [91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	20,96.00	23,62.24	23,64.89
पु.	2,66.24		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,66.24 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग [22] बैंकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू.	4,95.00	6,90.38	6,90.38
पु.	1,95.38		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,95.38 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			

**अनुदान संख्या 051 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[32] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)			
मू.	8,85.80	24,52.28	24,52.28
पु.	15,66.48		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,66.48 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2016)।			..
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)			
अ.	0.01	1,02,61.23	1,02,61.23
पु.	1,02,61.22		
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)			
अ.	0.01	82,65.92	82,65.92
पु.	82,65.91		
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)			
अ.	0.01	82,47.85	82,47.85
पु.	82,47.84		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,67,74.97 लाख की अतिरिक्त निधियां वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों के क्रियान्वयन के लिए विद्युत् कम्पनियों को विश्व बैंक से ऋणों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)			
अ.	0.01	2,91.16	2,91.16
पु.	2,91.15		
31 मार्च 2016 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,91.15 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को एशियन विकास बैंक के ऋण जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..

परि  
(पृष्ठ 15 पर विनियोग लेखों के  
व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों)

अनुदान संख्या और नाम	बजट अनुमान	
	राजस्व	पूंजी
	(₹ सहस्र में)	
009. वन	1,80,00	..
010. विविध सामान्य सेवाएं	1	..
012. अन्य कर	30,20	..
014. बिक्री कर	9,33,73	..
015. पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3	..
016. पुलिस	10,00	..
019. लोक निर्माण कार्य	3,22,98,94	..
021. सड़कें एवं पुल	94,22,44	5,83,95,01
022. क्षेत्र का विकास	..	23,67,85
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	1	..
027. पेय जल योजना	3,56,54,22	1,85,00,00
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास	20,01	1,14,75,00
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
<i>दत्तमत</i>	56,67,52	..
<i>प्रभारित</i>	10	..
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत	11,03,00,00	..
035. विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	..	9,35,03
043. खनिज	1,28,27,10	..
046. सिंचाई	2,49,80,94	1,27,34,46
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	..	1,51,30,00
<b>दत्तमत</b>	<b>23,23,25,15</b>	<b>11,95,37,35</b>
<b>कुल वसूलियां</b>		
<b><i>प्रभारित</i></b>	<b>10</b>	<b>..</b>

शिष्ट  
सारांश में उल्लिखित)  
के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
राजस्व	पूंजी	वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
1,57,86	..	- 22,14	..
..	..	- 1	..
28,50	..	- 1,70	..
10,00,66	..	+ 66,93	..
..	..	- 3	..
10,00	..	..	..
2,66,29,47	..	- 56,69,47	..
75,58,00	2,21,78,44	- 18,64,44	-3,62,16,57
..	7,14,75	..	- 16,53,10
..	..	- 1	..
3,57,49,67	1,11,79,50	+ 95,45	- 73,20,50
..	23,69,80	- 20,01	- 91,05,20
51,74,88	..	- 4,92,64	..
3	..	- 7	..
25,59,75,36	..	+ 14,56,75,36	..
..	9,35,02	..	- 1
14,88,66	..	- 1,13,38,44	..
2,03,10,17	68,60,91	- 46,70,77	- 58,73,55
..	39,17,71	..	- 1,12,12,29
<b>35,40,83,23</b>	<b>4,81,56,13</b>	<b>+ 12,17,58,08</b>	<b>- 7,13,81,22</b>
<b>3</b>	<b>..</b>	<b>- 7</b>	<b>..</b>

© भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक  
**2016**

[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[agaerajasthan@cag.gov.in](mailto:agaerajasthan@cag.gov.in)

---

विनियोग लेखे

\*

2015-2016

\*

राजस्थान सरकार